खण्ड-300, अंक-3
गुरूवार, 23 अग्रहायण, शक संवत् 1894
(14 दिसम्बर, 1972 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 300 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)

1972

मूल्य : बिना महसूल null null, महसूल सहित null null |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल null null, महसूल सहित null null |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, 14 दिसम्बर, 1972

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप लखनऊ में 11 बजे दिन में, अध्यक्ष, श्री आत्मा-राम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य--377

अजब सिंह, श्री
अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अनन्तराम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीसुर्रहमान शेरवानी, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमर नाथ दूबे, श्री
अवधेश कुमार, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशरफ अली खां, कुंवर
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आबिद अली, श्री
आशाराम, श्री
आशा सिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणि, श्री
इन्द्रमोहिनी, श्रीमती
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उदित नारायण शर्मा, श्री
उपेन्द्रनाथ दीक्षित, श्री
उमाकांत बाजपेयी, श्री (उर्फ भैया जी)
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करन सिंह, श्री
कलारानी मिश्र, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
काजी मसूद, श्री
किशनलाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम ऐजाज रसूल)
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्ण सिंह, श्री
कृष्णस्वरूप वैश्य, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ अग्रवाल, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशवराम, श्री (जिला बरेली)
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
के० एस० मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सिंह यादव, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गणेशदत्त बाजपेयी, श्री

गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर तिवारी, श्री
गिरधारी लाल, चौधरी
गुलाब सिंह, श्री
गोपालदत्त ओझा, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोस्वामी राधाकृष्ण, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चंचल सिंह गिल, सरदार
चन्द्रप्रताप नारायण सिंह, कुंवर
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रमणि कान्त सिंह 'जूदेव', श्री
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री
चरण सिंह, श्री
चित्तर सिंह, राजा
चिरंजी लाल, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छांगुर राम, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर यादव, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ डा० मन्ना)
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगरनाथ, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूंगर सिंह विष्ट, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेजपाल सिंह 'कृष्ण', श्री
तेज बहादुर, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोकचन्द्र, श्री
त्रिवेणी राय, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री
दल सिंगार यादव, श्री
दीपनारायण वन, श्री
दीपनारायण मणि त्रिपाठी, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवकी नन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धूम प्रसाद, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्था राम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीमुद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भयनारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपाल सिंह, श्री
पन्नालाल गुप्त, श्री
परमाईलाल, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पूरन चन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारे लाल, श्री
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेम चन्द्र शर्मा, श्री
प्रेमनारायण अहेरवार, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशगोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बच्चा पाठक, श्री

बदन सिंह यादव, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी राम, श्री
बब्बन सिंह, श्री
बलराम सिंह यादव, श्री
बलबीर सिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बांके लाल, श्री
बिशन लाल यादव, श्री
बिहारी लाल , श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगवती सिंह, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभी यादव, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मदन मोहन मिश्र, श्री
मलफूल सिंह, श्री
मनोहर लाल, श्री
मन्साराम, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद अली खां, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महराम सिंह, श्री
महातम प्रसाद तिवारी, श्री
महावीर सिंह चौहान, श्री (जिला अलीगढ़)
महीलाल, श्री
महेश्वरदत्त सिंह, श्री
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मुन्शीलाल चमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुस्तफा कामिल किदवई, श्री
मुहम्मद नबी खां, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोतीलाल यादव, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहन लाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
यादवेन्द्र दत्त दुबे, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रणंजय सिंह, राजा
राजनाथ सिंह, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजितराम पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
राम करन यादव, श्री (जिला गाजीपुर)
राम करन सिंह, श्री (जिला गोरखपुर)
राम किंकर, श्री
राम किशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर सिंह, श्री
राम कुमार दीक्षित, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण द्विवेदी, श्री
राम गोपाल सण्ड, श्री
रामचरण त्रिपाठी, श्री (जिला इलाहाबाद)
राम चरण सिंह, श्री (जिला आगरा)
रामजियावन, श्री
रामजीलाल सहायक, डाक्टर
राम दुलारे, श्री
राम दुलारे मिश्र, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री

राम नगीना मिश्र, श्री
रामनिहोर, श्री
राम निहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
राम प्यारे, श्री
रामप्यारे शुक्ल, श्री
रामप्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़-रानी की सराय)
रामबचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़, फूलपुर)
रामविलास पाण्डेय, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरतन पांडेय, श्री
राम रतन प्रसाद, श्री
रामलखन, श्री
राम लखन सिंह, श्री
राम लगन बुबे, श्री
रामलाल चतुर्वेदी, श्री
राम लाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
रामशिरोमणि दूबें, श्री
राम सागर, श्री
रामसिंह, श्री
राम सिंह खन्ना, श्री
राम सूरत सिंह, श्री
राम सेवक, श्री
राम हर्ष मिश्र, श्री
राव अब्दुर्रफे खां, श्री
रितुराज सिंह, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूपराम, श्री
लक्षमण स्वरूप, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लाल बहादुर सिंह, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालू राम, श्री
लीलाधर, श्री
लोकपति, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह वैद्य, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजयकुमार त्रिपाठी, राजा
विजय बहादुर सिंह, श्री
विजय शंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्र नाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शान्ती चरण पिंडारा, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार पांडेय, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिवबचन, श्री
शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिवशंकर, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू लाल, श्री
शेर अली खां, श्री
शेर सिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह चौधरी, श्री

श्याम किशोर, डाक्टर
श्यामलाल कनौजिया, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नू बाबू)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री
श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीनिवास प्रसाद सिंह, राजा
श्रीशचन्द्र, श्री
संतोष कुमारी, श्रीमती
सैयद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सत्तार अहमद अन्सारी, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तू राम, श्री
सरदार सिंह, श्री
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सिया दुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सिया राम गंगवार, डाक्टर
सुखपाल पांडेय, श्री
सुखवीर, श्री
सुखलाल कोरी, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सोहन लाल धूसिया, श्री
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसराज, श्री (उर्फ हंसा)
हबीब अहमद, श्री
हमीदा हबीबुल्ला, बेगम
हरनारायण, श्री
हरवंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिप्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरी सिंह बिष्ट, श्री
हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हीरा सिंह बोरा, श्री
हुकुम सिंह परिहार, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री

नोट--पंचायती राज मंत्री, श्री बलदेव सिंह आर्य एवं सूचना राज्य मंत्री श्री पुरुषोत्तम दास टण्डन भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, 14 दिसम्बर, 1972

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

मुहम्मदअली इंटर कालेज, बेल्थरा रोड (बलिया) की बिल्डिंग पर पाकिस्तानी झंडे का कथित प्रयोग

** 1--श्री यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बलिया जिले के बेल्थरा रोड गांव में मुहम्मद अली इन्टर कालेज में स्वतन्त्रता की रजत-जयन्ती समारोह के अवसर पर कालेज बिल्डिंग के ऊपर तथा प्रभात फेरी में पाकिस्तानी झण्डे का प्रयोग किया गया और भारत विरोधी नारे भी लगाय गये ? यदि हां, तो सरकार उस पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

नियोजन राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)--

जी नहीं। इस प्रकार की कोई घटना उक्त कालेज में स्वतंत्रता की रजत जयन्ती समारोह के अवसर पर नहीं हुई।

श्री यादवेन्द्रदत्त दुबे—

क्या सरकार को यह मालूम है कि इस प्रकार की जो घ टना घटी है तो कालेज म उस पर विद्यार्थियों ने पाकिस्तानी झंडे को हटाने का प्रयास किया और उसमें मारपीट हुई और उस पर कोई रिपोर्ट थाने में दर्ज हुई या नहीं ? तथा ऐसी किसी घटना की जानकारी सरकार को है या नहीं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

मान्यवर, हमें जो सूचना है, हमने उसकी जांच कराई और डिप्टी एस0 पी0 ने जांच की और जांच में ऐसी कोई बात नहीं पाई गई, जिससे पता चले कि वहां पर ऐसा कोई झण्डा फहराया गया या राष्ट्र विरोधी नारे लगाये गये।

श्री यादवेन्द्रदत्त दुबे—

मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है। वह टाल मिक्शचर उत्तर दे रहे हैं। मेरा प्रश्न था क्या लड़कों में कोई मारपीट हुई थी, थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई थी ?लेकिन मंत्री जी गोल जवाब देते हैं। आपके पास सूचना नहीं है तो समय मांगिये, लेकिन जवाब देने से भागिये मत।

श्री ओम प्रकाश सिंह—

मेरे पास की सूचना में ऐसा कोई जिक्र नहीं है, कोई ऐसी घटना दर्ज नहीं हुई थी। मेरे पास डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की रिपोर्ट है, सी0 ओ0 ने जांच की है, कोई ऐसी घटना की रिपोर्ट नहीं है।

श्री बलबीर सिंह (जिला मेरठ)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की जो रिपोर्ट आई है, उसमें क्या किसी ऐसी पुलिस रिपोर्ट का जिक्र है, तो एफ0 आई0 आर0 दर्ज की गई थी या नहीं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

ऐसी किसी एफ0 आई0 आर0 के लाज होने का जिक्र नहीं है।

श्री रामगोपाल सण्ड (जिला इलाहाबाद)—

जो रिपोर्ट लिखाई गई थी, क्या उसे पढ़ देने की कृपा करेंगे जो बच्चों ने लिखाई है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

मैंने निवेदन किया था—ऐसी किसी रिपोर्ट की सूचना मेरे पास उपलब्ध नहीं है।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह जो डिप्टी एस0 पी0 व कलेक्टर की रिपोर्ट आई है, वह किस बिना पर आई है ? और उसे आप पढ़ दीजिए।

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जब प्रश्न पूछा गया तो उसके उत्तर म हमने रिपोर्ट मंगाई थी।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

आप डिप्टी एस0 पी0 और कलेक्टर की रिपोर्ट को पढ़ दीजिए, फिर कोई दूसरे प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं रहेगी।

श्री ओम प्रकाश सिंह—

बड़ी लम्बी रिपोर्ट है, उसे मैं पढ़े देता हूं।

श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे—

अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि मंत्री जी डिप्टी एस0 पी0, इंस्पैक्टर आफ स्कूल और डी0 एम0 की रिपोर्ट पढ़ें। यह राष्ट्रीय महत्व का प्रश्न है।

श्री ओम प्रकाश सिंह—

मान्यवर, यह डी0 वाई0 एस0 पी0 की रिपोर्ट है, दिनांक 13–10–72। पुलिस अधीक्षक, बलिया को रिपोर्ट दी है। "कृपया आप अपने आदेश दिनांक 4–10–72 को शासकीय अ0 शा0 पत्र संख्या 128/1/4/72 सी0 एक्स0, दिनांक 26–9–72, उत्तर प्रदेश शासन गोपनीय अनुभाग–3, लखनऊ जो जिला मजिस्ट्रेट, बलिया को सम्बोधित करते हुए बेल्थरा रोड गांव में मुहम्मद अली इंटर कालेज में स्वतन्त्रता की रजत जयन्ती समारोह के अवसर पर बिल्डिग के ऊपर पाकिस्तानी झंडे का प्रयोग करने इत्यादि के बारे में भेजा है तथा जिसमें रिपोर्ट मांगी है, का अवलोकन करें। इस संदर्भ में तथ्य निम्नांकित है।

यह विद्यालय सन् 1928 में जूनियर हाई स्कूल की सूरत में प्रारम्भ हुआ तथा सन् 1948 में हाई स्कूल व 1950 में इंटर कालेज बना। इस विद्यालय का पूरा नाम गांधी मुहम्मद अली मेमोरियल इंटर कालेज, बैल्थरा रोड, बलिया है। इस इंटर कालेज में लगभग 11 सौ विद्यार्थी शिक्षा पाते हैं जिनमें लगभग 700 हिन्दू तथा 400 मुसलमान विद्यार्थी हैं। श्री मुहम्मद बदरुल हसन कादरी मार्च, 1969 से प्रधानाचार्य हैं। इस इंटर कालेज में कुल 32 अध्यापक ह ····"

श्री अध्यक्ष—

इसमें वही चीज पढ़िये जो उसके बारे में लिखा है।

श्री ओम प्रकाश सिंह—

आपने कहा कि पूरा पढ़ दूं तो मैं पूरा पढ़ रहा हूं। वह कहेंगे कि छोड़ दिया इसलिए मैंने कहा कि सारा पढ़ दूं।

श्री अध्यक्ष—

कितने लड़के हैं यह जानने की जरूरत नहीं है।

श्री ओम प्रकाश सिंह—

"सर्वश्री मुहम्मद बदरुल हसन कादरी, प्रधानाचार्य, फतेनारायण सिंह कामर्स लेक्चरर व अन्य अध्यापकों से बातचीत की गयी तो मालूम हुआ (15 अगस्त) स्वतन्त्रता की रजत जयन्ती समारोह के अवसर पर लगभग सभी अध्यापक तथा 80, 85 प्रतिशत विद्यार्थी सम्मिलित हुए थे। इस अवसर पर राष्ट्रीय तिरंगा झंडा विद्यालय भवन पर झंडावतोलन किया गया था। झंडावतोलन करने से पूर्व प्रभात फेरी में सभी अध्यापक तथा विद्यार्थी जो उपस्थित थे, सम्मिलित हुए थे प्रभात फेरी में राष्ट्रीय झंडे के अतिरिक्त कालेज का झंडा भी निकाला गया था और किसी भी प्रकार के भारत विरोधी नारे किसी भी अध्यापक या विद्यार्थी ने नहीं लगाये थे।

गांधी मुहम्मद अली मेमोरियल इंटर कालेज, बेल्थरा रोड, बलिया के कालेज का झंडा देखा गया तो यह हल्के आसमानी रंग का है और इसके बीच में गोलाई में विद्यालय का मनोग्राम बना हुआ है।

मैंने गुप्त विभाग कर्मचारी, तथा अन्य निवासी, बेल्थरा रोड तथा श्री बब्बन सिंह, क्षेत्रीय विधायक से बातचीत की तो लगाये गये आरोप गांधी मोहम्मद अली मेमोरियल इंटर

कालेज बेल्थरा रोड के भवन पर वह प्रभात फेरी में स्वतंत्रता की रजत जयन्ती समारोह के अवसर पर पाकिस्तानी झंडे का प्रयोग किया गया निराधार पाया गया।"

श्री रामबिलास पांडेय (जिला आजमगढ़)—

स्कूल का कोई झंडा नहीं होता है। स्कूल का झंडा लगाया गया तो स्कूल का कौन-सा झंडा होता है?

श्री अध्यक्ष—

वह जुलूस में निकाला गया।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

जुलूस में कोई दूसरा झंडा लेकर चल सकता है?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

झंडा लगाया नहीं गया। स्कूल पर राष्ट्रीय झंडा फहराया गया। प्रभात फेरी में स्कूल का झंडा भी था।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

स्कूल का झंडा कैसा था?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

हल्के आसमानी रंग का था। इसमें स्कूल का नाम लिखा है। मैंने उस झंडे को देखा है, जिसमें लिखा हुआ है "तमसो मा ज्योतिर्गमय।"

जेवा (शाहजहांपुर) के हरिजनों का शिकायती-पत्र

**2—श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

क्या सरकार को जानकारी है कि ग्राम जेवा, थाना व तहसील पुवायां, जिला शाहजहांपुर के श्री प्यारे आदि 19 हरिजनों के मकान अगस्त, 1972 में सवर्णों ने गिरवा दिये जिसकी शिकायत हरिजनों ने लिखित रूप से जिलाधिकारी, शाहजहांपुर व पुलिस अधीक्षक को दिनांक 28 अगस्त, 1972 को तथा 18 सितम्बर, 1972 को की, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई और अब हरिजनों को गांव से निकाल भी दिया गया है? यदि हां, तो इनकी शिकायतें क्या थीं और आज तक उन पर कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं?

गृह राज्य मंत्री (श्री गोस्वामी राधाकृष्ण)—

ग्राम जेवा, थाना पुवायां, शाहजहांपुर के प्यारे आदि 19 हरिजनों का शिकायती-पत्र, दिनांक 28-8-72 नहीं वरन् दिनांक 28-7-72 प्राप्त हुआ था जिसमें ग्राम के सवर्णों के विरुद्ध अत्याचार करने, बैलों को पकड़ ले जाने, मजदूरी करा कर कम मजदूरी देने तथा राजकीय नलकूपों से पानी न देने आदि की शिकायतें की गई थीं। इन शिकायतों की जांच कराई गई। जांच से कम मजदूरी देने तथा कुछ ज्यादती करने की शिकायतें सही पाई गईं। परगनाधिकारी ने ग्राम में जाकर दोनों पक्षों को समझा बुझा दिया और सवर्णों ने भविष्य में परेशान न करने का आश्वासन दिया है। यह सही नहीं है कि हरिजनों को ग्राम से निकाल दिया गया है और उनके मकान गिरवा दिये गये हैं।

कुछ अन्य हरिजनों का शिकायती-पत्र दिनांक 18-9-72 का भी प्राप्त हुआ जिसमें ग्राम के एक सवर्ण द्वारा खेतों की फसल चरवा देने की शिकायत की गई थी। इस शिकायत की भी जांच कराई गई। जांच से ज्ञात हुआ कि केवल एक हरिजन की फसल चरवाई गई। इस सम्बन्ध में धारा 426 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत दर्ज मुकदमें की विवेचना कराई जा रही है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

जो उत्तर दिया गया वह गलत है। कोई तसफिया नहीं हुआ है। क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि जब उनके खिलाफ शिकायतें सही पाई गयीं तो मुकदमा क्यों कायम नहीं किया गया ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मकान गिरा देने इत्यादि का जो आरोप लगाया गया है, वह गलत पाया गया। मजदूरी कम देने तथा पानी को कठिनाई आदि का जो सवाल है, इसके लिये पहले यही प्रयास किया गया कि आपस में समझौता हो जाय। जहां तक फसल जलाने का सवाल है उस पर मुकदमा कायम कर दिया गया है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

समझौता बिल्कुल नहीं हुआ। मजदूरी कम दी जाती है। सवर्ण लोग हरिजनों के साथ हर तरह की ज्यादती करते हैं...

श्री अध्यक्ष —

जितना उनको मालूम था, वह उन्होंने आपको बतला दिया।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

माननीय मंत्री के पास गलत सूचना आई है, अब भी उनके साथ अत्याचार हो रहे हैं। क्या सरकार सी0 आई0 डी0 के जरिये इंक्वायरी कराने को तैयार है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ऐसा कोई सरकार का दृष्टिकोण नहीं है कि किसी वर्ग के साथ किसी तरह की ज्यादती शासन स्वीकार करे। लेकिन मजदूरी का मामला ऐसा है जिसमें अधिक कटुता बढ़ना उचित नहीं था। उचित यही है कि आपस में समझौता हो जाय और उसके लिये प्रक्रिया भी यही है और इसके लिये मौके पर जाकर परगनाधीश ने समझौता कराने का प्रयास किया। जहां तक खेत जलाने का सवाल है तत्काल मुकदमा दायर कर दिया गया।

श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)—

हरिजनों के साथ जो सवर्णों ने अत्याचार किया और मजदूरी आदि का जो मसला है उस पर क्या पुलिस का कोई अधिकारी जांच करने गया और उस जांच के फलस्वरूप क्या कार्यवाही की गयी और कोई मुकदमा कायम किया गया या नहीं ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

जब यह शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ तो तत्काल जिलाधीश को आदेश दे दिया गया। परगनाधीश तथा थानाध्यक्ष ने मौके पर जाकर दोनों पार्टीज को बुला कर सारी समस्याओं का समाधान निकालने का प्रयास किया। मजदूरी का प्रश्न प्रमुख था। उसको आपसी समझौते से निपटाने का प्रयास किया गया। सवर्णों ने विश्वास दिलाया कि वह उचित मजदूरी देंगे और कोई शिकायत भविष्य में नहीं आयेगी।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

जो शिकायती-पत्र सरकार के मिले उनमें मजदूरी के अतिरिक्त हरिजनों के साथ अन्य उत्पीड़न के प्रश्न भी निहित थे ? यदि हां, तो क्या सरकार इन बातों के लिये सी० आई० डी० अथवा किसी दूसरी एजेन्सी से जांच करायेगी ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, अन्य शिकायतों में खेतों में सिंचाई के लिये नलकूप से पानी लेना आदि ऐसी चीजें हैं जिसमें कि सवर्ण का प्रश्न नहीं है। अपने-अपने हितों को देखते हुये यही उचित समझा गया कि आपसी समझौते के अनुसार इस मामले का निपटारा किया जाय।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, आज हरिजनों के सम्बन्ध में ही सभी तारांकित प्रश्न किये गये हैं और इन सब के कारण भी अनेक हैं। इन प्रश्नों को देखते हुये यह स्पष्ट होता है कि आज तक इसके सम्बन्ध में कोई दवा नहीं की गई है। तो क्या सरकार हरिजनों की आपदाओं को दूर करने के लिये, समाज के इस वर्ग के कष्टों के निवारण के लिये कोई ऐसा आयोग गठित करेगी या कोई ऐसी बाडी बनायेगी जो कि इनकी सारी परेशानियों पर विचार करके सरकार को रिपोर्ट दे और सरकार उन पर गम्भीरता पूर्वक विचार करे ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, प्रश्न तो बिल्कुल स्पष्ट है। जो वर्तमान शासन है उसका एक ही दृष्टिकोण है कि समाज का जो पिछड़ा, पीड़ित और दुखी वर्ग है, उसको सामने रख कर अपनी सारी योजनायें बनाये और उसको सुख-सुविधा पहुंचाये। वर्तमान शासन इस दृष्टिकोण को पूरा करने के लिये कृत संकल्प है।

श्री अध्यक्ष—

यह उनके प्रश्न का उत्तर नहीं है। उन्होंने पूछा है कि क्या सरकार किसी आयोग का गठन करेगी जिससे उनकी सारी बातों पर विचार हो सके ?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, प्रयास तो पिछले 25 सालों से हो ही रहे हैं किन्तु मैंने यह पूछा है कि क्या सरकार उन कारणों...

श्री अध्यक्ष—

मैंने आपकी वकालत कर दी।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

शासन इस पर विचार करेगा और यदि उचित समझेगा तो कार्यवाही की जायेगी।

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)—

क्या मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि मजदूरी के बारे में जो समझौता एस० डी० ओ० ने कर दिया उसके अनुसार ही कार्यवाही हो रही है और अब उसी के अनुसार मजदूरी दी जा रही है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

माननीय, इसका विवरण तो मैंने दे दिया किन्तु उसके बाद कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

श्री राम प्रसाद (जिला रायबरेली)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जब रिपोर्ट लिखाई गई है तो मुकदमा क्यों नहीं चलाया गया ? समझौता क्यों कराया गया ? मजदूरी के विषय में अभी भी वहां पर हरिजनों को पीड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। यह सरकार सी० आई० डी० से जांच कराने में क्यों कतराती है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

माननीय, प्रश्न में आरोप तो अपने ढंग के थे। आरोप ऐसे नहीं थे कि मुकदमा चलाया जाता। शिकायतें इस प्रकार की थी जैसे नलकूप वगैरह से पानी लेने की। तो इसमें यही उचित समझा गया कि आपसी समझौते से ही इस मसले का निपटारा किया जाय।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो एस० डी० एम० से समझौता कराया गया तो जो टर्म्स उसमें लिखी गई हैं कि कितनी मजदूरी कम देते थे और कितनी देंगे तथा अब कितनी दी जा रही हैं और पहले कितनी दी जा रही थी। इस प्रकार का समझौता लिखाया गया। या नहीं लिखा गया ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

माननीय, कोई मजदूरी निश्चित करने का प्रश्न नहीं होता। स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुये जो उस समय जन साधारण की एग्रिकल्चरल लेबरर की मजदूरी होती है उसको नियमित और उचित रूप से देने का प्रश्न था उसके अनुसार ही दी जा रही ह।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

माननीय, यह शिकायत हरिजनों द्वारा शाहजहांपुर के जिला मैजिस्ट्रेट को अगस्त के महीने में की गयी और मैजिस्ट्रेट साहब उस मामले की जांच के लिये 11वें महीने में 18 तारीख को गये। और जब वे वहां पहुंचे तो हरिजनों से कहा गया कि सालों जमीन पर बैठो और उनको बराबर चारपाई पर बठाया गया। आज भी हरिजनों से बराबर बेगार ली जाती है और बराबर उन पर हमले किये जाते हैं, तो माननीय मंत्री जी को सी० आई० डी द्वारा उसकी इन्क्वायरी कराने में क्या हर्ज है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा—सी० आई० डी० द्वारा इनक्वायरी कराने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। शिकायत होने पर उस पर कार्यवाही करायेंगे लेकिन जिस तरह के आरोप इस समय माननीय सदस्य लगा रहे हैं, इस तरह का कोई आरोप पहले नहीं था कि जिसको जमीन पर बैठ ाया गया और किसको चारपाई पर बैठाया गया और किसके साथ क्या हुआ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि न्यूनतम मजदूरी के बारे में क्या उनके पास कोई कानून है ? यदि नहीं है, तो कोई ऐसा कानुन वे इस सदन में लाने की कृपा करेंगे ?

श्री राधाकृष्ण गोस्वामी—

मान्यवर, आमतौर पर जो खेतिहर मजदूर हैं, उस स्थान के प्रचलित उचित मजदूरी के आधार पर उनको मजदूरी दी जाय यही सही प्रक्रिया होती है और उसी प्रक्रिया को वहां मनवाया गया है।

श्री वंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

राज्य गृह मंत्री जी ने कहा कि इस तरह की कोई शिकायत उनके सामने नहीं थी, तो यह शिकायती-पत्र उनकी तरफ से है, और आपकी पार्टी के सदस्य भी इस पर दबाव डाल रहे हैं, शायद आपके कानों तक वह बात न पहुंच पायी हो कि सी० आई० डी० द्वारा इसकी इन्क्वायरी करा ली जाय, तो इसे मैं आपके पास भेज रहा हूं, कृपया आप इस पर इनक्वायरी करा लें।

मनोहरपुर (बांदा) की हरिजन महिलाओं का शिकायती-पत्र

**3—श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मनोहरपुर गांव, जिला बांदा की दर्जनों हरिजन महिलाओं ने जिलाधिकारी, बांदा, को दिनांक 8 अक्तूबर, 1972 को मिलकर यह शिकायती-पत्र दिया कि उनके साथ बलात्कार व अनेक प्रकार के अत्याचार किये जा रहे हैं? यदि हां, तो सरकार उस शिकायती-पत्र को सदन के पटल पर रखते हुये बताने की कृपा करेगी कि उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

ग्राम मनोहरपुर, जिला बांदा की हरिजन महिलाओं ने जिलाधिकारी बांदा को प्रश्न में उल्लिखित आशय का कोई शिकायती पत्र 8-10-72 को नहीं दिया। ग्राम मोहनपुरवा, जिला बांदा की कुछ हरिजन महिला व पुरुष दिनांक 28-9-72 को जिला मजिस्ट्रेट से मिले और उन्हें एक संयुक्त प्रार्थना-पत्र दिया। इसमें यह शिकायत थी कि ग्राम के अमुक व्यक्तियों ने हरिजन स्त्रियों से बुरी नीयत से छेड़ छाड़ की और तरह तरह की धमकियां दीं। प्रार्थना-पत्र की प्रतिलिपि संलग्न है। प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित शिकायतों की जांच कराई गई। प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तीन विशिष्ट घटनाओं के संबंध में मुकदमें दर्ज किये गये और विवेचना की गई। विवेचना के बाद 1 मामले में फाइनल रिपोर्ट लगाई गई तथा शेष दो मुकदमों में अभियुक्तों के विरुद्ध चार्ज शीटें न्यायालय भेज दी गई।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 388 पर)

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

मान्यवर, यह बड़ी दर्दनाक घटना है और इस सरकार के लिये शर्म की बात है। प्रेस वालों को भी धन्यवाद है कि उन्होंने अखबारों में छाप कर उस घटना की तरफ सरकार का ध्यान खींचा है, जिस पर सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिये। इसमें है कि वहां सत्तारूढ़ दल के नेता के इशारे पर ही पुलिस भी चलती है और हरिजनों को सताती है तथा वहां के गुंडे पुलिस पर हावी हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि इस घटना के बारे में सरकार जांच करायेगी कि बांदा के सत्तारूढ़ दल के वे कौन से नेता हैं जिनकी वजह से वहां की पुलिस निष्क्रिय हो गयी है?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, जिस समाचार-पत्र का उद्धरण माननीय सदस्य ने दिया है, उसके विपरीत भी एक विचार निकल चुका है, शायद उसको वह आपकी दृष्टि में नहीं लाये। लेकिन जैसे ही

यह सूचना सामने आयी तत्काल कार्यवाही हुई और जो तथ्य सामने आये उनके आधार पर ही मुकदमा दायर किया गया है। दूसरे इसमें जितनी ज्यादा से ज्यादा जांच और कार्यवाही की जा सकती है, वह की जा रही है और किसी प्रकार की लापरवाही नहीं की जा रही है।

श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि कुछ घटनाओं की जांच कराई गई और फाइनल रिपोर्ट लगाई गई और कुछ मामलों में चार्जशीट लगाई गई, तो क्या आप फिर से जांच करायेंगे जिससे वास्तविकता सामने आ जाये ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

मान्यवर, जैसे ही 28-9-72 को जिलाधीश महोदय को इन्होंने अपना आवेदन-पत्र दिया, इससे पहले थाने में कोई सूचना नहीं है, जैसे ही सूचना दी तत्काल थानाध्यक्ष मटौन को, जो वहां से 10 मील की दूरी पर है, इस मामले को देखने का निर्देश दिया और एस० पी० को भी इस मामले को देखने का निर्देश दिया। उसी समय जांच प्रारम्भ हुई और मामला दर्ज किया गया। जिलाधीश की रिपोर्ट के आधार पर यह मामला निराधार पाया गया यानी कोई वास्तविकता सामने नहीं आई, बाकी पर मुकदमा कायम किया गया।

श्री गोविन्द सिंह नेगी---

अभी मंत्री जी ने बताया कि मुकदमा कायम किया गया और अदालत में भेजा गया और जो अभियुक्त गिरफ्तार किये गये क्या उनको पुलिस ने ही जमानत पर छोड़ दिया ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

जिन मामलों में अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, उनकी सारी जमानतें अदालत से हुई हैं, पुलिस ने कोई नहीं की।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)---

क्या मंत्री जी को मालूम है कि हरिजनों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, उन मामलों में जिलाधिकारियों के दखल देने के बाद ही पुलिस ने कार्यवाही शुरू की है ? क्या यह इस बात का सबूत नहीं है कि पुलिस इन तत्वों से मिल कर हरिजनों के उत्पीड़न में सहायक हो रही है और क्या आप पुलिस दल में सुधार लाने के लिये कुछ करने जा रहे हैं जिससे हरिजनों की रक्षा हो सके ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

मान्यवर, किसी भी सवाल पर सूचना या समाचार मिलने पर ही कार्यवाही होना सम्भव है बिना इसके कोई कार्यवाही होना सम्भव नहीं है।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)---

क्या मंत्री जी हरिजनों पर बढ़ते हुये अत्याचारों की संख्या को देखते हुये इस पर विचार करेंगे कि स्थानीय पुलिस की उदासीनता के कारण ही यह अत्याचार बढ़ रहे हैं, इसलिये विशेष पुलिस सैल जांच के लिये अलग से रखेंगे ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

सूचना मिलते ही तत्काल कार्यवाही शुरू हो जाती है। लेकिन यदि विशेष पुलिस सेल की आवश्यकता पड़ेगी तो उसको कायम करने में कोई आपत्ति नहीं है।

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)---

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि गुन्डों से हरिजनों को बचाने के संबंध में कुछ पुलिस वालों ने जब हरिजनों की मदद करनी चाही तो इस मंत्रि मंडल ने उन पुलिस वालों का तबादला दूसरी जगह कर दिया ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

ऐसी कोई भी सूचना नहीं है, यदि माननीय सदस्य को ऐसी कोई सूचना हो तो वह देने की कृपा करें उसके बारे में सूचना दी जायगी।

श्री मोहम्मद असरार अहमद---

जब हरिजनों को बचाने की कोशिश कुछ पुलिस वालों ने की तो आपके आदेश के अनुसार गुन्डों के कहने पर उनका तबादला हो गया इसकी आप जानकारी करा लें।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

इस संबंध में मैंने न तो कोई आदेश दिया है अगर न ऐसा कोई आदेश हुआ है, यह सूचना मैं माननीय सदस्य को देना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री महीलाल---

क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि मर्ज बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा की। यानी ज्यों-ज्यों मंत्री जी सतर्कता बर्त रहे हैं त्यों-त्यों हरिजनों पर ज्यादतियां बढ़ती जा रही हैं। इसको देखते हुये उन्हें हमारी मांग स्वीकार करने में क्या आपत्ति है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

कोई ऐसा प्रश्न हमारे सामने नहीं है और न ऐसी कोई स्थिति है कि मर्ज बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा की। मर्ज बढ़ने का इलाज होता है और जब बढ़ने की स्थिति होती है तो उसका शर्तिया इलाज हो जाता है।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)---

जो शिकायत-पत्र है उसमें स्पष्ट कहा गया है कि फलां तारीख को कैसे औरत को निकाल ले गये और दूसरी को ले जा रहे थे। क्या इस अपराध के सम्बन्ध में कोई मुकदमा चल रहा है ? किस धारा में चल रहा है और मुलजिमान के नाम क्या हैं ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

आरोप पत्रों में ही बिलकुल स्पष्ट है कि छेड़छाड़ करने का मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज किया गया है। पहला मुकदमा शिवकलिया के मामले का है जिसकी सूचना जिलाधीश बांदा को 28-9-72 को दी गई। श्री बालेश्वर राव ने उसकी जांच की और उसमें 3 मुकदमें कायम किये गये और 2 का अदालत में चालान किया गया।

श्री रामधारी शास्त्री---

मुलजिमान के नाम क्या हैं ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

शिवकलिया के मामले में धारा 452 बटा 354 में, और दूसरा उसको 451 बटा 354 में और श्रीमती भूरी के मामले में धारा 354 में...

श्री रामधारी शास्त्री---

मुलजिमान के नाम बता दें ?

श्री रूपनाथ सिंह यादव---

बांदा जिले के हैं इसलिये वह छिपाना चाहते हैं ।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

इसीलिये इस पर विशेष जानकारी की कोशिश हमने की है और विशेष कार्यवाही करने की कोशिश की है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी ---

क्या मंत्री जी जिस जिले के होंगे उसी जिले के मामलों को विशेष रूप से देखेंगे बाकी को नहीं देखेंगे ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

समाचार-पत्रों में हमारे मित्रों ने भगवान जाने उनका कौन सा दृष्टिकोण था, मेरा नाम भी जोड़ दिया था इसीलिये मुझे विशेष चिन्ता हुई लेकिन मैं उनको यहां स्पष्ट चुनौती देता हूं कि जिन्होंने मेरा नाम जोड़ा है वह इसको सिद्ध करें और अगर वह सिद्ध कर देंगे तो सारा दोष मैं अपने पर लेकर जो वह कहेंगे, वह करने को तैयार हूं ।

(व्यवधान)

श्री बंशीधर पांडेय---

मैं मंत्री जी की बहुत तारीफ करूंगा, उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा कि उनका भी नाम इसमें इनवाल्व हो गया । आपने बहुत बहादुरी के साथ उसको स्वीकार किया लेकिन मंत्री परिषद् का सदस्य होने के नाते एज ए मिनिस्टर उत्तर देने के लिए आप पावर सीज कर गये । इस तरफ से या उस तरफ से इन्वाल्व हो गये । अब बयान देने की इनको आज्ञा नहीं देनी चाहिये ?

श्री अध्यक्ष---

यह आपकी बात उचित नहीं है । ये खुद सोच लेंगे ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी---

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री बलबीर सिंह---

मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उनके सम्बन्ध में क्या आरोप हैं ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मुल्जिमों के क्या नाम हैं ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री बलबीर सिंह---

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उनके खिलाफ क्या आरोप लगाये गये थे और क्या उसकी भी जांच किसी पुलिस अधिकारी ने की है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

समाचार-पत्र में एक जगह यह सूचना थी कि गृह मंत्री के प्रभाव के कारण कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, उसी का स्पष्टीकरण देने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं।

श्री बांके लाल---

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री रामगोपाल संड---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अभियुक्तों के क्या नाम हैं ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री रूपनाथ सिंह यादव---

जिन लोगों के विरुद्ध चार्ज शीट लगायी है, क्या माननीय मंत्री जी उन का सारांश बताने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष---

इतनी डिटेल में आप लोग जायेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जायगा, और भी सवाल हैं।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

अभियुक्तों के नाम हैं, भूरा सिंह, पुत्र मिजाजी सिंह, यशवन्त सिंह, पुत्र शोभा सिंह, शिवराज सिंह, पुत्र रणजीब सिंह। ये लोग हैं जिनके खिलाफ मुकदमें दायर हैं।

श्री बंशीधर पांडेय---

इस बात की गम्भीरता को देखते हुए और जैसा कि माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से स्वयं स्वीकार भी किया है....

श्री बांके लाल---

आपने अपना नाम नहीं बताया हैं। यह तो छूट गया है।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

हमारा और आप दोनों के नाम हैं।

श्री बंशीधर पांडेय---

श्रीमन्, नत्थी 'क' में चारों अल्प सूचित तारांकित प्रश्न हरिजनों की घटनाओं से संबंधित हैं। हमारे मंत्री जी को भी इसमें फंसाने का प्रयास किया गया है...

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

फंसाने का नहीं बल्कि आक्षेप है।

श्री बंशीधर पांडेय---

तो क्या आप इन घटनाओं को देखते हुए और आपके ऊपर जो आक्षेप लगाया गया है, उस प्रश्न की गम्भीरता को देखते हुए आप सदन की कोई कमेटी से या सी० आई० डी० की किसी कमेटी से इनकी जांच करवायेंगे जिससे सदन के समक्ष सारी रिपोर्ट आ सके ?

श्री अध्यक्ष--

यह आप उनसे न कहिये, आप मुख्य मंत्री से यदि कहते तो ज्यादा अच्छा होता।

श्री बंशीधर पांडेय--

तो श्रीमन्, प्वाइन्ट आफ आर्डर है। मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, ये मुख्य मंत्री के पोर्टफोलियो की हैसियत से बोल रहे हैं। और किसी भी मंत्री आदि की कलैक्टिव रिस्पान्सिबिलिटी होती है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मुख्य मंत्री को इस हाउस में तलब करायें। वे जबाव दें। आपने इस बात को कहा है कि मुख्य मंत्री जबाव देंगे। आप मुख्य मंत्री को बुलाइयेगा नहीं तो वे कैसे इन्क्वायरी करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

आप राधाकृष्ण जी की तारीफ करते हैं और साथ ही साथ....

श्री बंशीधर पांडेय--

मुख्य मंत्री इस जबाव को देने के लिये आयें।

श्री अध्यक्ष--

आप मुख्य मंत्री को लिखें। आप चैलेन्ज करते हैं, यह कोई तरीका नहीं है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर, आप एक परम्परा डालने जा रहे हैं। परन्तु एक मिनिट सुन लीजिये। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता था, मैं गोस्वामी जी के बारे में नहीं कह रहा हूं, मगर एक गम्भीर प्रश्न उत्पन्न हो गया है जिसमें गलत या झूठे माननीय मंत्री जी का नाम भी आ गया। चाहे अदालत हो या कोई कमीशन आफ इन्क्वायरी हो, साधारण नियम है जस्टिस का कि जबाव देने में वह व्यक्ति शामिल न रहे जिसके कारण सदन में इतना अपरोर हुआ। चाहे मुख्य मंत्री से जबाव दिलायें, मंत्री किसी तरह से उसमें हो तो उसके प्रति निष्ठा साबित करने के लिये उसे ऊपर रखना चाहिये और उन्हें ही जबाव दे देना चाहिये।

श्री बंशीधर पांडेय--

मान्यवर, आपने अपनी व्यवस्था देकर तो एक कान्स्टीट्यूशनल क्राइसिस पैदा कर दिया है। जब मंत्री जबाव दे रहे हैं और हमारी ओर से कहा जाता है कि मुख्य मंत्री द्वारा जबाव दिया जाना चाहिये तो नियमों को टाला जाता है। इस तरह से हम अपने अधिकारों से वंचित हो जायेंगे।

श्री अध्यक्ष--

मैं कहना चाहता हूं कि आपने मंत्री जी की जो तारीफ की, क्या वह सही बात कही थी ?

श्री बंशीधर पांडेय--

मुख्य मंत्री के बुलाने की बात को आप कहते हैं कि यह मेरे सोचने का सवाल नहीं है। यह नियमावली का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष--

आप मुख्य मंत्री को लिखिये।

श्री बंशीधर पांडेय—

यह गलत बात है । आप इस पर व्यवस्था दें । हम इस समय हाउस में बठे हुए हैं ।

श्री अध्यक्ष—

मैंने व्यवस्था दे दी । आप लिखकर दे दें वे जवाब दे देगें ।

(व्यवधान)

श्री बंशीधर पांडेय–

जब हम हाउस में बैठे हैं तो मुख्य मंत्री को यहां हाउस में जवाब देने के लिये बुलायें । हम ही लिखकर दें तो क्या फायदा ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मान्यवर, आप संविधान को तो मानेंगे या इसको भी उठाकर रख देगें ? आर्टिकिल 164(4) खोल लीजिये ।

श्रीमन्, संविधान का आर्टिकिल 164 (4) आप देखे । इसमें है—काउन्सिल आफ मिनिस्टर्स शैल बी कलैक्टिवली रेस्पांसिबुल टु दि लैजिस्लेचर । हमारा कोई आक्षेप गोस्वामी जी के खिलाफ नहीं है । लेकिन आपने कह दिया कि चूंकि प्रश्न उनसे संबंधित है इसलिए मुख्य मंत्री जी होते तो जबाव देते । श्रीमन्, पूरा मंत्रि-मंडल उत्तरदायी है इस सदन के प्रति . . .

श्री अध्यक्ष—

वह अलग नहीं हो सकते मंत्रि-मंडल से कि अलग होकर . . .

श्री बंशीधर पांडेय—

श्रीमन्, मैंने कहा कि सी० आई० डी० की जांच करावें तो आपने कह दिया कि मुख्य मंत्री जी से पूछिए . . .

श्री अध्यक्ष—

आपको अगर इस बात का शक है कि इनके ऊपर चार्ज लग सकता है . . .

श्री बंशीधर पांडेय—

यह बात नहीं थी । मैंने जो कहा, आप क्षमा करें, आपने उसको गलत समझ लिया । मैंने कहा था कि इस बात की गम्भीरता को देखते हुए कि आज के अल्पसूचित प्रश्नों में ज्यादातर हरिजनों के सम्बन्ध में प्रश्न हैं और स्वयं मंत्री जी को भी फंसाने का प्रयास किया गया है, तो क्या आप किसी निष्पक्ष आयोग द्वारा या इस सदन की किसी कमेटी द्वारा इसकी जांच करके सदन के सामने रखेंगे । इस पर आपने कहा कि इसकों मुख्य मंत्री जी से पूछिए । वह तो मुख्य मंत्री जी की हैसियत ही से जबाव दे . . .

श्री अध्यक्ष—

अगर मुख्य मंत्री जी जबाव देते . . . .

श्री नित्यानन्द स्वामी—

श्रीमन्, एक एकेडेमिक क्वैश्चन यह है कि क्या मुख्य मंत्री जी की गैरहाजिरी में मंत्रि-मंडल का कोई सदस्य कोई जिम्मेदारी का जबाव दे सकता है या नहीं ? क्या मुख्य मंत्री जी को रेफर करना जरूरी होगा जबकि वह सदन में नहीं हैं ?

श्री अध्यक्ष——

वह बराबर जबाव दे सकते हैं और इसके लिए उन्होंने अधिकार दिया है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

श्रीमन्, फिर आपने क्यों कहा कि मुख्य मंत्री जी से कहिए ?

श्री जयराम वर्मा—

श्रीमन्, अन्त में जो प्रश्न पूछा गया जांच के सम्बन्ध में उसमें आपने व्यवस्था दी कि मुख्य मंत्री जी इसका उत्तर देंगे। तो या तो मुख्य मन्त्री जी उत्तर देने के लिये आएं या कल के लिए प्रश्न टालिए।

श्री अध्यक्ष——

प्रश्न यह उठाया गया कि इनके ऊपर आक्षेप आया, इन्होंने खुद बयान कर दिया, इनके ऊपर जांच कौन करे ? तो जांच इनके ऊपर अगर कोई बिठाएगा तो मुख्य मन्त्री ही बिठाएंगे.....

श्री बंशीधर पांडेय——

मैंने यह बात नहीं कही। आप फिर सुन लीजिए। मैंने यह कहा कि इस बात की गम्भीरता को देखते हुए कि आज तीन प्रश्न हरिजनों पर अत्याचार से सम्बन्धित हैं और एक प्रश्न में माननीय मंत्री जी ने स्वयं कहा कि मेरे ऊपर भी आक्षेप करने का प्रयास किया गया, तो क्या आप इन सब घटनाओंके लिये कोई सदनकी कमेटी या कोई निष्पक्ष आयोग से जांच करा के इस सदन को रिपोर्ट देंगे ? इस पर आप ने कहा कि मुख्य मन्त्री जी से पूछिये। इंडिविजुअल इनके ऊपर मेरा आक्षेप नहीं है।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण——

श्रीमन्, अखबार में इस तरह का आक्षेप मेरे ऊपर निकला था। उसका स्पष्टीकरण भी दूसरे अखबार ने निकाल दिया लेकिन जहां तक जांच कराने का प्रश्न है सारी जांचों के बावजूद सी० आई० डी० को भी लिख दिया गया है कि वे तथ्यों की गम्भीरता और गहराई में जाकर जांच करके रिपोर्ट दें।

श्री बंशीधर पांडेय——

आखिर इन्होंने कहा कि उसकी जांच होगी सी० आई० डी० के द्वारा, लेकिन आप समझे नहीं।

श्री अध्यक्ष——

आप तो सर्व सत्ता सम्पन्न हैं।

श्री रूपनाथ सिंह यादव——

मान्यवर, मैं कई बार खड़ा हुआ, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला।

श्री अध्यक्ष——

आप खड़े ही नहीं हुये।

श्री रूपनाथ सिंह यादव——

मुझे 2 ही सवाल करने थे।

श्री अध्यक्ष——

कर लीजिए। मैं खद जानता हूं कि आप को मौका नहीं मिला।

श्री मैनेजर सिंह---

आप तो स्वयं भाग्य विधाता हैं। आपके ऊपर कोई अंकुश नहीं है, लेकिन मद्रास में हाई कोर्ट ने अंकुश लगाया है वहां के अध्यक्ष के ऊपर। आप प्रश्न 3 लेते हैं, फिर 2 पर आ जाते हैं और फिर 4 ले लेते हैं। एक दफा एक व्यवस्था देते हैं और दूसरी बार दूसरी व्यवस्था। आप रिटायर हो जाइये सदन से।

श्री अध्यक्ष---

ठीक है, अच्छी बात है।

श्री हुकुम सिंह परिहार (जिला आगरा, फतेहाबाद)---

आप आगे बढ़ते हैं फिर पीछे लौट आते हैं।

श्री रूपनाथ सिंह यादव---

मनोहरपुर गांव में कई घटनाएं हुई हैं लेकिन उत्तर 3 घटनाओं का ही दिया गया बकिया घटनाओं के बारे में बिल्कुल चुप हैं। मैं सरकार से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि बकिया घटनाएं क्या हैं, क्या रिपोर्ट है, और क्या जांच हुई।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

चारों घटनाओं की विस्तृत जांच हुई है। अगर आप तथ्य जानना चाहते हैं तो मैं वे उस रिपोर्ट में से पढ़ देता हूं जो कि उन्होंने की है।

प्रार्थीगण के गांव के बोडा सिंह, भूरा सिंह पुत्रगण मिजाजी, इन्द्रपाल सिंह पुत्र अयोध्या सिंह, यश्वन्त सिंह पुत्र शोभा सिंह, शिवराज सिंह पूत्र रणजोर सिंह, कल्लू लोहार पुत्र कसिया लोहार, देवीदीन पुत्र हन्नू बड़े सरकश व गिरोहबन्द आदमी हैं। यह लोग गुन्डा बदमाश, जुवारी, शराबी और बदमाश किस्म के लोग हैं। यशवन्त सिंह दो नली 12 बोर बन्दूक का लायसेन्स पाये हैं। यह लोग नाजायज असलहे रखते हैं और बदमाशों को बुलाकर अपने यहां रखते हैं। प्रार्थीगण हरिजन अबलाएं हैं। उक्त लोगों के अमानवीय अत्याचारों से ऊबकर श्रीमान जी को अपनी दुखभरी कहानी सुनाने के लिये आए हैं। उक्त लोग प्रार्थीगणों के घर में घुस आते हैं। और कुआं पनघट में बुरी-बुरी बातें करते हैं। प्रार्थीगण के एतराज करने पर जान से मारने की धमकी देते हैं। करीब 15 दिन की बात है कि गांव के परदेसिया चमार की औरत मर गई थी इसलिये मुहल्ले के सभी गये उसको दाह क्रिया करने चले गये थे। करीब 9 बजे दिन में भूरा सिंह प्रार्थी शिवकलिया के घर में जबरिया घुस आया और उसके साथ बुरा काम करने के नियत से उसको पकड़ा।

चारों घटनाओं के बारे में मुकदमें दायर कर दिये गये हैं।

गाजियाबाद (मेरठ) में हरिजन बालक को जिन्दा जलाने का तथाकथित प्रयत्न

** 4---श्री हुकुम सिंह परिहार तथा श्री नित्यानन्द स्वामी---

क्या सरकार को पता है कि तारीख 12 नवम्बर, 1972 को गाजियाबाद-मेरठ में एक हरिजन बालक को जिन्दा ही जलाने की पुलिस वालों ने कोशिश की और जब यह खबर जनता में फैली तो उसने पुलिस वालों की पिटाई की, जिससे कई पुलिसमैन घायल हो गये? यदि हां, तो क्या सरकार इस घटना की विस्तृत जांच करायेगी तथा दोषी कर्मचारियों को दन्डित करेगी?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 11 नवम्बर, 1972 को गाजियाबाद में एक हरिजन लड़के को जेब काटने के जुर्म में पकड़कर पुलिस चौकी डासना गेट पर लाया गया, जहां उसके

जल जाने की घटना हुई। उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया और दिनांक 26 नवम्बर, 1972 को उसकी मृत्यु हो गई। उक्त अपराध के सम्बन्ध में मुकदमा दर्ज किया गया। उक्त लड़के को पुलिस द्वारा जलाने के आरोपों के आधार पर उक्त पुलिस चौकी के 4 कांस्टेबिलों के भी विरुद्ध मुकदमा कायम किया गया है तथा इन्हें निलम्बित भी किया गया है। इन दोनों मुकदमों की विवेचना सी0 आई0 डी0 को सौप दी गई है और घटना की जांच मजिस्ट्रेट द्वारा की जा रही है।

उक्त घटना के फलस्वरूप भीड़ द्वारा किये गये उपद्रवों में 11 पुलिस कर्मचारी घायल हुए।

श्री हुकुमसिह परिहार—

यह घटना कैसे घटी। पुलिस की हिरासत में आग कैसे लगी। इस संबंध में पूरे तथ्य प्रस्तुत किये जाएं।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, बस अड्डे पर एक जेब कटने के आरोप में इसको पकड़ा गया। इसके खिलाफ आगरे और फिरोजाबाद में भी जेबकटी के मामले चल रहे हैं। इसको जेब काटते हुए पकड़ा गया और थाने पर लाया गया जहां उसको लाक अप में बन्द किया गया। पुलिस का वर्जन है कि वहां एक स्टोव रखा था। उसने उसमें से तेल छिड़क कर आग लगा ली।

(व्यवधान)

आप पहले पूरी बात सुन लें। तेल छिड़क कर जलाने की कोशिश की गयी, यह आरोप है। चार कांस्टेबिलों के खिलाफ डाइंग डिक्लेरेशन में जो स्टेटमेंट दिया है उसके ऊपर उन चार कांस्टेबिलों को निलम्बित कर दिया गया है और मुकदमा कायम किया गया है।

(व्यवधान)

श्री बांके लाल—

यह रिपोर्ट गलत है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या मन्त्री जी इस घटना को ध्यान में रखते हुये कि पुलिस के लाकअप में हरिजन लड़का, चाहे हरिजन हो या कोई हो, जला दिया गया इसकी जांच करवायेंगे। मेरी जानकारी है कि वह छात्र नेता भी था। क्योंकि छात्र आन्दोलन चल रहा था तो पुलिस कांस्टैबिल उसको बस से उतार कर ले गये। भीड़ ने भारी प्रदर्शन किया और गोली लाठी भी चली जिसमें लोगबाग घायल हुए। क्या माननीय मन्त्री जी इस सदन को आश्वासन देंगे कि इतनी बड़ी घटना की, जिसने लोगों को आश्चर्य चकित कर दिया है, हाई कोर्ट के जज के द्वारा जुडीशियल इन्क्वायरी करवायेंगे ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, घटना जो हुई उस पर तत्काल कार्यवाही की गयी और सी0 आई0 डी0 को सौंप दिया गया है। जैसा माननीय सदस्य ने छात्र के रूप में उसको देखा है तो मैं आपको सूचित कर देना चाहता हूं कि चन्द्र सेन वल्द हुकमी जाटव, मोहल्ला मोहम्मदपुर, थाना उत्तर फिरोजाबाद का रहने वाला है। इसके ऊपर फिरोजाबाद और आगरे में जेबकटी के और इसी तरह के अपराधों में मुकदमें पहले से चल रहे हैं और कई जुर्म में जुर्माना भी हुआ है। अगर माननीय सदस्य उसको छात्र की संज्ञा दें तो आश्चर्य है।

श्री नित्यानन्द स्वामी —

मैंने हाई कोर्ट के जज द्वारा इंक्वायरी की मांग की थी।

श्री हुकुम सिह परिहार--

माननीय मंत्री जी ने कहा कि आग लगा ली। लेकिन स्टोव, माचिस और तेल किस प्रकार प्राप्त हुआ। मंत्री जी ने यह नहीं बताया कि इसके बाद क्या घटना घटी। पूरे गाजियाबाद की जनता उमड़ पड़ी। आपने मामले को सी0आई0 डी0 को सौंप दिया। सी0 आई0 डी0 और पुलिस का मिला जुला गठबंधन होता है। यहीं से सी0आई0 डी0 में आदमी जाते हैं। वहां कोई अलग से आदमी नहीं है। जैसाकि नित्यानन्द स्वामी जी ने कहा क्या आप हाई कोर्ट के जज से जांच कराने के पक्ष में हैं ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

यह आश्चर्य की बात है कि माननीय सदस्य कह रहे हैं कि सी0 आई0 डी0 निष्पक्ष जांच नहीं करती। सी0 आई0 डी0 के जांच के जो तथ्य और फल सामने आये हैं वह माननीय सदस्य को विदित है। सी0 आई0 डी0 के ऊपर ऐसे आरोप नहीं लगाने चाहिए। उसके ऊपर 307 का मुकदमा चल रहा है। सी0 आई0 डी0 की जांच भी हो रही है। और किसी कार्यवाही की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

क्या गृह मन्त्री जी बतलायेंगे कि जब पुलिस कर्मचारियों पर आरोप है कि जिन्दा लड़के को हवालात के अन्दर जलाया गया तो 302 का मुकदमा न करके 307 का मुकदमा क्यों कायम किया गया ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण--

मान्यवर, पहले जब अस्पताल गया तो उसका डाइंग डिक्लेरेशन हुआ। उसके आधार पर जैसे ही आरोप आये उसका फिर मुकदमा दायर हुआ। 305 और 302 में जो हुआ उसको तो हमारे माननीय सदस्य खुद ही वरिष्ट वकील हैं और इसको जानते हैं।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न।]

गोरखपुर जिले में अवैधानिक प्रधानाचार्य तथा अध्यापकों का वेतन-क्रम

*1--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)--

क्या शिक्षा मंत्री जांच कर बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर में कितने मान्यता प्राप्त हुई हाई स्कूल और इन्टर कालेज हैं जिसमें इस समय वैधानिक प्रधानाचार्य नहीं हैं और प्रत्येक में यह कमी कितने वर्ष से चली आ रही है, ऐसे विद्यालयों के अलग-अलग नाम एवं पते क्या हैं क्या शासन उक्त विषय में क्या करने जा रहा है ?

मुख्य मन्त्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)--

सूचना एकत्रित की जा रही है।

*2--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या शिक्षा मंत्री जांच कर बताने की कृपा करेगे कि जनपद गोरखपुर के मान्यता प्राप्त हाई स्कूलों तथा इन्टर कालेजों में कितने इन्टर जे0 टी0 सी0 एवं इन्टर सी0 टी0 अध्यापक

नोट:--प्रश्न सूचित तारांकित प्रश्न संख्या 4 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

कार्य कर रहे हैं। जिनका शिक्षण काल 5 वर्ष से अधिक हो रहा है? इनमें से कितने को जे0टी0सी0 एवं सी0 टी0 से एल0टी0 वेतन-क्रम में रखा गया है

श्री कमलापति त्रिपाठी—

135 अध्यापक।

55 अध्यापकों को जे0टी0सी0 वेतनमान से सी0टी0 वेतनमान में तथा 3 अध्यापकों को सी0टी0 वेतनमान से एल0टी0 वेतनमान में पदोन्नत किया गया।

ए० पी० इन्टर कालेज, शमसाबाद (आगरा) के अध्यापकों के वेतन का भुगतान

*3—श्री हुकुम सिंह परिहार—

क्या सरकारको पता है कि शमशाबाद ए0पी0 इन्टर कालेज, आगरा के अध्यापकों को मार्च, 1971 का वेतन अभी पतक नहीं मिला है क्या सरकार इस सम्बन्ध में उचित आदेश देने की कृपा करेगी जिसमें इन अध्यापकों को उपरोक्त वेतन मिल सके?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

अपेक्षित समय का वेतन वितरित हो गया है। अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

जिला परिषद् हायर सेकेंडरी स्कूल, पुरा (मिर्जापुर) के शिक्षकों तथा कर्मचारियों का देय वेतन

*4—श्री मलिखान सिंह (जिला मैनपुरी)—

क्या शिक्षा मन्त्री को यह विदित है कि जिला परिषद् हायर सेकेन्डरी स्कल, पुरा, जनपद मिर्जापुर नगर के शिक्षक तथा कर्मचारियों को गत कई महीने से वेतन नहीं दिया जा सका है? यदि हां, तो अन्य विद्यालयों की भांति इस विद्यालय पर नियमित वेतन भुगतान अधिनियम बन्धनकारी क्यों नहीं माना जाता? शिक्षकों व कर्मचारियों के अवशेष वेतन का भुगतान कब तक कर दिया जायगा?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जिला परिषद् मिर्जापुर द्वारा इस जनपद में तीन हायर सेकेन्ड्री स्कूल दुद्धी, रामगढ़ तथा विजयपुर में खोले गये हैं। इन स्कूलों में नियुक्त सभी कर्मचारियों को प्रति माह वेतन दिया जा रहा है तथा वेतन बकाया नहीं है। वेतन भुगतान अधिनियम स्थानीय निकायों द्वारा संचालित विद्यालयों पर लागू नहीं है।

बांसी (बस्ती) में बालिकाओं के लिए शिक्षा व्यवस्था

*5—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

क्या शिक्षा मन्त्री को जानकारी है कि जिला बस्ती के कस्बा व तहसील बांसी में लड़कियों के लिये हाई स्कूल तक की शिक्षा प्राप्त करने की कोई व्यवस्था नहीं है? यदि हां, तो क्या शिक्षा मन्त्री वहां के बालिकाओं के लिये हाई स्कूल तक शिक्षा की व्यवस्था कराने की कृपा करेंगे?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

बांसी (बस्ती) में बालिकाओं की हाई स्कूल तक की शिक्षा के लिये व्यवस्था है।

बस्ती जिले में कला अध्यापकों को स्नातक वेतन-क्रम की अनुपलब्धि

*6—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बस्ती जनपद में हाई स्कूल की कक्षा 9 व 10 में कला पढ़ाने वाले समस्त कला अध्यापकों को स्नातक वेतन-क्रम नहीं दिया जा रहा है? यदि हां, तो सरकार इनको स्नातक वेतन-क्रम दिलाने की कृपा करेगी? यदि हां, तो कब से ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी नहीं। केवल 10 अध्यापकों को स्नातक वेतन-क्रम नहीं दिया जा रहा है। अन्य अध्यापकों को स्नातक वेतन-क्रम दिलाने के सम्बन्ध में आवश्यक जांच एवं कार्यवाही की जा रही है।

इण्टरमीडिएट कालेज, अहिरोली बघेल उत्तर पट्टी, (देवरिया) के विरुद्ध फर्जी वेतन लेने का आरोप

*7—श्री हरिवंश सहाय (जिला देवरिया)—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि इन्टरमीडिएट कालेज, अहिरोली बघेल उत्तर-पट्टी जिला देवरिया में सट जिला विद्यालय निरीक्षक, देवरिया ने सन् 1968 में अपने मुआयने में लिखा है कि विद्यालय में उर्दू अध्यापक नहीं है उसके नाम पर फर्जी वेतन लिया जा रहा है? यदि यह सही है तो अब तक कौन सी कार्यवाही की गई?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी नहीं। अतः कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

जिला परिषद् बदायूं के स्कूलों में उर्दू की पढ़ाई

*8—श्री मोहम्मद असरार अहमद—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद् बदायूं के अन्तर्गत कितने प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल (बालक बालिकाओं) में उर्दू के पढ़ाने का इन्तजाम है? और इन स्कूलों में अध्यापकों को पढ़ाने के लिये नियुक्ति कब-कब हुई और कितने स्कूलों में उर्दू पढ़ाने के लिये अध्यापकों की नियुक्ति होना बाकी है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

43 प्राइमरी स्कलों (बालक) में उर्दू पढ़ाने की व्यवस्था है। इन स्कूलों में अध्यापकों की नियुक्तियां क्रमशः अगस्त 1971, अक्तूबर 1971 तथा फरवरी, 1972 में हुयीं, अब कोई भी नियुक्ति होनी बाकी नहीं है।

एटा जिले में पुलिस के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतें

*9—श्री गंगा प्रसाद—

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि 1 अप्रैल, 1971 से 31 मार्च, 1972 तक डी0 आई0 जी0, आगरा और एस0 पी0 एटा के पास एटा जिले में पुलिस के भ्रष्टाचार के कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए और उसमें से कितने की जांच हुई तथा जांच में कितने सत्य पाये गये और उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 1 अप्रैल, 1971 से 31 मार्च, 1972 तक डी0 आई0 जी0 आगरा और एस0 पी0 एटा को प्रश्न में उल्लिखित विषय पर कुल 98 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए । इनमें से अब तक 82 आवेदन पत्रों की जांच पूरी हो चुकी है जिनमें केवल 14 आवेदन पत्रों में की गयी शिकायतें आंशिक रूप में सत्य पायी गयीं । इसके परिणाम स्वरूप 8 मामलों में दोषी कर्मचारियों को सजाएं दी जा चुकी हैं तथा 6 में कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है ।

तहसील नवाबगंज (बरेली) में कत्ल व डकैती

*10--श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)--

क्या मुख्य मन्त्री बतायेंगे कि वर्ष 1970-71 और 1971-72 जिला बरेली में तहसील नवाबगंज में कुल कितने कतल और डकैतियों की घटनायें हुई? और इनमें कितने केस सजायाब हुए तथा क्या-क्या सजा दी गई?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

बरेली जिले की तहसील नवाबगंज में 1970-71 में कत्ल की 11 तथा 1971-72 में 17 घटनायें हुई, जिनमें 70-71 में 2 तथा 71-72 में 2 मामलें सजायाब हुए । 1970-71 के दो सजायाब हुए मामलों में 5 अभियुक्तों को मृत्य दंड, तथा 9 अभियुक्तों को आजन्म कारावास की सजा हुई । 1971-72 के दो सजायाब मामलों में 3 अभियुक्तों को आजन्म कारावास की सजा हुई ।

1970-71 में डकैती की 11 तथा 1971-72 में 19 घटनायें हुई । केवल 1970-71 में एक मामला सजायाब हुआ जिसमें अभियुक्त को 7 वर्ष की सजा हुई ।

वाराणसी जिले में, डकैतियों की जांच

*11--श्री कल्पनाथसिंह तथा श्री सुरेन्द्र विक्रम--

क्या सरकार को सूचना है कि वाराणसी जिले में गुन्डों एवं डकैतों का कोई हनुमान दल एवं देवी दल बन गया है जो मंगलवार का दिन अपने लिये शुभ दिन मान कर डकैती करता है ? यदि हां, तो उक्त दल में कितने सदस्यों की संख्या अनुमानित है और इस दल का अगुवा कौन व्यक्ति है और पूरा पता क्या है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

प्राप्त सूचना के अनुसार जिला वाराणसी में गुण्डों एवं डकैतों का कोई हनुमान दल एवं देवी दल होने की जानकारी पुलिस को नहीं है ।

*12--श्री कल्पनाथ सिंह तथा श्री सुरेन्द्र विक्रम--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस दल ने तथा अन्य डकैतों ने वाराणसी शहर एवं जिले में 1 जनवरी, 1972 से 31 मार्च, 1972 तक लगातार कितनी डकैती डाली हैं और क्या कार्यवाही हुई?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

प्रश्न सं0 11 के उत्तर में दी गई सूचना को देखते हुए गुण्डों एवं डकैतों के हनुमान अथवा देवी दल द्वारा निर्धारित अवधि में डकैती डालने का कोई प्रश्न नहीं उठता है । प्रश्न में उल्लि-

खित अवधि में जिला वाराणसी में 14 डकैतियां पड़ने की रिपोर्टें विभिन्न थानों पर दर्ज कराई गईं जिनके आधार पर मुकदमें दर्ज करके विवेचना की गई। विवेचना के उपरान्त 4 मामले झूठे पाये गये और खारिज (एक्सपंज) करा दिये गये। शेष 10 मुकदमों में 6 मुकदमें विवेचना के उपरान्त चालान अदालत किये गये और वे न्यायालय में विचाराधीन हैं। अन्य 4 मुकदमों की विवेचना की जा रही है।

रुद्रपुर (नैनीताल) की मण्डी से माल गायब किये जाने की रिपोर्ट

*13—श्री रामधारी शास्त्री—

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि रुद्रपुर पब्लिक कैरियर यूनियन रुद्रपुर, जिला नैनीताल और रुद्रपुर के व्यापारियों के बीच एक ट्रक यू0 एस0 ए0 8377 तथा यू0 पी0 वाई0 1219 द्वारा व्यापारियों का माल गायब किये जाने तथा बरबाद किये जाने के कारण रुद्रपुर मण्डी का सारा काम दिनांक 10 अप्रैल, 1972 से ठप है और दोनों वर्गों में भयंकर तनाव की स्थिति है जिससे किसी भी समय अप्रत्याशित घटना होने की संभावना है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा स्थिति पर काबू रखने के लियें कौन से कदम उठाये गये हैं।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

प्राप्त सूचना के अनुसार ट्रक संख्या यू0 पी0 ए0 8377 तथा संख्या यू0 पी0 वाई0 1219 में लादे गये व्यापारियों के माल को गायब कर दिये जाने के बारे में पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। किन्तु इस घटना के कारण मण्डी का कार्य बंद नहीं रहा। पब्लिक कैरियर एसोसियशन द्वारा गायब किये गये माल का मुआवजा न दिये जाने के कारण व्यापारियों ने अपनी एक अलग ट्रांस्पोर्ट यूनियन बना ली थी जिसका पब्लिक कैरियर एसोसियेशन ने विरोध किया था। पुलिस द्वारा एहतियात के तौर पर पब्लिक करियर एसोसियेशन के कुछ कार्यकर्ताओं के विरुद्ध धारा 107/117 जा0 फौ0 की रिपोर्ट न्यायालय में प्रेषित की गई थी जिसमें दोनों पक्षों में दिनांक 25-10-72 को राजीनामा हो चुका है।

[दिनांक १४ दिसम्बर, १९७२ के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

ग्राम वसावनपुर (गोरखपुर) के प्राइमरी स्कूल का भवन

*1—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या शिक्षा मन्त्री 22 जुलाई, 1971 के तारांकित प्रश्न संख्या 3 के उत्तर के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि अब स्कूल उत्तर में उल्लिखित विधायक महादेव के कमरे में न लग कर कहां लगता है और स्कूल का भवन अभी तक क्यों नहीं बनाया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

स्कूल इस समय श्री प्रेम नारायण त्रिपाठी निवासी ग्राम वसावनपुर के दरवाजे पर नीम के पेड़ के नीचे लगता है। स्कूलों के भवनों का निर्माण केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रुड़की के माध्यम से कराया जा रहा है उन्हें इस स्कूल भवन के निर्माण के निर्देश दिये जा चुके हैं।

*2—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या मन्त्री को यह भी ज्ञात है कि उक्त स्कूल के भवन बनाने के सम्बन्ध में मई, 1972 के अन्तिम सप्ताह में कोई प्रार्थना पत्र उक्त ग्राम के निवासियों का पंचायती राज मन्त्री, को मिला है ? यदि हां, तो स्कूल का भवन बनाने के सम्बन्ध में अभी तक क्या प्रगति हुई है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

सहायक निरीक्षक (संस्कृत पाठशालाएं) लखनऊ का स्थानान्तरण

*3—श्री शिव वचन (जिला देवरिया) तथा श्री भगवती सिंह विशारद

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान सहायक निरीक्षक (संस्कृत पाठशालायें), लखनऊ क्षेत्र, लखनऊ किस तिथि से इसी लखनऊ क्षेत्र में कार्यरत है? इनके स्थानान्तरण के आदेश इस अवधि में कितनी बार जारी किये गये और किन कारणों से उन आदेशों को निरस्त किया गया? क्या सरकार इन्हें तुरन्त स्थानान्तरित करने की कार्यवाही करेगी?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

यह अधिकारी लखनऊ में दिनांक 27 अगस्त, 1968 से कार्यरत हैं। केवल एक बार स्थानान्तरण किया गया जिसे जनहित में निरस्त किया गया।

जी नहीं।

ग्राम सदहा (प्रतापगढ़) के श्री विष्णुदत्त पांडेय द्वारा लिखायी गयी नामजद रिपोर्ट

*4—श्री शिव बचन तथा श्री मैनेजर सिंह—

क्या मुख्य मन्त्री को ज्ञात है कि ग्राम सदहा, थाना पट्टी, जिला प्रतापगढ़ के निवासी श्री विष्णुदत्त पाण्डेय ने अपने जान माल की रक्षा के सम्बन्ध में जिला पुलिस अधीक्षक आई0जी0 पुलिस तथा गृह मन्त्री को दिनांक 18-7-72 को एक नामजद रिपोर्ट दी थी? यदि हां, तो उक्त व्यक्ति के जान-माल की रक्षा के लिये क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

श्री बिष्णुदत्त पाण्डेय निवासी ग्राम सदहा थाना पट्टी जिला प्रताप गढ़ ने अपने ग्राम के लाल बिहारी व मुनेश्वर प्रसाद के विरुद्ध एक प्रार्थना-पत्र दिनांक 18-7-72 पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ को दस्ती दिया था। उक्त प्रार्थना-पत्र के आधार पर थाना पट्टी पर दिनांक 31-7-72 को धारा 352/506 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज किया गया था जो अहस्तक्षेपनीय था। यह मामला प्रार्थी व उसके पट्टीदारों के बीच भूमि संबंधी विवाद का पाया गया जिसका सम्बन्ध दीवानी न्यायालय से है। शांति भंग होने की आशंका नहीं पाई गई, अतः कोई कार्यवाही नहीं की गई।

थाना पैलानी (बांदा) में श्री महावीर सिंह की डकैती की रिपोर्ट लिखने से इनकार

*श्री चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें व पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश तथा बांदा के जिलाधिकारियों को किसी माननीय विधायक के पत्र के साथ श्री महाबीर सिंह, ग्राम गौरी कलां, थाना पैलानी, जिला बांदा का इस आशय का प्रार्थना पत्र माह जुलाई 72 के दूसरे सप्ताह में प्राप्त हुआ है कि दिनांक 20।21 जून, 72 को डकैती पड़ी और उसकी रिपोर्ट थाने में नहीं लिखी गई? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

श्री महाबीर सिंह निवासी ग्राम गौरीकलां थाना पैलानी बांदा का एक प्रार्थना पत्र पुलिस महानिरीक्षक को तथा सरकार को एक विधायक के पत्र के साथ जुलाई 72 में प्राप्त हुआ था।

इसमें यह शिकायत की गई थी कि 20/21 जून, 72 को रात्रि में कुछ लोगों ने बन्दूक की नोक पर प्राथी के 600 रु0 छीन लिये और थाने पर इस घटना के सम्बन्ध में प्राथी की रिपोर्ट नहीं लिखी गयी। प्रार्थना पत्र की जांच कराने पर, थाने पर रिपोर्ट न लिखे जाने की शिकायत सही पाई गई। अतः थाने पर घटना के सम्बन्ध में मुकदमा कायम कराया गया जिसकी विवेचना हो रही है।

थाने पर तुरन्त रिपोर्ट न लिखने के लिये सम्बन्धित हेड मुहर्रिर के विरुद्ध कार्यवाही करने के आदेश दे दिये गये हैं।

*6—श्री चौधरी रामपाल सिंह यादव—

[अस्पष्टता के कारण निरस्त]

राजकीय उत्तर प्रदेश हस्तकला का संचालन

*7—श्री राम गोपाल सण्ड—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि राजकीय उत्तर प्रदेश हस्तकला का संचालन संयुक्त निदेशक, उद्योग के द्वारा होता है? और क्या यह सही है कि सन् 1967–68 में वह गबन व भ्रष्टाचार के आरोप में सेवा से पृथक किये गये थे ?

लघु उद्योग मंत्री (डाक्टर रामजी लाल सहायक)—

राजकीय उत्तर प्रदेश हस्तकला का संचालन इस समय उत्तर प्रदेश निर्यात निगम द्वार 15 दिसम्बर, 1971 के पश्चात से हो रहा है। इससे पूर्व यह कार्य आयुक्त एवं उद्योग निदेशक द्वारा होता था जिनके आधीन संयुक्त निदेशक, लघु उद्योग जो पार्ट टाईम प्रबन्ध संचालक, उत्तर प्रदेश निर्यात निगम भी थे इस कार्य को देखते थे।

यह बात सही नहीं है कि उक्त अधिकारी जो 1967–68 में और उसके पश्चात् श्री ए0 आर0 कपूर को गबन और भ्रष्टाचार के आरोप में सेवा से पृथक किया गया।

उक्त अधिकारी को दिनांक 9–1–68 को उनके विरुद्ध शिकायतों की जांच के दौरान में राजकीय सेवा से निलम्बित किया गया था और 26–12–69 को पुनः पदासीन कर दिया गया तथा दंड स्वरूप निलम्बित काल के वेतन में 100 रु0 की कटौती की गई तथा एक चेतावनी दी गई।

थाना उतरौला (गोंडा) के दरोगा द्वारा गाड़ीवान को पीटा जाना

*8—श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़)—

क्या मुख्य मंत्री को पता है कि अगस्त के अंतिम सप्ताह के पूर्व जनपद गोंडा के पुलिस थाना उतरौला के एक दारोगा ने एक गाड़ीवान को बुरी तरह बेकसूर मारा तथा उस बलगाड़ी पर बैठी हुई एक महिला का अपमान किया जिसकी सूचना पुलिस अधीक्षक को दी गई। यदि हां, तो सरकार ने दरोगा के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

प्राप्त सूचना के अनसार पुलिस अधीक्षक गोंडा को एक प्रार्थना पत्र 26–7–72 को प्राप्त हुआ था जिसमें यह शिकायतें की गई थीं कि 21–7–72 को 9.30 बजे दिन में उतरौला बाजार के मुख्य मार्ग पर श्री ज्वाला माई स्थान के पास थाना उतरौला के एक ए0 एस0आई पश्चिम की ओर से आने वाली बैलगाड़ी जिसने प्रार्थी की लड़की बहन व प्रार्थी के बच्चे बैठे थे को रोककर गाड़ीवान को गालियां दीं और उसे बलगाड़ी से खींचकर लाठियों से

मारना प्रारम्भ किया और मना करने पर प्रार्थी की लड़की को भी गालियां दी प्रार्थी थाने पर इस घटना की रिपोर्ट लिखवाने गया लेकिन वहां रिपोर्ट नहीं लिखी गई ।

उक्त शिकायतों की जांच क्षेत्राधिकारी द्वारा कराई गई । जांच से शिकायते सही नहीं पाई गई, अतः कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

पंजीकृत छोटे उद्योगों की जिलेवार इकाइयां

*९--श्री राम गोपाल सण्ड--

क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगें कि प्रदेश में पंजीकृत छोटे उद्योगों को दिये जा रह कच्चें माल के दुरुपयोग-सदुपयोग के बाबत जो जांच निदेशालय द्वारा कराई जा रही थी वह जिन जिलों की मुकम्मिल हो चकी है वहां की ब्योरा या सही काम करने वाली इकइयों की संख्या अलग-अलग जिलेवार जून, १९७२ तक कितनी थी ?

कृषि राज्य मंत्री (श्री श्याम सूरत उपाध्याय)--

सूचना एकत्रित की जा रही हैं ।

उप-शिक्षा निदेशक के रिक्त स्थान एवं स्थानान्तरण

*10--श्री मोहन लाल कपूर--

क्या यह सच है कि प्रदेश में कई स्थान उप शिक्षा निदेशक के रिक्त हैं । यदि हां, तो कितने और कौन-कौन तथा सरकार इनकी पूर्ति कब तक करगी ।

श्री कमलापति त्रिपाठी--

जी हां । चार

1--उप शिक्षा निदेशक (प्राइमरी) शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद ।

2--मंडलीय उप शिक्षा निदेशक झांसी मंडल ।

3--मंडलीय उप शिक्षा निदेशक गढ़वाल मंडल

4--उप शिक्षा निदेशक (उर्दू प्रश्न विचाराधीन) ।

*11--श्री मोहन लाल कपूर--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कितने उप शिक्षा निदेशक हैं जो एक ही स्थान पर 5 वर्ष से अधिक दिनों से है । इनका स्थानान्तरण न करने का क्या कारण है ।

श्री कमलापति त्रिपाठी--

कोई नहीं ।

सचिवालय के अस्थायी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

*12--श्री महातम प्रसाद तिवारी (जिला गोरखपुर)--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सचिवालय के कितने हैं और उनमें से कितने 3 वर्ष की सेवा से अधिक के अस्थाई हैं उनको अभी तक स्थाई न करन का क्या कारण है?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

सचिवालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की कुल संख्या 1005 हैं जिन में से 232 कमचारी 3 वर्ष से अधिक से अस्थायी रूप से सेवा कर रहे हैं । उनको अभी स्थायी इसलिये

नहीं किया जा सका है क्योंकि चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों का अधिष्ठान संबंधी कार्य, जो पहले शाखाओं में होता था, के केंद्रीयकरण पश्चात् पदों के स्थायी करने तथा ज्येष्ठता सूची बनान के लिय आवश्यक अभिलेख और सूचनायें प्राप्त करन में समय लगा।

*13—श्री सियाराम—

[2रे सोमवार के लिये ता०प्र० 9 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

राज्य सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित स्थानों की पूर्ति

*14—श्री राम किंकर (जिला प्रतापगढ़)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री छेदी लाल जी साथी, सदस्य, विधा। परिषद् ने लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा ली गई सम्मिलित राज्य सेवा प्रतियोगिता परीक्षा, 1971 में अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित सीटों की पूर्ति के संबंध में दिनांक 25-8-72 को कोई प्रार्थनापत्र भेजा था। यदि हां, तो उस प्रार्थनापत्र में क्या है और उसके संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां। श्री छेदी लाल साथी, सदस्य विधान परिषद् के पत्र दिनांक 25 अगस्त, 1972 में लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा ली गई सम्मिलित राज्य सेवा प्रतियोगिता परीक्षा, 1971 के आधार पर अनुसूचित जातियों के लिये वित्त एवं लेखा सेवाओं में आरक्षित 16 रिक्तियों में से 11 रिक्तियों को जिनके लिये अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है, भरने के विषय में कुछ सुझाव दिया गया था। इस विषय पर लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जा रहा है।

शाहजहांपुर के टैक्सी चालकों की हड़ताल

*15—श्री सुरेंद्र विक्रम

क्या सरकार को जानकारी है कि शाहजहांपुर के सदर बाजार के दरोगा के विरुद्ध 29-7-72 को समस्त टक्सी वालों ने अपनी टैंविसयां जिलाधिकारी के बंगले पर खड़ी कर दी और हड़ताल की तथा दिनांक 30-8-72 को प्रश्न कर्ता तथा जिलाधिकारी के आश्वासन पर हड़ताल समाप्त की उसके बाद पुलिस सदर बाजार ने टैक्सी वालों को बुरी तरह पिटवाया तथा एक आदमी के साथ अत्यन्त अमानुषिक व्यवहार किया जिसकी शिकायत सरकार से लिखित की गई? यदि हां, तो तत्काल क्या कार्यवाही की गई?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 29-7-72 को शाहजहांपुर के कुछ टैक्सी वालों ने सदरबाजार पुलिस के विरुद्ध रोष प्रकट करते हुए टैक्सियां जिलाधिकारी के बंगले पर खड़ी कर कर दी तथा हड़ताल किया जो जिलाधिकारी के आश्वासन पर 30-7-72 को समाप्त कर दी गई।

सदरबाजार की पुलिस तथा उच्च पुलिस अधिकारियों के इशारे पर बाद में टैक्सी वालों को पीटे जाने तथा उनकी रिपोर्ट दर्ज न किये जाने आदि की लिखित शिकायत प्राप्त हुयी थी। उसकी जांच कराई गई जांच से पुलिस के विरुद्ध लगाये गये आरोप प्रमाणित नहीं हुए।

ग्राम बिच्छी (मिर्जापुर) के श्री भगेलू हरिजन की हत्या

*16—श्री सूबेदार प्रसाद (जिला मिर्जापुर) तथा श्री राम निहोर राय (जिला मिर्जापुर)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 29/30-7-72 की रात्रि में ग्राम बिच्छी, थाना राबर्ट्सगंज, जिला मिर्जापुर के भगेलू पुत्र बबन नामक हरिजन की हत्या की गई है ? यदि हां, तो इस जघन्य अपराध में अब तक कोई अपराधी गिरफ्तार हुआ है या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि इसकी रिपोर्ट थाना राबर्ट्सगंज में नामजद पड़ी है। यदि हां, तो सरकार ने अभी तक क्या कार्यवाही की ? क्या मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि जिस व्यक्ति की हत्या हुई है, उसके साथ तिलक नामक हरिजन भी था जिसे हत्यारों ने बुरी तरह पीटकर अचेत अवस्था में छोड़ दिया था। यदि हां, तो उसकी रिपोर्ट क्या है।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

दिनांक 30-7-72 को श्रीमती बुधनी निवासिनी ग्राम बिच्छी, जिला मिर्जापुर ने अपने पति श्री भगेलू को अमुक व्यक्तियों द्वारा मारे पीटे जाने तथा उसकी हत्या कर दिये जाने की आशंका की थाना राबर्ट्सगंज पर मौखिक सूचना दी जिसके आधार पर थाने पर एक मुकदमा धारा 342/323/364/365/302/201 भा० दं० वि० के अन्तर्गत कायम हुआ। इस मुकदमें की शुरू में स्थानीय पुलिस द्वारा विवेचना की गई जिसके परिणाम स्वरूप श्री भगेलू की हत्या में, नामांकित अभियुक्तों को मिलाकर कुल 10 अभियुक्तों का शामिल होना पाया गया। इन 10 अभियुक्तों में से 5 अभियुक्त गिरफ्तार हुये तथा 2 अभियुक्तों ने न्यायालय में आत्म समर्पण किया। शेष 3 अभियुक्त फरार हैं। इन फरार अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 87/88, जाबता फौजदारी से संबंधित आदेश तामील हो चुके हैं अब इस मुकदमा की विवेचना अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा की जा रही है।

तिलक चौकीदार ने मार पीट के संबंध में कोई रिपोर्ट नहीं अंकित कराई है। उसके भगेलू के साथ होने तथा उसे भी मारे पीटे जाने का उल्लेख श्रीमती बुधनी द्वारा लिखाई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट में है। श्रीमती बुधनी की प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर थाने पर दर्ज मुकदमें की विवेचना के दौरान श्री तिलक का डाक्टरी मुआयना कराया गया जिससे उसको साधारण 9 चोटें आने की बात का पता लगा है।

मुसाफिरखाना (सुल्तानपुर) के थानों के चालानी केसों की चार्जशीटों में विलम्ब तथा जुर्मां की रिपोर्ट

*17—श्री नेतराम सिंह (जिला एटा)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वर्ष 1971-72 में जिला सुल्तानपुर के तहसील मुसाफिरखाना में ऐसे कौन-कौन से थाने हैं जिन्होंने अपनी चलानी केसों में 6 माह से अधिक समय होने पर भी चार्जशीट में प्रस्तुत नहीं की है। यदि हां, तो इतने बिलम्ब का कारण क्या है और इसके लिये कोई ठोस कदम उठाने जा रही है। यदि हां, तो वह किस प्रकार ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जिला सुल्तानपुर की मुसाफिरखाना तहसील के केवल दो थाने-थाना बाजार शुकुंल तथा जगदीशपुर ऐसे हैं जिनके वर्ष 1971-72 के दो-दो चलानी मामलों में आरोप पत्र न्यायालय भेजने में 6 माह से अधिक समय लगा। उपरोक्त चारों मामलों में अभियुक्तों की तलाश म अधिक समय लगा, अतः विवेचना जल्दी पूरी नहीं की जा सकी। संबंधित थाना-ध्यक्षों को आदेश दे दिये गये हैं कि भविष्य में विवेचना पूरी करने और चार्जशीट अदालत भेजने म विलम्ब न हो।

*18—श्री नेतराम सिंह—

क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सुल्तानपुर के जगदीशपुर और मुसाफिरखाने थाने में दिसम्बर, 1971 से 5 सितम्बर, 1972 तक क्रमशः नकबजनी, राहजनी, बलवा करवाने, डकैती व हत्या की कितनी रिपोर्ट व प्रार्थना-पत्र लिखे गये, तथा उन पर आज तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? मंत्री जी दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कदम उठाने के लिये क्या कर रहे हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

प्रश्न में उल्लिखित अवधि में जनपद सुल्तानपुर के जगदीशपुर व मुसाफिरखाना थानों पर प्राप्त नकबजनी, राहजनी, बलवा, डकैती व हत्या की घटनाओं की रिपोर्टं के सम्बन्ध में वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी गई है

जनपद सुल्तानपुर के केवल थाना जगदीशपुर में तैनात कर्मचारियों के विरुद्ध दो प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए । इन दोनों प्रार्थना पत्रों की जांच कराई गई । जांच से कोई कर्मचारी दोषी नही पाया गया, अतः किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हुई ।

(देखिये नत्थी "ख" आगे पृष्ठ 390 पर)

कछवा टाउन एरिया (मिर्जापुर) में माध्यमिक कन्या विद्यालय की मांग

*19—श्री राम निहोर राय तथा श्री शचीन्द्र नाथ बख्शी (जिला वाराणसी)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर के अन्तर्गत कछवा टाउन एरिया में आवश्यकता को देखते हुए माध्यमिक कन्या विद्यालय की स्थापना करने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक उक्त माध्यमिक विद्यालय खोलने का विचार है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

इस समय कोई ऐसा प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

स्टेपुल सूत के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को प्रेषित प्रस्ताव

*20—श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

क्या सरकार ने वर्ष 1972 में हाथ करघा तथा शक्ति चालित करघा कपड़े के संहित भंडार की बिक्री या निकासी तथा स्टेपुल सूत के वितरण तथा मात्रा बढ़ाने के संबंध में कोई रिपोर्ट या प्रस्ताव केंद्रीय सरकार को भेजा है ? यदि हां, तो कब और उसका प्रारूप क्या है ?

डाक्टर रामजीलाल सहायक—

जी हां ।

केंद्रीय सरकार को निरन्तर लिखा जाता रहा है तथा विदेश व्यापार मंत्रालय के अधिकारियों, विदेश व्यापार मंत्री व प्रधान मंत्री से समय-समय पर विचार विमर्श भी किया गया । मुख्य मंत्री जी ने अपने पत्र दिनांक 19 जुलाई, 1972 में विदेश व्यापार मंत्री को व पत्र दिनांक 20 जुलाई, 72 में प्रधान मंत्री को लिखा था । मैंने भी अपने पत्र दिनांक 12 जुलाई, 72 तथा पत्र दिनांक 23 अगस्त, 72 विदेश व्यापार मंत्री को भेजे थे । उक्त पत्रों में स्टेपुल यार्न का पूर्व आवंटित कोटा तुरन्त उपलब्ध कराये जाने, प्रतिमास स्टेपुल यार्न की कम से कम ग्यारह हजार गांठे आवंटित किये जाने तथा बुनकरों के पास इकट्ठा बिना बिके हुए माल की निकासी के संबंध में केंद्र द्वारा तत्काल निर्णय लिये जाने हेतु विशेष रूप से अनुरोध किया गया था ।

एस० पी० (सिटी), कानपुर का विशेष वेतन

*21—श्री सुरेंद्र विक्रम—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या कानपुर नगर के एस०पी० (सिटी) के लिये 150 रु० स्पेशल पे (विशेष वेतन) दिये जाने का प्रश्न 1970 से शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो कब तक निर्णय हो जायगा?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

कानपुर नगर के एस०पी० (सिटी) के लिये स्वीकृत 100 रु० प्रतिमाह वाहन भत्ता के स्थान पर विशेष वेतन दिये जाने का प्रस्ताव कुछ समय पूर्व प्राप्त हुआ था। यह प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है।

सहकारी गन्ना विकास समिति, हल्द्वानी (नैनीताल) द्वारा निर्मित सड़कों का निरीक्षण

*22—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सहकारी गन्ना विकास समिति, हल्द्वानी, जिला नैनीताल द्वारा निर्मित वह कौन-कौन सी सड़कें हैं जिनका जनवरी, 1972 से अब तक गन्ना विभाग के मुख्य अभियन्ता, श्री पंजवानी ने अपने निरीक्षक रिपोर्ट में भारी आपत्ति करते हुए हजारों रुपये के गोलमाल की जांच करने की संस्तुति की और उस निरीक्षण रिपोर्ट पर अब तक शासन ने क्या कार्यवाही की।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

गन्ना विकास विभाग के अधिशासी अभियंता ने जनवरी, 1972 से अब तक सहकारी गन्ना विकास समिति हल्द्वानी द्वारा निर्मित किसी सड़क के निर्माण में गोलमाल की न तो कोई जांच की संस्तुति की है न निरीक्षण रिपोर्ट ही दी है। अतः शासन द्वारा कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

*23-24—श्री रामधारी शास्त्री—

[1ले सोमवार के लिये तारांकित प्र0सं0 36-37 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जिला परिषद् बरेली के उप-विद्यालय निरीक्षकों का यात्रा भत्ता

*25—श्री चेतराम गंगवार—

क्या शिक्षा मंत्री को पता है कि जिला परिषद, बरेली में शिक्षा विभाग के अन्तर्गत उप विद्यालय निरीक्षकों का वर्ष 1969-70, 1970-71 और 1971-72 का यात्रा भत्ता बिलों का भुगतान आज तक नहीं किया गया है? यदि हां, तो बिलों के भुगतान न होने का कारण क्या है और इन बिलों का भुगतान कब तक कर दिया जावेगा?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

प्रेम नगर आश्रम (हरिद्वार) को "धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र" नामक पत्रिका

*26—श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि हरिद्वार के प्रेम नगर आश्रम के श्री बालयोगेश्वर की ओर से प्रकाशित होने वाली पत्रिका धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के अक्तूबर, 1971 के अंक में प्रकाशित "महाविनाश कब और कैसे" लेख की ओर उनका ध्यान गया है? यदि हां, तो उक्त आपत्तिजनक लेख के सम्बन्ध में शासन क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां। शासन को मिली कानूनी राय को देखते हुए कोई कार्यवाही करना आवश्यक नहीं समझा गया।

*27—श्री शिवानन्द नौटियाल—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

ग्राम गोहन्ना (फैजाबाद) के मृतक श्री गजाधर का पोस्टमार्टम एवं मैजिस्टेरियल जांच

*28—श्री जयराम वर्मा तथा श्री बलवीर सिंह—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतावेंगे कि क्या फैजाबाद जिले के थाना अकबरपुर के अन्तर्गत ग्राम गोहन्ना के निवासी श्री रामलाल ने जिला मजिस्ट्रेट को यह लिखित शिकायत दी थी कि थाना अकबरपुर के एस० ओ० ने उसके भाई गजाधर को इतनी बुरी तरह मारा था कि 10–11 दिन के बाद भाई की मत्यु 30 जुलाई 1972, को हो गई और उक्त एस० ओ० ने अपने खिलाफ सबूत को खत्म कर देने की दृष्टि से उक्त श्री रामलाल को यह सलाह दी कि वह लाश को जला दे लेकिन उसने लाश जलाई नहीं बल्कि लाश को गाड़ दी और क्या यह भी सही है कि श्री रामलाल की प्रार्थना पर जिला मजिस्ट्रेट ने लाश को खोदवा कर उसका पोस्टमार्टम कराया और मामले की जांच मजिस्ट्रेट से कराई? यदि हां तो पोस्टमार्टम और मजिस्ट्रेटियल जांच की रिपोट क्या है? और उसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हो रही है? क्या मैजिस्ट्रेट जांच की रिपोर्ट सदन के पटल पर कृपया रक्खी जायगी?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

प्रश्न में उल्लिखित शिकायत के बारे में श्री राम लाल निवासी ग्राम गोहन्ना थाना जिला अकबरपुर, फैजाबाद का प्रार्थना-पत्र दिनांक 8-8-72 जिला मैजिस्ट्रेट, फैजाबाद को प्राप्त हुआ था। जिला मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार परगनाधिकारी अकबरपुर ने श्री राम लाल के भाई गजाधर की लाश को खुदवाकर निकलवाया और उसका पोस्टमार्टम परीक्षण कराया। लाश खोदे जाने पर विकृत रूप में पाई गई और उसके पोस्ट मार्टम परीक्षण से गजाधर की मत्यु का कारण नहीं ज्ञात हो सका। मैजिस्टोरियल जांच से यह ज्ञात हुआ कि उसकी मृत्यु पिटाई के कारण नहीं बल्कि उसके पुराने रोग की तीव्रता के कारण हुई। इस निष्कर्ष को देखते हुए मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखे जाने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती।

गन्ना विकास समिति, हल्द्वानी (नैनीताल) के निरीक्षक का स्थानान्तरण एवं सी० आई० डी० जांच

*29—श्री इन्द्रलाल (जिला नैनीताल)

क्या विधान सभा की बैठक दिनांक 20-7-72 को नत्थी (घ) के प्रश्न संख्या 119 के उत्तर के क्रम में क्वा गन्ना विकास मन्त्री कृपया बतावेंगे कि 5-1-72 को जिस सम्बन्धित गन्ना निरीक्षक को तत्काल स्थानान्तरण करते हुए सी० आई० डी० जांच कराने के आदेश प्रसारित किये थे? यदि हां, तो उक्त आदेश का आधार क्या था?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी नहीं।

टिहरी-गढ़वाल मोटर ओनर्स कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, ऋषिकेश के कर्मचारियों की भविष्य निधि

*30—श्री गोविन्दसिंह नेगी—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करगे कि टिहरी गढ़वाल मोटर ओनर्स कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, ऋषिकेश के कर्मचारियों को भविष्य निधि के सम्बन्ध में फार्म नम्बर 23 के अनुरूप वार्षिक चिट न मिलने के सम्बन्ध में श्री आनन्दी प्रसाद प्रधान कर्मचारी कल्याण समिति, टी० जो० एम० ओ० सी० प्रा० लिमिटेड, ऋषिकेश के रीजनल प्राविडेंट फंड कमिश्नर को सम्बोधित दिनांक 19 जुलाई, 1972 के पत्र की प्रतिलिपि उन्हें प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्रम राज्य मन्त्री (श्री गणेश दत्त बाजपेयी)—

टेहरी गढ़वाल मोटर ओनर्स कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, ऋषिकेश के कर्मचारियों को 'भविष्य निधि' के सम्बन्ध में फार्म 23 के अनुरूप वार्षिक चिट न मिलने के सम्बन्ध में श्री आनन्दी प्रसाद प्रधान कर्मचारी कल्याण समिति, टी० जी० एम० ओ० सी०, प्राइवेट लिमिटेट, ऋषिकेश के रीजनल प्राविडेंट फंड कमिश्नर को सम्बोधित 19 जुलाई, 1972 के पत्र को कोई, प्रतिलिपि शासन में उपलब्ध नहीं है। परन्तु इस प्रश्न के आने के बाद क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, कानपुर से ज्ञात करने पर मालूम हुआ कि इस प्रकार का पत्र उनको प्राप्त हुआ था और उन्होंने सूचित किया है कि वर्ष 1969–70 और वर्ष 1970-71 से सम्बन्धित वार्षिक लेखा विवरण उक्त प्रतिष्ठान को भेज दिया गया है।

थाना नोनहारा (गाजीपुर) पर पुलिस विरोधी प्रदर्शन

*31—श्री गोविन्द सिंह नेगी—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गत 28 जुलाई, 1972 को गाजीपुर जिले के नोनहारा थाने पर पुलिस के विरोध में प्रदर्शन किया गया था ? यदि हां, तो प्रदर्शन का कारण क्या था और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 28-7-72 को गाजीपुर के थाना नोनहारा पर कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में पुलिस विरोधी प्रदर्शन हुआ था तथा प्रदर्शन कारियों की ओर से संसद सदस्य श्री सरजू पाण्डे ने उप पुलिस महानिरीक्षक, वाराणसी रेन्ज को एक मांग-पत्र, जिसमें श्री टी0 एन0 राय, थानाध्यक्ष नोनहारा के विरुद्ध भ्रष्टाचार आदि के आरोप लगाये गये थे, दिया था। मांग-पत्र में श्री टी0 एन0 राय, थानाध्यक्ष नोनहारा के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच भ्रष्टाचार विरोधी शाखा, अपराध अनुसन्धान विभाग के एक राजपत्रित अधिकारी द्वारा कराई गई।

*32—श्री शेर सिंह दानू—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

ग्राम पपेड़ा (टिहरी गढ़वाल) के स्वर्गीय श्री सुन्दरलाल बलोदी कानिस्टेबुल की पारिवारिक पेंशन

*33—श्री इन्द्रमणि (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सुन्दरलाल बलोदी कानिस्टिबिल, ग्राम पपेड़ा, पट्टी रोड़ी ब्लाक जिला टिहरी गढ़वाल वाले की मृत्यु 27-1-65 को हुई है परन्तु अभी तक भी पारिवारिक पेंशन स्वीकृत नहीं हुई है ? यदि यह सत्य है, तो ऐसा क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

इस मामले में पेंशन स्वीकृति के आदेश जून, 1968 में जारी कर दिये गये थे और महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ने दिनांक 28 सितम्बर, 1972 को पेंशन भुगतान के आदेश भी जारी कर दिये हैं।

*34—श्री इन्द्रमणि—

क्या सरकार जल्दी से जल्दी उसकी विधवा पत्नी श्रीमती सुभद्रा देवी बलौदी को पारिवारिक पेंशन स्वीकृत करने की कृपा करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

विधवा को पेंशन मिलने लग गयी है।

समोधपुर डिग्री कालेज (जौनपुर) में गोली चलने की दुर्घटना

*35—श्री रामवचन यादव (जिला आजमगढ़), श्री राजेंद्रकुमार शर्मा, (जिला रामपुर), श्री उमानाथ सिंह तथा श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक 5 सितम्बर, सन् 72 को जौनपुर जनपद में समोधपुर डिग्री कालेज के भवन से गोलियां चलाने की दुर्घटना में कुछ व्यक्तियों की मत्यु हो गई ? क्या सरकार सम्पूर्ण घटना का विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी और बतायेगी कि उपरोक्त के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

गांधी स्मारक डिग्री कालेज तथा गांधी स्मारक विद्यालय, समोधपुर, जिला जौनपुर एक ही प्रांगण में स्थित हैं। दिनांक 5-9-72 को दो पक्षों के बीच, जो अपने को गांधी स्मारक विद्यालय की वास्तविक प्रबन्धक समिति बताते हैं, बलवा हुआ जिसके परिणामस्वरूप एक व्यक्ति को गोली लगने से मत्यु हो गई तथा एक व्यक्ति घायल हुआ। इस घटना के सम्बन्ध में घटना स्थल पर उपस्थित पुलिस तथा उक्त दोनों पक्षों की ओर से एक-एक रिपोर्ट थाना सरपतहा, जौनपुर पर दर्ज कराई गई, जिनके आधार पर थाना सरपतहा में धारा 395/397, धारा 395/397 (जो बाद में धारा 396 में परिवर्तित हुआ) तथा धारा 147/148/332/342, भा० दं० वि० के अन्तर्गत तीन मुकदमें दर्ज हुए। उक्त तीनों मुकदमों में स्थानीय पुलिस की विवेचना के दौरान कुल 14 अभियुक्त गिरफ्तार हुए और 25 अभियुक्तों ने न्यायालय में आत्म समर्पण किया। अब तीनों मुकदमों की विवेचना अपराध अनुसन्धान विभाग द्वारा की जा रही है।

चेयरमैन टाउन एरिया, लार (देवरिया) के मकान पर बम विस्फोट

*36—श्री रामवचन यादव तथा श्री हरिवंश सहाय—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें देवरिया के एक भूतपूर्व विधायक द्वारा सूचना दी गई है कि दिनांक 29-8-72 को श्री राम चन्दर तिवारी एडवोकेट चेयरमैन टाउन एरिया लार देवरिया के देवरिया स्थित किराये के मकान पर एक भीषण बम विस्फोट हुआ जिसमें से एक युवक की मृत्यु हो गई और तीन घायल हुए ? अब तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

शासन को प्राप्त सूचना के अनुसार मामले में पुलिस की विवेचना हो रही है जिसे शीघ्र पूरी करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

ग्राम भौघटा (शाहजहांपुर) में डकैती व हत्या एवं पुलिस के विरुद्ध शिकायत

*37—श्री राजित राम पांडेय—

क्या सरकार को पता है कि शाहजहांपुर के कस्बा तिलहर में 9-9-72 को दिन दहाड़े बाजार में पुलिस चौकी के सामने बाबू नाम के व्यक्ति को गोली मार कर हत्या कर दी गई तथा 8/9-9-72 को ग्राम भौघटा, थाना जैतीपुर में श्री रामलाल गूजर के यहां भीषण डकैती हुई तथा उनके एक मात्र पुत्र की नृशंस हत्या गोली मार कर दी गई और क्या यह भी सही है कि डिप्टी एस० पी० सर्किल तिलहर के विरुद्ध अधिकारियों से जनता द्वारा पिछले 6 महीने में अनेक बार शिकायत की गई है? यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

प्राप्त सूचना के अनुसार करबा तिलहर में 9-9-72 को दिन दहाड़े पुलिस चौकी के सामने बाबू नाम के व्यक्ति को गोली मार कर हत्या किये जाने की कोई घटना नहीं हुई। दिनांक 8।9-9-72 की रात ग्राम मौघटा, थाना जैतीपुर के श्री राम लाल गूजर के यहां डकैती पड़ने तथा उनके पुत्र की हत्या कर दिये जाने की सूचना थाना जैतीपुर पर प्राप्त हुई थी। इस घटना से सम्बन्धित मुकदमे में जांच के पश्चात चार्जशीट न्यायालय भेज दी गई जहां मुकदमा विचाराधीन है। तिलहर क्षेम के डिप्टी एस० पी० के विरुद्ध एक शिकायती पत्र प्राप्त हुआ जिसमें उल्लिखित आरोपों की जांच कराई गई। जांच से आरोपों में सत्यता नहीं पाई गई।

लखनऊ के मेफेय र सिनेमा का लाइसेंस

*38—श्री हरिवंश सहाय—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 30 अगस्त, 1972 को मेफेयर सिनेमा, लखनऊ का लाइसेन्स रद्द कर दिया गया? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी

मेफेयर सिनेमा, लखनऊ में उत्तर प्रदेश सिनेमाटोग्राफ रूल्स, 1951 के नियम 14 (पांच) तथा 15 (एक) का कई बार समय देने के पश्चात् भी अनुपालन न होने के कारण 30 अगस्त, 1972 के पश्चात् उसका लाइसेन्स नवीकरण नहीं किया गया।

पत्रकारों को वेतन मंडल की सिफारिशों के अनुसार पारिश्रमिक एवं विश्वकर्मा दिवस पर छुट्टी की मांग

*39—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या सूचना मन्त्री कृपया बतायगे कि प्रदेश में ऐसी कितनी व कौन-कौन सी संस्थायें हैं जिन्होंने अभी तक अपने कार्यरत पत्रकारों (वर्किंग जर्नलिस्टों) को वेज बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार भुगतान करना प्रारम्भ नहीं किया है? सरकार ने पत्रकारों को उनका उचित पारिश्रमिक दिलाने हेतु क्या कार्यवाही की ?

श्री गणेशदत्त बाजपेयी—

प्रदेश में केवल एक ऐसी पत्र प्रकाशक संस्था 'संसार' अर्द्ध साप्ताहिक, वाराणसी है, जिसने अभी तक अपने कार्यरत पत्रकारों को वेतन मण्डल की सिफारिशों के अनुसार भुगतान करना प्रारम्भ नहीं किया है।

2—सतत प्रयत्नों के बावजूद जब उक्त संस्था ने वांछित भुगतान नहीं किया तब अपायुक्त उपरोक्त संस्था पर आभियोजन चलाने के निर्देश 4-12-72 को जारी कर दिये हैं।

*40—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या मुख्य मन्त्री को ज्ञात है कि देश के विभिन्न क्षेत्रों के समान ही उत्तर प्रदेश के अनेकों औद्योगिक प्रतिष्ठानों में विश्वकर्मा दिवस राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार विश्वकर्मा दिवस को राष्ट्रीय श्रम दिवस घोषित करके छुट्टी घोषित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गणेशदत्त बाजपेयी—

जी नहीं।

विश्वकर्मा दिवस देश के विभिन्न क्षेत्रों में किसी बड़े पैमाने पर श्रमिकों द्वारा राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाये जाने की सूचना सरकार को नहीं है। विश्वकर्मा दिवस, राष्ट्रीय दिवस घोषित किये जाने पर शासन कोई विचार नहीं कर रहा है।

मुंसिफ के रिक्त पद

*41—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राज्य में मुंसिफ पदों की भरती के लिए फरवरी, सन् 1971 के बाद अगस्त सन् 1972 तक कोई परीक्षा नहीं हुई ? यदि हां, तो क्यों जबकि चालू वित्तीय वर्ष के बजट में 100 अतिरिक्त मुंसिफ के पदों की नई नियुक्ति के लिये व्यवस्था की गई है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी यहां, कोई परीक्षा नहीं हुई क्योंकि सम्बद्ध सेवा नियमावली में कुछ संशोधन होने थे जो अन्तिम रूप से 3 जून, 1972 के गजट में प्रकाशित हुये। तदनुसार लोक सेवा आयोग ने 100 रिक्तियों में भर्ती के लिए एक प्रतियोगितात्मक परीक्षा का विज्ञापन जुलाई, 1972 में जारी कर दिया है।

आर० बी० एम० इन्टर कालेज (शाहजहांपुर) में अनियमितताओं की शिकायत

*42—श्री बंशीधर पाण्डेय—

क्या शिक्षा मन्त्री को पता है कि आर० बी० एम० इण्टर कालेज में भयानक गोल-माल, भ्रष्टाचार तथा अनियमितताओं की शिकायत विद्यालय प्रबन्धकारिणी के सदस्यों द्वारा 1 जनवरी, 72 से 6-9-72 तक अनेक बार शिक्षा मन्त्री, शिक्षा निदेशक, जिलाधिकारी, शाहजहांपुर से लिखित की गई ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

*43—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

[4थे बृहस्पतिवार के लिये तारांकित प्र०सं० 10 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*44—श्री सर्वसुख सिंह—

[11वें बृहस्पतिवार के लिए प्र० सं० 14 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

बम बनाने वाली एजेन्सियां एवं बम से हताहत व्यक्ति

45—श्री सर्वसुख सिंह—

क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में 1972 में कुल कितने लोग बम के प्रयोग से हताहत हुए और सरकार ने कितनी बम बनाने वाली एजेन्सियों का पता लगाया तथा जनता में इस विनाशकारी प्रवृत्ति को रोकने के लिये शासन के द्वारा कौन से प्रभावशाली कदम उठाये गये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

वर्ष 1972 में प्रदेश में पन्द्रह व्यक्ति बम के प्रयोग से मरे तथा 63 व्यक्ति घायल हुये । चार बम बनाने वाली एजेन्सियों का पता लगाया गया । इस प्रवृत्ति को रोकने के लिये पुलिस द्वारा सतर्कता से सुरागरसी की जाती है और संदिग्ध व्यक्तियों की तलाशी ली जाती है एवं विष्फोटक पदार्थ बेचने वाले दूकानदारों की समय-समय पर जांच की जाती है ।

*46—47—श्री रूपनाथ सिंह यादव—

[2रे शुक्रवार के लिये तारांकित प्रश्न संख्या 18—19 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

ग्राम रामपुर कठार, थाना सचेंडी (कानपुर) में पड़ी डकैती सम्बन्धी शिकायत

*48—श्री उमाशंकर शुक्ल (जिला शाहजहांपुर)—

क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि कानपुर जनपद के थाना सचेंडी के अन्तर्गत ग्राम रायपुर कठार में दिनांक 29/30 जून, 1971 को रात्रि में पड़ी भीषण डकैती के वादी गंगा नारायण व उसके गवाहों का दिनांक 20 जनवरी, 1972 का मुख्य मंत्री को प्राप्त शिकायती पत्र जिसे पिटीशन विभाग के पत्र संख्या 1404 (4)/34—72, दिनांक 1 मई, 1972 के द्वारा पुलिस विभाग (3) को भेजा गया है, प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उसकी जांच किस अधिकारी ने की तथा क्या आरोप प्रमाणित हुए तद्नुसार दोषी पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

कथित डकैती के वादी श्री गंगा नारायण व अन्य का प्रार्थना-पत्र दिनांक 20 जनवरी, 1972 को प्राप्त हुआ । सम्बन्धित डकैती का मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण प्रार्थना-पत्र में लगाये गये आरोपों की जांच सम्भव नहीं पाई गई । अतः अभी किसी पुलिस कर्मचारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

*49—श्री जगदीश गांधी—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

सचिवालय में टंककों का स्थायीकरण

*50—श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1966 से भर्त्ती किये गये कितने टंककों को स्थायी किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों तथा इन्हें कब से सरकार स्थायी करने जा रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

सचिवालय मे 1966 से भर्त्ती किये गये टंककों में से अभी तक कोई स्थायी नहीं किया गया है, क्योंकि उनसे ज्येष्ठ टंकक अभी स्थायीकरण हेतु बचे हुये हैं । स्थायीकरण रिक्तियों की उपलब्धता पर निर्भर हैं । अतः कथित टंकक कब तक स्थायी किये जा सकेंगे, कोई निश्चित तिथि नहीं बतायी जा सकती ।

मुरादाबाद जिले में हब्बू गैंग व पुलिस की मुठभेड़ एवं बड़ा कस्बा में डकैती

*51-.श्री जितेन्द्रपाल सिंह तथा श्री महेन्द्र सिंह (जिला मुरादाबाद)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि 13 अक्तूबर, 1970 को मुरादाबाद जनपद में नौगांवा ग्राम के पास हब्बू गैंग से हुई पुलिस की मुठभेड में एक थानेदार तथा दो सिपाही की निर्मम हत्या उपरोक्त गैंग द्वारा की गई ? यदि हां, तो अभी तक हब्बू गैंग के विरुद्ध पुलिस ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

प्राप्त सूचना के अनुसार 13 अक्तूबर, 1970 को हब्बू गैंग से हुई पुलिस की मुठभेड़ में डाकुओं द्वारा एक उपनिरीक्षक तथा दो कान्सटेबिलों की हत्या की गयी । इस घटना में 13 अभियुक्त गिरफ्तार किये गये, 7 ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया, 2 मारे जा चुके हैं तथा 3 अभियुक्त फरार हैं । फरार अभियुक्तों के विरुद्ध जाफ्ता फौजदारी की धारा 87/88 के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी है । दो प्रमुख अभियुक्तों हब्बू तथा होमपाल की गिरफ्तारी के लिये पुलिस उप महानिरीक्षक, बरेली द्वारा दो-दो हजार रुपये का इनाम भी घोषित है। सात अभियुक्तों के विरुद्ध भारतीय दन्ड विधान की धारा 147/148/149/302 के अन्तर्गत चार्जशीट न्यायालय भेजी जा चुकी है ।

*52—श्री जितेंद्रपाल सिंह तथा श्री महेन्द्र सिंह—

क्या मुख्य मंत्री को मालूम है कि जुलाई मास 1972 में मुरादाबाद जनपद के पास बड़ा कस्बा में डाकुओं ने दिन-दहाड़े कुछ दुकानों को लूटा, कृपया बताय कि यह किस गैंग से सम्बन्धित है और पुलिस ने अब तक क्या कार्यवाही की ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जनपद मुरादाबाद में पासबड़ा नामक कोई कस्बा नहीं है । पाकबाड़ा नामक एक कस्बा है जिसमें जुलाई, 1972 में दूकानों को लूटने की कोई घटना नहीं हुई ।

थाना मुहम्मदाबाद (फर्रुखाबाद) के दरोगा श्री बाबूसिंह के विरुद्ध गम्भीर शिकायतें

*53—श्री जगन्नाथ खन्ना (जिला सहारनपुर)—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला फर्रुखाबाद के थाना मुहम्मदाबाद के एक दरोगा बाबूसिंह के विरुद्ध ग्राम बखरोआ में 28 जुलाई, 1972 की रात्रि में शराब पीकर एक लड़की से छेड़ छाड़ करने तथा एक अलसेसीयन कुत्ते के बच्चे को रात्रि में चोरी से उठा लाने एवं ग्राम कथिया में धारा 307 के एक मुकदमें के सम्बन्ध में 1,500 रु0 के रिश्वत लेने, ग्राम अरसानी में प्रधान के भाई को अनायास गाली-गलौज करने के विषय पर विभिन्न ग्रामों के प्रधानों द्वारा अन्य अनेकों गंभीर शिकायतें पिछले 2–3 माह में प्राप्त हुई ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी हां । श्री बाबू सिंह के विरुद्ध कथित आशय की शिकायतें प्राप्त हुई थीं । शिकायतों की जांच अपराध अनुसंधान विभाग को सौंप दी गई है ।

श्री रामलखन दास की अयोध्या अस्पताल (फैजाबाद) में मृत्यु

*54—श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि श्री रामलखन दास नामक व्यक्ति अर्द्ध मुछित घायल अवस्था में 4-7-72 को अयोध्या अस्पताल, जिला फैजाबाद में भर्ती हुआ और 5-7-72

को उसकी मृत्यु हो गई ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में पूर्ण विवरण क्या है और उसका एफ0 आई0 आर0 कब दर्ज किया गया तथा डाइंग डिक्लेरेशन लिया गया ? यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

थाना अयोध्या, जिला फैजाबाद की जनरल डायरी रपट संख्या 19 जो 4-7-72 को 14-50 बजे लिखी गई, के अनुसार श्री राम अस्पताल अयोध्या के डी0 डी0के0 श्रीवास्तव ने अपने हस्ताक्षर से एक मेमों अंग्रेजी में एक वार्ड ब्वाय के हाथ थाने पर भेजा था जिसमें यह सूचना दी गई थी कि राम लखन दास नामक एक व्यक्ति उसी दिन 14–15 बजे घायल अवस्था में अस्पताल में दाखिल हुआ था तथा वह बार-बार अपना नाम दुहरा रहा था और पूछने पर अपने मारने वालों का नाम नहीं बता पाया। यह सूचना प्राप्त होने पर एक ए0 एस0 आई0 4-7-72 को ही अस्पताल गया और वहां पर घायल व्यक्ति के निवास स्थान और घटनास्थल के बारे में पता लगाने का प्रयास किया किन्तु कुछ पता नहीं लग सका। 5-7-72 को भी इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया गया। 5-7-72 को अस्पताल से सूचना प्राप्त हुई कि शाम 5-30 बजे राम लखन दास की मत्यु हो गई। 6-7-72 को लाश का पंचायतनामा भरा गया और लाश पोस्ट मार्टम हेतु भेजी गई। इसी बीच 6-7-72 को मृतक के एक सम्बन्धी ने अस्पताल में ही ए0 एस0 आई0 को घटना की सूचना दी जिसके आधार पर उसी दिन थाने पर धारा 302/342 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज किया गया। विवेचना से 4 अभियुक्त प्रकाश में आए जिनके विरुद्ध 16-10-72 को आरोप-पत्र न्यायालय भेजा जा चुका है।

डाक्टर द्वारा दी गई सूचना के अनुसार अस्पताल में भर्ती किये जाने के समय से ही राम लखन दास अचेतावस्था में था और स्पष्ट बात बोल सकने में असमर्थ था अतः उसका डाइंग डिक्लेरेशन नहीं लिया जा सका।

बुलन्दशहर से प्रकाशित समाचार पत्रों में सरकारी सूचनाओं का प्रकाशन

*55—श्री हिम्मत सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बुलन्दशहर से प्रकाशित होने वाले साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक किन-किन समाचार पत्रों को जिला स्तर पर शासकीय, अर्धशासकीय तथा न्यायालय के सम्मन (गजट) प्रकाशित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है तथा किस आधार पर और स्वीकृत समाचार पत्रों की प्रसार संख्या कितनी है क्या यह स्वीकृत पत्र नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं ? इनकी पृष्ठ संख्या कितनी है ?

सूचना राज्य मंत्री (श्री पुरुषोत्तम दास टंडन)—

बुलन्दशहर से प्रकाशित जिन समाचार पत्रों को कोर्टनोटिसेज तथा सम्मन प्रकाशनार्थ पाने के लिए जिला स्तर पर स्वीकृति दी गयी है उनके प्रसार की संख्या तथा पृष्ठ संख्या इत्यादि का विवरण संलग्न सूची में दिया हुआ है। ये सब साप्ताहिक समाचार-पत्र हैं। इन पत्रों को कोर्ट-नोटिसेज तथा सम्मन देने की स्वीकृति परगनाधीश की जांच रिपोर्ट व सम्पादकों के बयान हल्फी के आधार पर दी गयी थी।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 392 पर)

श्री बाल कृष्ण चड्ढा, उप पुलिस अधीक्षक, फर्रुखाबाद के विरुद्ध शिकायतें

*56—श्री जगदम्बा प्रसाद—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक 30 मार्च, 1972 को फर्रुखाबाद जनपद के निवासियों के एक शिष्ट प्रतिनिधि मंडल ने पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश से साक्षात्कार किया था और उनको श्री बाल कृष्ण चड्ढा, उप पुलिस अधीक्षक, फर्रुखाबाद के विरुद्ध प्रार्थना-पत्र

दिया था और क्या यह भी सत्य है कि 12 सदस्य, विधान सभा के हस्ताक्षर से कोई प्रार्थना-पत्र गृह सचिव को दिनांक 12 मई, 1972 को श्री बाल कृष्ण चड्ढा, उप पुलिस अधीक्षक, फर्रुखाबाद के विरुद्ध भ्रष्टाचार सम्बन्धी आरोपों से युक्त दिया गया था ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर अब तक क्या कार्यवाही की ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

दिनांक 30 मार्च, 1972 को फर्रुखाबाद जनपद के निवासियों का शिष्ट मंडल पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश से मिला था तथा उनको श्री घनश्याम अवस्थी, निवासी सुकरुल्लापुर, फर्रुखाबाद ने एक प्रार्थना-पत्र दिया जिसमें उप पुलिस अधीक्षक, श्री बालकृष्ण चड्ढा के अतिरिक्त थानाध्यक्ष, नवाबगंज के विरुद्ध आरोप लगाये गये थे। इस शिकायती पत्र की जांच पुलिस अधीक्षक द्वारा कराई गई और आरोप निराधार पाये गये। दिनांक 12-5-72 को 12 सदस्य विधान सभा के हस्ताक्षर से प्रार्थना-पत्र गृह सचिव को दिया गया था जिसमें उक्त उप-पुलिस अधीक्षक तथा एक सब इन्स्पेटर के विरुद्ध आरोप थे। इस शिकायती पत्र की जांच अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा कराई जा रही है।

*57--श्री रियासत हुसैन--

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

आगरा कालेज के तालाब में छात्र की मृत्यु

*58--श्री हुकुम सिंह परिहार--

क्या यह सही है कि आगरा कालेज के तैरने के तालाब में एक छात्र की मृत्यु दिनांक 10 सितम्बर, 1972 को होने के आरोप में आगरा कालेज की प्रबन्ध समिति ने एक अध्यापक को दोषी ठहरा कर मुअत्तल कर दिया है ? अगर हां, तो दोषी अध्यापक के विरुद्ध क्या आरोप ह ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

आगरा कालेज के स्वीमिंग पूल में 9-9-72 को एक छात्र की मृत्यु हो गई। उसके कारण महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति ने एक अध्यापक को निलम्बित कर दिया था। दोषी अध्यापक के विरुद्ध असावधानी बरतने का आरोप था।

*59--श्री हुकुम सिंह परिहार--

क्या यह भी सही है कि उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में आगरा कालेज में छात्रों में भारी रोष था और कई दिन तक बाजार व कालिज बन्द रहे ? क्या यह भी सही है कि छात्रों ने प्रिंसिपल को मुअत्तल करने की मांग इसी सन्दर्भ में की थी ? क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई जांच करायेगी ?

श्री कमलापति त्रपाठी--

कथित घटना के कारण छात्रों मे रोष था परन्तु केवल रविवार 10-9-72 को कालेज के निकट राजामंडी की कुछ दुकानें बन्द रही। केवल 11-9-72 को मृत छात्र को श्रद्धांजलि अर्पित करने के उपरान्त कालेज बन्द रहा। कुछ छात्रों ने प्रधानाचार्य के निलम्बन की मांग की परन्तु अन्य छात्रों एवं अध्यापकों ने उसका विरोध किया। अतः शासन द्वारा जांच कराने की कोई आवश्यकता नहीं है

आर० बी० एम० इन्टर कालेज, तिलहर, शाहजहांपुर के प्रिन्सिपल

*60--श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह (जिला रायबरेली)--

क्या शिक्षा मंत्री को मालूम है कि परगनाधिकारी तिलहर, जिला शाहजहांपुर, जो कि आर० बी० एम० इन्टर कालेज के अधिकृत नियंत्रक भी हैं, ने स्थानीय राजनैतिक दबावों के

कारण कालिज के अवैधानिक और अमान्य प्रधानाचार्य को प्रबन्ध समिति के सर्वसम्मत प्रस्ताव दिनांक 10 सितम्बर, 1972 के विरोध के बावजूद भी उनके पद पर कार्य करने की स्वीकृति दिनांक 12 सितम्बर, 1972 को एक आदेश भेज कर दी, जिसके विरोध में कालिज अनिश्चित काल के लिये बन्द हो गया ? यदि हां, तो क्या सरकार तत्काल कालिज के हित में नियंत्रक महोदय हो हटायेगी ?

*61--क्या शिक्षा मंत्री सम्बन्धित अधिकारियों को जिन्होंने अनधिकार और अनुचित आर0 वी0 एम0 कालिज, तिलहर, शाहजहांपुर में पिछले सप्ताह हस्तक्षेप किया जिसमें कालिज अनिश्चित काल के लिये बन्द हुआ है कालिज खुलवाने और प्रबन्ध समिति के फैसले जनहित में तथा कालिज हित में मनवाने का आदेश देगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

जिला उद्योग अधिकारी, लखनऊ का रिक्त स्थान

*62--कुंवर तेजभान सिंह (जिला प्रतापगढ़)--

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला उद्योग अधिकारी, लखनऊ का स्थान कितने दिनों से रिक्त पड़ा है और क्यों ?

उद्योग राज्य मंत्री (श्री यादवेन्द्र सिंह)--

श्री एस0 के0 गर्ग के जिला उद्योग अधिकारी के पद से निलम्बित होने के फलस्वरूप जिला उद्योग अधिकारी, लखनऊ का पद दिनांक 7-4-72 से रिक्त है।

लखनऊ में उच्च वेतन मान के दो अधिकारी औद्योगिक विकास कार्यक्रम को तीव्रगति से चलाने के लिये तैनात किए गए हैं।

शहरी क्षेत्र के लिये क्षेत्रीय विकास अधिकारी तथा ग्रामीण क्षेत्र के लिये उप उद्योग निदेशक की नियुक्ति हो जाने के फलस्वरूप इस समय लखनऊ में जिला उद्योग अधिकारी की नियुक्ति आवश्यक नहीं समझी गई।

हाई स्कूल एवं इन्टर की मान्यता प्राप्ति हेतु आवेदन-पत्र

*63--श्री जगन्नाथ राव--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश की कितनी शिक्षा संस्थाओं ने हाई स्कूल एवं इंटर की मान्यता प्राप्ति हेतु शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के पास गत वर्ष 1971-72 में भेजे एवं मान्यता समिति ने कितनी शिक्षा संस्थाओं को मान्यता दी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

वर्ष 1971-72 में 2,044 शिक्षा संस्थाओं के मान्यता प्राप्ति हेतु आवेदन-पत्र माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के कार्यालय में निर्धारित समय के अन्दर प्राप्त हुये थे, जिनमें से 579 संस्थाओं को मान्यता दी गई।

*64--श्री जगन्नाथ राव--

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त]।

थाना मीरानपुर कटरा (शाहजहांपुर) में सरकार बनाम अजीमुशान खां का मुकदमा

*65—श्री नरोत्तम सिंह (जिला बदायूं)—

क्या सरकार को पता है कि शाहजहांपुर के थाना मीरानपुर कटरा के अन्तर्गत सरकार बनाम अजीमशान खां आदि भारतीय दण्ड विधान की धारा 420, 120–बी तथा 392 के अन्तर्गत चार्जशीट अगस्त, 1972 में अदालत में भेजी जा चुकी है, किन्तु इस मुकदमे के मुलजिमान के पास आज भी लाइसेंसी हथियार हैं जिनको पुलिस अधीक्षक, शाहजहांपुर ने अब तक निलम्बित नहीं कराया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

इस मुकदमें से सम्बन्धित अपराधियों में केवल एक अपराधी बन्दूक का लायसेन्सी था। उसका लायसेन्स निलम्बित कर दिया गया है।

हेड कांस्टेबिलों का सब इन्सपेक्टर के पद पर स्थायीकरण

*66—श्री उपेन्द्र नाथ दीक्षित (जिला कानपुर)—

क्या सरकार बतायेगी कि पुलिस आफिस मैनुअल की धारा 191 के अन्तर्गत प्रदेश में दस वर्ष से अधिक समय से कितने हेड कांस्टेबिल अस्थायी सब इन्सपेक्टर के रूप में कार्य कर रहे हैं, और उनकी सेवाओं में स्थायी बनाने के सम्बन्ध में वर्ष 1959 के पश्चात् आज तक विचार न किये जाने के कारण क्या हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

नागरिक परिषद् के महामन्त्री पर व्यय एवं उनका आवास

*67—श्री जगदम्बा प्रसाद—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश नागरिक परिषद् के महामंत्री ने जब से उनकी नियुक्ति हुई है तब से इन्होंने किस-किस साधन से किस-किस स्थान का दौरा किया तथा इनके वेतन, टी० ए० और डी० ए० इत्यादि पर उत्तर प्रदेश नागरिक परिषद् ने अब तक कितना खर्च किया है तथा उनके आवास की नागरिक परिषद् ने या शासन ने क्या व्यवस्था की है।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

(1) उत्तर प्रदेश नागरिक परिषद् के महामंत्री के दौरे के संबंध में वांछित विवरण संलग्न है।

(2) महामंत्री को कोई वेतन नहीं मिलता था। उनके मानदेय, यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता पर अब तक निम्न भुगतान किया जा चुका है :—

	रु० पै०
1—मानदेय	1,400.00
2—यात्रा व दैनिक भत्ता	10,990.20
3—अग्रिम के रूप में ली गयी धनराशि जिसका समायोजन होना शेष है	2,207.66

(3) शासन द्वारा उन्हें एक आवास आवंटित किया गया था।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 393 पर)

प्रधान अध्यापक, प्राइमरी पाठशाला, गोपीनाथपुर (बस्ती) का सस्पेंशन एलाउन्स

*68--श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती) तथा श्री राम करन सिंह (जिला गोरखपुर)--

क्या सामुदायिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राइमरी पाठशाला गोपीनाथपुर विकास क्षेत्र परशुरामपुर, जिला बस्ती के प्रधान अध्यापक को दिनांक 14 अगस्त, 1964 को निलम्बित किया गया था और जीवन निर्वाह भत्ता (सस्पेंशन एलाउन्स) दिनांक 14 अगस्त, 1964 से दिनांक 17 दिसम्बर, 1972 तक का नहीं दिया गया ? यदि हां, तो क्या सरकार सस्पेंशन एलाउन्स शीघ्र दिलाने की कृपा करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

जी हां। सस्पेन्शन एलाउन्स के संबंध में वित्तीय परामर्शदाता तथा परिषद के वकील की राय ली जा रही है। उनकी आख्या आने के बाद मामले में निर्णय लिया जायेगा।

*69--श्री शंकर प्रसाद जायसवाल तथा श्री राम प्यारे--

[प्रदेशीय सरकार से असम्बन्धित होने के कारण निरस्त]

सिविल सर्जन, उर्सला चिकित्सालय, कानपुर के चपरासी के यहां कथित तलाशी

*70--श्री राम कुमार दीक्षित (जिला कानपुर)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कानपुर के उर्सला चिकित्सालय में अप्रैल, सन् 1972 को किसी कुख्यात डकैत को गिरफ्तार करने के लिये सिविल सर्जन के विशेष चपरासी के घर कोतवाली पुलिस द्वारा छापा मार कर तलाशी ली गई थी ? यदि हां, तो वह डकैत कौन था ? किसके द्वारा भर्ती हुआ तथा कितने दिनों तक चिकित्सालय में किसकी देख-रेख में चिकित्सा कराता रहा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

जी नहीं। ऐसी कोई घटना नहीं हुई और न ही अप्रैल, 72 में किसी डकैत के उर्सला अस्पताल में भर्ती होने की सूचना पुलिस को मिली।

सचिवालय के सेक्शन आफिसरों का स्थानान्तरण

*71--श्री कृष्ण सिंह (जिला उत्तरकाशी), श्री जगदीश गांधी (जिला अलीगढ़) तथा श्री धर्म सिंह (जिला बुलन्दशहर)--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश सचिवालय में वर्षों से विभिन्न अनुभागों में कार्यरत 2/3 सेक्शन आफिसरों के तबादले के आदेश गत 19 सितम्बर, 1972 को जारी किये जाने के बावजूद किसी भी सेक्शन आफिसर का तबादला अभी तक कार्यान्वित नहीं हो पा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

जी नहीं। इन सेक्शन आफिसर्स के तबादले कुछ संशोधनों के साथ, जो कार्य के हित में आवश्यक समझे गये, कार्यान्वित किये जा चुके हैं।

*72--श्री राम प्रसाद--

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

*73—श्री भगेलू सिंह—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

डा० देवेन्द्रदत्त तिवारी, उप निदेशक, प्रशिक्षण, इलाहाबाद पर जाली-पत्र लिखने का आरोप

*74—श्री विश्वनाथ कपूर—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा० देवेन्द्रदत्त तिवारी, उप निदेशक, प्रशिक्षण, इलाहाबाद, ने मई 1971 में एक, और अप्रैल, 1972 में दो पत्र शिक्षा मंत्री एवं शिक्षा सचिव को मुख्य मंत्री की ओर से लिख कर उनके जाली हस्ताक्षर बना दिये और क्या उन पत्रों के प्रभाव से उनके विरुद्ध चलने वाली विजिलेन्स की जांच रुक गई ? क्या मुख्य मंत्री जी ने स्वयं इन जाली पत्रों को देखा है ? यदि हां, तो उक्त अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता है। प्रश्न नहीं उठता है।

*75—श्री विश्वनाथ कपूर—

[3रे बृहस्पतिवार के लिए प्रश्न संख्या 73 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*76—श्री जगबीर सिंह—

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त]

बांसगांव, कौड़ीराम तथा बिशुनपुरा (गोरखपुर) के कालेजों में अध्यापकों की नियुक्ति

*77—श्रीमती मसाली देवी (जिला गोरखपुर)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले में स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू इन्टर कालेज, बांसगांव, सर्वोदय इन्टर कालेज, कौड़ीराम, स्वावलम्बी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय विशुनपुरा में कितने ऐसे अध्यापक नियुक्त हैं जो प्रबन्ध समिति के सदस्यों के पुत्र एवं प्रधानाचार्य के रिश्तेदार हैं ? उन अध्यापकों के नाम क्या हैं ? वह कब से विद्यालय की सेवा में हैं तथा उनका वेतनमान क्या है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

अपेक्षित विद्यालयों में से पंडित जवाहरलाल नेहरू इन्टर कालेज बांसगांव तथा स्वावलम्बी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, विशुनपुरा में कोई ऐसा अध्यापक नहीं है जो प्रबन्ध समिति के सदस्यों का पुत्र अथवा प्रधानाचार्य का रिश्तेदार है।

सर्वोदय किसान इन्टर कालेज कौड़ीराम के सम्बन्ध में जांच की जा रही है।

बिजनौर जिले के आग्नेय अस्त्रों के लाइसेंसदार

*78—कुंवर शिव महेन्द्र सिंह (जिला बिजनौर)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बिजनौर जिले के विभिन्न थाना के क्षेत्रों में आग्नेय अस्त्रों के ऐसे कितने लाइसेंसदार हैं जिनके नाम पुलिस के रजिस्टरों में संदिग्ध होने की दृष्टि से दर्ज ह ? यदि हां, तो थानेवार उनकी संख्या कितनी है और क्या सरकार इस विषय में कोई कार्यवाही कर रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

बिजनौर जिले के विभिन्न थानों के क्षेत्रों में आग्नेयास्त्रों के ऐसे लाइसेंसदारों की संख्या जिनके नाम पुलिस रजिस्टर में संदिग्ध होने की दृष्टि से दर्ज हैं 16 हैं जिनकी थानेवार संख्या संलग्न सूची के अनुसार है। इनमें से 7 के लाइसेंस रद्द किए जा चुके हैं। एक का लाइसेंस आरोप प्रमाणित न होने के कारण बहाल कर दिया गया है। शेष 8 में से 6 के संबंध में कार्यवाही की जा रही है तथा 2 के संबंध में पुलिस जांच रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 395 पर)

जिला परिषदों के स्कूलों के निर्माणार्थ दी गयी धनराशि सम्बन्धी आदेश

*7 —श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के जिलों में स्कूलों के निर्माण हेतु प्रत्येक जिला परिषदों को जो धनराशि 1971–72 तथा 1972–73 में दी गयी है समय से उनके निर्माण कराने के लिये परिषदों को क्या सुझाव या आदेश शासन द्वारा दिये गये हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

1971–72 तक समस्त प्राइमरी तथा जूनियर हाई स्कूलों के निर्माण हेतु जो अनुदान जिला परिषदों को दिया जाता था उसके उपभोग की अवधि एक साल निर्धारित की जाती थी। इन भवनों का निर्माण भी जिला परिषदें स्वयं ही करवाती थीं। किन्तु कुछ कठिनाइयों के कारण, जिला परिषदें उनको समय से निर्माण कराने में असमर्थ रहती थीं। अतः 1971–72 में केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रुड़की से सम्पर्क स्थापित करने के पश्चात यह निर्णय लिया गया कि वे बारह स्कूलों के भवन नमूने के तौर पर बनाये जायं। इन स्कूलों का निर्माण-कार्य-कम खर्चीला तथा कम समय में पूरा हो सका। यह देखकर इस वर्ष (1972–73) यह निर्णय लिया गया है कि प्राइमरी स्कूलों के सभी भवन उपरोक्त संस्थान के माध्यम से बनवाये जायं। तदनुसार जनवरी, 1973 के मध्य तक 500 स्कूल भवनों के निर्माण हो जाने की आशा है।

उद्योग लगाने हेतु दस साला योजना

*80—श्री मोहम्मद असरार अहमद—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उसके विचाराधीन प्रदेश में बड़े-बड़े उद्योग लगाने की दस-साला योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसकी रूप-रेखा क्या है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जी नहीं।

अतारांकित प्रश्न

जिला परिषद्, इलाहाबाद में अध्यापकों की नियुक्ति

1—श्री रामगोपाल सण्ड—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इलाहाबाद जिला परिषद् में कुल कितने अध्यापक दिनांक 1 अप्रैल, 1971 से 31 मार्च, 1972 में नियुक्त हुए और उनमें कितने हरिजन लिये गये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

856 अध्यापक/अध्यापिकायें नियुक्त हुईं, जिनमें से 167 हरिजन अध्यापक/अध्यापिकायें ली गईं।

राजकीय महिला प्रशिक्षण केन्द्र, वृन्दावन (मथुरा) तथा बरेली

2—श्री सिया राम—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रधानाचार्य, राजकीय महिला सेवारत प्रशिक्षण केन्द्र, वृन्दावन ने कितना रुपया सुरक्षा कोष में महिला अध्यापिकाओं से लिया ? क्या महिला अध्यापिकाओं से लिये हुए धन की रसीद दी गई ? इसी प्रशिक्षण केन्द्र के महिला अध्यापिकाओं द्वारा कितने स्वेटर फौजी जवानों के लिये प्रशिक्षण केन्द्र में लिये गये और कितना रुपया महिला अध्यापिकाओं से इस मद में लिया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

महिला अध्यापिकाओं से रु0 72.55 पै0 प्राप्त हुए। क्योंकि यह धनराशि केन्द्र की महिला अध्यापिकाओं ने स्वयं ही एकत्रित की थी, अतः रसीद देने का प्रश्न नहीं उठा।

फौजी जवानों के लिये 45 स्वेटर दिये गये। इस केन्द्र की महिला अध्यापिकाओं से इस मद में कोई धनराशि नहीं ली गई।

3—श्री सिया राम—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राजकीय महिला प्रशिक्षण केन्द्र, वृन्दावन तथा बरेली कब से चल रहे हैं और कितनी अध्यापिकायें इस प्रशिक्षण केन्द्रों से अब तक पास हुईं और कितने प्रतिशत परीक्षाफल रहा है ? इन अध्यापिकाओं को प्रशिक्षण देने से सरकार का कितना रुपया व्यय हुआ ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

राजकीय महिला प्रशिक्षण केन्द्र, वृन्दावन तथा बरेली 1965-66 से चल रहे हैं और अब तक 531 अध्यापिकायें पास हुई जो लगभग 35 प्रतिशत आता है।

प्रशिक्षण देने में कुल रु0 9,02,963 व्यय हुआ।

ग्राम सभाओं के चुनाओं में गोली तथा लाठी का प्रयोग

4—श्री हुकुम सिंह परिहार तथा श्री राम सिंह (जिला सहारनपुर)—

क्या सरकार को मालूम है कि गत माह में होने वाले ग्राम सभाओं के चुनावों में अनेक जगहों पर गोली तथी लाठी का खुल कर उपयोग हुआ है ? यदि हां, तो इसमें अब तक कितने लोग जान से मारे गये तथा कितने घायल हुए ? जिलेवार मृतकों की संख्या क्या है और इस सम्बन्ध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम सभाओं के गत चुनावों में प्रदेश के 28 जिलों में ऐसी घटनायें हुईं जिनमें लाठी तथा बन्दूक का प्रयोग हुआ। इन घटनाओं में 10 व्यक्ति जान से मारे गये तथा 286 व्यक्ति घायल हुए। जिलेवार मृतकों की संख्या संलग्न सूची में दी हुई है जिन घटनाओं में लोग जान से मारे गये उनके सम्बन्ध में कुल 101 अभियुक्त गिरफ्तार किये गये।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 396 पर)

सचिवालय के टाइपिस्टों की ज्येष्ठता सूची

5—श्री सियाराम—

अतारांकित प्रश्न संख्या 20 नत्थी 'ग' दिनांक 3 अगस्त, 1972 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि उत्तर प्रदेश सचिवालय में 244 टाइपिस्टों की ज्येष्ठतानुसार सूची प्रस्तुत की गई है उसमें अनुसूचित जाति व जनजाति का प्रतिशत क्या है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

कथित 244 टंककों में अनुसूचित जाति का प्रतिशत 1.6 है। जन जाति का कोई टंकक नहीं है।

निजामाबाद क्षेत्र (आजमगढ़) में पड़ी डकैतियां

6—श्री राम बचन यादव—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद आजमगढ़ के निजामाबाद क्षेत्र में वर्ष 1971–72 में कुल कितनी डकैतियां पड़ीं तथी उनमें कुल कितने डकैत पकड़े गये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद आजमगढ़ के निजामाबाद क्षेत्र में 1 अप्रैल, 71 से 31 मार्च, 72 तक की अवधि में कुल 16 डकैतियां पड़ने की रिपोर्ट पुलिस को प्राप्त हुई जिनके सम्बन्ध में कुल 96 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये।

तहसील मुसाफिरखाना (सुल्तानपुर) में आग्नेय अस्त्रों की प्राप्ति हेतु आवेदन-पत्र

7—श्री नेतराम सिंह—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सुल्तानपुर जिले की मुसाफिरखाना तहसील (थाना जगदीशपुर और मुसाफिरखाना) में सितम्बर, 1970 से पांच सितम्बर, 1972 तक पिस्तौल, रिवाल्वर तथा बन्दूकों के क्रमशः लाइसेंन्स प्राप्त करनं के लिये कितने आवेदन-पत्र प्रत्येक वर्षों में अलग-अलग प्राप्त हुए उनमें से किन-किन व्यक्तियों को लाइसेन्स दिये गये ? जिनको नहीं दिये गये उसके क्या कारण थे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

जिला सुल्तानपुर की तहसील मुसाफिरखाना तथा जगदीशपुर में सितम्बर, 1970 से 5 सितम्बर, 1972 तक जिन व्यक्तियों से पिस्तौल, रिवाल्वर तथा बन्दूकों के लिये प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए उनके नाम संलग्न तालिका के पद संख्या 2 पर अंकित है। उनमें से जिनको लाइसेन्स दिये गये या अस्वीकार किये गये उसकी सूचना तथा अस्वीकृति का कारण संलग्न तालिका† में अंकित है।

जिलाधिकारी, सुल्तानपुर द्वारा मुकदमों की सुनवाई

8—श्री नेतराम सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सुल्तानपुर जनपद के वर्तमान जिलाधिकारी महोदय ने कार्य भार ग्रहण करने की तिथि से दिनांक 29 अगस्त, 1972 तक विभिन्न प्रकार के कितने केसों (मुकदमों) की सुनवाई की और कितने केसों का निर्णय सुनाया, ऐसे कितने केस थे अथवा है जिनके निर्णय में 6 मास से अधिक समय लगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

सुल्तानपुर जनपद के वर्तमान जिलाधिकारी ने कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 28 जून, 1972 से 29 अगस्त, 1972 तक विभिन्न प्रकार के 115 मुकदमों की सुनवाई की व 32 मुकदमों में निर्णय सुनाया 16 मास से अधिक पुराने एक मुकदमें में निर्णय सुनाया गया और 2 ऐसे मुकदमें 29 अगस्त, 1972 को अनिस्तारित थे।

---

†छापी नहीं गई।

9--श्री शिवानन्द नौटियाल--

[1हले सोमवार के अतांरांकित प्रश्न संख्या 7 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

वृद्धावस्था पेंशन

10--श्री शिवानन्द नौटियाल--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पिछले तीन वर्षों में कितने लोगों को वृद्धावस्था पेन्शन दी गई है और गढ़वाल जिले में कुल कितने आवेदन-पत्र कब आये और कब उन्हें पेन्शन स्वीकार की गई ?

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

वर्ष 1969, 1970 व 1971 में कुल 6,095 व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेन्शन स्वीकृत की गयी है ।

गढ़वाल जिले में पिछले तीन वर्षों में से वर्ष 1969 में केवल 3 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे उन तीनों पर उसी वर्ष पेन्शन स्वीकृत की गयी । वर्ष 1970 व 1971 में कोई भी आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ ।

पौड़ी-गढ़वाल में उद्योगों को लगाने हेतु सर्वेक्षण

11--श्री शिवानन्द नौटियाल--

क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि जिला पौड़ी गढ़वाल में किन-किन बड़े, मध्यम तथा छोटे उद्योगों को लगाने का सर्वेक्षण किया गया है तथा उनके कब तक लग जाने की आशा है ?

डाक्टर रामजी लाल सहायक--

नेशनल इन्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0, नई दिल्ली के माध्यम से एक औद्योगिक सर्वेक्षण जनपद, पौड़ी गढ़वाल का कराया गया था । सितम्बर/अक्टूबर 1969, में प्रकाशित सर्वेक्षण रिपोर्ट में उक्त जनपद में निम्नलिखित उद्योगों के स्थापित होने की संभावना बताई गई थी:

1--टेनरी फ्राम हाइड्स एण्ड स्किन्स ।
2--सा मिल ।
3--ग्रे कार्ड बोर्ड ।
4--रोजिन एण्ड टरपेन्टाइन ।
5--आटोमोबाइल रिपेयर्स ।
6--जाबिंग वर्कशाप फार एग्रीकल्चरल इम्पलीमेन्ट्स ।
7--ग्लू फ्राम टेनरी वेस्ट ।

सरकार स्वयं किसी उद्योग की स्थापना नहीं करती है वरन् उनके स्थापना हेतु उद्यमकर्ताओं को प्रोत्साहन एवं विभिन्न सहायता उपलब्ध कराती है । उद्योगों की स्थापना उद्यमकर्ताओं की स्वेच्छा पर निर्भर करता है और यह नहीं कहा जा सकता है कि सर्वेक्षण रिपोर्ट में उल्लिखित उद्योगों की स्थापना कब तक हो सकेगी ।

पर्वतीय अंचल के लिए जिलों में उद्योगों की स्थापना

12--श्री गोविन्द सिंह नेगी--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार पर्वतीय अंचल के जिलों में किन-किन उद्योगों को लगाने पर विचार कर रही है ? उनमें से कौन से सार्वजनिक क्षेत्र में, कौन-से निजी क्षेत्र में तथा कौन से संयुक्त क्षेत्र में लगाये जायेंगे ?

श्री यादवेन्द्र सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

13--श्री रियासत हूसैन--

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त]

इलाहाबाद जिले के स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों से सम्बन्धित विद्यार्थियों की छात्रवृत्तियां

14--श्री सर्वसुख सिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि 1971-72 में इलाहाबाद जनपद के अन्तर्गत किन-किन स्वतन्त्रता संग्राम के सैनिकों से सम्बन्धित छात्रों तथा छात्राओं को कितनी-कितनी छात्रवृत्तियां अथवा अन्य प्रकार की आर्थिक सहायता दी गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

स्वतन्त्रता संग्राम के इतिहास का प्रकाशन

15--श्री सर्वसुख सिंह--

क्या राज्य सरकार ने स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास प्रकाशित कराया है । यदि हा, तो कब और किस माध्यम से और कितने भागों में ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--

जी हां। 1857 से 1859 तक की अवधि का 'स्वतंत्रता संग्राम, उत्तर प्रदेश' छः भागों में शासन द्वारा 1957 से 1961 के मध्य प्रकाशित किया गया है । इन प्रकाशनों में स्वतंत्रता संग्राम के प्रामाणिक इतिहास लेखन के लिये स्रोत सामग्री तथा सूचना उपलब्ध है ।

खंडसारी इन्सपेक्टरों की नियुक्तियां

16--श्री शम्भूनाथ चौधरी, श्री सच्चिदानन्द (जिला लखनऊ) तथा श्री त्रिलोक चन्द (जिला बुलन्दशहर)--

क्या सरकार ने वर्ष 1972 में कुछ खंडसारी इन्सपेक्टरों की नई नियुक्तियां की हैं ? यदि हां, तो कितनी, किस आधार पर और इन नियुक्तियों के लिए लिखित या मौखिक परीक्षा तथा साक्षात्कार कब और कहां सम्पन्न हुआ है ।

श्री कमलापति त्रिपाठी--

खंडसारी निरीक्षकों का पद लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र में है जिसकी संस्तुति पर चीनी आयुक्त जो उक्त पद के नियुक्त अधिकारी है, नियमित नियुक्तियां करते हैं । आयोग द्वारा नियमित चयन होने तक कार्य के हित में चीनी आयुक्त ने वर्ष 1972 में 31 अक्टूबर, 1972 तक विभागीय कर्मचारियों में से चीनी विभाग के स्नातक एवं गन्ना विभाग के विधि स्नातक तथा अनुसूचित जाति के कर्मचारियों में से उनके सेवाकाल व उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए 23 व्यक्तियों की तदर्थ रूप से नियुक्ति की है। उपरोक्त आधार पर नियुक्ति किये जाने के कारण परीक्षा इत्यादि का प्रश्न नहीं उठता ।

खेतान चीनी मिल, रामकोला (देवरिया) के ऊपर बकाया

17—श्री बांकेलाल (जिला देवरिया) तथा श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि खेतान चीनी मिल रामकोला, जिला देवरिया में जब से रिसीवर, नियुक्त हुआ उस समय गन्ने के दाम तथा सरकारी टैक्स का कितना बकाया उक्त मिल पर था और दिनांक 31 अगस्त, 1972 को उक्त मद में बकाये की धनराशि क्या है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

सर्वश्री महेश्वरी खेतान शुगर मिल्स, रामकोला (जिला देवरिया) में रिसीवर की नियुक्ति दिनांक 4 मार्च, 1970 को हुई । रिसीवर की नियुक्ति से बिल्कुल पहले और दिनांक 31 अगस्त, 1972 को निम्नलिखित गन्ने के दाम और सरकारी टैक्स (गन्ना उपकर तथा क्रय-कर) उक्त मिल पर बकाया था ।

(लाख रु० में)

	दिनांक 28-2-70 को	दिनांक 31-8-72 को
गन्ना मूल्य	21.51	17.16
गन्ना उपकर/क्रय-कर	40.08	46.89

सचिवालय में टाइपिस्टों के पद

18—श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश सिविल सचिवालय, लखनऊ में इस समय अलग-अलग परमानेंट तथा टेम्पोरेरी इस्टैबलिशमेंट में क्रमशः टाइपिस्टों के कितने पद हैं तथा टेम्पोरेरी इसटेब्लिशमेंट में ये पद कब से चल रहे हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

उत्तर प्रदेश सचिवालय में इस समय स्थायी व अस्थायी अधिष्ठान में टंककों के क्रमशः 190 व 73 पद हैं । अस्थायी पदों में से 10 पदों को 1-4-72 से स्थायी पदों में परिवर्तित करते हुए शासनादेश जारी किये जाने हैं । 1-3-72 को उक्त अस्थायी पदों में से 9 पद तीन वर्ष से अधिक अवधि के, 5 पद 2 से 3 वर्ष के बीच अवधि के, 13 पद 1 से 2 वर्ष की बीच की अवधि के तथा 14 पद 1 वर्ष से कम की अवधि के थे और 32 पद ऐसे हैं जो 1-3-72 के बाद सृजित हुये ।

पर्वतीय विकास निगम द्वारा योजनाओं का क्रियान्वयन

19—श्री गोविन्द सिंह नेगी—

क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय विकास निगम ने 31 जुलाई, 1972 तक कौन कौन सी योजनायें क्रियान्वित की ? उन पर कितना व्यय हुआ और कितनी आय प्राप्त हुई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

उत्तर प्रदेश पर्वतीय विकास निगम लि० ने दिनांक 31 जुलाई, 1972 तक निम्नलिखित दो योजनाओं को कार्यान्वित किया :

1—ऋषिकेश से बद्रीनाथ-केदारनाथ के लिये पैकेज टूर की व्यवस्था ।

2—फल विपणन की योजना ।

पैकेज दूर योजना में दिनांक 31 जुलाई, 1972 तक 78,732 रु० व्यय हुआ और 1,25,311 रु० की आय हुई अर्थात् 46,579 रु० का लाभ हुआ ।

फलविपणन योजना में रु० 85,257.29 पै० सेव खरीदने में व्यय हुआ तथा रु० 3,316.14 पैसे की बिक्री हुई । तथापि पूरा लेखा जोखा उपलब्ध न होने से कुल आय बताना संभव नहीं है।

पुलिस अधीक्षक, शाहजहांपुर के टेलीफोन का बिल

20—श्री राम बिलास पांडेय (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्तमान पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर के टेलीफोन का कितना रुपया सरकारी काल का तथा कितना निजी काल का दिनांक 1 जनवरी, 1972 से 13 सितम्बर, 1972 तक वाजिब हुआ और कितना दाखिल किया गया ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—

दिनांक 1 जनवरी, 1972 से 13 सितम्बर, 1972 तक डाक व तार विभाग से प्राप्त टेलीफोन बिल के अनुसार 852 रु० सरकारी काल का वाजिब हुआ जिसमें से रु० 825.50 पै० जमा कर दिये गये हैं तथा शेष रु० 26.50 पै० के बिल का भुगतान जांच के उपरान्त किया जायेगा।

पुलिस अधीक्षक, शाहजहांपुर के निजी काल पर रु० 7.50 पै० का बिल हुआ जिसे निजी रूप से जमा कर दिया गया है ।

इसके अतिरिक्त रु० 11.50 पै० का बिल अन्य कर्मचारियों के निजी काल पर हुआ है जिसे उन कर्मचारियों ने जमा कर दिया है।

भूतपूर्व विधान सभा सदस्य, स्वामी विश्वेश्वरानन्द के निधन पर शोकोद्गार

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

अध्यक्ष महोदय, आज पुनः दुर्भाग्य से मुझे शोक सूचना देनी पड़ रही है । इस सदन के भूतपूर्व सदस्य स्वामी विश्वेश्वरानन्द जी अब इस दुनिया में नहीं रहे और उनका निधन 9 सितम्बर, 1972 को सरोजनी नायडू अस्पताल, आगरा में हो गया । बहुत दिनों से वे संग्रहणी से पीड़ित थे। वे सन् 1957 से 62 तक इस सदन के सदस्य थे और प्रजा समाजवादी दल का प्रतिनिधित्व करते थे । वे बड़े ही प्रगतिशील विचारों के थे और सदा जन-कल्याण-कारी कार्यों में लगे रहते थे । वे विरक्त थे और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे । वे योगी और बड़े ही सात्विक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे । विचारक थे तथा उन्होंने अपने जीवन को जन-समाज की सेवा में लगाया था । उनका निधन हम सब के लिये दुख का विषय है क्योंकि ऐसे विरक्त और समाज-सेवी व्यक्ति जिन्होंने संसार को छोड़ कर आध्यात्मिक जन-जीवन और जन-कल्याण में अपना सारा जीवन लगाया उनके न रहने से हम सभी को भारी दुख है । ऐसे जन-सेवी और देश सेवी व्यक्ति के निधन से हम सबको बहुत दुख है जिसका होना स्वाभाविक ही है। हम उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। आपसे भी निवेदन है कि वे सन्यासी थे और यदि उनके कोई परिवार के लोग हों तो वहां तक हम सब की संवेदना पहुंचाने का कष्ट करें ।

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता सदन ने स्वर्गीय स्वामी विश्वेश्वरानन्द जी के विषय में जो अपनी भावनायें व्यक्त की हैं उनसे हम अपने दल को और अपने को सम्बद्ध करते हैं ।

स्वामी जी आगरा जिले के रहने वाले थे। वे सन् 57 से 62 तक इस माननीय सदन के सदस्य रहे। राजनीतिक कार्यों में भी वे बड़ी दिलचस्पी रखते थे और निःस्वार्थ भाव से वे जन-कल्याणकारी कार्यों में सदा लगे रहते थे। वे अच्छे विचारक थे, अच्छे योगी थे और आध्यात्मिक उनकी प्रवृत्ति थी। अन्त में वे काफी दिनों से बीमार रहे और उनका स्वर्ग-वास 9 सितम्बर, 1972 को हो गया। ऐसे पुरुषों का उठ जाना सभी के लिये दुःखद है और इससे एक बहुत बड़ी क्षति होती है। हम सब लोग उनके आज संसार में न रहने से बहुत दुखी हैं।

मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि उनकी दिवंगत आत्मा को शांति मिले और आपसे प्रार्थना करूंगा कि यदि उनके परिवार में कोई हों या उनसे संबंधित व्यक्ति हों तो उनके पास हमारी संवेदना भेज दी जाय।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

माननीय स्व० स्वामी विश्वेश्वरानन्द के बारे में जो हमारे माननीय नेता सदन ने भावनायें व्यक्त की हैं और जो वर्मा जी ने व्यक्त की है उनसे मैं अपने को और अपने दल को संबद्ध करता हूं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरी और मेरे दल की ओर से इन भावनाओं को उस संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करेंगे।

श्री अध्यक्ष---

स्वामी जी का परिवार मालूम है आपको? आपको ज्ञान है?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

"परिवार" का वही बड़ा संकीर्ण अर्थ है "बेटा-बेटी"।

*श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)---

अध्यक्ष महोदय, जो भावनायें माननीय नेता सदन और अन्य माननीय नेताओं ने व्यक्त की हैं। मैं उनसे अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। स्वामी जी के बारे में नेता सदन की और सबको अच्छी तरह से मालूम है कि उनके कार्यों के सिलसिले में चाहे वह राजनीतिक रहा हो या धार्मिक रहा हो, लेकिन वह एक बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। उनके उठ जाने से हम सभी को महान कष्ट है, श्रीमन्। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि वह उनकी दिवंगत आत्मा को शांति दे और श्रीमन्, आपसे निवेदन करूंगा कि यदि उनके कोई सगे संबंधी लोग हों जिनको कष्ट हो, तो उन तक हमारी संवेदनाएं भिजवाने का कष्ट करेंगे।

श्री अध्यक्ष---

यह तो पता नहीं लग रहा कि कोई परिवार में है या नहीं?

श्री कल्पनाथ सिंह---

मैं फिर से उनकी दिवंगत आत्मा के लिय ईश्वर से प्रार्थना करता हूं।

*श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)---

दिवंगत आत्मा के प्रति माननीय नेता सदन और अन्य माननीय नेताओं ने जो विचार प्रकट किये उनसे म अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर, स्वामी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जी आध्यात्मिक विचारों के तो थे ही, वह प्रगितशील विचारों के भी थे। और 1957 में प्रजा समाजवादी टिकट के ऊपर चुने गये और 5 वर्ष तक इस विधान सभा के सदस्य रहे। वे आदरणीय एक समाज सेवी थे और ऐसे समाज-सेवी के उठ जाने में हममें से प्रत्येक को महान दुख है। हम अपनी ओर से और अपने दल की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और आप से अनुरोध करते हैं कि यदि कोई उनके परिवार का या संबंधी हो तो उन तक हमारी भावनाओं को पहुंचाने की कृपा करें।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)---

माननीय स्व0 स्वामी जी के बारे में जो विचार नेता सदन और अन्य दलों के नेताओं ने व्यक्त किये है मैं उनसे अपने को और अपने दल को संबद्ध करता हूं। इसमें संदेह नहीं कि स्वामी जी दुनियादारी से दूर थे लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने समाज के दलित वर्ग के लिये हमेशा संघर्ष किया है। उनके रूप में हमारे जो कमजोर तबके है जनता के उनका अच्छा नेतृत्व रहा। मेरा भी निवेदन है कि यदि उनके कोई संबंधी हों तो हमारी सहानुभूति भी उन तक पहुंचाने की कृपा करें।

*श्री हुकुम सिंह परिहार (जिला आगरा)---

माननीय स्वामी विश्वेश्वरानन्द के निधन से आगरा जिले का एक ऐसा कर्मठ कार्यकर्त्ता और नेता उठ गया जिसकी अपने पूरे क्षेत्र ही नहीं बल्कि जिले में बहुत बड़ी ख्याति थी। इतना ही नहीं बल्कि स्वामी जी ने 1954 के आबपाशी आन्दोलन में, जिसके कारण पूरे प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश भर में इतना बड़ा आन्दोलन हुआ उसमें सक्रिय भाग लिया। वह गरीबों के मसीहा था और 24 घंटे के कार्यकर्त्ता थे। इतना ही नहीं, वह महान समाजवादी विचारक थे। आगरा जिले में उनके निष्पृह कार्य से हजारों गरीबों को मदद पहुंची और समाजवादी संगठन बनने में बड़ी मदद मिली। उनके निधन से एक महान् समाजवादी विचारक उठ गया है। मैं अपने और अपने दल की ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं इतना और बताना चाहता हूं कि वह अलीगढ़ जिले के रहने वाले थे और आगरा से चुने गये थे अलीगढ़ जिले में उनके भाई भी हैं और उनके परिवार के और लोग भी हैं। उनको आप हमारी श्रद्धांजलि भेजने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष---

माननीय नेता सदन और विरोधी दल के अन्य नेताओं ने जो स्वामी विश्वेश्वरानन्द के निधन पर अपनी भावनायें व्यक्त की हैं और दुख प्रकट किया है उनसे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं। उनके बहुत कार्य हुये हैं और गरीबों के लिये वह हमेशा कार्य करते रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति के उठ जाने से समाज की बड़ी भारी हानि हुयी है। इसकी पूर्ति करना बड़ा कठिन है। ऐसे व्यक्ति के निधन पर सबको दुख होना स्वाभाविक है। मैं फिर से सब के साथ संवेदना प्रकट करता हूं और उनके परिवार को, जो अभी माननीय हुकुम सिंह जी ने बताया इस बात की जानकारी दे दूंगा कि सदन ने उनके निधन पर पर किस प्रकार शोकोद्गार किया है। अब हम उठें और एक मिनट के लिये उनकी आत्मा की शांति के लिये प्रार्थना करें।

(सभी सदस्य 1 मिनट के लिये अपने-अपने स्थान पर खड़े हुये।)

खाद्य तथा रसद राज्य मन्त्री, श्री यादवेन्द्र सिंह के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष---

अब एक विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न श्री बंशीधर पांडेय और श्री कल्पनाथ सिंह जी ने कहा था कि हम उठायेंगे और वह इस विषय पर था कि एक अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अध्यक्ष]

संख्या 13 के प्रश्नोत्तर के समय खाद्य राज्य मंत्री ने अपने उत्तर में कहा कि केन्द्रीय सरकार सब्सीडाइज्ड रेट पर देश में 2 रु० 15 पै० किलो के आधार पर चीनी बिकवा रही है। किन्तु जब यह पूछा गया कि प्रदेशीय सरकार के पास कोई ऐसा पत्र है केन्द्रीय सरकार का ? यदि हां, तो क्या उसे पढ़ कर सुनाने की कृपा करेंगे ? तो उत्तर दिया गया कि "वह पत्र इस समय मेरे पास नहीं है।" अतः यह स्पष्ट हो गया कि तथ्य और सूचना सरकार के पास नहीं है। यह उत्तर दिया गया अतः प्रक्रिया नियमावली के नियम 63 के अनुसार उन्होंने विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न दिया है। लेकिन उसके बाद ही खाद्य मंत्री जी ने मेरे पास यह पत्रावली भेजी। उसमें जो गवर्नमेंट आफ इंडिया का पत्र आया था वह अंग्रेजी में है। चूंकि वह बहुत लम्बा पत्र है इसका ट्रांसलशन करा के माननीय सदस्य को दे दूंगा। और चूंकि यह पत्र आया हुआ है और उन्होंने तथ्य को छिपाया नहीं बल्कि सही तथ्य बताया और वह पत्र कल उनके पास मौजूद नहीं था यह बात सही है ऐसी सूरत में विशेषाधिकार का इसमें प्रश्न नहीं उठता। लेकिन इस पत्र का हिन्दी अनुवाद करके माननीय सदस्य को अवश्य दे दिया जायेगा।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

आप उस पर चर्चा तो करवा दीजिये। विशेषाधिकार का प्रश्न आपने खत्म कर दिया, लेकिन इस पर कई अनपूरक प्रश्न पैदा होंगे। इसलिये इस पर चर्चा का अवसर दे दीजिये।

श्री अध्यक्ष—

पहले आप उसे देख तो लें। उसके बाद अगर जरूरत हो तो आप उसके लिये अलग से लिखें।

(अगला आइटम पुकारे जाने पर)

स्वामी विश्वेश्वरानन्द के निधन की सूचना विलम्ब से प्राप्त होने के बारे में जानकारी

श्री हुकुम सिंह परिहार (जिला आगरा)—

श्रीमन्, अभी जो स्वामी जी के निधन पर हमने अपनी भावनायें व्यक्त की थीं, मैं यह जानना चाहता हूं कि उनके निधन की सूचना माननीय मुख्य मंत्री जी के पास पहले क्यों नहीं आयी। उनका निधन तो दो माह पूर्व हो गया था।

श्री अध्यक्ष—

डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने कल ही उसकी सूचना भेजी थी।

प्रश्नों के संबंध में जानकारी की मांग

श्री सूबेदार प्रसाद (जिला मिर्जापुर)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आज के ऐजेन्डे में मेरा प्रश्न 16 वें नम्बर पर है। यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न था, इसे अल्पसूचित न रख कर तारांकित कर दिया गया। इसे अल्पसूचित कर दीजिये।

श्री अध्यक्ष—

आप लिख कर भेजें। उसका उत्तर तो आपको मिल गया होगा।

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) विधेयक, 1972 को वापस लेने का प्रस्ताव

राजस्व मंत्री (श्री उदित नारायण शर्मा)—

आपकी अनुमति से मैं यह प्रस्ताव रखता हूं कि उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) विधेयक, 1972, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा में दिनांक 9 मई, 1972 को पुरः-स्थापित किया गया था, को वापस लेने की अनुमति दी जाय। मान्यवर, इस विधेयक के स्थान पर हम एक नया विधेयक ला रहे हैं और उसमें कई नयी धाराओं को रखा गया है तथा जो दिक्कतें खंडों आदि के संबंध में पहले वाले विधेयक में थी उनको दूर किया गया है। पुराने विधेयक के बारे में यह भी आपत्ति थी कि उसके साथ-साथ उनको पुराने विधेयक की धाराओं को भी देखना पड़ेगा। अब इसको साधारणजन भी आसानी से समझ सकेगा। इसको अधिक सरल बना दिया गया है। मेरा निवेदन है कि सम्मानित सदन इसे वापस लेने की अनुमति प्रदान करेगा।

श्री अध्यक्ष—

मैं बता दूं, नियम 171 के अनुसार इसके ऊपर यदि कोई विरोध होता है तो उसकी जो चर्चा होती हं, तो वह थोड़े समय के लिये होगी, उसमें अधिक समय नहीं दिया जायगा।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, मुझे जानकारी है, मैं अधिक समय नहीं लूंगा, क्योंकि कई अन्य महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिये अभी आने हैं। इस विषय में मैं केवल दो शब्द कहना चाहूंगा कि यह बात ठीक है, इस बिल को वह वापस लेने जा रहे हैं और दूसरा बिल ला रहे हैं। इस प्रकार से एक बार कोई चीज लाई जाय, और फिर इतनी जल्दी वापस ली जाय, यह शोचनीय विषय है। जिस सरकार के सारे ढांचे में ऐसी अनिश्चितता व्याप्त हो, उससे जनता के किसी कल्याण की आशा नहीं की जा सकती है। 1961 में सीमाबन्दी कानून आप लाये, उसके बाद दूसरा संशोधन विधेयक लाये, किन्तु वह भी उद्देश्य को पूरा नहीं करता था, उसमें वह चीज नहीं आ पाई तो फिर आवश्यकता पड़ी कि उसे वापस लें लें और फिर दूसरा नया लायें।

(इस समय 12 बज कर 21 मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री वासुदेव पीठासीन हुए।)

यह सब करने में इन्होंने कदापि चिन्ता नहीं कि, इस तरह से कितना विधायकों का समय नष्ट होता है, कितना अधिकारियों का समय नष्ट होता है और कितनी पब्लिक मनी की क्षति होती है। यह सब इसी कारण होता है कि आपका मस्तिष्क साफ नहीं है। मेरा निवेदन है कि यह काफी सोच विचार कर नहीं बनाये जाते। जब से इनका राज्य हुआ है, यह वही ऐक्ट बार-बार संशोधन करते हैं। यह सीलिंग्स ऐक्ट इनके मस्तिष्क की अस्थिरता और अनिश्चितता का प्रमुख उदाहरण है।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

यह जो विधेयक आज पेश किया जा रहा है और इसके पूर्व का जो विधेयक है, उसमें एक बड़ी असंगति जान पड़ती है। जो संशोधन इसमें किया गया है, उसमें बड़ी भिन्नता मालूम पड़ती

(इस समय १२ बज कर २२ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

है। जो आज पेश किया जा रहा है, उसके खण्ड 8 में जो 24 फरवरी, 70 से प्रतिबन्ध लगाया गया था, वह इसमें जनवरी, 1971 से कर दिया गया है। एक साल का इन्होंने समय छोड़ दिया है।

श्री अध्यक्ष—

अभी आज तो कोई पेश नहीं किया गया ।

श्री वंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

कार्यमंत्रणा समिति में यह पास हुआ था कि संशोधन विधेयक जब आएगा तो वह हम लोगों को पहले मिल जाएगा और तब हम तय कर लेंगे ।

श्री रामकरन सिंह (जिला गोरखपुर)—

मेरा एक प्वाइन्ट आफ आर्डर है ।

श्री अध्यक्ष—

यह अभी कहां से आ गया ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

यह जो विधेयक लाया जा रहा है, इस बारे में माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट आश्वासन दिया था कि जो यह विधेयक लाया जा रहा है, तो अरबन और रूरल दोनों के साथ-साथ लाये जायंगे, किन्तु मंत्री जी इस समय केवल एक ला रहे हैं । तो मैं यह जानना चाहता हूं क्या सरकार ने अरबन सीलिंग का विचार छोड़ दिया है ? नहीं छोड़ा है तो क्या कारण है वह इसके साथ नहीं आ रहा है ?

श्री उदितनारायण शर्मा—

मैंने अरबन सीलिंग ऐक्ट लाने का इरादा कदापि नहीं छोड़ा है । जहां तक मुझे सूचना है, कार्यमंत्रणा समिति में इसका जिक्र हो चुका है कि जैसे ही बाद में जनवरी में हम लोग इकट्ठा होंगे, उसको लायेंगे ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

मंत्री जी ने यह गलत कहा है, असलियत यह है कि उसमें तिवारी जी ने यह कहा था कि हम इसे वापस ही ले रहे हैं और कहा था अरबन सीलिंग को वापस लेंगे और सेन्ट्रल को देंगे ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

सारे प्रदेश की जनता यह चाहती है कि जो न्याय गांव के साथ हो वही न्याय शहर के साथ हो । अगर आप जोत सीमा बिल ले आयेंगे और दूसरे बिल को टाल देंगे तो नहीं मालूम उस बिल का स्वरूप क्या होगा । हम चाहते है कि दोनों क्षेत्रों की आय में समानता आये । माननीय मुख्य मंत्री जी ने नेताओं की बैठक में और सदन में भी इस बात को बार बार स्पष्ट किया कि दोनों बिल साथ-साथ आयेंगे । आप कहते है जनवरी में आयेगा । मैं कहता हूं कि जनवरी किसने देखी है । आप दोनों को साथ साथ क्यों नहीं लाते । इस सदन को आगे बढ़ा दीजिये । साथ-साथ दोनों ले आइय ।

वित्त मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)—

इस सम्बन्ध में मैंने कार्य-मंत्रणा समिति में स्थिति को स्पष्ट कर दिया था कि अधिकतम जोत सीमा विधेयक को पहले लिया जायगा और पारित कराया जायगा । इसके बाद अध्यादेशों के जो विधेयक पारित होंगे, 23 जनवरी तक वह विधेयक पारित होंगे । मैंने उस समय कार्य मंत्रणा समिति में बता दिया था शहरी सम्पत्ति विधेयक के सम्बन्ध में कार्यवाही उसके बाद की जायगी ।

श्री अध्यक्ष---

स्पष्ट हो गया ।

श्री भानु प्रताप सिंह (जिला बस्ती)---

अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न पूछता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी से। क्या वह इस सदन को स्पष्ट शब्दों में यह आश्वासन देंगे कि शहरी सम्पत्ति सीमा आरोपण विधेयक इसके आगे जब सदन बैठेगा जनवरी में इस सदन द्वारा पारित होगा ? उनका कोई विचार केन्द्रीय सरकार के पास फिर भेजने का नहीं है ? इस प्रकार का आश्वासन क्या देंगे माननीय मुख्य मंत्री जी ?

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---

हमारा इरादा तो यही है, कि यह जो दोनों बिल पेश है, जो बिल वापस हो कर दूसरा बिल पेश होगा वह और शहरी सम्पत्ति वाला, उन पर इस सदन में विचार हो । मुझे यह सूचना मिली है, जैसा हमारे वित्त मंत्री जी ने बताया, आपकी बिजिनेस ऐडवाइजरी कमेटी में भी यह तय हुआ यह बिल अभी ले लें। जनवरी में हम उसको ले लेंगे। तो हम उस पर विचार करने वाले हैं। अखबारों में आपने पढा होगा, कोई भारत सरकार बिल बना रही है। भारत सरकार बनाती रहे बिल। हमारा बिल आपके सामने है। हम इस पर विचार करेंगे। अगर भारत सरकार कोई ऐसा बिल बनाती है जिसमें कोई हम को अधिकार नहीं रह जाता है तो दूसरी बात है। अन्यथा हमारा बिल आपके सामने है और हम विचार करेंगे ।

श्री भानु प्रताप सिंह (बस्ती)---

राज्य सरकार को अधिकार प्राप्त है। इसलिए इसकी सम्भावना नहीं है कि केन्द्रीय सरकार ऐसा ऐक्ट बना सके जिससे संविधान में जो आपको अधिकार प्राप्त है वे छिन जायं। इस लिए जब केन्द्रीय सरकार हमारी राज्य सरकार के अधिकार को किसी प्रकार ले नहीं सकती जो बाद में आपने लगा दिया वह ठीक नहीं जंचता है। यह मैं भी निवेदन करना चाहता हूं कि जब आप यू0 पी0 सी0 सी0 के प्रेसीडेंट थे, तो आपकी अध्यक्षता में यू0 पी0 सी0 सी0 ने प्रस्ताव पारित किया था कि शहरी सम्पत्ति पर सीमा ग्रामीण सम्पत्ति पर सीमा के पूर्व लगायी जाय या साथ-साथ लगायी जाय। आप और कुछ नहीं मानते हैं तो अपनी अध्यक्षता में जो आपने प्रस्ताव पारित कराया था यू0 पी0 सी0 सी0 में उस पर अमल कीजिये और स्पष्ट आश्वासन दीजिये कि जो इस सरकार को अधिकार प्राप्त है शहरी सम्पत्ति पर सीमा आरोपण के सम्बन्ध में उसका प्रयोग करेंगे और केन्द्रीय सरकार पर किसी प्रकार नहीं टालेंगे ।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)---

मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं। मैं चाहता हूं कि इस बात की अनुज्ञा न दे कि इस बिल को सरकार वापस ले। यह भय है, जिस तरीके से सीलिंग को टाला गया, कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मैनिफेस्टो था, उसके बावजूद भी मुख्य मंत्रियों को कान्फ्रेन्स की जाती है। उसमें सब ल को टाला जाता है। फिर सवाल आता है, दूसरी कमेटी बनायी जाय। इसकी सिफारिशें आती हैं। फिर टाला जाता है। उसके बाद सदन में पेश होता है। जिस दिन निश्चित तारीख थी कि पारित कर दिया जायगा उसी दिन मालूम होता है कि सदन आगे के लिये टाल दिया गया। उसके बाद किस तरह से बड़े बड़े भूस्वामियों ने कितनी बड़ी लाबी क्रिएट की ।

उसके बाद सरकार के ऊपर दबाव डाला गया। कार्य मन्त्रणा समिति में इस बात का स्पष्ट आश्वासन दिया गया था कि इस प्रस्ताव को लाने के पहले जो नया बिल है वह

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री गोविन्द सिंह नेगी]

माननीय सदस्यों को दे दिया जायगा। हमको आशंका है कि जो नया बिल आने वाला है वह पुराने बिल से और अधिक प्रतिक्रियावादी होगा और नये बिल में और अधिक छूटें दी जायगी। मेरा निवेदन है कि यह माननीय सदन पुराने बिल को वापस होने की अनुज्ञा न दे।

*श्री कल्पनाथ सिंह—

मैं निवेदन यह कर रहा था कि जो बिल पेश किया गया है इसमें बड़ी आपत्ति यह है कि पिछले बिल में जो तारीख दी गयी थी फरवरी, 1970 की वह घटा कर 1971 कर दी गयी है और इसका नतीजा यह होने जा रहा है कि जो लाख डेढ़ लाख एकड़ जमीन मिलने वाली थी प्रदेश में सीलिंग की बदौलत वह घटकर 40 हजार एकड़ के लगभग रह जायगी। इस तरह की घटोत्तरी करनी थी तो बैनामे तथा रजिस्ट्री जुलाई से बन्द करने का औचित्य क्या था? लिहाजा मेरा निवदन है कि जो पुराना बिल है उसी को रहने दिया जाय और उसको वापस लेने की इजाजत न दी जाय। यह बिल पूरा पढ़ा नहीं है लेकिन इसके पृष्ठ 4 पर 7वें नम्बर को देखा जाय तो उसमें 24 जनवरी, 71 कर दिया है और इस प्रकार खातेदारों के मामलों में यह विधेयक सीधे-सीधे पूंजीपतियों, सरमायेदारों तथा जमींदारों का पक्षपात करता है और जो पुराना विधेयक था वह ज्यादा प्रगतिशील था। इसका एक कारण यह भी है कि जो बड़े राजा महाराजा हैं ये सब उस तरफ बैठे हैं जिनके दबाव के कारण ऐसा किया जा रहा है और उनके दबाव के कारण ही पुराना बिल पास नहीं हो सका। लिहाजा हमको आज इस नये बिल का विरोध करना चाहिए और जो पुराना बिल है उसे ही जारी रखा जाय, उस पर ही विचार करें और नये बिल को फाड़ कर फेंक दें।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

मान्यवर, मैं सदन से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि जो पुराना विधेयक सदन के सम्मुख है पहले उसे वापस लेने की अनज्ञा न दी जाय। उसका कारण यह है जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता ने कहा उसमें एक वर्ष का सीधा-सीधा फर्क है। इससे बड़े गोलमाल की गुंजायश है। माननीय वित्त मन्त्री ने कार्य-मन्त्रणा समिति का हवाला दिया। मुझे स्मरण है जब पिछली मई मास में कार्य मन्त्रणा समिति की बठक हुई थी तो उसे वह पास कराने के लिये बड़े आतुर थे। और यह उनका कहना था कि इसे दो दिन में पास कर देना चाहिए। लेकिन हम लोग उसके लिये एक सप्ताह का समय बहस के लिये चाहते थे। लेकिन इस बीच न जाने कौन सी अन्तर आत्मा की पुकार हो गयी कि फौरन सदन को स्थगित कर दिया गया और आज यह विधेयक नई शक्ल में लाने की बात कही जा रही है। इस सदन को इस विधेयक को पास नहीं होने देना चाहिये। इस विधेयक के जरिये से बड़े-बड़े भूमिपतियों को एक वर्ष की छूट दे दी गयी और इस बीच में जो भूमि का स्थानान्तरण उन्होंने किया उसे वह कानूनी जामा पहनाना चाहते हैं। आपने जो यह व्यवस्था की थी कि 1 जुलाई, 1972 तक कोई बैनामे नहीं गे, जो प्रतिबन्ध आपने लगाया था वह बेमानी हो जाता है और इस बीच में जो ट्रांसफ हुए हैं उन सबको आप इस नये बिल के माध्यम से लीगलाइज करना चाहते हैं।

दूसरी बात मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि 1 जुलाई से बैनामे बन्द हो गये हैं लेकिन सबको यह जानकारी है कि जमींदारी एबोलीशन ऐक्ट में इस बात की गुन्जाइश है कि लोग अपनी जमीन को गिरवीं रख देते हैं और कुछ समय के बाद वह सेल हुआ मान लिया जाता है। इसी बीच में पुराने दस्तावेजों पर इसी तरह से लिखा-पढ़ी हुई है। फर्जी पट्टे हुए हैं और अब यह सरकार नये विधेयक को रखने का बहाना करके बड़े-बड़े भू-पतियों को खुली छूट देने जा रही है जिसमें सत्तारुढ़ दल के अधिकांश लोग हो सकते हैं और उसको

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कानूनी शक्ल देने जा रहे हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि यह सम्मानित सदन इस बिल को वापस लेने की आज्ञा न दे क्योंकि जो बिल पहले का था उससे ज्यादा प्रतिक्रियावादी यह बिल होगा जो नया आ रहा है।

(श्री छांगुर राम का नाम पुकारने पर)

श्री अध्यक्ष—

आपको 5 मिनट का समय देता हूं।

*श्री छांगुर राम (जिला आजमगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, एक कहावत है "खोदा पहाड़ और निकली चूहिया"। यह कांग्रेस दल के लोग सीलिंग के नाम पर बड़ा ढिंढोरा पीटे हैं। सारे देश के गरीब को इन्होंने गुमराह किया है और इसी के नाम पर उन्होंने एक-दो चुनावों में फायदा भी उठाया है। अब जीतने के बाद ये गरीबों के साथ धोखा-धड़ी कर रहे हैं। सीलिंग के नाम पर ये कहते रहे कि एक ऐसा बिल लायेंगे जिससे बड़े लोगों से जमीन निकाल कर गरीबों को देंगे। यह सरकार कितने दिनों तक गरीबों को गुमराह करती रहेगी। इस बिल से सारे देश के अन्दर जितने भू-स्वामी हैं उनके मन में खलबली मच गई है। जब यह बात होती है कि जमीन ले ली जायगी तो सबको बेचैनी होने लगती है। मैं चाहता हूं कि जमीन अवश्य इन भू-स्वामियों की निकाल ली जाय और गरीबों को दी जाय। इसी से भू-स्वामियों पर दबाव पड़ता चला जाय और सरकार उनके सामने न झुके...

श्री अध्यक्ष—

अब हो गया।

श्री छांगुर राम—

मैं आपके माध्यम से सदन से अनुरोध करूंगा कि वह इन बड़े-बड़े भू-पतियों के सामने न झुके और गरीबों को उठाये। उनको सहारा दे। भू-स्वामियों ने कभी आपका साथ नहीं दिया है गरीबों ने आपका साथ दिया है। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो बिल इस सदन का पहले का पास किया हुआ है उसके वापस लेने की अनुमति सदन न दे और उसको वापस न होने दे।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) विधेयक, 1972, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा में दिनांक 9 मई, 1972 को पुरःस्थापित किया गया था, को वापस लेने की अनुमति दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) विधेयक, 1972

राजस्व मन्त्री (श्री उदित नारायण शर्मा)—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) विधेयक, 1972 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) विधेयक, 1972 को पुरः स्थापित करने की यह सदन अनुज्ञा देता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उदितनारायण शर्मा--

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) विधेयक, 1972 को पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 397 पर)

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें

श्री अध्यक्ष--

आज मेरे पास 4 कार्य-स्थगन प्रस्ताव आये हैं। एक श्री रूपनाथ सिंह यादव का है "उत्तर प्रदेश के 25 जिलों में स्वतंत्रता की रजत जयन्ती वर्ष में हरिजनों, अशिक्षित, पिछड़े एवं कमजोर वर्ग पर घोर अत्याचार हो रहे हैं।" इस सूचना में कई घटनाओं का उल्लेख है और अनिश्चित सा है। 19 दिसम्बर, 72 को शान्ति व्यवस्था पर विवाद के अवसर पर इस पर विचार हो सकता है। इसलिए इसको मैंने अस्वीकार किया है।

दूसरा श्री मोहन लाल कपूर का है--"प्रदेश के अनेक जिला केन्द्रों पर नसबन्दी करने वाले अधिकारियों द्वारा कथित अत्याचार और जबरदस्ती चन्दा वसूली"। इस सूचना में किसी घटना विशेष का उल्लेख नहीं है और न अविलम्बनीय महत्व का ही है। ऐसी अवस्था में अनिश्चित होने के कारण यह अस्वीकार किया जाता है।

तीसरा श्री नित्यानन्द स्वामी का है--"आजमगढ़ जिले में दंगा, 43 घरों का जलाया जाना"। यह सूचना अखबार की कटिंग के ऊपर आधारित है। जब तक उनको इसका पर्सनल ज्ञान न हो, तब तक उसे लेने के लिये तैयार नहीं हूं।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)--

आप इसको पेंडिंग रखें, रिजेक्ट न करें। मैं पूरी सूचना मंगवा लूंगा।

श्री अध्यक्ष--

ठीक है, आप मंगवा लें।

*श्री रामबचन यादव (जिला आजमगढ़)

श्रीमन्, यह आजमगढ़ का मामला है और इसको मैं पूरी तरह से जानता हूं। मैंने कल ही सारी घटनाओं का पूरा विवरण मंगाया है। वहां पर लगातार आजमगढ़ से लेकर नोतारे तक योजनाबद्ध तरीके से जो घटनायें चालू हैं उनसे स्पष्ट है कि हिन्दुओं पर गुंडों द्वारा अत्याचार हो रहा है। श्री छत्रधारी सिंह को दिन के 9 बजे 22 आदमियों द्वारा हमला करके मार डाला गया। नोतारी में एक हरिजन को मार डाला गया और स्वयं अपने घरों को जला कर सरकार से अनुदान पाने की व्यवस्था की गयी। फिर सजनी गांव की एक ब्राह्मण लड़की के साथ बलात्कार किया गया जो आटा पिसवाने के लिये गयी थी। इस तरह से 4-6 आदमी मार डाले गये हैं और अगर इसी तरह से यह मसला चलता रहा तो वहां की क्या स्थिति होगी? क्या माननीय मुख्य मन्त्री जो आजमगढ़ को भी ऊसर बना कर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मिर्जापुर की तरह से वहां भी अपना कोई फार्म बनाना चाहते हैं ? आखिर यह क्या तमाशा बना रखा गया है ? क्या वहां से हम लोग छोड़ कर चले जायं ताकि माननीय मुख्य मन्त्री जी वहां अपना फार्म बना लें हम जब कोई बात कहते हैं तो उसको आप सुनते ही नहीं।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

श्रीमन् मैं इस सम्बन्ध में पूरी जानकारी प्राप्त करके आपको बतला दूंगा।

श्री अध्यक्ष--

आपका भी शामिल कर लेता हूं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

मान्यवर, मेरी एक प्रार्थना है, जैसा कि स्वामी जी ने अभी एक चीज की ओर आप का ध्यान आकृष्ट किया है, इसके पहले भी एक जबरदस्त घटना हो चुकी है जिसकी ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। आज आजमगढ़ जिले की स्थिति बड़ी भयंकर और विस्फोटक हो गयी है हिन्दू वर्ग के लिए। तो इसको ध्यान में रखते हुए वह आवश्यक है कि आप इसको स्वीकार कीजिये ताकि सारे तथ्य सदन के सामने आ जायं और उन पर विचार किया जा सके ताकि सरकार उन पर उचित कदम उठा सके।

श्री अस्यक्ष--

इसको मैं बाद में देख लूंगा।

एक श्री रामधारी शास्त्री, श्री शिव कैलाश और श्री बांकेलाल का है "बाबा राघवदास इण्टर कालेज के छात्र की निर्मम हत्या के फलस्वरूप पुलिस तथा छात्रों एवं अध्यापकों में मुठभेड़"।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)--

मान्यवर, एक छात्र की हत्या हो गई है। (व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष--

कब हुई और कैसे हुई यह कुछ स्पष्ट नहीं है।

श्री बांकेलाल--

मान्यवर, बिल्कुल स्पष्ट हैं। मैं आपको पूरा घटना सुनाये देता हूं। वह इस प्रकार है कि "दिनांक 2 दिसम्बर, 1972 को दिन में बाबा राघवदास इण्टर कालेज, देवरिया के एक छात्र श्री योगेन्द्र पांडेय को एक अन्य छात्र ने छुरा मार कर हत्या कर दी। अस्पताल पहुंचते-पहुंचते उस छात्र की मृत्यु हो गई। अपराधी भागकर देवरिया के जलकल क्वार्टर में छिप गया। बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने क्वार्टर को घेर लिया। तब तक देवरिया के कोतवाल श्री योगेन्द्र सिंह वहां पहुंच गये और उक्त हत्यारे को छुरे के साथ गिरफ्तार कर लिया। उसी समय बी0 आर0 डी0 कालेज के एक अध्यापक श्री सत्यदेव मिश्र ने कोतवाल से यह कहा कि आप बहुत देर से आये। इससे उत्तेजित होकर उक्त कोतवाल ने श्री मिश्र का कान पकड़ लिया और दो-चार हन्टर मारा। इससे छात्रों में उत्तेजना फली, जिनकी संख्या लगभग दो हजार थी। इतने में पी0 ए0 सी0 आ गई और कई छात्रों एवं अध्यापकों को गिरफ्तार कर लिया और थाने की ओर ले चले। इससे उत्तेजित होकर छात्रों ने पुलिस पर ढेले चलाना आरम्भ किया। इससे अवसर पाकर पुलिस ने लगभग

[श्री बांकेलाल]

एक दर्जन विद्यार्थियों और अध्यापकों को बुरी तरह पीटा और अध्यापकों की मूंछें पकड़कर खींची गईं। विद्यार्थियों का पीछा करती हुई पुलिस मारवाड़ी कालेज के फाटक पर पहुंच गई। वहां के वरिष्ठ अध्यापकों व अन्य लोगों को बुरा भला कहा। इस समय भी बहुत से अध्यापक और छात्र जेल में बन्द हैं। उनको जमानत नहीं हो रही है। सारे नगर की शिक्षा संस्थायें बन्द हैं। जनता में घोर रोष व्याप्त है। किसी भी क्षण स्थिति बिगड़ सकती है।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—

माननीय, यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। शहर के सारे स्कूल और कालेज बन्द हैं।

(व्यवधान)

श्री बांके लाल

कोतवाल ने बहुत अन्याय किया है। अगर वह मौके पर समय से पहुंच गया होता तो यह घटना न होती।

श्री अध्यक्ष—

यह काम-रोको प्रस्ताव का विषय नहीं बनता है।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी—

आप मुख्य मन्त्री जी से वक्तव्य दिला दीजिये सारे स्कूल और कालेज बन्द हैं। अशान्त वातावरण फैला हुआ है। इस समय वक्तव्य दिला दीजिये। बाद को बहस करा दीजिये।

श्री अध्यक्ष—

आज इसको स्थगित किये देते हैं। कल इस पर विचार कर लेंगे। कल इस पर फैसला दे दूंगा। आज नहीं देता हूं।

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

इस पर मन्त्री जी से वक्तव्य तो दिला देंगे।

श्री अध्यक्ष—

वक्तव्य दिला देंगे।

श्री रामधारी शास्त्री—

आपकी बड़ी कृपा होगी। अभी सारे स्कूल और कालेज बन्द हैं। कभी भी वहां झगड़ा हो जायेगा। माननीय मुख्य मन्त्री जी से कहें कि वे अध्यापकों और लड़कों को जेल से छुड़वा दें। कोतवाल की यह शान है कि वह देर से आया और पूछे जाने पर उसने अध्यापक को पीटा, मूंछें उखाड़ी और भद्दी-भद्दी गालियां दीं। उसके खिलाफ मुख्य मन्त्री जी कार्यवाही करें।

श्री अध्यक्ष—

मैं वक्तव्य दिला दूंगा।

श्री बांकेलाल—

मेरी प्रार्थना है कि अध्यापकों और विद्यार्थियों को तुरन्त रिहा कर दिया जाय

और दूसरी बात यह है कि कोतवाल को वहां से हटा दें, अगर मोअत्तल न करें तो कम से कम हटा तो दें ही। उसको हटाने के बाद ही जांच करायें।

श्री अध्यक्ष--

इसे वक्तव्य के लिये स्वीकार किया है, वक्तव्य जिलेवार देंगे और उसी वक्त आप यह प्रार्थना भी कर लें।

श्री बांकेलाल--

आप इस पर वक्तव्य जल्दी ही दिला दें और अध्यापकों को फौरन कारावास से मुक्त करा दें।

(श्री चरणसिंह का नाम पुकारे जाने पर)

श्री रामधारी शास्त्री--

आपने कहा था कि गन्ने के दाम मुकर्रर करने के विषय में समय देने को कहा था, वह कर दिया जाय।

मन्त्रि मण्डल के सदस्यों के विरुद्ध तथा कथित भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच एक आयोग द्वारा कराने के प्रस्ताव के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)--

व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूं कि आप ने मुझे व्यवस्था का प्रश्न उठाने की इजाजत दी और साथ ही मैं चौधरी चरण सिंह जी का भी ऋणी हूं कि उन्होंने उसको सुनने की कृपा की है। मैं आपका ध्यान नियमावली के नियम 103 से नियम 105 की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। नियम 103 में दिया है कि लोक-हित के किसी विषय पर प्रस्ताव द्वारा चर्चा हो सकती है। आप को याद होगा और चौधरी साहब को भी याद होगा कि कल उन्होंने कहा था कि कल मैं नियम 104 के अन्तर्गत चर्चा उठाना चाहता हूं और उस वक्त उन्होंने 104 नियम का उल्लेख किया था। लेकिन आज जो यह प्रस्ताव एजेंडा में छपा है वह चौधरी साहब ने जो कल शब्द कहे थे उस के अनुरूप नहीं है। जो प्रस्ताव चौधरी साहब ला रहे हैं वह केवल चर्चा तक सीमित नहीं है बल्कि उसमें एक सब्स्टेंटिव मोशन जोड़ दिया गया है। इसमें आगे लिखा है कि 'इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूं उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया जाय जो उन सब आरोपों की जांच करे, जो प्रधान मन्त्री जी व मुख्य मन्त्री जी के सम्मुख प्रस्तुत अथवा सदन में लगाये जा चुके हैं।

यह एक सब्स्टेंटिव मोशन है जबकि कल चौधरी साहब ने केवल नियम 104 की ही चर्चा की थी और उसी के लिये आप ने समय दिया था। नियम 103 में कोई सब्स्टेंटिव मोशन इस प्रकार का नहीं आ सकता जैसा कि एजेंडा में छपा है बल्कि केवल ऐसा प्रस्ताव आ सकता है कि ऐसी परिस्थिति हो जिस पर चर्चा का मौका दिया जाय, उस का थोड़ा बहुत औचित्य हो सकता है। लेकिन इस में लिखा है कि चौधरी साहब सदन के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहते हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कृष्णानन्द राय]

एक प्रस्ताव को नियम 104 में जैसा कि उन्होंने कल रिफर किया था। आप देखें कि नियम 105 में ग्राह्यता की शर्तें दी हुई हैं। पहले (1) में है कि 'उसमें सारवान रूप से एक ही निश्चित प्रश्न उठाया जायगा।" इस सम्बन्ध में मैं आप का ध्यान आकृष्ट करूंगा कि हमारा कोई भी ऐसा मकसद नहीं है कि यदि उधर के लोग सदन में कोई विषय उठाना चाहते हैं और विरोधी दल के नेता लोगों की ऐसी इच्छा है तो उनको उसे उठाने से रोका जाय। मेरा मकसद केवल यह है कि उत्तर प्रदेश की विधान सभा देश की सब से बड़ी विधान सभा है और यहां पर विधिवत् नियमों का पालन किया जाय और यहां जो अध्यक्षपीठ से रूलिंग दी जाय वह सारे देश की विधान सभाओं के लिए एक प्रिसिडेंस और नियमों की परिधि से हम बाहर न जायं।

यह लिखा है कि एक निश्चित प्रश्न उठाया जायगा। जो प्रस्ताव पेश किया गया है, उसकी शब्दावली को आप देखें तो पायेंगे कि यह एक निश्चित प्रश्न नहीं है। इससे यह पता नहीं चलता है कि किस विशेष मंत्री के विरुद्ध यह प्रश्न उठाया जाने वाला है...

(व्यवधान)

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)--

श्रीमन्, आप देखें इसमें निश्चित विषय है और ये सारी चीजें उसी के विरोध में बोलने खड़े हुए हैं। ये आरोप मंत्रियों के विरुद्ध हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि यह निश्चित कैसे नहीं है ?

श्री मनोहर लाल (जिला कानपुर)--

श्रीमन्, जब आप इसकी ग्राह्यता को स्वीकार कर चुके हैं तो ये बेकार में अब व्यवस्था का प्रश्न उठा कर सदन का समय नष्ट कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

व्यवस्था का प्रश्न तो कभी भी उठाया जा सकता है।

श्री कृष्णानन्द राय--

विशेषता जरूर है, हमारे मित्र माननीय बांके लाल जी जो हैं, उनमें भी तो विशेषता है। तो श्रीमन्, मैं आप का ध्यान...

श्री बांकेलाल--

मैं आप जैसा दल बदलने वाला नहीं हूं। यह प्रस्ताव जरूरी है, निश्चित है जो सदन के पटल पर रखा जा चुका है और आपने श्रीमन, इसको स्वीकार भी किया है। ये कानूनों को तोड मरोड़ कर अपनी बातें कहना चाहते हैं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

बात ठीक है कि इन्होंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया आपने उसकी स्वीकृति भी दे दी। लेकिन यदि व्यवस्था का प्रश्न उठाने में ही सारा समय निकाल दिया तो फिर कम समय रह जायगा।

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया संक्षेप में बोलें।

श्री कृष्णानन्द राय---

चूंकि माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी जी न कुछ कहने का कष्ट किया इसलिये मैं आवश्यक समझता हूं कि मैं एक सफाई दे दूं। यही एक समय था और मैं आपके माध्यम से चौधरी साहब से अपील करूंगा कि जब मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा सकता था। इसलिये मैं Practice and Procedure of Parliament by Sri M. N. Kaul and Sri S. L. Shakdher की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। श्री कौल सचिव थे और श्री शकधर इस समय सचिव हैं। उन्होंने पृष्ठ 763 पर दिया है:---

"a point of order regarding admissibility of a resolution of motion or urging that a resolution or motion should not be allowed to be moved, can be raised only after the resolution or motion has been moved and placed before the House.

तो जब कल माननीय चौधरी साहब ने समय मांगा था उस समय कोई भी रेजोल्यूशन सदन के सामने नहीं था। इसलिये कोई प्वाइन्ट आफ आर्डर नहीं उठ सकता था। आज जब हमने यह देखा कि यह प्रस्ताव है तो हम इस प्वाइन्ट आफ आर्डर को उठा सकते हैं।

इसमें आगे कहा गया है कि:

"On a member formulating a point of order, the Speaker decides whether the point raised is a point of order and, if so, gives his decision thereon which is final."

In such cases, the mover may make his speech after the point of order has been disposed of by the Speaker.

इसमें सिर्फ यह लिखा हुआ है कि जब कोई प्रस्ताव इस सदन के सामन एजेन्ड में आये तब प्वाइन्ट आफ आर्डर उठाया जा सकता है और जब उठा दिया जायगा तो अध्यक्ष जब उस व्यवस्था के प्रश्न पर निर्णय दे लेंगे, उसके बाद ही मूवर अपना प्रस्ताव मव कर सकेंगे।

श्री बांके लाल---

श्रीमन, आपने आदेश भी दे दिया, माननीय चौधरी साहब खड़ भी हो चुके थे और उनके खड़े होने के उपरान्त इन्होंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया है तो कानून तो आपने ही तोड़ा है कि यें बीच में खड़े होकर बोलना शुरू कर दिये।

श्री अध्यक्ष---

उन्होंने प्वाइन्ट आफ आर्डर उपस्थित किया है।

श्री कल्पनाथ सिंह---

कितनी देर तक उन्हें आप सुनियेगा ?

श्री अध्यक्ष---

अगर बीच-बीच में आप लोग न उठें तो जल्दी ही वे अपनी बात को समाप्त कर देंगे।

श्री कल्पनाथ सिंह---

मान्यवर, सवाल यह है कि जिन नियमों का य हवाला दे रहे हैं यें उन्हीं के बारे में नहीं कह रहे हैं। ये तो समय के अधिकार का सदुपयोग करना चाहते हैं और बात क्या है ?

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी---

माध्यवर, मैं भी इनके बाद कहना चाहता हूं।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, मैं समझता हूं कि कृष्णानन्द जी का मकसद पूरा हो गया और दीपनारायण मणि जी का भी मकसद पूरा हो गया । अब चौधरी साहब को कहने दीजिये ।

श्री अध्यक्ष—

आपका प्वाइन्ट आफ आर्डर क्या है ?

श्री कृष्णानन्द राय—

मान्यवर, यह रेजोल्यूशन नियम 104 के अन्तर्गत आता है और 104 की परमिशन मांगी जो उसको ये फालो नहीं कर रहे हैं । मैं यह कह रहा था कि नियम 104 के अन्तर्गत क्यों नहीं आता । एम0 एन0 कौल और शखधर की लिखी हुई यह पुस्तक है प्रैक्टिस एन्ड प्रोसीजर आफ पार्लियामेंट इसके 530 पृष्ठ पर लिखा हुआ है:—

"Apart from the conditions mentioned above, a motion in its bill if it lacks factual basis or for basis of unconfirmed press reports".

यह सारा प्रस्ताव यहां पर रक्खा गया है जिसमें श्रीमन्, कोई भी फैक्चुअल बेसिस नहीं है । भार साधक प्रस्तावक पर उन्होंने लिखा है कि समाचार पत्रों से उनको कुछ विदित हुआ है कुछ एलीगेशन्स लगाये गये हैं । यह निश्चित रूप से नहीं दिया गया है कि क्या निश्चित एलीगेशन्स किस विशिष्ट मंत्री के विरुद्ध दिये गये हैं । यह प्रस्ताव विधान सभा पास करने जा रही है कि हाई कोर्ट के जज के सम्मुख रक्खा जाय और हाई कोर्ट के समुख क्या रक्खा जाय । जब कोई निश्चित चीज नहीं है, एलीगेशन्स नहीं हैं जिस प्रस्ताव की जानकारी का आधार न्यूज पेपर की रिपोर्ट है वह कोई बेसिस नहीं हो सकता ऐसे प्रस्ताव का । इसी 520 पृष्ठ पर कौल साहब ने लिखा हुआ है कि—

"Apart from the conditions mentioned above, a motion is inadmissible if it seeks to discuss a matter. For the discussion of it there is a specific provision under the Constitution or in the rules."

मान्यवर, यह लिखा हुआ है कि ऐसा मोशन या रेजोल्यूशन ऐसे विषय पर नहीं लिया जा सकता । अब श्रीमन्, हमारे संविधान में और हमारी नियमावली में यह स्पष्ट रूप से दिया हुआ है कि मंत्रिमंडल में अगर आस्था न रह जाय जनता की या जनता के प्रतिनिधियों की या विधान सभा की जो कि इस प्रस्ताव में लिखा हुआ है—वर्तमान मंत्रि मंडल के सदस्यों पर खुले रूप से जो आरोप लगाये हैं उसके कारण जनता में बदनाम मंत्रिमंडल के प्रति.....

श्री अध्यक्ष—

एक बजकर बीस मिनट तक समाप्त कर दीजिये ।

श्री बंशीधर पांडेय—

आपने 1—20 तक समय दे दिया...(व्यवधान)

(शोर)

श्री चरण सिंह (जिला मेरठ)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, 15 मिनट तो वह बोल चुके हैं और 15 मिनट आप और देना चाहते हैं । आपने प्रस्ताव को एडमिसिबुल करार दिया है । उसके लिये वक्त मुकर्रर कर दिया । आपकी एक रूलिंग हो चुकी, उसको वह क्वैश्चन कर रहे हैं । दूसरे, माननीय त्रिपाठी जी ने स्वयं कह दिया कि चाहे यह मोशन लाइये चाहे नो-कान्फीडेन्स का मोशन लाइये । वह भी मोरेली एन्ड लीगली स्टाम्प हैं क्वैश्चन करने से ।

मुझे तो ताज्जुब होता है माननीय सदस्य की बात पर। जनता को एक शिकायत है। हो सकता है सारे आरोप गलत हों। लेकिन उनकी तहकीकात तो हो जाय हाईकोर्ट के जज के जरिये। यह तो आपकी पार्टी के हित में ही है। मैं तो कहता हूं कि अगर रूल्स इसकी इजाजत न देते तो भी मेरे प्रस्ताव का स्वागत होना चाहिये था....

श्री कृष्णानन्द राय---

श्रीमन्, अभी मेरा प्वाइन्ट आफ आर्डर हुआ नहीं है।

श्रीमन्, यह परिस्थितियों का फेर है कि माननीय चौधरी साहब हम पर थोड़ा सा नाराज हो रहे हैं, लेकिन मैं उनका इतना आदर करता हूं कि अगर मेरे पास औचित्य न रहता तो मैं यह धृष्टता न करता। श्रीमन्, आप कौल साहब की प्रैक्टिस एन्ड प्रोसीजर आफ़ पार्लियामेंट का ही पेज 531 इस सम्बन्ध में देख लें। हमारे माननीय चौधरी साहब कह रहे हैं कि आप एक रूलिंग दे चुके हैं इसलिये आज हम प्वाइन्ट आफ आर्डर नहीं उठा सकते। मैं चौधरी साहब से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि वह कृपया पेज 531 पर देख लें। सेकन्ड पैरा में लिखा हुआ है:—

"The Speaker has the inherent power to rule out a motion at any time before it is voted upon on the ground that it involves abuse of the forms and procedure of the House. This was held by Speaker Patel even though the power to rule a motion out of order was not expressed in so many provisions in the rules and standing orders of those days."

तो श्रीमन्, जब कोई प्रस्ताव एकार्डिंग टु रूल्स एन्ड प्रोसीजर नहीं होगा तो अध्यक्ष को वोट कराने के पहले हमेशा यह अधिकार है कि उसको रूल आउट कर दे। यह श्रीमन्, हमारे देश में पालन होता रहा है और आज जब कि परम्पराएं इतनी मजबूत हो गयी हैं तब चौधरी साहब कहते हैं कि इसका पालन न किया जाय। यह श्रीमन्, उचित न होगा।

श्रीमन्, नियम 105 की किसी भी शर्त को यह प्रस्ताव पूरा नहीं करता है। यह किसी निश्चित मिनिस्टर के खिलाफ नहीं है, किसी निश्चित वाकयात को लेकर नहीं है, कोई निश्चित एलीगेशन्स नहीं है....

मान्यवर, इसमें यह लिखा है निश्चित आरोप होने चाहिये। नियम 103 में मंत्रि मंडल के विपरीत भ्रष्टाचार के आरोप स्पष्ट होने के बारे में लिखा है। मान्यवर, हम यह चाहते हैं कि जो आपकी रूलिंग फिक्सड है क्योंकि वह प्रेसीडेंट हो जाती है उसके ऊपर श्रीमन्, निश्चित रूप से कोई चीज रखी जाय। क्लाज दो में दिया है कि जो प्रस्ताव निश्चित न हों उनको स्वीकार नहीं किया जा सकता है जिसमें प्रतर्क, व्यंगात्मक मानहानि या अवमानना आदि हों।

श्री राम गोपाल सन्ड (जिला इलाहाबाद)---

भ्रष्टाचार के बारे में रखना नियम के विरुद्ध नहीं होगा।

श्री बांके लाल---

उत्तर प्रदेश सरकार डकैती, कत्ल, भ्रष्टाचार से भरी पड़ी है और इससे किसानों के हित में बड़ी भारी हानि हो रही है। क्या यह भ्रष्टाचार में नहीं आता है ?

श्री कृष्णानन्द राय---

मान्यवर, यह तो सब होता ही है।

श्री राम गोपाल सन्ड---

मान्यवर, यह तो मान ही रहे हैं कि भ्रष्टाचार है।

श्री कृष्णानन्द राय---

आप मेरी बात को तो सुन लीजिये ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहां हूं कि नियम 103 स्पष्ट है और स्पेसेफिक है । खासतौर से इस प्रकार की आलोचना का प्रश्न नहीं होता है । इसलिये नियम 105(2) में यह दिया गया है । इसमें अनुमान लगाकर कहने का प्रश्न नहीं है ।

(व्यवधान)

मान्यवर, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि नियम 103 में जो प्रस्ताव आता है वह इसलिये नहीं है कि उसमें भ्रष्टाचार के मामले या पर्सनल कैरेक्टर या अपमान के मामले हों । 105 के अन्तर्गत क्लाज 3 एक दम क्लियर है ।

एक सदस्य---

यह तो सब आप पहले ही कह चुके हैं । अध्यक्ष महोदय, क्या यह अदालत है जो बहस कर रहे हैं । यह तो हाउस है ।

श्री बांके लाल---

अध्यक्ष महोदय, सन् 62-63 में भी यही हुआ । उस समय भी अध्यक्ष और मुख्य मंत्री जी पर वारेन्ट निकल गया था ।

श्री कृष्णानन्द राय---

बांके लाल जी, आप हम पर झूठे ही नाराज हो रहे हैं, हम तो खत्म करने जा रहे हैं ।

मान्यवर, नियम 104 और 105 को देखें जिनमें यह स्पष्ट है कि अविलम्बनीय लोक महत्व के सम्बन्ध में भी प्रश्न नहीं उठाए जा सकते जो कि मंत्रियों के भ्रष्टाचार और पर्सनल कैरेक्टर के एसेसिनेशन–अपमान के सम्बन्ध में हों । हमारे कांस्टीट्यूशन और रूल्स में विशेष रूप से नियम 275 में यह स्पष्ट रूप से दिया हुआ है । जब जनता और जनता के प्रतिनिधियों यानी सदन का किसी मंत्रिमंडल में विश्वास समाप्त हो गया हो तो वे अविश्वास का प्रस्ताव ला सकते हैं । वही, श्रीमन्, एक सब्सटेन्शियल मोशन होगा । नियम 275 में जो प्राविधान है वह इसके विरुद्ध है । कल चौधरी चरण सिह जी ने 104 का हवाला दिया । उन्होंने तो उस बात का भी उल्लंघन कर दिया । अपने को चर्चा तक ही सीमित नहीं रखा बल्कि एक सब्सटेन्शियल मोशन दे दिया हाई कोर्ट के जज के द्वारा जांच कराई जाए । तो इस प्रकार से यह कहना कि क्यों कल इसके ऊपर आब्जेक्शन नहीं किया गया, वह उचित नहीं है । इस प्रस्ताव की जो वर्डिंग हैं वे कल की शब्दावली से भिन्न हैं । यदि नियम 104 को ही मान लिया जाए तब भी यह प्रस्ताव उस स्प्रिट के विरुद्ध है । हमारे लिये तो यही ठीक ओकेजन था जबकि प्वाइन्ट आफ आर्डर रेज कर सकते थे । हमारी आपसे यही प्रार्थना है कि इस प्रस्ताव को किसी भी हालत में इस सदन में मूव न होने दें ।

श्री अध्यक्ष---

क्या आप इसका जवाब देना चाहते हैं ।

श्री चरण सिंह---

त्रिपाठी जी मेरी तरफ से कहेंगे ।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, हमारे माननीय राय साहब ने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया । पहले तो मैं आपसे यह कह दूं कि आपने कुछ रूलिंग ऐसी किताबों से कोट की हैं और ऐसी व्यवस्थाओं के बारे में कोट की हैं । जिनका कि वेटिंग नहीं हुआ है । दूसरी बात उन्होंने यह कही कि जब एक दूसरी जगह प्रोविजन है नियम 275 में तो फिर यहां लाने की आवश्यकता नहीं है । 2 रेमेडीज हमें प्राप्त हैं । इनमें से कोई हम अख्तियार कर सकते हैं, यह हमारा अधिकार है । मेरा निवेदन यह है कि यह अविश्वास का प्रस्ताव नहीं है । अविश्वास के प्रस्ताव में तो हम यह प्रमाणित करने का प्रयत्न करते हैं कि सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है और वह अपने पद पर रहने का हक नहीं रखती है । अगर हम सरकार को बहुमत के बल से गिरा नहीं सकते तो फिर ऐसी स्थिति में कांस्टीट्यूशन में उसके लिये प्राविधान किया है । अगर सरकार बहुत भ्रष्ट है और उसको हम अविश्वास के प्रस्ताव से गिरा नहीं सकते तो दूसरी रेमेडी है । नियम 103 में जो दिया है उसको भी आप देखें । उन्होंने सीधा—सीधा यह प्रस्ताव दिया है कि एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया जाए जो कि उन सब आरोपों की जांच करे जो कि प्रधान मंत्री व मुख्य मंत्री तक पहुंच चुके हैं और समय-समय पर समाचार पत्रों में प्रकाशित भी होते रहे हैं । उनकी डेफनिट प्रेयर है और एक निश्चित प्रार्थना है । नियम में हमारा यह प्रस्ताव ग्राह्य है ।

अब मैं आपके दोनों तर्कों का जवाब देता हूं । मैं यह मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि मंत्रिमंडल के विरुद्ध भ्रष्टाचार के बारे में चर्चा लोक महत्व में नहीं है । अगर आप यह कहते हैं कि वह लोक महत्व में नहीं है तो मुझे कुछ नहीं कहना है । यदि आपका यह दृष्टिकोण है तो हमें कुछ नहीं कहना है कि वह पब्लिक के हित में नहीं है । दूसरी बात आपने 105 का हवाला दिया । इस संबंध में एक बात और कह दूं । आपने आज समय निश्चित किया था । दो कारणों से कहता है। पहली बात यह कि हमारे मुख्य मंत्री जी कह चुके थे कि कोई हर्ज नहीं । सब का तो मुझे ध्यान नहीं लेकिन उन्होंने कह दिया था कि इस पर डिसकशन हो । चाहे अविश्वास लावें या इसको लावें लेकिन विधिवत् लावें । वह एग्रीड हैं । दूसरी बात यह है कि जब प्रस्ताव आपके सामने आया तो आपने नियमों को अपने सामने रखा होगा मैं ऐसा नहीं समझता कि बिना नियमों के देखे अंधाधुंध आप आदेश दे देते हों । मैं ऐसी कल्पना भी नहीं करता । प्रस्ताव आपके सामने आया, आपने अध्ययन किया, आपके सेक्रेटरी ने अध्ययन किया और आप एक निष्कर्ष पर पहुंचे कि ग्राह्यता की शर्तें पूरी है । आपने इसको स्वीकार किया, एजेंडा पर रख दिया और आज समय दिया । इस पर आपने पहले ही निश्चित कर लिया था। आपके सामने एडजर्नमेंट मोशन आते हैं तो आप वहीं निश्चय कर लेते है कि 'एलाउड' आर 'डिस्एलाउड' लेकिन इस पर नियम समिति में बहस किया, दूसरी जगह बहस किया । उस समय समझ में नहीं आया । अब गल्ती समझ में आयी । यह समय ले लें और दूसरों को समय न दें । मैं तो कहता हूं कि हमारी तरफ से चौधरी साहब ही सारा समय ले लें और वही बोलें । आपने विचार करके, सारे नियमों का अध्ययन करके एलाउ किया और आज समय दिया इसलिये भी यह अकाट्य है । आप भी बाउन्ड हैं नियमों से । अगर आप न हों तो हर कोई हमारे ऊपर छलांग लगाया करे । राय साहब हमारे मित्र भी है और माननीय सदस्य भी हैं । वह शायद चले गये । उन्होंने कहा कि कुछ निश्चित नहीं कहा है ।

मान्यवर, निश्चितता का मतलब क्या है । हम भ्रष्टाचार के बारे में चर्चा करना चाहते है ऐसा कोई कानून है कि मंत्रि मंडल के खिलाफ चार्ज लगावें तो विवरण के साथ फैक्ट्स को लिखें । अगर ऐसा करें तो एक मंत्री के ऊपर ही एक दस्ता कागज लग जाय।जहां, हम सब इस पर विचार

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

करेंगे तो एक नमूना देंगे । मूल बात यह है कि निश्चित विषय है कि जो इल्जामात हैं, भ्रष्टाचार के खुले आरोप हैं उन पर हम विचार करेंगे । आप कहते हैं कि आरोप वेग है । आपकी समझ में हो सकते हैं । मैं कहता हूं कि हमारी प्रेयर निश्चित है । अगर निश्चितता की इससे कोई दूसरी कल्पना है तो मैं कहता हूं कि जुडिशियल सेंस गायब है । राय साहब ने एक किसी पुस्तक को पढ़ा जो कौल की किताब है । मान्यवर, हमारा मार्गदर्शन यदि हमारी इस नियमावली से न हो तब हम दूसरी किताब का सहारा लें । जब यही सही पथ प्रदर्शन करती है तो फिर किसी दूसरे सहारे की जरूरत नहीं है इसलिए इनका दूसरा तर्क भी खड़ा नहीं होता । एक ही बात और कह दूं अगर ऐसी बात होती कि मंत्री के खिलाफ सदन में चर्चा करनी हो तो 275 में ही कर सकते हैं तो देअर मस्ट हैव बीन स्पेसेफिक प्रोहिबिशन' । निश्चित रूप से मनाही होती कि 275 के अलावा दूसरी दफा इस्तेमाल में नहीं ला सकते । लेकिन कानून ने जब हमें अधिकार दिया है तो मैंने अपनी सुविधानुसार जो उचित समझा उसे अख्तियार किया । इसलिए राय साहब का जो आरोप है वह कानून की दृष्टि में और तथ्यों की दृष्टि में कहीं खड़ा नहीं होता ।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी--

अध्यक्ष महोदय, मैं त्रिपाठी जी के विरोध में कुछ कहना चाहता हूं, दो मिनट का समय दे दीजिये । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

सवाल यह है इनका सीधा कहना यह है कि उस रोज मुख्य मंत्री जी ने इस बात की इजाजत दे दी कि इसको ले आ सकते हैं । यह एक मुख्य बात है और कोई बात विशेष नहीं है (व्यवधान)

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)--

एक प्रश्न उठा है तो कुछ निर्णय तो देना ही है। इसलिये यदि हम लोगों को सुन लें तो अच्छा है । जब माननीय त्रिपाठी जी ने उत्तर दिया है तो उस पर बोलना है ।

श्री अध्यक्ष--

औचित्य प्रश्न के बारे में यह है कि औचित्य प्रश्न पर वाद-विवाद की अनुज्ञा नहीं होगी लेकिन अध्यक्ष यदि ठीक समझें तो विनिश्चय देने के पहले सदस्यों की कुछ बात सुन सकते हैं । मैंने इसको सुन लिया, अब सब को बोलने की इजाजत में कैसे दे दूं ?

श्री राज मंगल पांडेय (जिला देवरिया)--

एक मिनट बस सुन लें, ज्यादा नहीं ।

श्री अध्यक्ष--

एक मिनट देता हूं सिर्फ । एक मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिये ।

*श्री राजमंगल पांडेय--

मान्यवर, मुझे निवेदन करना है कि माधव बाबू ने जो बातें कहीं कि मंत्रियों के भ्रष्टाचार के खिलाफ 103 में चर्चा हो सकती है या नहीं हो सकती, तो मान्यवर, यह लोकहित में हो सकता है लेकिन 104 के लिये आवश्यक है कि 105 की शर्तों को जब वह प्रस्ताव पूरा करेगा तभी आप ले सकते हैं । जबतक शर्तें पूरी नहीं हो जायेगी तब तक नहीं होगा । 103 में देखेंगे कि "लोग हित के किसी विषय पर प्रस्ताव द्वारा चर्चा" तो यह कोई संकल्प नहीं है । अधिक से अधिक एक चर्चा हो सकती है । इस प्रस्ताव का आखिरी हिस्सा देखें "इसलिये मैं प्रस्ताव करता हूं कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया जाय" तो यह बिलकुल निरर्थक है । प्रस्ताव नहीं ला सकते, क्योंकि इसमें न कोई संकल्प है नियम में और न कुछ बनता है जब इस प्रस्ताव में चर्चा करनी है तो 105 के अन्दर ही चर्चा करेंगे ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

दूसरा यह है कि आपने ऐक्सेप्ट कर लिया लेकिन इसका मतलब यह भी है कि आपको यह अधिकार है कि अगर यह समझें कि उन नियमों के प्रतिकूल हो जिसके अन्दर इसकी ग्राह्यता आनी चाहिये तो आप उनको कनफाइन करेंगे कि इस सीमा के अन्दर ही विवाद को जारी रखेंगे अगर बाहर जायेंगे तो आप चाहें तो रोकें। 275 में केवल मंत्रियों के बारे में यह बात कही गयी है।

श्री अध्यक्ष---

एक मिनट हो गया।

श्री राजमंगल पांडेय---

जग केवल मंत्रियों के बारे में होगा तो 275 में आयेगा। 103 किसी और चीज के लिये रखा गया है। इसके अतिरिक्त इसमें किसी पार्टी विशेष का मसला इस सदन में नहीं लाया जा सकता। किसी पार्टी का अन्दरूनी मसला कभी भी हाउस में उठाया नहीं जा सकता है। यह प्रेस की जो रिपोर्ट है अनकाउन्डेड, अनकंसर्न्ड है जिसका कोई आधार नहीं है सत्यता का। उसको आधार मान कर अगर कुछ किया जायगा तो न तो यह हाउस चलेगा और न प्रशासन चल सकता है। कोई किसी के खिलाफ जितना कीचड़ उछालना चाहे, उछाल सकता है। इसलिये जो भी चर्चा हो इन नियमों के अधीन हो तो मुझे कोई एतराज नहीं है।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी---

मैं दो मिनट बोलना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---

मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी---

मैं अलग से बात कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---

मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं आपको, आप बैठिये।

श्री शिवकुमार पांडेय (जिला सुल्तानपुर)---

पहले एक बात तो सुन लें। मुख्य मंत्री जी से आप सुन लें। इसके अलावा एक बात और आपको सुन लेना है कि क्या आप या मुख्य मंत्री जी, दोनों में से कोई इस बात के लिये सक्षम है कि बगैर नियमों को निलम्बित किये हुये उनके विपरीत कोई चीज मान सकते हैं। यह प्रस्ताव नियमों के विपरीत है।

श्री बंशीधर पांडेय---

दि हाउस इज दि मास्टर आफ इट्स ओन प्रोसीजर। यह तो हाउस ने तय कर दिया है कल ही।

श्री अध्यक्ष---

माननीय मुख्य मंत्री जी को क्या कहना है ?

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---

आप मुझसे पूछना क्या चाहते हैं ?

श्री अध्यक्ष—

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इसके ऊपर चर्चा हो। आपने उस रोज भी यह कहा था कि उसके ऊपर चर्चा होना चाहिये। इसके ऊपर मैंने आपसे पूछा कि आपकी क्या मंशा है तो आपने यह कहा, मुझे जहां तक याद है कि मैं जो फैसला दे दूं उस तारीख को मैं निश्चित कर दूं हमें कोई एतराज नहीं है। जब आपको एतराज नहीं है उस बात के लिये तो कृष्णानन्द जी दूसरी तरह से एतराज कर रहे हैं। मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि आपने सोच समझ कर यह बात कही थी या नहीं।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मान्यवर, मैं बड़ी नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे प्रति इस प्रकार का प्रश्न करना आपका मेरे साथ न्याय नहीं है। मैंने आपके इस प्रस्ताव को भी नहीं देखा, मेरे पास प्रस्ताव की प्रतिलिपि भी नहीं आयी थी, आपने उस प्रस्ताव को पढ़ कर सुनाया भी नहीं था। आपने केवल इतना कहा था कि चौधरी साहब का एक प्रस्ताव आया था जिसे सायंकाल बिजनेस ऐडवाइजरी कमेटी में रख कर उसके लिये समय निर्धारित किया जायेगा। मैंने यह जरूर समझा कि कोई प्रस्ताव है जिसे आपने ग्राह्य कर लिया है और आज बिजनेस ऐडवाइजरी कमेटी में उसके लिये समय निर्धारित करेंगे। उस पर हमारे कुछ मित्रों ने कहा कि आज अभी ले लिया जाय। चौधरी साहब ने कहा कि अभी नहीं इस वक्त आप एलान कर दीजिये कि आप कब लेंगे। आपने पूछा कि अभी ले लें। मैंने कहा कि जो आपका निर्णय होगा म स्वीकार करूंगा। मैं समझता हूं कि इसमें मेरे रूल्स रेगुलेशन्स देखने का कोई प्रश्न नहीं था। प्रश्न केवल यही था कि आप समय निर्धारित करेंगे और आपने पूछा कि कब समय निर्धारित करूं तो कुछ मित्रों ने कहा कि आज ही ले लिया जाय, चौधरी साहब ने कहा कि आज नहीं, आज केवल एलान कर दिया जाय कि कब लेंगे।

आपने पूछा मुझसे, मैंने कहा आपका निर्णय जो होगा मैं स्वीकार करूंगा। अब अगर कोई कानूनी प्रश्न उठता है तो उस पर निर्णय देने का आपको अधिकार है, आप उसका पालन करें।

श्री चरण सिंह—

मैं एक बात कहना चाहता हूं। माननीय त्रिपाठी जी ने जो कुछ फरमाया वह बिल्कुल सही है, लेकिन एक बात उनकी आंखों से ओझल हो गयी। यह सही है कि उस समय मेरा प्रस्ताव सामने नहीं था, परन्तु उसका जो आशय था वह मैं पूरी तरह से बतला चुका था और वह कार्यवाही में दर्ज भी होगा। कल किसी मित्र ने यह भी कहा था उधर से कि नो-कान्फीडेन्स मोशन लाइये। प्रस्ताव का मतलब पूरी तरह से सामने आ चुका था और वह माननीय त्रिपाठी जी के भी सामने था। इसको टोकनकीलिटीज को छोड़ कर मैं एक और बात कहना चाहता हूं। वह माननीय त्रिपाठी जी के इन्टरेस्ट में है, कांग्रेस पार्टी के इन्टरेस्ट में है और पब्लिक इन्टरेस्ट में है, तथा अपोजीशन के इन्टरेस्ट में भी है और वह यह है कि जब तरह तरह के इल्जामात लग रहे हैं तो यह बेहतर होगा कि एक बार उनकी सफाई हो जाय। (व्यवधान) माननीय त्रिपाठी जी को तो उसका स्वागत करना चाहिये।

श्री शिवकुमार पांडेय—

क्या चौधरी साहब चाहते हैं कि नियमों के विपरीत यदि कोई चीज हो तो वह भी की जाय।

(कई सदस्यों द्वारा शोर)

श्री राम विलास पांडेय (जिला आजमगढ़)—

कल पूरे सदन में यह पास हो चुका है और आज इस पर बहस होना चाहिये, समय बरबाद नहीं करना चाहिये।

श्री शिवकुमार पांडेय---

चौधरी साहब के आरोप क्या हैं.... (व्यवधान)

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---

प्रश्न यह है.....

श्री अध्यक्ष---

मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं । आप कृपया बैठें । यह बात सही है कि कल जब माननीय मुख्य मन्त्री जी ने कहा था तो उनके सामने वह प्रस्ताव नहीं था और उस वक्त तक उन्होंने उसको देखा भी नहीं था । वह मेरे दफ्तर की गलती थी कि उनके पास नहीं भेजा गया था । उनके पास उसकी एक कापी पहले से पहुंच जानी चाहिये थी । वह हमारी गलती है, उसको मैं कबूल करता हूं । मैं यही समझता रहा कि यह सब चर्चा उसी बात पर चल रही है और इसीलिये मैंने उनसे भी पूछा था और उन्होंने कहा कि मैं जो तारीख तय करूंगा ठीक है । अब गलतफहमी हो सकती है । (व्यवधान) माननीय कृष्णानन्द राय जी का कहना भी बिल्कुल सही है कि मैं किसी वक्त भी सुनने के बाद यह कह सकता हूं कि इसको टाल देना चाहिये, लेकिन जब दो ऐसे महानुभाव यहां बैठे हों जो पहले चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हों, नेता विरोधी दल भी रह चुके हों, दूसरे यहां नेता सदन भी रह चुके हों तो इसमें कोई नुक्सान नहीं है अगर ऐसी चीज हो जाय कि इस पर चर्चा हो जाय । जो कायदे के हिसाब से भी न हो और हमने एक लांछन लगा दिया जो 104–105 में स्पष्ट दिया हुआ है कि किसी के ऊपर आक्षेप या बदनाम करने की चीज यहां नहीं कह सकते हैं । तो चौधरी साहब ने अपने प्रस्ताव में इन चीजों का जिक्र नहीं किया, किसी के ऊपर आक्षेप नहीं लगाया तो यह देखते हुए मैंने यह समझा कि यदि यह इस बात को मंजूर करते हैं तो क्या हर्ज है । आप जवाब दे सकते हैं इनका, इनकी बातों का किये निराधार हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, विरोधी दल वाले तो कहते ही हैं, इसमें कोई बहुत बुरा मानने की बात नहीं है ।

(व्यवधान)

जब आप उनकी लाई चीज को गिरा सकते हैं तो मैंने यह अनुचित नहीं समझा कि इस की इजाजत दे दें । इससे किसी को नुक्सान नहीं होने वाला है । पर मैं इस बात की इजाजत नहीं दूंगा कि यहां पर किसी का नाम लिया जाए, किसी को बदनाम किया जाये । यह बात 105 में स्पष्ट रूप से मंजूर नहीं है । कोई आदमी इस तरह से बोलेगा तो मैं टोक दूंगा, उसे रोक दूंगा । यदि किसी मन्त्री के बारे में विशेष इंस्टेंज बताना चाहें तो मैं बताने नहीं दूंगा, क्योंकि यह पहले ही बताना चाहिये था । 105 में मोशन केवल चर्चा का हो सकता है । इसी बेसेज पर मैंने मुख्य मन्त्री जी से पूछा था और उनका कहना भी ठीक है यदि उन्हें पहले मालूम होता तो उसका वह विरोध भी करते । अब जब उन्होंने विरोध नहीं किया, तो थोड़ी सी बातें दोनों तरफ से हो जाती है तो कोई सवाल नहीं है, इससे किसी को अपमानित नहीं मानना चाहिये ।

श्री शिव कुमार पांडेय---

लेकिन रूल के अन्दर की तो बात होनी चाहिये ।

श्री अध्यक्ष---

इसलिये अब मैं रोक नहीं सकता हूं, क्योंकि उस वक्त यह फैसला हो गया है यह अब होना ही चाहिये । लेकिन इसको मैं अवश्य रोकूंगा अगर नाम लेकर किसी को बदनाम करेंगे । नियम 105 में इसकी मंजूरी नहीं है ।

(व्यवधान)

मन्त्रि-मण्डल के सदस्यों के विरुद्ध तथाकथित भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच एक आयोग द्वारा कराने के सम्बन्ध में प्रस्ताव

श्री चरण सिंह---

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं। अगरचे इस सदन के 50 मिनट उस चीज के बारे में लग गये, क्योंकि निर्णय आपका स्पष्ट था और हर निर्णय के बाबत दो बात तो हो सकती हैं। लेकिन किसी सदन का काम नहीं चलेगा, यदि अध्यक्ष महोदय के निर्णय पर काम न हो, जबकि त्रिपाठी जी ने अपनी मन्जूरी उस पर दे दी थी। मेरा सदन को दिया हुआ मजमून तो ऐसा है कि जो आदमी भी इस अपने स्टेट की बहबूदी चाहता है, 9 करोड़ जनता की भलाई चाहता है, जिस पर उनको कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिये।

मैं आगे निवेदन करने से पहले यह जानना चाहूंगा कि मैं किसी का नाम तो न लूं, लेकिन सारी गवर्नमेन्ट को तो कह सकता हूं या नहीं। यदि इस पर भी कोई प्रतिबन्ध होगा तो मैं कोई बात नहीं कह सकूंगा। यह बात आप पहले स्पष्ट कर दीजिये, तब मैं बोलूं वरना आप मुझे बीच में रोकेंगे। यह बात अवश्य है कि यों सारा भार त्रिपाठी जी पर पड़ जाएगा।

श्री अध्यक्ष---

उन्होंने तो कह दिया है।

श्री चरण सिंह---

यह उनकी उदारता है।

श्री अध्यक्ष---

प्रस्ताव तो आप पेश करें।

चरण सिंह---

†पढ़ा हुआ समझ लिया जाय। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको और अपने मित्रों को यकीन दिलाता हूं (व्यवधान) छींकने से जाने वाली बात नहीं है। यह कोई टोटके का काम नहीं है।

श्री अध्यक्ष---

आप आध घंटा बोलेंगे ?

*श्री चरण सिंह---

जरा ज्यादा वक्त लग जायगा। हो सकता है सवा घंटा लग जाय।

मैं यह अर्ज कर रहा था कि जो कुछ मैं कहने जा रहा हूं वह कर्तव्यवश कहने जा रहा हूं। हो सकता है कि कोई बात मेरे मित्रों को अप्रिय लगे तो मैं माफी चाहूंगा। मैं हल्के अल्फाज इस्तेमाल करने की कोशिश करूंगा। दरअसल, जो बात मैं कहूंगा, मेरा विश्वास है, वह ऐसी है, जितने माननीय मित्र बैठे हैं, उनकी बहुसंख्या के दिल की, और अपने कांशश, जमीर की बात और चाहे वह जाहिर कर सकते हों या न कर सकते हों।

जनता के सुख और समृद्धि के लिये यह आवश्यक है कि प्रशासन अच्छा हो, स्वच्छ कुशल और निष्पक्ष हो। लेकिन शासन का मतलब हुआ जिसको ऐडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, गवर्नमेन्ट के कर्मचारियों के जरिये जो प्रबन्ध और सेवा होती है वह प्रशासन। लेकिन प्रशासक लोग, ऐडमिनिस्ट्रेटर्स स्वच्छ और कुशल और निष्पक्ष तभी रह सकेंगे जब इस प्रकार की मिसाल जिनके हाथ में अल्टीमेट रेस्पांसिबिलीटी हैं इस केश के गवर्नेंस की, सेवा करने और तरक्की करने की, इसको ऐडमिनिस्टर करने की जिनके हाथ में अन्तिम ताकत है जब वह स्वयं ऐसी मिसाल पेश करें।

---

†प्रस्ताव के लिए देखिए पृष्ठ पृ14।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अध्यक्ष महोदय, मुझे शिकायत यह है कि ऐसी मिसालें पेश नहीं की गयीं। हमारा देश सैकड़ों वर्ष विदेशी आटोक्रेटिक शासन के अधीन रहा। लेकिन हमारे देश की खुशकिस्मती यह थी कि उसकी स्वतंत्रता का संग्राम बड़े ऊंचे मारल प्लेन से लड़ा गया, उसका स्तर बहुत उंचा था।

हमारे लीडर महात्मा गांधी जैसे आदमी थे जो सच्चाई और कर्तव्य परायणता के एक प्रकार से एम्बाडीमेन्ट, परसोनिफिकेशन थे। तो आशा यह थी कि उनके शिष्यों के हाथ में जब मुल्क आयेगा और ऐसे शिष्य जो स्वयं बड़े योग्य थे, बड़े चरित्रवान थे, तो देश बहुत जल्दी तरक्की करेगा और पब्लिक लाइफ तथा एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसे स्टैंडर्ड तथा नमूने कायम किये जायेंगे जो दुनिया के किसी दूसरे देश से पीछे नहीं होंगे और बहुत जल्दी हमारी देश दुनिया के प्रगतिशील देशों की पंक्ति में खड़ा हो जायगा जिनकी संख्या 18,20 के लगभग है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, हमारी जनता की आशायें धूल में मिल गयीं, पूरी नहीं हुईं और अगर आशायें पूरी हो गयी हों, मेरे मित्र ऐसा समझते हैं, तो उनको मुबारकवाद लेकिन मेरी अपनी फीलिंग और प्रतिक्रिया यह है कि मेरे मित्र मानें या न मानें और चाहे यह समझें कि बहकावे के लिये ये बातें कहीं जा रही हैं कि जिन अरमानों तथा स्वप्न को लेकर काम किया गया था वे पूरे नहीं हो सके और जो वातावरण तथा वायुमंडल उस समय जब कि देश गुलाम था आज के मुकाबले में जो देश का वातावरण है उससे फार बेटर लगता है।

यू0 पी0 के हालात का जिक्र करना है। सारे देश से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। में इस बात को मान सकता हूं कि जो लो पेड सरकारी कर्मचारी हैं उनको उतना नहीं दे सकते जितना कि हमको देना चाहिये। गरीब मुल्क की सरकार अपने नीचे के सरकारी कर्मचारी को उतना नहीं दे सकती जिसके वे अधिकारी हैं। अध्यक्ष महोदय, चूंकि हम उनको उतना नहीं दे सकते इसलिये एक बार उनको माफ किया जा सकता है अगर वह कुछ नाजायज तरीके से आमदनी को बढ़ायें लेकिन हमारे प्रदेश की हालत यह हो गयी है कि बहुत से बड़े अफसरान यहां तक कि कलेक्टर तथा कमिश्नर के स्तर के लोगों का ताल्लुक है, उनके लिये भी यह नहीं कहा जा सकता कि वे पूर्णतया ईमानदार हैं अथवा ईमानदार हैं और इससे भी ज्यादा तकलीफ की यह बात है कि जो उनसे भी ऊंचे लोग हैं, जो मिनिस्टर्स की कैटेगरी में आते हैं जो लोगों की श्रद्धा तथा पूजा के पात्र होने चाहिये थे, उनके मुताल्लिक भी जब यह नहीं कहा जा सकता तो फिर इस देश का भविष्य अन्धकारमय है।

हमारे प्रदेश की स्थिति ऐसी हो गयी है जो इतिहास में भी हमने नहीं पढ़ा, फ्यूडल जमाने में, पुरानी कहानियों में शायद किसी देश और प्रदेश की यह दुर्गति रही होगी जो आज इस प्रदेश के शासन की वजह से हमारे प्रदेश की स्थिति पैदा हो गयी है। बुरा नहीं मानेंगे मेरे दोस्त और सहन करेंगे इस बात को कि बहुत बड़ी तादाद है केबिनेट मिनिस्टर्स की, छोड़ दीजिये स्टेट तथा डिप्टी मिनिस्टर्स को, मैं समझता हूं कि कम से कम आधों के मुताल्लिक यह कहा जा सकता है और एक अ.ध के मुताल्लिक तो यह भी कहा जा सकता है कि उनके परिवार के लोग भी इस देश को बचुंअली दोनों हाथों से लूटने में लगे हुए हैं रोजाना, रोजाना अध्यक्ष महोदय, कुछ विभागों को छोड़कर कोई ऐसा मेजर आर्डर अथवा डिसीजन नहीं होता जिसमें मिनिस्टर के एप्रूवल या इनिशिएटिव की अवश्यकता न हो और उसमें पैसा न लिया जाता हो। यही नहीं, नार्मल स्थिति में एक चीज सामने आई, उसमें कुछ अड़चन आ गयी तो ऐसी स्थिति पैद की जाती है कि सरकारी नौकर पैसा दे तब उसका काम किया जाय। आउट आफ दी वे जाकर ऐसे हालात पैदा किये जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय, बहुत सी बार ट्रांस्फर के सम्बन्ध में रुपया लिया जाता है। जो सही काम होता है उसे नहीं होने दिया जाता है। जिनके खिलाफ कदम उठाये जाने चाहिये थे वे नहीं उठाये गये, इस चीज को कोई कंसीडरेशन नहीं दिया जाता है, बहुत से मिनिस्टरों के तो बाकायदे ऐजेन्ट छुटे हुये हैं। जो ट्रांसफर पर जाते हैं, उनको वहां कान्टैक्ट किया जाता है। अध्यक्ष

[श्री चरण सिंह]

महोदय, गजेटेड आफीसरों के ट्रांसफर तक तक ही कहूंगा क्योंकि इससे नीचे की सर्विसेज में भी हो सकता है। रुपया लेकर रोक दिये जाते हैं और रुपया लेकर ट्रांसफर कर दिये जाते हैं। पहाड़ से एक अखबार निकलता है उसमें दो-तीन मिसालें दी हुई हैं कि जिला मजिस्ट्रेट का ट्रांसफर 15 हजार रुपया ले कर रुकवा दिया गया। जिला मजिस्ट्रेट ने एक आदमी को 25 हजार रुपया का एक परमिट दिया। यह नुकसान किसका हुआ? जाहिर है यह नुकसान सरकार का हुआ। इसी तरह की अनेकों मिसालें हैं। यह सुनकर और देखकर बड़ा ताज्जुब होता हैं। मैंने अपने साथियों से सुना कि मेरे डिवीजन के एक कलेक्टर साहब का भी यही केस है। इसी तरह के मामले और कलेक्टरों के भी हो सकते हैं जिन्हें कि मैं नहीं जानता हूं।

अध्यक्ष महोदय, बनारस डिवीजन में एक डिस्ट्रिक्ट है--मैं कोशिश करूंगा कि किसी मिनिस्टर या आफीसर को लोकेट नहीं करूं, जिसमें कि एक इन्जीनियर 3/4 साल रह चुके हैं। उनके खिलाफ बड़े भारी आडिट आब्जेक्शन्स हैं। उनका ट्रान्सफर हुआ। शायद वे एक दो साल दूसरी जगह भी रहे और फिर उनको मिनिस्टर कन्सर्न्ड जो थे, बावजूद लोगों के मना करने के, उसी जगह फिर ट्रांसफर कर दिये गये। उसका क्या नतीजा निकाला आपने? मैं कहता हूं कि क्या जरूरत थी फिर उन्हें वहीं ट्रासफर करने की? जब आपका नियम यह है कि जो आफीसर किसी जगह पर रह चुका हो तो 5 साल तक उसका तबादला उसी जगह पर न किया जाय। लेकिन आप एक-दो साल के अन्दर ही उसे उसी जगह पर भेज देते हैं जहां पर वह पहले था। फिर शिकायतें आती हैं। ऐसे ही हजारों केसेज रोज आते और होते हैं। मेरे पास इतना समय नहीं है कि उन सबका रिकार्ड रखूं। मैंने एक दो महीने से एक फाइल बना रखी है उसके ऊपर मैंने लिखा है "प्रदेश के कांग्रेस शासन की करतूत"। उसमें बहुत से कागजात--प्रिंटेड तथा लीफलेट्स मिनिस्टर और आफिसर कन्सर्न्ड के खिलाफ जो हैं, वे भी रखे हुये हैं। मैंने अभी तक उन्हें पढ़ा भी नहीं है। मैं सोच रहा था कि उनको देख लूं शायद कोई ऐसा लीफलेट मिल जाय, किन्तु इतना समय नहीं मिला। मैं उनके बारे में तफसील में नहीं जा सकता। मैं समझता हूं कि सभी माननीय सदस्यों के पास किसी न किसी मिनिस्टर के खिलाफ अवश्य कुछ न कुछ शिकायत आती होगी। अध्यक्ष महोदय, कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं, --किन्तु अब पता नहीं है आपने प्रतिबन्ध लगा दिया है--जिनके मिनिस्टर अब बदल गये हैं।

श्री अध्यक्ष--

इस तरह से इशारा न कीजिये, नहीं तो प्वाइंट आफ आर्डर उठाया जा सकेगा।

श्री चरण सिंह--

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे एक बार पहले भी रोका था। यही हाउस है जिसमें फ्रीडम आफ इक्सप्रेशन है। जिसमें ऐसी बात यहां कह सकता हूं जो बाहर नहीं कह सकता। फिर भी वह पब्लिक इंटरेस्ट में है, मेरा कोई प्राइवेट इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा लगता है कि मेरे माननीय मित्र दुनिया को ऐसे चश्मे से देखते हैं जिससे उनको दूसरी ही चीज दिखलायी देती है। मैं उस चश्मे को उतारने के लिये कह रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि एक आदमी का ट्रांसफर किया गया। माननीय मुख्य मन्त्री जी पहले कह चुके थे कि इनके पिताजी एक प्रसिद्ध जनसेवक हैं और उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है इसलिये उनका ट्रांसफर न करो। उस समय उनका ट्रांसफर रुक गया, फिर कर दिया। उसके बाद फिर दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया, फिर उनका तीसरा ट्रांसफर कर दिया, फिर कुछ दिनों बाद चौथा ट्रांसफर कर दिया। यानी जब तक उनका मुतालबा पूरा नहीं हुआ, तब तक वे अपने स्थान पर वापस नहीं आये। ऐसी अनेक चीजें हैं जिनमें ट्रांसफर के लिये इतना रुपया दो, और अगर नहीं देते

हो तो तीसरी जगह, चौथी जगह ट्रांसफर। फिर जिस रोज उन्होंने चार्ज लिया उसी रोज तीसरा ट्रांसफर या चौथा ट्रांसफर । ऐसे कई केसेज मेरे नोटिस में लाये गये हैं और एक बहुत जिम्मेदार आदमी ने मुझे कुछ कागजात भी दिये हैं। वे आर्डर्स विद नेम्स मेरे पास मौजूद है। फोटो स्टेट कापीज भी तीन चार केसेज की हैं। आपने कहा कि किसी का नाम नहीं लिया जाय तो मैं नाम नहीं लूंगा।

नियम यह है कि कि 600 रुपये से कम आमदनी वाले को फिएट कार नहीं मिलनी चाहिये। प्रिंटेड अप्लीकेशन फार्म में लिखने वाला या लिखने वाली यह लिखती है कि मेरी आमदनी 400 रुपये या 300 रुपये और मंजूर। क्यों? जब आपके प्रिंटेड फार्म में एक नियम लिखा हुआ है कि इससे कम तनख्वाह वाला, या इससे कम आमदनी वाला फिएट कार नहीं ले सकता। एक केस ऐसा भी मेरे नोटिस में आया कि उसे सन् 1971 में फिएट कार मिली और फिर सन् 1972 में उसे दूसरी फिएट कार दे दी गयी अपने हुक्म से। तो मैं जानना चाहता हूं अपने मित्र शिव कुमार पांडेय जी और आचार्य जी से जो उनकी पैरवी में खड़े हो रहे थे और राजमंगल पांडेय जी से कि क्या यह स्टेट मिनिस्टरों की कोई जागीर है, या उनकी मिल्कियत है? या ऐसे मिनिस्टर्स केवल अपने स्वार्थ का सम्पादन करने के लिये यह कार्य करते हैं? अगर यह डेमोक्रेसी है तो यह स्टेट किसी की मिल्कियत नहीं है। डेमोक्रेसी के माने हैं रूल आफ ला तो जो नियम या ला आपने बना रखा है, तो चाहे कोई मिनिस्टर हो या चीफ मिनिस्टर हो, या कोई भी व्यक्ति जिसके हाथ में पोलिटिकल पावर हो, जो वोट के जरिये चुन कर आता है, अगर वह भी जानबूझ कर कानून का उल्लंघन करता है तो फिर कैसे प्रशासन चलेगा और कैसे कोई इस तरह के प्रशासन में विश्वास करेगा? टैक्सी मंजूर करने के लिये एक कमेटी बनी थी। उस पर एतराज हुआ तो कमेटी बनी थी। एक कमेटी मेरे जमाने में भी डिपार्टमेंट की बनी थी। उसमें आफिसरान भी मौजूद थे। उस समय मैंने नियम बना दिया था और नीति निर्धारित कर दी थी कि किस आधार पर टैक्सी के लिये मंजूरी दी जाय। उस समय यह नहीं था कि मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर परमिट दे।

अच्छे ऐडमिनिस्ट्रेशन के माने तो यह हैं कि जो नियम और नीति निर्धारित कर दी जाय उसी आधार पर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर नहीं बल्कि जो क्लर्क हैं वह परमिट इश्यू करे। अगर वह ईमानदार है तो सही काम करेगा। अगर वह ईमानदार है तो मेरा ऐसा विश्वास है कि वह जानता है कि गलती करने पर सजा मिलेगी। इस तरह से छोटी-छोटी बातों में मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर का वक्त क्यों जाया जाय। फिर बाद में एक मिनिस्टर साहब आये जिन्होंने इस काम को अपने हाथ में ले लिया, इस पर फिर शोर मचा तो फिर कमेटी बनायी गयी। सेंटर से कोई कोटा निर्धारित है टैक्सी मंजूर करने का। पहले टैक्सी की मंजूरी कर दी गयी। उस पर किसी ने एतराज नहीं किया, क्योंकि उस समय वह कमेटी के परव्यू से बाहर की चीज थी। लेकिन अगले रोज प्राइवेट यूज के लिये उसको कर दिया। कह दिया कि यह प्राइवेट यूज के लिये है। यह कितने केसेज हैं? अगस्त, 1971 से लेकर अक्तूबर, 71 तक 28 टैक्सियों का कोटा था उनमें 19 को प्राइवेट यूज के लिये कर दिया गया। यह दुनिया की खातिरदारी के लिये किया गया, मैटीरियल कंसीडरेशन्स से किया गया है। नवम्बर, 1971 से लेकर मार्च, 1972 तक 50 में से 34 टैक्सियों को प्राइवेट यूज के लिये कर दिया गया। इस तरह की बहुत-सी चीजें हैं।

अध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र यकीन नहीं करेंगे। लेकिन मुझे कोई खुशी नहीं होती है कि मैं किसी का नाम लूं या किसी के भाई या बेटे का जिक्र करूं। इसलिये छोड़े देता हूं। नेशनेलाइजेशन आफ रूट्स का नोटिफिकेशन हो गया बुलन्दशहर से मेरठ के रोड का। लोगों ने इस पर

[श्री चरण सिंह]

एतराज किये और उसकी अपील डी० एल० आर० ने सुनी । कुछ दिनों तक तो स्टे करा लिया गया । बाद में नेशनेलाइजेशन आफ रूट्स के आर्डर को विद्ड्रा कर लिया । क्यों कर लिया ? यह सारी बात मेरठ से लेकर बुलन्दशहर तक चल रही है । लेकिन मैं जिक्र न करूं । पाप होता रहे, वह बुरा नहीं है, रिश्वत ली जाती है, वह बुरा नहीं है देश के हित का हनन होता रहे, वह बुरा नहीं है । लेकिन मैं किसी का नाम न लूं, यह आपका हुक्म है । मैं इसको पूरी तरह से बजा लाता हूं ।

मुझे कुछ और बात भी कहनी है और माननीय त्रिपाठी जी से तो मुझे कुछ सीधी बातें कहनी हैं । अध्यक्ष महोदय, पम्पिंग सेट.....

श्री त्रिवेणी राय (जिला आजमगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । (व्यवधान) मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि पिछली बार सदन में चौधरी साहब के खिलाफ हमने कुछ आरोप लगाये थे जिनका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था और सदन से वाक आउट कर गये थे । क्या माननीय चौधरी साहब उनका भी जवाब देंगे ? यह मेरी व्यवस्था का प्रश्न है । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप जब कोई प्रस्ताव नहीं लाये । (व्यवधान)

श्री त्रिवेणी राय—

मान्यवर, यह परम्परा रही है कि जब किसी के खिलाफ चार्ज लगाये जायं तो वह उनका जवाब देकर तब चार्ज लगाये ।

श्री अध्यक्ष—

मैं किसी के ऊपर चार्ज लगाने की इजाजत नहीं दे रहा हूं । उनका जैसा प्रस्ताव था [उसी तरह से बोलिये ।

श्री चरण सिंह—

मान्यवर, मैं बहुत कृतज्ञ हूं कि आपने इल्जाम लगाने का मौका नहीं दिया और मैंने भी नहीं सुना । पिछली बार चार्जेज लगाये गये थे तो मैं गैर हाजिर था । दूसरे दिन मैं जवाब देना चाहता था लेकिन आपने मुझे केवल दस मिनट का ही समय दिया । जो चार्जेज जब लगे या अब भी मेरे ऊपर जो चार्जेज लग सकते हों, वह लगा दीजिये । लेकिन जो आपके मिनिस्टरों के खिलाफ चार्जेज हैं उनकी हाई कोर्ट जज तहकीकात करेगा और मेरे खिलाफ जो चार्जेज हों, उनके खिलाफ भी हाईकोर्ट जज तहकीकात करें । मैं तैयार हूं उसके लिये...

. (व्यवधान)

श्री त्रिवेणी राय—

यह इस सदन के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, पहले इनके खिलाफ जुडीशियल इन्क्वायरी बिठाई जाय तब हम उनकी बात मान सकते हैं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

यह आपमें शक्ति नहीं है कि किसी के खिलाफ आप जूडीशियल इन्क्वायरी बिठा सकें । यह शक्ति तो सदन के बहुमत में ही है ।

श्री भाभी यादव (जिला आजमगढ़)—

यह रात दिन रिश्वत लेते हैं और ईमानदार बनते हैं हम हर तरह से उनके मु [illegible] तैयार हैं..... (व्यवधान)

श्री चरण सिंह—

माननीय त्रिवेणी राय जी, जिनको मैं बहुत दिन से जानता हूं, उन से मेरा निवेदन है कि जिस स्प्रिट में वह बात कर रहे हैं, उसी की वजह से यहां कोई सही काम होने वाला नहीं है। मुझे सचमुच बहुत तकलीफ है उससे जो कुछ मैं बयान करने जा रहा हूं या जो कुछ मैंने बयान किया और जिस नम्रता के साथ, लगाम लगाकर मैं अपनी बात कह सकता हूं वह कह रहा हूं लेकिन वह उसको एप्रीशियेट नहीं कर सकते। वह स्वयं शीशे के मकान में रहते हैं और पत्थर के मकान में रहने वालों पर ईंट फेंकने की कोशिश करते हैं।

मैं कह रहा था कि डिपार्टमेंट की तरफ से पम्पिंग सेट्स सप्लाई करने के लिये लाखों रुपये के टेंडर्स काल हुये। एक फर्म फारेन फर्म के कोलेबोरेशन में बनी है, उसके रनिंग एक्सपेंसेज और पैसे भी कम थे लेकिन एक साहब का नाम नहीं लूंगा, बहुत ही मंजूरेनजर हैं गवर्नमेंट के सप्लायर हैं, उनको वह दिया गया। मैंने यह सुना है कि इस तरह के और भी काम हुये विभाग में कि माननीया बहिन इन्दिरा जी तक वह बात पहुंची और उन्होंने उस पर जो कुछ भी माननीय मुख्य मंत्री जी से कहा हो और वह महकमा बदलने की बात भी हो सकती है। जब उनका टेंडर ऊंचा था तो उसकोकम कर के जबकि दूसरा टेंडर हो, नीचे दाम हों, रनिंग एक्सपेंसेज कम हों, पैसा कम हो तो क्यों उसें मंजूर किया गया ? यह वह खुद सोचें।

इसी प्रकार मिनि बसेज की बात हमारे सामने आई। बहुत से मामले हमारे सामने आते रहते हैं। मिनि बसेज कैसी होती हैं, उन के बारे में हवा यह है कि उनके बारे में हुक्म यह हुआ कि किसी खास मैनुफेक्चरर की बस खरीदेंगे तभी परमिट मिलेगा। हो सकता है कि उनसे कुछ जनता की सेवा समझी गई हो, कि वह थोड़ी सवारी लेकर चलेगी और जिनको जल्दी होगी और जो यात्री वक्त से पहुंचना चाहते हों, उनको सुविधा हो जायगी। वह पब्लिक इन्टरेस्ट में चलाई गई लेकिन फलां जगह से फलां मेनुफेक्चरर से ही खरीदी जाय तब ही परमिट मिलेगा, इससे शुभा होता है। हो सकता है कि गोलमाल न हो और हो सकता है कि हो। गोलमाल की बात हमने सुनी है और अगर आप कहें कि किन्हीं लोगो के खिलाफ इस गोलमाल के चार्जेज हैं तो इसकी या तो चीफ मिनिस्टर साहब तहकीकात करें और उन्होंने कोई खाता खोल दिया हो और लोगों को विश्वास हो कि उनकी तहकीकात सही हुई होगी या नहीं और उसके लिये सदन में कोई अदालत बैठे तो सदन यह काम नहीं कर सकता। जूडीशियरी इसीलिये है कि मैं जो बात आपके द्वारा मंत्रियों के सामने रख रहा हूं और जो चारों ओर से आरोप आ रहे हैं, वह गवर्नमेंट के इन्टरेस्ट में नहीं हैं, वह कांग्रेस पार्टी के इन्टरेस्ट में भी नहीं है और जनता के इन्टरेस्ट में भी नहीं है। उनको स्क्रेच करने का एक यही रास्ता है कि एक जुडीशियल कमीशन के सामने इन तमाम चीजों को भेज दें।

इसी तरह से गाजियाबाद, जो कि इन्डस्ट्रियल एरिया है, में कोई मशीन बनती है। प्वा-नियर के एक एडिटोरियल में मैंने पढ़ा। किर्लोस्कर की एक मशीन है जबकि वही मशीन गाजियाबाद के लोग बनाते हैं और वह मशीन इन्स्टीट्यूट आफ स्टेन्डर्ड एवं डिजाइन, गवर्नमेंट आफ इंडियासे भी एप्रुव्ड है। आउट आफ दि वे जाकर भी इस इन्डस्ट्री को फिलिप देना चाहिये लेकिन जिन लोगों ने अपने आप इस मशीन को बना लिया है, उसकी भी आप मदद नहीं करते हैं, बड़े दुःख की बात है। आज यह चर्चा का विषय बना हुआ है।

इसी प्रकार से, अध्यक्ष महोदय, आपको सुन कर ताज्जुब होगा कि डिपार्टमेंट हेड के आफिस में एक क्लर्क हैं। उसको एक छोटी मशीन की जरूरत थी 500 रुपया उससे भी लिया गया। एक जिम्मेदार आदमी उस क्लर्क को लेकर गया। वह आदमी बाहर खड़ा है, जरा बात कर लीजिए। कितने अफसोस की बात है कि अपने महकमे के क्लर्क को भी नहीं छोड़ा गया।

नानक सागर, नैनीताल जिले में एक डैम है। वहां पर मछलियों का ठेका दिया जाता है, पहले पब्लिक आक्शन होता था और होना भी चाहिये। पब्लिक आक्शन में चाहे काम कम

[श्री चरण सिंह]

ही क्यों न आये लेकिन मिनिस्टर्स और अधिकारियों पर कोई लांछन नहीं लग सकता है। पब्लिकली आक्शन होना चाहिये लेकिन आक्शन नहीं कराया जाता है और किसी एक शख्स को दे दिया जाता है, क्यों और कम दाम पर दे दिया जाता है ?

उजियार घाट है उसका एक मैनेजर है वह हर पार्टी के, जितनी भी सरकारें बदली हैं, सबके—इतना होशियार आदमी है और ऐसा ही आदमी दुनिया में कामयाब हो सकते हैं—मय जूते के पेट में घुस जाता है और उसको उजियार घाट में ठेका दे दिया गया। कलेक्टर ने लिखा कि सरकार के हाथ में रहना चाहिये। पी0 डब्लू0 डी0 को दिया गया, उस पर भी शिकायत रही। तब उससे हटा लिया गया और अब उसके बाद फिर उसको दे दिया गया। 8 महीने के अन्दर उससे सा0 नि0 वि0 द्वारा 1971–72 में 1,72,000 रुपये की आमदनी होती थी। 1971-72 में 8 महीने के अन्दर उससे 1,45,000 रुपये की आमदनी की। इस का मतलब यह होगा कि एक वर्ष में 2 लाख रुपये की आमदनी हो सकती है लेकिन 30 नवम्बर, को मुख्य मंत्री जो के दबाव के कारण जैसा इसमें लिखा है, यह घाट बिना नीलाम कराये श्री गोरख उपाध्याय के लड़के को और ब्रजेन्द्र उपाध्याय को केवल 1 लाख, 40 हजार रुपये के लिये प्रतिवर्ष तब तक दे दिया गया जब तक पुल बने उस पर अनिश्चित काल के लिये और यहां सवाल किया माननीय मेरे सहयोगी ने और जबाव यह दे दिया कि उनको एक जगह और पुल मिला हुआ था बनारस में, वह उनसे लेना था। उसका मुआविजा दिया जाय इसलिये पन्द्रह वर्ष का हिसाब लगाकर जो औसत हुआ उसी हिसाब से दिया गया। क्यों साहब, अगर आप पच्चीस साल का औसत निकालें तो 1 लाख, 40 हजार का नहीं बैठता। हर साल जब लीज इतना बबढ़ताजा रहा है तो आगे को उसके ज्यादा दाम मिलेंगे। और लोगों की तादाद बढ़े हर साल जब लीज इतना बढ़ता जा रहा है तो आगे को उसके ज्यादा दाम मिलेंगे। और लोगों की तादाद बढ़ रही है, वेहिकिल्स की तादाद बढ़ रही है। तो जैसे समय बीतेगा हर पुल पर ज्यादा आमदनी होगी। लेकिन नहीं। यह सब किस लिये है ? यह इसलिये कि ये निष्पक्ष हैं। लेकिन पन्द्रह वर्ष का औसत निकाला। औसत निकाला तो ऐसे निकालते कि जैसे हर साल बढ़ता जा रहा था उसी हिसाब से देना चाहिये था। उसमें कोई शिकायत नहीं कर सकता था। लेकिन नहीं। औसत निकाला 70–71 और सन् 54–55 का।

लेकिन अध्यक्ष महोदय, आपने तो वकालत की है। आप जानते हैं इस बात को कि न कोई किसी के सामने रिश्वत लेता है और न ही कोई देता है लेकिन दीवारें और कागज बता देते हैं इस तरीके से की बहुत सी बातें हैं। यही नहीं, अध्यक्ष महोदय, कुछ गलतफहमी पिछली बार हो गई थी। इन्डस्ट्रियलिस्ट्स से तो ये रुपये लेते रहते हैं। यह तो रिवाज या शिष्टाचार हो गया है। सही बात है लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे भी कभी मिलूंगा और जानना चाहूंगा और माननीय मित्रों से अभी पूछ लेता हूं कि दुनिया के किसी गवर्नमेंट ने अपने ही सबार्डिनेपब्लिक सर्वेन्ट से ही कभी पैसा लिया है, नहीं लिया होगा।

(इस समय 2 बज कर 24 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

मैंने कहा कि यह टेल्स-फेबल्स की कहानी है। लेकिन यह उत्तर प्रदेश में घट रही है। मैं तो सुल्तानपुर के शिवकुमार पांडेय जी से कहूंगा कि इनके कोई लगाम लगाओ और कोई इलाज करो। आपका भी कुछ कर्त्तव्य है, आप दूसरे किसी नेता को चुन लो। आप तो 132 शुरू में थे और 150 और हैं उनके मुताल्लिक मैं बाद में अर्ज करूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब तो क्रिमिनल से भी लिया जाता है। कौटिल्य के राजा के लिये पांच कन्टक गिनाये हैं। राजा का फर्ज है कि वे प्रजा की रक्षा इन पांच कन्टकों से करता रहे। मुझे इस समय तीन हीं याद हैं बेईमान दुकानदार, बेईमान कर्मचारी, डाकू, चोर, और बदमाश। तो दूकानदार तो जो हैं उनके मुकाबिले में कोई नहीं है, राज कर्मचारियों से

अगर रुपये लिये गये तो उनको तो खुली छूट है। उन पर आप क्या नैतिक डिसिप्लिन रख सकेंगे? वे नोटिस लेंगे अपने आप और ये क्रिमिनल्स आ गये। एक बात है कि किसी साहब ने बताया कि पांच या छः दिसम्बर को लखनऊ, छः को बनारस, जौनपुर दो रोज, प्रतापगढ़ दो रोज रहे। जो मिला उसने कहा और अखबार में भी पढ़ लिया। गवर्नर साहब जिस डिब्बे से गये थे उससे मैं भी गया था। गवर्नर साहब के सामने वाराणसी की सब पालिटीकल पार्टीज ने एक रिप्रेजेन्टेशन दिया। तो इसे मेरी बात न समझ कर सब पार्टीज की ही समझें। 13 आदमियों के खिलाफ प्रिवेन्टिव डिटेन्शन ऐक्ट के मातहत डी0 एम0 ने वारन्ट निकाले। 12 दिन डी0 एम0 को कस्टडी में भेल भेजने का अधिकार है। 4 गिरफ्तार हुए, 9 मफरूर रहे। डी0 एम0 वहां का बड़ा योग्य आदमी है, एस0 पी0 भी योग्य आदमी है। तो उन दोनों ने 13 आदमी पकड़ जो मुगलसराय यार्ड से चोरियां करते थे। मुगलसराय यार्ड का नाम चोरी के लिए मशहूर है। लोग कहते हैं कि एक लाख रोज की चोरी होती है, कोई कहता है दो लाख की होती है। मैंने अखबार में पढ़ा कि साढ़े सात करोड़ का कुल हिन्दुस्तान का गवर्नमेंट आफ इंडिया का हिसाब है। जैसा गवर्नमेंट का हिसाब चलता है उसके हिसाब से 15 करोड़ तो हो ही गया। मैं समझता कि तीन चार करोड़ की मुगलसराय में होती हो तो कोई ताज्जुब नहीं है। उसमें जरुर राज्य कर्मचारी शामिल होंगे, चोरी करने वाले क्रिमिनल्स और शहर के बड़े आदमी भी शामिल होंगे। तो 13 आदमियों को पकड़ लिया इससे जनता को बड़ी खुशी हुई।

अध्यक्ष महोदय, मैं क्या बतलाऊं और किसी को यकीन नहीं होगा, कम से कम हिन्दुस्तान के बाहर तो नहीं होगा। डी0 एम0 ने 12 दिन उनको जेल में रखा। 4 आदमी जेल में रहे और 9 मफरूर रहे। उन लोगों की प्रापर्टी का अटेचमेन्ट कर दिया। हर आदमी यही कहेगा कि गवर्नमेंट ने डी0 एम0 के काम को पुष्टि की होगी। चार, छः महीने या साल भर और रखने का अधिकार है। जब चार आदमी जेल में रहे और नौ मफरूर रहे तो 12 दिन तक चोरी नहीं हुई। इसका मतलब था कि डी0 एम0 ने सही आदमियों पर हाथ डाला था। लेकिन अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने 12 दिन के बाद उनके आर्डर को नहीं चलने दिया, उसकी पुष्टि नहीं की और वह छूट गए। अब मेरा खयाल है कि चोरी शुरू हो गयी होगी और नहीं शुरू हुई होगी तो हो जायेगी। पहले एक लाख की थी अब दो लाख की होगी। मैं माननीय मित्रों से जानना चाहता हूं कि क्या फीलिंग्स होगी डी0 एम0 और एस0 पी0 की? कैसे वह काम करेंगे? कौन ईमानदार है? पालिटीकल मैन या डी0 एम0 और एस0 पी0?

इसी तरह से एक डिप्टी मिनिस्टर साहब का मामला मैंने सुना है कि उनकी दोस्ती एक डकैत से है ....

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

यह तो आजकल आम बात है।

श्री चरण सिंह—

श्री बंशीधर जी को ज्यादा तजुर्बा है। तो श्रीमन्, एक डी0 एस0 पी0 का ट्रांसफर हुआ, दूसरा गया वह इत्तफाक से ईमानदार निकला। कोशिश यह हुई कि वह वहां से जाय। खैर, उसका ट्रांसफर नहीं हुआ।

मैं यह कह रहा था कि डी0 वाई0 एस0 पी0 के खिलाफ बहुत सी नोटिसेज बंटी लेकिन उस डाकू को सरेन्डर करना पड़ा। सरेन्डर करने से पहले उसने रुपया इकट्ठा किया जो तीन आदमियों में तकसीम हुआ। वह एक लाख 20 हजार रुपया था। पुलिस में सारे रेकार्ड्स हैं जो मिल जायेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं क्रिमिनल्स की बात कह रहा था। क्रिमिनल्स के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो सकती है अगर हमारी नजर उनके ऊपर नेक है। इसी प्रकार से मैंने सुना है कि कुछ लोगों ने एक ओवरसियर को पीटा। उसके आफिसर भी वहां खड़े थे

[श्री चरण सिंह]

लेकिन वे भाग गये। पुलिस में एफ0 आई0 आर0 लिखा गया और पुलिस ने चालान तैयार किया लेकिन एक मिनिस्टर साहब ने कहा कि यह तो हमारा आदमी था। आफिसर्स ने रेजिस्ट किया कि साहब एफ0 आई0 आर0 वापस नहीं होती है लेकिन मैंने सुना कि वह वापस हुई। आफिसर तो चाहते थे कि सजा मिले लेकिन यह भी इन्ट्रेस्टेड थे कि उनका ओवरसियर पिट गया और आगे कोई काम नहीं कर सकेगा, वह नहीं हुआ। पब्लिक सर्वेन्ट पिटते हैं, अपनी ड्यूटी के परफार्मेन्स में वैसे भी पिटते हैं लेकिन किसी साहब ने केस वापस करवाया। सुन कर ताज्जुब होता है। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि दो तीन मिनिस्टर ऐसे भी हैं जो टी0 ए0 बिल्स में घपला करते हैं यद्यपि वह सोर्स नहीं है। लेकिन ये लोग टी0 ए0 बिल्स में भी कमा रहे हैं। नियम यह है कि जो ऐक्चुअल एक्सपेन्सेज हो जायं वह कितना भी हो जिसको वह सर्टीफाई कर देते हैं चाहे वह मेरठ का हो या बरेली का और उसमें चाहे वे 100 रु0, 50 रु0 या 200 रु0 रोज खर्च करें, मिल जाता है। लेकिन फाइनेन्स डिपार्टमेंट के जो नीचे के कर्मचारी हैं उनको तो यह करना ही पड़ता है लेकिन वे अनजान तो हैं नहीं, कहते तो हैं हीं। इस तरह से दो तीन साहबान ने यह तरीका भी निकाल लिया है। उसका इलाज यह है कि माननीय त्रिपाठी जी 6 महीने या साल भर के अपने स्टेट मिनिस्टरों के टी0ए0 बिल्स मंगवा लें जिससे कि पता चल जायगा। मैं आपके जरिये अपने मित्रों से, दोस्तों से जिनके साथ में काम कर चुका हूं यह बताना चाहता हूं कि आपके यह कारनामे गांव-गांव में, हल्के-हल्के में और बार एसोसियेशन में चर्चा का विषय बने हुये हैं। दीवारों पर उनके कारनामे लिखे हैं। एक लेखपाल है जिसका ट्रांसफर एस0 डी0 ओ0 ने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के आर्डर्स से किया। वे बहुत गैर ईमानदार आदमी थे और रुपया बहुत कमाते थे। उनका तबादला यहां से कैंसिल हो कर चला गया।

श्री शिव कुमार (जिला शाहजहांपुर)--

वह तो आपकी रिजीम में हुआ था।

श्री चरण सिंह--

कब की बात है?

श्री शिव कुमार--

जब आप चीफ मिनिस्टर थे।

श्री चरण सिंह--

कौन से जिले की बात है?

श्री शिव कुमार--

शाहजहांपुर जिले की।

श्री चरण सिंह--

मेरी अपनी गवर्नमेंट थी। मेरे साथी थे और वे सब उधर ही बैठते हैं जिन्होंने किया था। माननीय स्वामी प्रसाद जी ने इन्दिरा जी से शिकायत भी की थी। वे तो मुझसे नाराज हो गये थे और आपने मिनिस्टर बना रखा है। उनकी मेरे यहां गुंजायश नहीं थी। आप रहने दें मैं व्यक्तिगत बात नहीं कहना चाहता। लेकिन आप उन दोनों मिनिस्टरों से बात कर लेना। आपने अच्छी बात कह दी, अब आपको इधर वोट करना होगा। आपकी नियत मालूम हो गयी।

अगर प्राइवेट आदमी करेप्शन करते हैं तो उसका असर 10–20–आदमियों पर ही पड़ता है लेकिन जब मिनिस्टर करेप्शन करते हैं तो उससे पब्लिक मोरल्स बिगड़ जाते हैं। पहले होता था कि राजा और उसके बाद उसका बेटा राजा होता था। जो सोसाइटी में ऊंचा स्थान रखते हैं उनका असर पब्लिक पर ज्यादा होता है। डिमोक्रेसी में तो कोई राजा नहीं है। हम लोग तो इलेक्ट हो कर आते हैं। जरूरी तो यह है कि जनता इतनी जागृति हो कि वह लोगों को पहचाने। जब जनता में जागृति होती है तो मिनिस्टरों पर लगाम रखती है और वे सही रास्ते विचलित नहीं होते हैं। यहां तो जनता नावाकिफ है और अपने सूबे में केवल 2 करोड़ जनता ही पढ़ी लिखी है और जो पढ़े लिखे हैं वे भी पोलिटिकल इवेन्ट्स की ज्यादा जानकारी नहीं रखते हैं। जनता की उस वीकनेस का फायदा उठाया जा रहा है। होना तो यह चाहिये कि जनता की पोलिटिकल एवेयरनेस ऊंचे दर्जे की होती और वह पब्लिक ओपिनियन इतनी मजबूत होती कि मिनिस्टर गलत रास्ते पर न चलते इस डर की वजह से कि सामने इलेक्शन आ रहा है, लेकिन यह बात नहीं है। यह तो मोनार्किकल सोसाइटी है, डिमोक्रेसी अधिक जड़ नहीं पकड़ पायी है। यहां तो जरूरत यह है कि जो ऊंचे स्थान पर बैठे वह जनता के सामने सही मिसाल पेश करें। उसका असर नीचे सब पर अच्छा पड़ेगा। अगर करेप्शन ऊपर से चलता है तो उसका असर सारी सोसाइटी को प्रभावित करता है।

आज हमारा सबसे बड़ा अफसोस तो यही है कि ऊपर बड़े पैमाने पर करेप्शन हो रहा है और रिश्वत चल रही है। खेतों व कारखानों की पैदावार नहीं बढ़ रही है। इंडिसिप्लिन बढ़ रहा है। ये चीजें तो हल की जा सकती हैं। मेटीरियल प्रोडक्शन तो बढ़ाया जा सकता है। वह 10 साल में बढ़ सकता है, लेकिन आज तो पब्लिक मोरल्स बहुत बिगड़ रहे हैं। एक हमारी यन्गर जेनरेशन है और एक जेनरेशन मेरे और उनके बीच में है जो कि मिड जेनरेशन है। उनके सामने क्या चीज है। जब मैं स्कूल में पढ़ता था, 18–19 साल का हूंगा, तो उस समय मेरी पीढ़ी के सामने कैसे-कैसे महान लोग थे लोक मान्य तिलक, लाला लाजपत राय, मालवीय जी, महात्मा गांधी। उस समय हमारा स्तर कितना ऊंचा था कि बड़े हो कर इस देश को बनायेंगे लाखों वर्षों की संस्कृति चली आयी है इस देश में, यह देश बड़ा समझा जाता है। हम ऋषि मुनियों की संतान है। आज मैं यह जानना चाहता हूं कि लखनऊ के कालेजों में पढ़ने वाले लड़कों के, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रों के और बनारस में पढ़ने वाले छात्रों के सामने क्या मिसाल है, क्या आदर्श है ? कहां गया वह आदर्श लोक मान्य तिलक का और लाला लाजपत राय का। छोड़िये महात्मा गांधी को। वे तो फादर आफ दि नेशन थे, लीडर आफ दि लीडर्स थे। मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं कि सारे देश का मोरल फाइबर बिल्कुल दूषित हो गया है। उपाध्यक्ष महोदय, जो नुकसान हुआ है इस देश का वह पूरा नहीं किया जा सकता। वह ऐसा नुकसान है जिसकी पूर्ति नहीं की जा सकती। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बड़ा लार्ज प्रिजम्पशन आपके हक में करना चाहता हूं। यह सब बातें जो उड़ रही हैं गलत हैं। मैंने या मेरे मित्रों ने स्वयं तहकीकात नहीं की है। रुपया किसी के सामने दिया नहीं गया है।

एक सदस्य––

आवाज नहीं आ रही है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)––

जो खुद नहीं कह सकते वह आप से ही सुनता चाहते हैं। सुना दीजिये। वह मजबूर हैं।

श्री चरण सिंह—

मैं कह रहा था कि प्रीजम्पशन कर लें कि सारी बातें गलत हैं । हालांकि यह प्रीजम्पशन करना बड़ा मुश्किल होगा । मैं रेवेन्यु मिनिस्टर था । चकबन्दी का काम चल रहा था । किसान शिकायत करने आते । ए० सी० ओ० की बड़ी शिकायत होती । मैं कहता कि तुम्हें चक खराब मिल गया तो ए० सी० ओ० बेईमान है । वह तो ईमानदार है । वह कई-कई महीनों का मौका काश्तकारों को देते हैं । मिनिस्टरों के पैर छुए जाते हैं, माला डाली जाती है । The entire ship of uttar Pradesh is rent with corruption आप भी गांवों में रहते हैं । आपके कानों में आवाज पड़ती होगी । आपको कोई तकलीफ होती है या नहीं । अगर तकलीफ होती है तो क्यों नहीं मीटिंग्स में कह कर ऐसी हवा पैदा करते कि कोई रिश्वत नहीं है, जो कहा जाता है वह सब गलत है । मैं आर्गूमेन्ट के लिये फर्ज किये लेता हूं किस सारे चार्जेज झूठे हैं । लेकिन पब्लिक में एक ख्याल इस तरह का है और It is as damaging as actual failure, as actual corruption. लोगों में इस तरह का ख्याल होना आपके लिये भी डेमेजिंग है और पब्लिक के लिये भी नुकसानदेह है ।

मान लीजिये आप रिश्वत नहीं ले रहे लेकिन लोगों का ख्याल है कि आप ले रहे हैं तो यह कैसे मिटे । मैं आपके खिलाफ हूं इसलिये मैं कह रहा हूं लेकिन पब्लिक को यकीन हो रहा है । हम नाम नहीं ले सकते । फ्रन्ट बेंच पर ही कुछ बैठे हैं। अलग से जब बात होती है तो कहते हैं "चौधरी साहब, बस सीमा हो रही है" । आप चाहे कांग्रेस का ही शासन रखें लेकिन कुछ बदलें । पब्लिक को तो राहत मिलेगी । लेकिन आप कुछ करने के लिये तैयार नहीं । प्राइम मिनिस्टर के पास 65 लोग गये । वह भी तैयार नहीं । वह नहीं करेंगी । वह अपने यहां करने को तैयार नहीं । मैं उसमें नहीं जाना चाहता । पब्लिक में यह फीलिंग है May be rightly. may be wrongly, what is the remedy ?
सिवाय इसके कि एक हाई कोर्ट के जज का एपाइन्टमेन्ट हो और वह इन सब मामलों में जायं । अगर हाई कोर्ट का जज इस नतीजे पर पंहुचता है कि सारे इल्जामात गलत थे तो दो चांद लग जायेंगे। अगर वह इस नतीजे पर पंहुचते हैं कि कुछ मिनिस्टर्स की गलती है और आप उन्हें निकाल देते हैं, तो चार चांद लग जायेंगे । In every case you stand to gain as a party
जवाहरलाल जी की गलती रही कि शुरू में शिकायत आयी तो दबाते रहे । . . . (व्यवधान) अब आप बीच में न बोलें तो बहुत अच्छा है । मुझे हक है अपनी बात कहने का । जवाहर लाल जी आपके ही लीडर नहीं, मेरे भी लीडर और देश के लीडर थे । मैं उनकी गलती बता रहा हूं । मैंने तो उनको लिखकर भी दिया था कि अगर मिनिस्टर्स गलती करते हैं—जो उनके नोटिस में चीजें आयीं—तो भी तहकीकात नहीं की और अगर की और मजबूर होकर निकालना पड़ा पब्लिक ओपीनियन से, तो फिर उसको मिनिस्टर रख लिया । एक केस ऐसा है कि निकालने पर मजबूर हुए लेकिन अब भी वह दहाड़ रहे हैं कांग्रेस के अन्दर और लीडर हैं । इसलिये ऐक्शन लेने से हिचकिचाते हैं कि कांग्रेस की बदनामी होगी । सब ठीक हो जायगा । और उनका खयाल तो यह था कि सब मुल्कों में होता ही है करप्शन । इंदिराजी का यही खयाल है । मेरे पास खत रखा है 11 दिसम्बर, 1963 का । लिखती हैं कि यह क्या है करप्शन, करप्शन, करप्शन, यह तो सब मुल्कों में होता है । कर लीजिये क्या करेंगे ?

फिर करप्शन मिटाने की बात है । मैं तो कहता हूं कि अगर दो, चार को सजा दे देते तो यह नौबत न आती । कांग्रेस की बदनामी तो हो गयी, क्योंकि रिश्वत और गलत काम छिपते नहीं हैं । अच्छा काम देर में चलता है, लेकिन जो मर्डर हैं, बेईमानी हैं, बदचलनी हैं इसका असर तेज-तर्रार होता है और बात फैल जाती है, चाहे कितना ही रोकने की कोशिश करें । तो उन्होंने ऐक्शन नहीं लिया और बात छिपी नहीं, बदनामी कांग्रेस की हो गयी । और बढ़ती गयी और बढ़ती गई और अब भारी हो रहा है। तो मैं समझता हूं कि हाई कोर्ट के जज के अलावा कोई रास्ता नहीं है ।

चीफ मिनिस्टर साहब तहकीकात कर सकते हैं लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब मुझे माफ करेंगे कि उनकी तहकीकात की जो रिपोर्ट होगी उस पर यू० पी० में कोई यकीन करने वाला नहीं है--ऐसी सूरत पैदा हो गयी है । मसलन, मैंने जो शुरू में कहा था कि एक मिनिस्टर के खिलाफ सी० बी० आई० की रिपोर्ट आपकी टेबिल पर बहुत दिनों से रखी है और आपने कार्यवाही नहीं की । मैं कहना चाहता हूं कि यहां बहुत से चार्जेज लगे और किसी की तहकीकात नहीं की ...

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी---)

एक मैं निवेदन कर दूं कि सी० बी० आई० की कोई रिपोर्ट किसी मिनिस्टर के खिलाफ कहीं मेरी किसी टेबिल पर नहीं पड़ी है।

श्री चरण सिंह---

वापस लेता हूं कभी इन्दिरा जी की टेबिल पर हो, यह कभी उनसे पूछा है?

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---

यह आप स्वयं इन्दिरा जी से पूछ सकते हैं आपकी काफी दोस्ती है ।

श्री चरण सिंह---

उनसे पूछ लूंगा। उनकी टेबिल पर होगी तो भी वह आपको आसानी से बताने वाली नहीं हैं। उनको मुझ से और आपसे ज्यादा पता है यहां के कारनामों का। इसीलिए सी० बी० आई० से काम करा रही हैं कि कैसी पब्लिक ओपीनियन है कांग्रेस के तयीं। वह पी०सी०सी० पर नहीं, पुलिस के अफसरान की रिपोर्ट पर विश्वास करती हैं।

खैर, अगर आपके पास रिपोर्ट नहीं है तो मेरी बात और मजबूत होती है कि जब बहुत सी शिकायतें हैं तो आपने तहकीकात क्यों नहीं की? आपकी जिम्मेदारी है। आप यहां चीफ मिनिस्टर हैं, आपके नाम से गवर्नमेंट चल रही है। आपने तहकीकात क्यों नहीं की? न सही सी० बी० आई० की इंक्वायरी। यह तथ्य है या नहीं? अगर शुरू में ऐक्शन ले लेते तो यहां तक बात नहीं आती। अब आपको भी वह नहीं बख्श रही हैं त्रिपाठी जी। मुझे अफसोस तो यही है, मेरा रोना तो यही है कि डायरेक्टली न सही, इंडायरेक्टली तरह-तरह के इलजामात और तोहमत लगाये जा रहे हैं। मसलन, मुगलसराय का हिस्सा है। सुनते हैं 4 आदिमियों में कुछ तय हुआ ।

श्री कमलापति त्रिपाठी---

अगर आज्ञा दें तो मुगलसराय वाले मामले में कह दूं। अगर नहीं, तो बाद में कहेंगे ।

श्री चरण सिंह---

कह देना साहब ।

श्री कमलापति त्रिपाठी---

बहुत अच्छा साहब।

श्री चरण सिंह—

बाद में कह देना आप ।

कहने को तो मैं जानता हूं कि माननीय मुख्य मन्त्री को कुछ कहना पड़ेगा लेकिन कहने-कहने का फर्क होगा। आप कुछ भी कहें लोग हर्गिज यह यकीन नहीं कर सकते कि जिन 13 आदमियों के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और एस0 पी0 ने वारन्ट निकाल दिया और आप उनके आर्डर की पुष्टि नहीं करते हैं और छोड़ देते हैं तो मैं समझता हूं कि बनारस शहर की पढ़ी लिखी जनता जो नतीजा निकालती है क्या वह गलत है? एक चीज की आप सफाई दे देंगे, ठीक है, लेकिन वह सफाई, सफाई हो नहीं सकती। स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जब होम मिनिस्टर थे तो उन्होंने सन्तानम साहब की अध्यक्षता में एक कमीशन बिठाया टु सजेस्ट मेजर्स फार प्रिवेंशन आफ करप्शन। और जो उनको टर्म्स आफ रेफरेन्स दिये गये वह दिये गये केवल गवर्नमेंट आफिसर्स के खिलाफ। लेकिन अन्त में उन्होंने एक चैप्टर यह लिखा कि गवर्नमेंट आफिसर्स का मामला तो तब देखा जायगा जब पहले मिनिस्टर्स ठीक हों, और उनके मुताल्लिक उन्होंने कहा कि हर स्टेट में एक कमेटी बैठे, एक नेशनल पैनेल कायम हो और तहकीकात की जाय। उसके बाद लोकपाल वगैरह मुकर्रर करने की बातें हुई। 31 मार्च, 1964 को उनकी रिपोर्ट हो गयी और 8 साल से वह रिपोर्ट पड़ी है, न सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई लोकपाल मुकर्रर किया और न कुछ किया। आफिसर्स के खिलाफ कुछ किया लेकिन पोलिटिकल लीडर्स के खिलाफ नहीं। जवाब तो आप दे देंगे लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि पब्लिक मेंस इन्क्वायरी आर्डिनेन्स जो संविद गवर्नमेन्ट ने निकाला था जिसमें एम0 एल0 एज0 फर्स्ट क्लास म्युनिसिपल बोर्ड्स के चेयरमैन, डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक और फेडरेशन के प्रेसीडेंट्स, इन सबके खिलाफ अगर 10 आदमी गवर्नर को लिख कर दे देते हैं तो तहकीकात का प्रोसीजर हमने बनाया था, उसका कांग्रेस वालों ने क्यों विरोध किया था? अगर चद्दर साफ है तो क्यों विरोध किया था ?

उपाध्यक्ष महोदय, लोग निराश हो चुके हैं, बिल्कुल सिनिक हो गये हैं। जो लोग कुछ सेवा करने की बात सोचते हैं क्या वह भी निराश हो कर बैठ जायं कि इस देश में कुछ होने वाला नहीं है और हमारा मुल्क विनाश को प्राप्त हो जाय। दुनियां में 22 सिविलजेशन्स ऐसी हुई है कि कोई दो सौ वर्ष रही, कोई ढाई सौ वर्ष रही और कोई पांच सौ वर्ष रही और उसके बाद सफहे हस्ती से मिट गयीं। किसी नेशन के डेक्लाइन के 3–4 कारण होते हैं जिनमें से एक कारण यह है कि वहां के पर्सनल कैरेक्टर का डिक्लाइन हो जाय। अगर बड़े लोगों का कैरेक्टर ही गिर जाय तो वह देश तबाह हो जाता है। या तो यहां यह होने जा रहा है या अगर देश में कुछ जीवन बाकी है और मामला सुधरता नहीं है तो पीपुल बिल टेक टु वायलेंस। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, चर्चायें और जिस तरह के व्यंग हो रहे हैं उससे मुझे उम्मीद नहीं है जो मैं दोस्तों से आशा करता था। मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि मुल्क न किसी मिनिस्टर का है न किसी पार्टी विशेष का है, मुल्क हमारा सब का है। हम लोग जो यहां चुन कर आये हैं कुछ ड्यटी तो करते हैं अपने लोगों को। इसलिए हर वक्त पार्टी बन्धन का सवाल नहीं होना चाहिए। पार्टी बन्धन की कुछ सीमायें हैं और कुछ आजादी भी है। मैंने कौन सी नयी बात कही है। 65 आदमी आप में से प्राइम मिनिस्टर के पास गये और जो बातें मैंने कहीं एग्जेक्टली वही उन्होंने कहीं। और कांग्रेस पार्टी के सारे एम0 पीज0 ने श्रीमती इन्दिरा गांधी से इसी तरह की शिकायत की। 67 माननीय सदस्यों ने उनसे कहा और उनकी लगभग एक राय थी कि अब विलम्ब नहीं किया जाना चाहिए। विलम्ब किये जाने से स्थिति बिगड़ जायगी और उसको सुधारने के लिए कदम उठाने चाहिए वरना इसके विनाशकारी परिणाम निकलेंगे चुनाव के समय। 90 मिनट तक वतमान श्रीमती इन्दिरा गांधी और श्री उमा शंकर दीक्षित

ने संसद सदस्यों की बातों को सुना। सभी ने कहा कि प्रशासन और संगठन की अकुशलता के कारण सरकार और प्रदेश कांग्रेस संगठन की प्रतिष्ठा को बड़ा अघात पहुंचा रहा है। एक सज्जन ने यहां तक कहा कि हम अपना मुंह बन्द भी रख लें किन्तु सारा राज्य जानता है कि वहां क्या हो रहा है, मामले को देर तक दबाये नहीं रखा जा सकता। यहीं मैं कह रहा हूं कि अब मामले को देर तक दबाये नहीं रखा जा सकता।

महात्मा गांधी ने क्या कहा था। वह भी सुन लीजिये। आजादी के बाद बहुत जल्दी ही वह हमसे छीन लिये गये। लेकिन उस समय कुछ ऐसे लोग सत्ता में आ गये थे जो गलती कर रहे थे। उस वक्त गांधी जी के एक भक्त ने उनको एक चिट्ठी लिखी जिसका आशय यह था कि अब सब कांग्रेसी लूटपाट पर लगे हैं। वे अंग्रेजी की इस कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं कि जब तक धूप है घास सुखा लो। बापू ने इस पर रोष व्यक्त किया और कांग्रेसियों को चेतावनी दी और एक प्रार्थना प्रवचन में कहा—"स्वतन्त्रता का जो अमूल्य रत्न हमारे हाथ में आया है, मुझे डर है कि हम उसे खो न बैठें। स्वराज्य लेने का पाठ तो हमें मिला पर उसे टिकाये रखने का पाठ हमें नहीं मिला। अंग्रेजों की तरह बन्दूकों के जोर पर हमारी राज्य सत्ता नहीं चलेगी। अनेक प्रकार के त्याग और तपस्या के द्वारा कांग्रेस ने जनता का विश्वास सम्पादन किया है परन्तु यदि आज कांग्रेस वाले जनता को धोखा देंगे और सेवा करने के बजाय उसके मालिक बन जायेंगे, या मालिकों की तरह व्यवहार करेंगे तो मैं उस समय तक जीऊं या न जीऊं परन्तु इतने वर्षों के अनुभवों के आधार पर यह चेतावनी देने की हिम्मत करूंगा कि देश में बलवा मच जायगा, सफेद टोपी वालों को लोग चुन-चुन कर मारेंगे और कोई तीसरी सत्ता उसका लाभ उठायेगी, देश छिन्न भिन्न हो जायगा।" तो यह गांधी जी ने कहा था, इस पर हम विचार करें। आज हम कहां जा रहे हैं। मैं एक बात और अन्त में कहना चाहता हूं। अगर हम हाई कोर्ट जज मुकर्रर करेंगे तो उससे आपका ही हित होगा। यह प्रस्ताव अगर मान लिया जाता है तो उससे आपकी सरकार तो चलेगी, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह कोई नो-कांफीडेंस मोशन तो है नहीं जो आपको डर हो। इससे होगा यह कि दूध का दूध और पानी का पानी छन कर सामने आ जायेगा। उससे कांग्रेस की साख बढ़ेगी, घटेगी नहीं। फिर जिनके खिलाफ एलीगेशन्स हों, उन मिनिस्टरों के लिये मुनासिब यह होगा कि वे स्वयं इस्तीफा दे दें।

इन शब्दों के साथ, उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना यह प्रस्ताव पेश करता हूं और फिर इन आल ह्यूमिनिटी–निहायत विनम्रता के साथ अपने दोस्तों से उम्मीद करूंगा कि वह इस प्रस्ताव का समर्थन करेंगे।

सूचना राज्य मन्त्री (श्री पुरुषोत्तम दास टंडन)—

मान्यवर, जिस समय मैं माननीय चौधरी चरण सिंह का भाषण सुन रहा था उस समय यह सोच रहा था कि शायद उनके बराबर इस दुनिया में निष्पक्ष और ईमानदार आदमी तो कोई है ही नहीं। लेकिन जब मैंने फैक्ट्स और फीगर्स का जखेड़ा- जानने के सामने फाईल में देखा तो मेरी राय एक दम बदल गई। चौधरी साहब फैक्ट्स और फीगर्स से बात करते हैं। तो मैं भी इस बीमारी में मुबतिला हूं। माननीय चरण सिंह ने कहा क्या कभी दुनिया में किसी ने सुना है कि बड़े-बड़े लोग अपने नीचे काम करने वालोंसे रिश्वत लेते हैं–उनसे रुपया लेते हैं।

(व्यवधान)

उनसे कोई पैसा लेता है, यह बात उन्होंने सुनी है या उनके दोस्तों ने सुनी है और किसी ने कही। लेकिन जो बात उनके खिलाफ साबित हो चुकी है, मैं उसके बारे में कहना चाहता हूं। हाई कोर्ट के माननीय जज ने 15 नवम्बर, 71 को जो फैसला दिया है, उसकी 4 पंक्तियों में आपकों और सारे सदन को सुनाऊंगा, जिससे उनकी सारी असलियत सामने आ जायेगी। मांग की गई है कि किसी हाई कोर्ट के जज द्वारा यहां के भ्रष्ट कहे जाने वाले मंत्रियों के खिलाफ जांच करायी जाय उस पर क्या फैसला होगा। मामला उन तक जाने

[श्री पुरुषोत्तम दास टंडन]

की जरूरत है या नहीं, यह तो मैं नहीं कह सकता, । लेकिन जो चरण सिंह जी के खिलाफ फैसला दिया गया है, उसे आप सुन लीजिये ।

(व्यवधान)

सदन ने चौधरी चरण सिंह को शान्ति से सुना । यह बड़ा गम्भीर मामला है, इसे आप लोग भी शान्ति से सुनिये । हाई कोर्ट के जजों के फैसले के 42 पेज पर जो लिखा है उसे सुनने और सुनाने की मान्यवर, आप आज्ञा दीजिए । (व्यवधान)

मुझे इस तरह से सदन में दबाया नहीं जा सकता है । मेरे पास वाक्यात का बड़ा भारी जखेड़ा है । (व्यवधान)

मान्यवर, इसमें लिखा हुआ है । यदि विरोधी दल वाले आज नहीं सुनेंगे तो उनको भी कोई सुनने वाला नहीं है, आप सुनिये । मुझको सुनाने का अधिकार है । शोर गुल से मैं घबड़ाने वाला नहीं हूं ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से आज की डिबेट ने विशेष करवट ली थी । उन्होंने प्रारम्भ में भी कहा था कि चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया जायगा । हमने भी सोचा था कि सब के नाम जानता हूं लेकिन एक व्यक्ति का भी नाम नहीं बोलूंगा । उसका हमने---चौधरी साहब ने पालन किया लेकिन मान्यवर आप देखिये वह इस परम्परा को छोड़ रहे हैं । यदि वह ऐसा करेंगे तो उसका समुचित उत्तर भी पायेंगे ।

श्री चरण सिंह---

मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं । पहली बात तो यह है कि आप के हाथ में पावर है मेरे नाम को लेकर हाई कोर्ट के जजों द्वारा किसी निर्णय का हवाला दिया जा रहा है । मान लीजिए मैं निहायत करप्ट हूं ऐडमिटेड । उससे मेरे रेजोल्यूशन पर क्या असर पड़ता है । वह रेलेवेंट कैसे हुआ । एक मर्डरर जेल काट कर आता है, अपने सामने दूसरा मर्डर देखता है, पुलिस में रिपोर्ट लिखाता है । तो क्या सब इन्सपेक्टर लिखने से इनकार कर देगा कि तुम खुद मर्डरर हो तुम्हारी रिपोर्ट नहीं लिखी जायगी ? अगर आप की कांशस इजाजत देती हो, अगरचे कौन-सा है, कोई करप्शन का केस है, मैंने कोई गवाही दी है । मैं नहीं जानता । हो सकता है कि किसी करप्ट आफिसर ने किया हो उसने मुझे पार्टी बनाया हो बिना मेरे जाने हुए हाई कोर्ट में पहुंच गया हो । लेकिन फर्ज कर लीजिये कि हाई कोर्ट का जजमेंट मेरे खिलाफ है । मैं तो आपके खिलाफ हाई कोर्ट का जजमेंट चाहता हूं ।

श्री कमलापति त्रिपाठी---

मैं समझता हूं कि यहां पर जो बहस है जैसा पहले निर्णय हुआ है, जिसका चौधरी साहब ने बिलकुल पालन किया, सारी गवर्नमेंट की पालिसी, सारी गवर्नमेंट को लेकर आलोचना की, यहां पर किसी व्यक्ति का नाम लेकर आक्षेप प्रत्याक्षेप न किया जाय । जैसा उन्होंने दिया है, वैसा उत्तर दिया जाय, नाम किसी का न लिया जाय । यह अच्छी बात है, मुनासिब बात है ।

श्री बंशीधर पांडेय---

इसके लिये टंडन जी माफी मांगें नहीं तो मैं विशेषाधिकार का नोटिस देता हूं । इनको कहिये माफी मांगें नहीं तो हम विशेषाधिकार की नोटिस देंगे ।

श्री कमलापति त्रिपाठी---

माफी मांगने का प्रश्न नहीं है। चौधरी साहब ने मेरा नाम नहीं लिया, केवल मुख्य मन्त्री कई बार कहा। यह भी कहा कि मुगलसराय के मामले में कि मुख्य मन्त्री ने यह किया। माफी मांगने की बात नहीं है। मैं कोई व्यक्तिगत आक्षेप नहीं मानता हूं। मैं समझता हूं कि जो बहस यहां हो, वही रास्ता पकड़ें जिस रास्ते पर यह बहस चली है।

श्री चरण सिंह---

यह एतराज माननीय त्रिपाठी जी ने किया। मुझे ऐतराज नहीं है कि मेरा नाम लिया जाय। लेकिन मैं सिर्फ यह कह रहा हूं, हू इज इन दि डाक? इट इज यू, हू इज इन दि डाक।

कई सदस्य---

हिन्दी में कहिये।

श्री चरण सिंह---

सफाई आपको देनी है न कि मुझे। यह कोई सफाई नहीं होती है कि आप दूसरे पर आरोप कीजिये। मैं कहता हूं कि मेरे खिलाफ चार्जेज हों लगाइये और हाई कोर्ट के जज को भेज दीजिये, अगर करप्शन का चार्ज हो। अगर करप्शन का चार्ज था तो मुझे मालूम है या नहीं, और क्या मामला था...।

श्री उपाध्यक्ष---

अध्यक्ष जी ने जैसा कहा, किसी के नाम को लेकर कोई आक्षेप न लगाया जाय। त्रिपाठी जी ने भी कहा कि किसी का नाम न लिया जाय। यही प्रणाली अपनायी जाने की जरूरत है।

श्री चरण सिंह---

नाम पर मुझ को आपत्ति नहीं है। उसमें क्या फर्क पड़ेगा, चरण सिंह कहते, नेता बी0के0डी0 कह दिया। मैं कहता हूं कि रेजोल्युशन आपके खिलाफ है। उसमें यह है कि हाई कोर्ट का जज मुकर्रर किया जाय। आप यह जबाब देने लगें कि सब लोग उधर करेप्ट हैं, तो वह बहस होगी? वह बात रिलेवेंट होगी। मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि इन बातों की आप इजाजत न दें।

श्री उपाध्यक्ष---

अगर मैं आपकी बात का जवाब दूं तो हो सकता है अशांति उत्पन्न हो जाय। इसलिए मैं मौन हूं।

श्री राम कुमार शास्त्री (जिला बस्ती)---

उपाध्यक्ष महोदय, बहस का जो तरीका यहां रहा है वह लोगों का नाम लेकर बहस करने का रहा है। अगर किसी का नाम नहीं लिया जायगा तो बहस का क्या लब्बे-लुआब होगा। यहां कोई स्त्री पुरुष के सम्बन्ध पर थोड़े ही बहस हो रही है जो स्त्री अपने पुरुष का नाम नहीं ले सकती।

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)---

शुरू में क्यों एतराज नहीं किया था?

श्री उपाध्यक्ष--

अध्यक्ष महोदय ने निर्णय दिया है कि किसी का नाम नहीं लिया जाना चाहिये। मैं इस पर कोई नया निर्णय नहीं लेने जा रहा हूं।

श्री पुरुषोत्तम दास टण्डन--

मान्यवर, बिना किसी का नाम लिये मैं सारी बात अब कहना चाहूंगा। अभी सदन में यह कहा गया कि ऐसी भी कोई सरकार है कि अपने नीचे जो अधिकारी होते हैं उनसे पैसा लेकर काम करे या अनुचित व्यवहार करे? मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसी सरकार है जो अपने अफसरों को बिना किसी कसूर के हलाल करे, उनके मोरल बिगाड़े। एक भतपूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ हाई कोर्ट ने फैसला दिया है उसकी मैं सिर्फ चार पंक्ति पढ़े देता हूं :--

"From the foregoing facts, circumstances and conduct of ..... it is abundantly clear that he had some sort of bias and prejudice against the petitioner for which induced him to take the above uncalled for action."

इस तरह से अफसरों की जिन्दगी को मारेल्स की भूतपूर्त मुख्य मंत्री ने बिगाड़ा। (शोरगुल) और इस पर भी उन्होंने अपने को यह कहा कि वह बड़े न्याय प्रिय तथा महात्मा हैं। इसके लिये क्या कहा जा सकता है ?

एक दूसरा वाक्या सुनिये। किसी भी सरकार के जमाने में किसी पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन ने मजबूर होकर, परेशान होकर, इस्तीफा नहीं दिया। (व्यवधान) लेकिन एक भूतपूर्व मुख्य मंत्री के जमाने में मजबूर होकर पब्लिक सर्विस कमीशन के निहायत योग्य, ईमानदार चेयरमैन ने इस्तीफा दिया और मैं उनका स्टेटमेंट यहां पर पढ़े देता हूं। उन्होंने उसमें कहा है कि सारी प्रथायें मिटाई गई हैं। हम कुरबानी कर रहे हैं...(घोर व्यवधान)। अब मैं पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन के रिजाइन करने के कारण, की चार लाइन पढ़ देना चाहता हूं।

"To uphold the healthy traditions in connection with appointments to the Public Service Commission....."

...(घोर व्यवधान) मान्यवर, मैं तो अपने बड़े नेताओं की रीति को मानता हूं। मैं तो सिर्फ वाक्यात के बेसिस पर बताना चाहता हूं और सुनिये कि जरा एक भूतपूर्व मुख्य मंत्री जी वाक्यात के आइने में अपने तसवीर को देखने की कोशिश करें।

24 नवम्बर, 1972 को टाइम्स आफ इंडिया में लिखा हुआ है कि--

"For the first time in the history of the Board, action is being taken against senior officials found guilty of malpractices."

लेकिन पहली बार इस सरकार ने उन अफिसरों के खिलाफ कार्यवाही की है। इसमें कहा गया है और नाम भी दिये हुए है और आगे कहा गया है कि--

A Superintending Engineer is alleged to have used a vehicle of the electricity board for the election propaganda for a former Chief Minister and helped in constructing houses for a former Chief Minister and a former chairman of the State Electricity Board with material belonging to the Board. The allegations are being inquired into.

ये चार्जेज लगाये गये हैं। जिसके ऊपर लगाये गये हैं अब वह समझ लें कि यह किसके लिये हैं। मैं नाम नहीं लेता हूं। कहने और करनें में अन्तर होता है। दूसरों की नियत पर हमला करना आसान होता है...(घोर व्यवधान) मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज गली-गली में किस बात की चर्चा हो रही है और लोग क्या कह रहे हैं। रेंपेट करेप्शन की चर्चा यहां पर होती है ताकि ज्यादातर एक भूतपूर्व मुख्य मंत्री करते हैं। गली-गली में चर्चा है कि

वह आदमी हटा दिया गया है जिसने सारे लोगों को डिमोरेलाइज कर दिया था। इससे जनता को राहत मिल गई (आप हिम्मत से और ध्यान से सुनने की कोशिश करें)।

जब मैं यहां पर अभी भाषण सुन रहा था एक बात याद आ गई... (व्यवधान) "अब आप जिगर थाम कर बैठो, मेरी बारी आई"... (घोर व्यवधान)।

(व्यवधान)। अगर आप मुझे नहीं सुनेंगे तो आपको भी कोई सुनन वाला नहीं है। सुन लीजिये ध्यान से।

मान्यवर, इस सदन म यह भी कहा गया कि ऐसे लोग जनता की सेवा कैसे कर सकते हैं? मैं पूछना चाहता हूं कि वे लोग जनता की सेवा कैसे करेंगे जिनका मेन एम है टू सर्व देमसेल्व्ज एन्ड नो बाडी एल्स। करेक्टर एसेसिनेशन को उन्होंने एक फाइन आर्ट बना लिया है, यह उनका सुबह शाम का धंधा हो गया है। जब उनके हाथ में कोई तलवार नहीं रहती है तो कैरेक्टर एसेसिनेशन की तलवार लेकर विरोधियों पर हमला करते हैं। हम समझ और शान्ति से काम चाहते हैं। हम अपने काम से सरकार में रहना चाहते हैं। हम ढोंग करके नहीं रहना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री बांके लाल (जिला देवरिया)—

मान्यवर, यह मान लिया जाय कि ये प्रचंड मूर्ख हैं। ये जनता द्वारा चुनकर यहां नहीं आये हैं। (व्यवधान)

श्री पुरुषोत्तम दास टंडन—

श्री असरार अहमद अब चुनकर नहीं आ सकेंगे। मान्यवर, यहां पर जब लेक्चर हो रहा था तब मुझे राधेश्याम कथा वाचक, बरेली की याद आ गयी। कहा गया कि प्रांत में हाहाकार मचा हुआ है। गांधी जी को भी कोट किया गया। मैं सोच रहा था कि यदि आज बापू जिन्दा होते तो यही कहते कि पहले अपना सुधार तो कर लो फिर दूसरे को सुधारने की बात करना। जवाहर लाल ने कहा है कि जो लोग बेसिकली रिएक्शनरी होते हैं जब उनकी आलोचना होती है तो वे वाइल्ड हो जाते हैं और बिना सोचे समझे दूसरों पर हमला करते हैं। हमारी प्राइम मिनिस्टर या हमारी सरकार कोई आगे बढ़ने वाला कदम उठाती है तो ऐसे रिएक्शनरी लोग उनको कोसते हैं, उनकी निन्दा करते हैं और उन पर हमला करते हैं। लेकिन आपको मालूम होना चाहिये कि जो कदम आगे बढ़ चुका है वह कदम अब पीछे नहीं हटने वाला है। चाहे कोई कितना ही प्राइम मिनिस्टर को कोसे, चाहे कोई कितना ही मुख्य मंत्री के खिलाफ कहे। (व्यवधान) यह मामला बड़ा सीरियस है। हंसने से काम नही चलेगा। मान्यवर, जो लोग हंस रहे हैं उनके लिये रोने का वक्त है, उनके लिये सेल्फ रियेलाइजेशन का वक्त है। उनके रोने का वक्त है। (व्यवधान) वह देखें कि वह किस तरह के काम करते हैं। सारी स्पीचेज जो एक भूतपूर्व मुख्य मंत्री जी की हुई हैं, उनको पुराने रिकार्ड्स मंगाकर पढ़ लीजिये। कहीं पर भी (व्यवधान) (शोर) (शोर के कारण कुछ सुनाई नहीं दिया) डेवलपमेंट इत्यादि पर क्या कोई खास जोर नहीं दिया बहुत दिनों से आप हमला करते चले आय। आज आपको जवाब मिल रहा है अब कस कर हमला होगा। (व्यवधान)

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

यह पहले हमारे खिलाफ चार्ज लगायें। इसके बिना यह कुछ नहीं कह सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री पुरुषोत्तम दास टंडन—

मान्यवर, जितनी असेम्बली की प्रोसीडिंग्स हैं उनको देख लिया जाये। एक भूतपूर्व मुख्य मंत्री की स्पीच में डेवलपमेंट की बात हो या आगे बढ़ने वाले कदम की बात होती (व्यवधान) जब देखो तब लोगों के ट्रांसफर के लिये कहते हैं। करप्शन की चर्चा करते हैं। दूसरी बात जानते ही नहीं। एक केस मेरे पास है और बड़ी लम्बी और दर्दनाक कहानी है उन पाक-

[श्री पुरुषोत्तम दास टंडन]

दामन लोगों के खिलाफ जो बड़ी ईमानदारी की दुहाई देते हैं। हम लोग तो मामूली आदमी हैं। ये लोग बड़े ईमानदार हैं। खेमचन्द्र वर्मा का केस उठाइये और देखिये कि क्या-क्या चार्जेज लगाये गये हैं। (व्यवधान) कितने पुलिस वाले किसकी दया से तरक्की पाये हैं, कितनों को मिटाया गया है, कितनों को तबाह किया गया है। आज हमारे शासन में हमारे आफिसर्स हमसे डरते हैं। मगर वे जानते हैं कि उनके साथ अन्याय नहीं हो सकता। वे यह भी अच्छी तरह जानते हैं कि अगर वे गलत काम करेंगे तो कभी छोड़े नहीं जायगे और सख्त से सख्त सजा दी जायेंगी। (व्यवधान)

दूसरे एक भूतपूर्व मंत्री जी के जमाने की निकम्मी और अन्यायपूर्ण बातों की चर्चा कहां तक किया जाय उनके जमाने में जो हुआ उसको कहां तक कहा जाये। (व्यवधान) आज उनको जवाब देना होगा। अगर जवाब नहीं दे पायेंगे तो 1974 के चुनाव में नतीजा मालूम होगा। (व्यवधान) मान्यवर, खेमचन्द वर्मा के केस में 10/12 शीट्स हैं। अगर सदन की इजाजत हो तो पढ़कर सुना दूं। (व्यवधान) "दि लिस्ट आफ जाट पुलिस आफिसर्स हूं हैव बीन बेनीफिटेड इन दि रिजीम आफ" मैं नाम नहीं लूंगा... (व्यवधान) मैं इसको इजाजत हो तो पढ़ूं। पहले अनुवादक बुलवा दें। यह 34 पेज की बड़ी लम्बी कहानी है, इसको पढ़ते-पढ़ते सबेरा हो जायेगा।

एक सदस्य—

इसका हिन्दी में ट्रांसलेशन करा दीजिये।

(व्यवधान)

श्री पुरुषोत्तम दास टंडन—

सुनो, सुनो मुझे पढ़ने दो

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक जानकारी चाहता हूं कि मंत्री जी बार-बार पी रहे हैं, वह क्या चीज पी रहे हैं ?

श्री पुरुषोत्तम दास टण्डन—

आप में इतनी समझ नहीं है तो हम आपकी मदद नहीं कर सकते। हम तो समझ से काम लेते हैं।

श्री राम बिलास पांडेय (जिला आजमगढ़)—

हम तो एक गिलास भी नहीं पीते, यह 4 गिलास पी चुके हैं, क्या 1 घड़ा पी जायेंगे ?

श्री पुरुषोत्तम दास टंडन—

आपकी आज्ञा हो तो मैं 14–15 पेज है वह पढ़ दूं और आप कहें तो न पढ़ूं ?

एक सदस्य—

फिर वह पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं या और कुछ ?

श्री पुरुषोत्तम दास टंडन—

हमने तो फैक्ट फिगर्स से बात करना माननीय अपने नेता एक भूतपूर्व मुख्य मंत्री जी से सीखा है।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

यह कौन से कागज से पढ़ रहे हैं ? किस रिफरेन्स से पढ़ रहे हैं यह तो बताया जाय ?

श्री पुरुषोत्तम दास टण्डन—

यह चार्जेज जो लगाये गये हैं, उनकी सूची है, आप ध्यान से सुनिये। (व्यवधान)

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

किस पर लगाये गये हैं ? (व्यवधान)

श्री पुरुषोत्तम दास टण्डन—

नाम तो हम किसी का ले नहीं सकते ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

उन्हें आरोपों का उत्तर देना है न कि वह हमारे ऊपर चार्ज लगा रहे हैं, तो इस प्रस्ताव में हमारा संशोधन है कि पिछले 4 वर्ष में जितनी भी गवर्नमेंट रही हैं . . . (व्यवधान)

श्री पुरुषोत्तम दास टण्डन—

मैं अब वह चार्जेज नहीं पढ़ूंगा। बड़े ताव से, बड़े जोर से पूछा गया कि यह सरकार कैसे चलेगी । (शोर)

अगर आप नहीं सुनेंगे तो आप को भी फिर कोई सुनने वाला नहीं है ।

अब कलेजा थाम के बैठो, मेरी बारी आई ।

श्री राम बिलास पांडेय—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि जिस तरीके से माननीय टंडन जी भाषण दे रहे हैं यह पूरा दिन इसी में समाप्त कर देंगे ।

श्री पुरुषोत्तम दास टंडन—

वह बड़े परेशान हो रहे हैं इसलिये 2–3 मिनट में मैं अपनी बात कह कर खत्म कर दूंगा। काफी खलबली मच गयी है और मुझे भी तकलीफ है । हमारी सरकार के खिलाफ बहुत से चार्जेज लगाये । उनका फैसला न हम कर सकते हैं और न हमारे दोस्त, जो उधर बैठे हैं, वह कर सकते हैं । उसका फैसला तो जनता के सामने होगा लेकिन जिन व्यक्तियों ने आज चार्जेज लगाये हैं, उनके बारे में सारे हिन्दुस्तान के अखबारों में क्या छपा है, उसको सुनना चाहिये। उन अखबारों में दूसरी सरकार के मुख्य मंत्री के बारे में जो छपा है, उसे देख लें । मैं उनको भी नहीं पढ़ूंगा क्योंकि बेचैनी और बेबसी का आलम आज मुखालिफ की तरफ छाया हुआ है अब छोड़ ही देना चाहिये ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

कितना रुपया आपने लिया ? (व्यवधान)

श्री पुरुषोत्तम दास टंडन—

हमसे पूछा गया है कि कैसे काम होगा। कहते हैं कि सारे सपने धूल में मिल गये हैं (व्यवधान) धूल में मिलाने वाले यहीं हैं ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

हमारा आरोप है कि आप मनोनीत मंत्री हैं । (व्यवधान)

श्री पुरुषोत्तम दास टंडन—

हमसे पूछा गया कि यह सरकार कैसे चलेगी तो हम बताना चाहते हैं कि कैसे चलेगी । छोटी-छोटी बातों में न फंसकर, कैरेक्टर एसेसिनेशन न करके, बड़े-बड़े काम करके, बड़ी-बड़ी योजना बनाकर इस सरकार को चलाने का हमारा इरादा है। आप यह काम नहीं करा सकते क्योंकि आपने हमेशा अपनी जिन्दगी में छोटी-छोटी बातों का सहारा लिया है। हम बड़े जीवन में रहे हैं । तो बड़े सबक सीखिये वह सब हमें याद है । देर सबेर जो हमने कहा है करके दिखाया है ।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, आज प्रारम्भ से ही हमारे माननीय अध्यक्ष ने हमारा मार्गदर्शन किया । हमारे सामने एक नियम रहा और उस नियम की परिधि में माननीय चौधरी साहब ने अपना भाषण रखा । उन्होंने सरकार के किसी व्यक्ति विशेष का, जब तक परमावश्यक नहीं हुआ, तब तक पद का भी नाम नहीं लिया, जहां तक मुझे स्मरण है ।

मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि आपकी आज्ञा का पालन करने के निमित्त माननीय चौधरी साहब ने अपने सारे भाषण को उस परिधि में रखा। सरकार पर आरोप लगाये और बड़े सच्चे हृदय से किसी व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि इस प्रदेश की गरीब जनता और आर्थिक स्थिति के कारण, भ्रष्टाचार के कारण व्याप्त जो निराशा सारे समाज में है, उसके कारण, इस लोकतंत्र के कारण हम कुछ बातें रखने जा रहे हैं । हमारा जो प्रस्ताव है, उसके साथ हमारी एक प्रार्थना है और वह प्रार्थना बड़ी सीधी सादी है कि हाई कोर्ट के जज को मुकर्रर किया जाय। यदि आपके शब्दों में यह सच नहीं जो सारे समाज में भ्रम फैला हुआ है, तो उसका निराकरण हो जायगा । उन्होंने इस प्रशासन के नैतिक अंग पर अपने विचार प्रकट किये । उदाहरण रक्खे मान्यवर, लेकिन मैं उदाहरण नहीं रक्खूंगा क्योंकि उन्होंने सारे उदाहरण रख दिये । मैं उसका दूसरा पहलू सामने रक्खूंगा। मुझे बड़ा दुख है कि सरकार की ओर से मंत्री जबाव देते हैं, मुझे याद आता है कि शेक्सपीयर के ड्रामा में कहां तक ऐसे व्यक्ति होते हैं . . .

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, वह इन्टरल्यूड रहा होगा ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

तो बे सीरियस चीज का नाम सीरियस बता देते हैं । हमारे माननीय टन्डन जी ने तो जबाव देने में अपना पूरा जोर लगा दिया । अगर एक तरफ से आरोप लगाया गया तो दूसरी तरफ से जबाव वैसे ही दे दिया गया । अगर कहा गया कि चोर हैं तो कह दिया गया कि आप भी चोर हैं । यह कोई प्रशासन चलाने की नीति नहीं है । सरकार के मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देतीं। अगर ये प्रत्यारोप करते तो दूसरे अवसर पर करते। इस वक्त आप जबाव लेकर आते । इस मामले में बहुत ही असफल रहे हैं आप । अब मैं भ्रष्टाचार के विषय में बहुत संक्षेप में कहूंगा । जैसा कि मैंने प्रारम्भ में निवेदन किया इसलिये कि चौधरी साहब सब कुछ कह चुके, मैं उदाहरण नहीं देना चाहता हूं । हो सकता है उसमें नाम भी आ जाय । हर पहलू को इन्होंने स्पर्श किया । आज समाज में भ्रष्टाचार चारों तरफ व्याप्त है । भ्रष्टाचार आज ईश्वर की तरह से आम्नीप्रेजेन्ट है और निराकार है परन्तु प्रभावशाली है । जीवन के हर एक अंग को वह छू रहा है । यह मजाक की बात नहीं है । यह हंसने की बात नही है । क्योंकि आपकी आर्थिक स्थिति चरमरा गई है । जो प्लान्स होते

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

भी हैं उनका ठीक तरह से कार्यान्वियन नहीं हो पाता है । क्यों नहीं हो पाता है क्योंकि आपका प्रशासन भ्रष्ट है । प्रशासन भ्रष्ट क्यों है क्योंकि मस्तिष्क जो है—जो कैबिनेट है उसका आचरण भ्रष्ट है । इसलिये यह आवश्यक हो गया है हमें कहने के लिये । भ्रष्टाचार के बारे में क्यों कहा जा रहा है ।

आज जो देहातों की स्थिति है उसका स्तर गिर गया है । मैं निराशावादी कहा जा सकता हूं लेकिन वहां के समाज का स्तर गिर गया है । इस कारण कि एक तरफ जितने व्यक्ति हैं उनकी तरफ आंख उठाकर अगर देखते हैं तो ये उसी का अनुसरण करेंगे । आज यह स्थिति इसलिये है कि जो भ्रष्ट लोग हैं उनकी यह भ्रष्ट स्थिति है । इस कारण यह अत्यावश्यक है हर दृष्टि से । सबसे पहली दृष्टि तो यह है कि हमारे महापुरुषों ने, जैसे महात्मा गांधी ने, मैं उनका नाम लेता हूं, बड़ी तपस्या की, सबने स्वतंत्रता प्राप्त की और हमारे देश और प्रदेश में प्रजातंत्र की स्थापना हुई । मान्यवर, हमने उसको एक साधन बनाया । आज ऐसा दिखाई देता है कि सारे समाज में इस प्रजातंत्र के प्रति निष्ठा उठती हुई दिखाई देती है, आस्था हिलती हुई दिखाई देती है । हम क्या करेंगे प्रजातंत्र को लेकर । जहां इतना भ्रष्टाचार और इतनी अनैतिकता दिखाई देती है । चरित्र को जहां कोई स्थान नहीं है । जीवन के हर पहलू में भ्रष्टाचार आ गया है और प्रजातंत्र की नींव हिल गई है । मैं कहता हूं कि आप यह कहने के लिये समाज में तैयार हैं कि जो संविद सरकार या और जो दूसरी सरकारें भ्रष्ट आई हैं उनकी भी जांच करा ली जाय, उनके मंत्रियों की भी जांच करा ली जाय जिससे जो जानना चाहे उनकी सम्पत्ति का ब्योरा वह भी जान ले । लेकिन मैं कहता हूं कि आप अपनी भी जांच कराइये । आप चौधरी साहब को भी दिखाइये और अपने आप को भी दिखाइये । सारा समाज हिल रहा है, विप्लव की स्थिति में पहुंच गया है, विस्फोटक स्थिति में समाज पहुंच गया है । उसको सम्भालिये, आस्था कायम कीजिये । आस्था कायम करने के लिये चौधरी साहब, और हम, अनन्तराम जी, हमारे कल्पनाथ सिंह जी सब उसमें शामिल हैं ।

श्रीमन्, आज मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, एक वकील की हैसियत से आपके सामने बहस करता हूं । श्रीमन्, जिस तरह से आटोमेटिक मशीन होती है और बता देती है जब तक आपने निर्णय नहीं दिया था तब तक हजार गुना तीव्र इनका पल्पीटेशन हो गया था कि कभी हमारा नाम न आ गया । श्रीमन्, आप देखें, हमारी मजबूरी क्या है ? इनकी इतनी बड़ी संख्या है, प्रधान मंत्री वहां हैं, मुख्य मंत्री यहां हैं, जिनके बल पर यह कहते हैं कि 1974 में देख लेंगे । खिचड़ी के चावल अहमदाबाद में देखे और फिर देखेंगे।

अभी उन्होंने निर्लज्जता शब्द का प्रयोग किया । मैं कहता हूं कि क्या राजनैतिक निर्लज्जता इससे भी बड़ी हो सकती है कि जिस दल के आप सदस्य हैं मंत्री हैं, उसी दल के लोग कहते हैं कि इनके मंत्री भ्रष्ट हैं, उनके मेम्बर्स भ्रष्ट हैं मंत्रियों को बदलो, सरकार को बदलो सालिगराम जायसवाल जी 16 अगस्त को प्रधान मंत्री जी से मिले और मंत्रि-मंडल के खिलाफ आरोप लगाये। अगर आप निकलना चाहते हैं—मान्यवर, जैसे गीता में भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि तुम तो निमित्त मात्र हो, दुर्योधन तो मर चुका, मैं तो कहता हूं कि सरकार मर चुकी, अगर आप कहेंगे कि कोई आरोप नहीं है तो मैं कहूंगा कि यह सरकार नैतिक वर्ल्ड में मर चुकी । तो मान्यवर, सालिगराम जी प्रधान मंत्री से मिले । उसके बाद 15 आदमी प्रधान मंत्री जी से मिले और त्रिपाठी जी से भी मिले । फिर 60 या 65 आदमी इनसे मिले । तो क्या वह इनका गुणगान करने गये थे । चाहे उनके मन में यही बात रही हो कि हमारी पार्टी की प्रतिष्ठा गिर रही है, आरोप लग रहे हैं, लेकिन वह मिले । आप मत बताइये कि हम मंत्री हैं और चले जाइये जनता के बीच में तो मालूम हो जायगा कि आज जनता आपके बारे में क्या कह रही है।

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

प्रधान मंत्री जी से भी लोग मिले, मुख्य मंत्री जी से भी मिले और ज्ञापन भी दिया। मुख्य मंत्री जी कह देंगे कि ज्ञापन हमें नहीं मिला। लेकिन दो हाइएस्ट पिच पर आप पर आरोप लगाये गये। आपने एक शब्द भी नहीं लिखा कि सालिगराम जी ने जो आरोप लगाये हैं वह झूठे हैं, वह षड़यंत्र कर रहे हैं, वह हमारे दल को गिराना चाहते हैं। क्यों नहीं आपने अखबारों में इस बात को निकाला ? इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि हम आमरण अनशन करेंगे। इसका भी प्रतिवाद नहीं हुआ। आज अगर अपोजीशन ने आपको डाक में खड़ा किया है तो क्या गलत किया ? और क्या सबूत चाहिये। प्रजातंत्र में होने के नाते आप इंक्वायरी शुरू करा दीजिये, भगवान राम का उदाहरण लेकर चलिये कि सीता जी निर्दोष थीं फिर भी उनकी अग्नि परीक्षा ली थी। पंडित जी को तो भारतीय संस्कृति पर विश्वास है, लेकिन श्रीमन्, आज क्या हो रहा है। आज तो आप मस्त हाथी की तरह हैं कि हमारे पास बड़ी शक्ति है

हमारे जायसवाल जी ने कहा कि समय आयगा जब हम परिवर्तन करेंगे इस मंत्रिमंडल का। आज वह समय नहीं आया है गालिबन सन् 74 के बाद आयगा।

प्रधान मंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार तो खिचड़ी सरकार है और यह हमारी कांग्रेसी सरकार नहीं है। इस खिचड़ी सरकार में सभी मंत्री बनाये हुए मंत्री हैं और चयन से नहीं गये हैं। जिस तरह से आप किसी इलजाम को छिपाने के लिये सी०आई०ए० का नाम ले लेते हैं चाहे वह बंगाल देश का इशू हो, या आन्तरिक गड़बड़ी का सवाल हो। अपने भ्रष्टता को छिपाने के लिये यही कह दिया जाता है कि यह तो खिचड़ी सरकार है कोई कांग्रेस की सरकार तो है नहीं। यह समय का तकाजा है कि और यहां की परिस्थितियां यहां की गवाह हैं कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में इसका निरीक्षण करवाएं उसके सामने आपको सफाई देने के लिये उपस्थित होना चाहिये। यह कहा गया कि पानी पी पी कर कोसा गया परन्तु यह केवल यहां की बात नहीं है आज सारी जनता ऐसा ही कर रही है और वह इस प्रकार के कारनामों से त्रस्त है। आज तो यह प्रासीक्यूशन की तरफ से नहीं बल्कि डिफेंस ने स्वयं ही स्वीकार कर लिया है कि हमारी गल्ती है। कोई भी न्यायाधीश या जज इस बात को कह सकता है कि प्रागदर्शन में प्राइमाफेसी केस हैज बीन मेड बाई यू ऐंड मोर दैन हाफ दी केस हैज बीन एडमिटेड बाई यू। यह नौबत आ गई है इस सरकार की मैं पंडित जी की मजबूरियां जानता हूं। मुझे एक व्यक्ति ने कहा जो पंडित जी के ही दल के हैं उन्हीं से मुझको यह सूचना मिली है। उन्होंने कहा और पंडित जी पर आरोप लगाये कि उनको यह मालूम है कि अमुक अमुक व्यक्ति भ्रष्ट हैं लेकिन पंडित जी नें कहा कि वह व्यक्ति तो अमुक मंत्री के आदमी हैं। 10,10 हजार रु० लेकर लोक सभा के वोट देते हैं।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

यह भी एक तरीका है कि पहले तो बात कह दी और फिर उसको वापस ले लिया।

श्री माधव प्रसाद त्रिजपाठी—

मान्यवर, आज यह बात दुनियां में किसी से छिपी नहीं ह कि यहां का जो मंत्रिमंडल है उसका चुनाव नहीं हुआ है बल्कि वे लोग नामिनेटेड हैं। जब वे लोग ऊपर के मंत्रियों के नामिनेटेड हैं तब वे कैसे होंगे इसका अन्दाज आप स्वयं लगा सकते हैं ? जब वे ऊपर से नामिनेटेड हैं तब वे संयुक्त रिस्पान्सिबिलिटी कैसे अनुभव कर सकते हैं। मुख्य मंत्री की लगाम उनके ऊपर कैसे रह सकती है। हमारे मुख्य मंत्री जी उनको भ्रष्टाचार करने से कैसे रोक सकते हैं जब कि उनकी लगाम ही नहीं उनके ऊपर है। इस प्रकार के मंत्री भी जानते हैं कि

उनके ऊपर तो दूसरे बड़े मंत्री हैं । सरजू कमीशन की रिपोर्ट पढ़ रहा था । यह कहा गया कि डा० मेहताब जो स्वयं बड़े बुद्धिमान आदमी थे किस प्रकार से करेप्शन में फंस गये । किसी बड़े आदमी के पट्रोनेज के कारण किसी को मंत्री बना दिया जाता है ? आज हमारे मुख्य मंत्री जी की हुकूमत बनी है, बार-बार इसमें फेर बदल करने के लिये कहते है परन्तु जब कभी अवसर आता है तो अपने मंत्रिमंडल को बदलने में वे असमर्थ हो जाते हैं । फिर यह मंत्रि-मंडल क्यों है ? मंत्रियों को खुली छूट क्यों है ? अंग्रेजों के जमाने में तो यही जवाब दिया जाता था कि हमारा खर्च नहीं चलता है परन्तु आज तुम अपने मंत्रि-मंडल को क्यों नहीं ठीक करते हो अपने मंत्रियों को क्यों नहीं रोकते हो ? क्या हम प्रशासन से पूछ सकते हैं अगर हम अपने मंत्रियों को ठीक नहीं करते हैं । अंग्रजों के जमाने में प्रशासन लोगों को चूसता था लेकिन अंग्रेज दूसरे तरीके से चूसता था घूस लेकर नहीं ।

आज के जमाने में क्या है ? आज तो प्रशासन के अधिकारी और मंत्री दोनों मिल कर घूस ले रहे हैं । आज यह हवा फैल रही है कि दोनों मिल कर खा रहे हैं । अगर ऐसा नहीं है तो देश के सामने प्रामाणित कर दें । यही दवा चौधरी साहब ने सामने रखी है । यही उन्होंने कहा कि पोलिटिकल पैट्रोनेज के कारण मंत्रिमंडल में भ्रष्टाचार आया है । पोलीटिकल पेट्रोनेज से बने इनके मंत्री 60 प्रतिशत से ज्यादा हैं । रमेंद्र वर्मा ने कह दिया हमारे कार्यकर्ता प्रदेश से आय थे । वह अखबार मेरे पास नहीं है । उनसे मेरी बातचीत हुई । ऐसा विश्वास है कि अगर छानबीन की जाय तो आधे से ज्यादा मंत्री भ्रष्ट होंगे । यह मेरी भाषा नहीं है । यह भाषा अपोजीशन की नहीं है । यह भाषा आपकी है । क्यों गये आपके लोग प्रधान मंत्री से मिलने । बहैसियत एक वकील के मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं । वे कहते हैं कि मंत्री ऐसा कर रहे हैं, क्या करें । खुद आपकी पार्टी के महा मंत्री ऐसा कहते हैं और फिर आप सबूत चाहते हैं । एक उदाहरण प्रोजीक्यूशन साइड से काफी है । हवालात के कटघरे में अभियुक्त को रख दिया जाता है अगर उसके पास से कोई सामान मिलता है, मगर यहां तो इन अबेन्डैंस है, कोई पूछने वाला नहीं है । आखिर कारण क्या है ?

(इस समय 3 बजकर 56 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

श्री अध्यक्ष—

आपका भाषण समाप्त करने आया हूं ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

आपके समय में ही मैं अपना भाषण समाप्त करूंगा ।

श्री अध्यक्ष—

5 बजे चर्चा खत्म करना है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

बहुत टाइम है । मैंने तो बहुत कम समय लिया । वसे भी मैं बहुत नहीं बोलूंगा बहुत डिटेल्स में नहीं जाउंगा । भारत वर्ष में आज डबल स्टैंडर्ड है । आज मंत्रिमंडल का डर नहीं है । सीना तान कर काम करते हैं । आज 75 एम० पी० और 30 या 36 एम० एल० ए० हरियाणा के मुख्य मंत्री के खिलाफ लिख कर देते हैं लेकिन जांच नहीं होती । असलियत क्या है, इलजाम लगाये जाते हैं कि मारूत कम्पनी में पसा दिया । वह भी मैं नहीं मानता । पंजाब के सम्बन्ध में जांच हो गयी । मुझे एतराज नहीं, जांच होनी चाहिए, मगर जो आपके कृपापात्र हैं उनके खिलाफ जांच नहीं होगी । आज मंत्रिमंडल समझता है कि जांच नहीं होगी, चिन्ता नहीं करनी चाहिए । वहां कोई दूसरी चीज नहीं चल सकती जब तक वे हैं ।

श्री अध्यक्ष—

२ मिनट, आपको ४ बजे खत्म करना है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, बीच में आप कह देते हैं तो मामला गड़बड़ हो जाता है । इस डबल स्टैंडर्ड

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

दूसरी बात मैं यह कह रहा था कि उदाहरण अनेक हो सकते हैं । उधर के लोग ऐसे उदाहरण मानने के लिये तैयार नहीं हैं यह तो मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं । कम से कम बहस तो कीजिये । लेप्सेज हो सकते हैं कहीं इधर उधर जांच करायेंगे, यह भी नहीं मानते।

श्री अध्यक्ष—

ऐसी बात तो मुख्य मंत्री कह सकते हैं ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मुख्य मंत्री क्या करें सब मंत्री लोग उनके काबू में नहीं हैं । मैंने उसका उदाहरण पहले ही दे दिया । एक उदाहरण देकर मैं अंतिम चीज कहूंगा ।

श्री अध्यक्ष—

अंतिम बात के बाद खत्म कीजिये ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, पहले कभी इतनी दिक्कत नहीं थी ।

श्री अध्यक्ष—

आपने पहले ही कहा था कि चौधरी साहब बोलेंगे ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

हमारे चौधरी साहब ने कहा । उसे बल देना है । महकमों में कोई पहलू नहीं है जिस पर भ्रष्टाचार का आरोप न लगाया जाता हो । ट्रांसफर पर लिया जाता है । एक मिसाल जौनपुर के डी0एम0ओ0एच0 की है । तीन बार ट्रांस्फर हुआ । एक इंजीनियर को तीन वर्ष के लिये सस्पेंड कर दिया जाता है और उसके बाद पता नहीं क्या स्थिति हो जाती है कि उसे पूरी तनख्वाह वापस हो जाती है और उसे वहीं कर दिया जाता है । मेडिकल पोस्ट्स जहां-जहां इम्पारटेंट हैं उनको मिलती है किसी कंसीडरेशंस पर मिलती हैं । मेरे कहने का मतलब है कि किस आधार पर मिलती हैं चाहे डायरेक्टोरेट करता हों या यहां से होता हो ।

मान्यवर, एक मिसाल और दे दूं कि आज इस मंत्रिमंडल को करप्ट करने वाला सबसे बड़ा क्लास बिजनेस क्लास है । उन लोगों से साठगांठ मंत्रिमंडल का है चाहे हिन्डालको हो, या कपड़े वाले हों या सीरे वाले हों । इन लोगों की बन आयी । क्या दुनियां में इसका कोई दूसरा निष्कर्ष निकल सकता है कि आज भी उनकी बिजली में कटौती नहीं हुई । कौन से कंसीडरेशंस है ? क्या पहले पैसा दिये थे या आज दे रहे हैं । यही नहीं बरेली सिंथेटिक फैक्टरी पर बैंड भी लगायी गयी । उससे करोड़ों रुपये का लाभ होता लेकिन शायद यह तय कर लिया है कि वह वापस हो जायेगी । भगवान करे कि वह वापस न हो । मान्यवर, चौधरी साहब ने काफी मिसाल रखीं । कौन सा अंग है जहां इस मंत्रि-मंडल के कारण भ्रष्टाचार न फैला हो । एक बात और कि यह सब लोग मानते थे कि करप्शन बड़े जोर पर है और इसे दूर करने का उपाय होना चाहिये । मान्यवर, संथानम कमेटी की रिपोर्ट आयी । उसमें यह है कि बस मेम्बर लिख कर दे दें तो जांच करानी चाहिये । यहां दस मेम्बर नहीं, जैसा मैंने पहले कहा इतने मेम्बर मिलकर मुख्य मंत्री जी और प्रधान मंत्री जी को दे दें तब भी कुछ नहीं हुआ ।

श्री अध्यक्ष—

आप 4—5 तक बोलेंगे ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर, आपने समय कम कर दिया।

आखिर यह प्रदेश जायेगा कहां। चाहे ला ऐंड आर्डर सिचुएशन को ले लें, आर्थिक स्थिति को ले लें, चाहे महंगाई को ले लें, चाहे विद्यार्थियों को ले लें, चाहे बेकारी को ले लें, चारों ओर एक अजीब स्थिति आ गयी है। मालूम होता है अशांति सबके हृदय में है। उसके ऊपर आपने करप्शन और लाद दिया। लोगों की सारी आशायें ममहित हो गयी। कैरों इंसीडेंट का एक उदाहरण है। जब वहां लोगों ने देखा कि पैट्रोनेज इतना है कि इससे त्राण नहीं पा सकते, गवर्नमेंट ऐसी है कि घूसखोरी से त्राण नहीं पा सकते तो एक दुर्घटना हो गयी। भगवान न करे कि वह दिन आये कि यहां कोई वालकेनिक इरप्शन हो जाय। मान्यवर, एक मार्गदर्शन संविद सरकार ने दिया था। एक कानून बनाया, अपने लिये नहीं बनाया, सबके लिये बनाया था। क्या कारण है कि लोकपाल और लोकआयुक्त का कानून पार्लियामेंट से पास हो गया लेकिन कौंसिल आफ स्टेट्स से पास नहीं हुआ। कारण क्या है? क्या आपको अपने मंत्रियों पर इत्मीनान नहीं है। मैं प्रधान मंत्री से कहना चाहता हूं। किससे अपील की जाय। अपील तो 74 में होगी। लेकिन उसमें भी एक एक सेठियों से मिले बैठे है। इससे भी बड़ा क्या प्रमाण हो सकता है कि उचन्त खाते में से 60 लाख रुपया निकाला। पता नहीं उसमें 64 करोड़ है या 64 अरब रुपया है। कह लें आप अपने से कि झूठ है....

श्री अध्यक्ष--

4 बजकर 5 मिनट हो चुके हैं। आधा घंटा रह जायगा। अब आप खत्म कीजिये।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

तो मैं कहना चाहता हूं कि आज इन परिस्थितियों को देखते हुये यह परमावश्यक होगा कि आज एक हाई कोर्ट के जज को मुकर्रर किया जाय या एक ऐसा आयोग गठित किया जाय जो उत्तर प्रदेश और केन्द्र की सरकारों के क्लचेज से बाहर हो और वह इस बात की जांच करे--भगवान करे उसमें हम गलत सिद्ध हों और आप सही सिद्ध हों--कि यह आरोप कहां तक सही है ताकि प्रजातंत्र की जड़े मजबूत हों।

श्री अध्यक्ष--

पांडेय जी। आप 15 मिनट लीजिये।

श्री बंशीधर पांडेय--

मैं जल्दी ही खत्म करूंगा, थोड़ा-सा टाइम बढ़ा दें, मेरी प्रार्थना है।

श्री हिम्मत सिंह--

ढाई घंटे का टाइम बढ़ा दिया जाय हाउस का, मैं प्रस्ताव करता हूं।

श्री बंशीधर पांडेय--

जब किसी सरकार के विरुद्ध ऐसे आरोप लगाये जाते हैं, आज आपने शुरू में ही एक बात कह दी कि नाम नहीं लेना चाहिए। जो आपका आदेश था उसका पालन किया गया, नाम नहीं लिया गया लेकिन नाम न लेने से भी सारी बातें तो सरकार पर आती ही हैं।

मान्यवर, हमारे देश की लोकशाही की स्थापना जब हुई तो उसके पहले हमारे देश में अंग्रेजों का राज्य था। समय कम है, मैं कुछ ऐसी बातें कहूंगा जिनको उद्धृत करके हमने संसदीय प्रणाली को लागू किया है। इंगलैंड में, जैसा चौधरी साहब ने शुरू में ही कहा, मुझे तो बड़ा दुख होता है कि एक मंत्री जी जब बोल रहे थे और सारा सदन गवाह है कि किसी कातिल को खड़ा किया जाय तो कत्ल किये हुए रहे और वह उलटा पुलिस के अफसर को कहे

[श्री बंशीधर पांडेय]

कि तुम भी कत्ल किये हो। अब अगर वह कत्ल किये हुए रहेंगे तो वह भी उस स्थिति में जवाबदेह होंगे। आज तो जो सरकार है उसके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप हैं, उनके मंत्रियों और उनके राज्य और उनके कार्यों से जो भ्रष्टाचार पनपता है समाज में उस पर चर्चा हो रही है। मैं तो चौधरी साहब को बधाई देना चाहता हूं कि जब उनके प्रति एक शब्द आया तो उन्होंने कह दिया मेरे ऊपर भी और मंत्रिगण जितने हैं उनके ऊपर भी हाई कोर्ट के जज की इंक्वायरी बैठायी जाय और जो उसका फैसला हो वह मान्य है। इसमें तो किसी को एतराज नहीं होना चाहिए, लेकिन लगता था कि मंत्री जी जो जवाब देते थे वह स्वयं मान्यवर, ऐसी स्थिति में थे कि मुझे एक किस्सा याद आ गया। एक शराब की गली में लोग जाया करते थे मधुशाला में। तो एक दिन एक सच्चरित्र आदमी जो उनको मना करने का प्रयास किया करते थे, उन्होंने उस गली में जाने का विचार किया कि मैं जांऊं और उनको रोकूं कि वह शराब न पीयें। तो जब वह उस गली में पहुंचे तो शराबियों के झुंड ने उन्हीं को घेर कर कह दिया कि पंडित जी को देखिये, या फलाने को देखिये कि खुद ही चले आये यहां। यह जो आज हालत हुई कि जिसके ऊपर चार्ज है– तो मुझे तो हंसी आती है कि वह कोट के बटन खोल कर ऐसे खड़े हुए जैसे फ्री स्टाइल होने वाला है। वह इस बात का परिचायक था कि इस सरकार में उनके कार्यक्रम का स्तर क्या है।

मैं कहता हूं अगर इंगलैंड में भी होम–मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया तो क्यों? उस पर चार्ज था वह व्यक्तिगत नहीं था और सारी पार्लियामेंट में, लीडर आफ अपोजीशन विलसन ने भी कहा कि होम मिनिस्टर पर कोई व्यक्तिगत चार्ज नहीं है, इनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए। लेकिन उन्होंने स्वयं कहा कि चूंकि इसमें मेरा रिश्तेदार, पत्नी या किसी का कुछ संबंध पड़ता है, वह आदमी फंसा हुआ है लिहाजा जब तक मैं इस्तीफा नहीं दूंगा इंक्वायरी इंपार्शल नहीं कही जा सकती। आज क्या है? मैं आप से कहता हूं कि किसी ने एक लाख रुपया घूस लिया, भले ही किसी के सामने नहीं लिया और न किसी ने देखा है।

मैं तो इसको भी मानने को तैयार हूं कि अगर मैं मंत्री होऊं और एक लाख रुपया ले लूं तो वह क्षम्य है बनिस्बत इसके कि हमारी नीतियों से समाज में एक छेद हो जाये और उसकी सारी इनर्जी बह जाय, अभी चौधरी साहब ने मुगलसराय का किस्सा कहा। मुख्य मंत्री जी ने कहा, मैं बाद में जवाब दे दूंगा। रेलवे बोर्ड की इन्क्वायरी कमेटी बैठी हुई थी और शायद नन्दा जी आये हुये थे। उन्होंने लिखा है कि रेलवे बजट में जितना घाटा है उतना उत्तर प्रदेश में मुगल–सराय में 34 करोड़ रुपये सालाना के माल की चोरी होती है। आज जब वहां के कर्मचारियों ने रोका तो सरकार को अदालत का काम अपने हाथ में नहीं लेना चाहिये था। यह तो कभी नहीं हुआ कि कैदी को पहले ही सरकार ने अपने आदेश से कह दिया कि पांडेय जी छूट गये और सुरेन्द्र विक्रम पकड़ गये। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या एस0 पी0 ने जिसको भी पकड़ा, मैं मानता हूं कि सरकार बिल्कुल सही कहती है, उसके पास काफी सबूत है लेकिन सरकार जज का काम नहीं कर सकती, उसको अदालत पेश करना पड़ेगा। वहां से जब छूट जायेगा तो निर्दोष साबित हो गया। लेकिन इस सरकार ने जुडिशियरी का काम भी अपने हाथ में ले लिया।

मेरे जिले में चकिया तहसील है। वहां मैं अभी गया हुआ था। मछली मारने का कांड आपने सुना होगा, इस हाउस में पिछली बार उठा था। मुख्य मंत्री जी ने कलेक्टर को आदेश दिया था, पता नहीं उसका क्या हुआ। वहां पर 90 फी सदी जनता इस बात को जानती है कि कुछ लोगों के इंटरेस्ट में पानी को बरबाद किया गया उन बन्धों से बहा कर। लोग कहते थे 92 ट्रक मछली को निकालने के लिये न जाने कितना पानी बहाया गया। जब पानी कम हो गया तो पंडित नारायण दत्त तिवारी के विभाग में बिजली की कमी आ गयी जिसके कारण आज वह 6 घंटे काटने लगे। टंडन जी हैं नहीं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि बिजली

का जनरेशन इस प्रदेश का क्या है ? मार्च, 71 में जो इंस्टाल्ड कैपेसिटी थी उससे कितना ज्यादा बढ़ाया और बढ़ाया तो किन-किन जगहों पर बढ़ाया। वित्त मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि विभाग में बड़े पैमाने पर बिजली की चोरी होती है। लेकिन आज तक आपने उसको रोका नहीं ।

टंडन जी ने ही कहा था कि कोई कांस्ट्रक्टिव प्लान की बात होनी चाहिये थी। आज देश में फैडरेशन नहीं रह गया है। हमने फेडरल सिस्टम के अन्तर्गत युनिटरी सिस्टम की कल्पना की थी। मैं मानता हूं कि सेन्टर को मजबूत होना चाहिये लेकिन इस बात को मैं कतई स्वीकार नहीं कर सकता कि जो स्टेट के सब्जेक्ट्स हैं उन पर भी सेन्टर का कर लगने लगे। मैं दो-तीन साल से देख रहा हूं कि सेन्टर से जो कानून निकलता है उसका रेटिफिकेशन स्टेट्स में जो उसकी गवर्नमेंट्स हैं वह कर दिया करती हैं। क्या आप इसको डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, नगर-पालिका और टाउन एरिया बना देना चाहते हैं? इस प्लानिंग ने तो प्राविन्शियल आटोनामी को बिल्कुल खत्म कर दिया। आये दिन यहां के मन्त्री लाइन लगा कर दिल्ली खड़े होते हैं भिखमगों की तरह कि हमारा एक प्रोजेक्ट मंजूर कर दो। केन्द्रीय सरकार वालों के आखिर हम गुलाम तो हैं नहीं। एक संविधान के अन्दर वे भी स्वतन्त्र हैं और हम भी स्वतन्त्र हैं अपने कार्य करने के लिए। तो जो पोलिटिकल करप्शन पैदा हो गया है उस पर हमें विचार करना होगा। हम एक हजार रुपए अगर नकद ले लें वह इतना खतरनाक नहीं है जितना यह पोलिटिकल करप्शन देश और प्रदेश के लिए खतरनाक है।

फिर गरीबी की हालत क्या है। केन्द्र के वित्त मन्त्री ने स्वयं कहा है कि आज अधिकांश जनता गरीबी लाइन से भी नीचे है। 40 परसेंट पापुलेशन इज बिलो दि पावर्टी लाइन। मैं पूछता हूं कि आप आखिर नारे क्यों इतने ऊंचे-ऊंचे देते हैं ? आपने क्यों लोगों को गलत आशायें दिलायीं? आपने उद्योगों को बढ़ाने की बात कही, गरीबी मिटाने की बात कही, नेशनल इनकम को बढ़ाने की बात कही, किस बात को आपने पूरा किया? आज गरीबी नहीं मिट रही है, गरीब मिट रहा है। सत्ता में रह कर आज जो भी आप जवाब देंगे, जनता उसे सुन लेगी, मगर याद रखिये, जब सरकारें सत्ता से हट जाती हैं तब उनको पता चलता है कि वे कितनी गलतफहमी में थीं। सही बात का पता उनको बाद को चलता है। आज हमारा कर्त्तव्य है कि हम आपको उस गलतफहमी को बतायें और इसीलिए आपको बता रहे हैं कि आज आपकी स्थिति क्या है। इस प्रदेश में ठेकेदारी प्रथा को खत्म करने के लिए आपने जो काम किया उसके अन्दर हो क्या रहा है? त्वरित योजना के नाम पर करोड़ों रुपया बरबाद किया जा रहा है। उससे कोई लाभ नहीं हो रहा है। मस्टर रोल में दुगने-तिगने आदमी यूं ही दिखा दिये जाते हैं और उनके नाम से पेमेन्ट हो रहा है। (लाल बत्ती होने पर)

श्रीमन्, मुझे 10 मिनट और चाहियें.....

श्री अध्यक्ष—

अब समय नहीं है ।

श्री बंशीधर पांडेय—

अभी तो हमें कुछ भी समय नहीं मिला है ।

श्री अध्यक्ष—

समय बहुत कम है। अभी उनको भी जवाब देना है। समय हम नहीं बढ़ा सकते। 5 बजे तक ही तय हुआ था। यह कल ही तय हुआ था कि 5 बजे तक यह चलेगा। इस

[श्री अध्यक्ष]

लिए समय और नहीं दिया जा सकता। आप शीघ्र समाप्त करें। चौधरी साहब ने ज्यादा समय ले लिया ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद--

चौधरी साहब ने नहीं कपूर साहब ने ज्यादा समय ले लिया था।

श्री बशीधर पांडेय--

मन्त्रियों के नाम लेना यहां पर बन्द कर दिया गया है और मैं उसे पसन्द भी नहीं करता हूं । लेकिन उनके खिलाफ तमाम करप्शन के चार्जेज हैं, इनकी जानकारी आपको अच्छी तरह से है और हमें भी है, क्योंकि जो प्रतियां आपको जाती हैं, उनकी प्रतिलिपियां हमें भी भेजी जाती हैं। टंडन जी कह रहे थे कि बाजार-बाजार में आपके खिलाफ शोर है, लेकिन मैं मन्त्री बनूंगा तब तो शोर होगा अभी तो आप मन्त्री हैं और आपके खिलाफ सारा शोर है। मन्त्रीगण दिल पर हाथ रखकर सोंचें हाउस में डिस्कशन हो चुका है परमिट लेने में, उसको बेचने में, जमीन लेने में और उसको बेचने में, अधिकारियों का भ्रष्ट तरीके से ट्रांसफर करने के बारे में कितने आदमी दोषी हैं। कितनी ही बार ये बाते यहां आ चुकी हैं और सिद्ध भी चुकी हैं। आपसे मै कहता हूं कि आप इसको दबाये रखेंगे तो आपके खिलाफ होगा, जनता में भावना बढ़ेगी। ला एण्ड आर्डर की अभी तारीफ हो रही थी। लेकिन मेरठ और गाजियाबाद के बीच में रवीन्द्र सरोवर जैसे कांड की पुनरावृति हुई है। यह ल.महर्षक घटना उत्तर प्रदेश के इतिहास में सबसे ज्यादा लज्जाजनक घटना है। यह घटना राजधानी दिल्ली के नजदीक हूई है और उत्तर प्रदेश में हुई । इसी पर आप ला एण्ड आर्डर पर गर्व करना चाहते है। अभी चार प्रश्न सबेरे हरिजनों के बारे में हुए। इस सरकार ने लासा लगाने का कार्य करके सत्ता में बने रहने का प्रयास सदैव किया है। आप जातीयता, हरिजनों और मुसलमानों सब के हित की बात कहते हैं। लेकिन मैं इस प्रदेश के बाहर की जनता से कहना चाहता हूं वह कान खोलकर सुन लें कि मुसलमानों और हरिजनों की सबसे बड़ी शत्रु यह सरकार है और इससे बढ़कर न कोई सरकार हुई है, और न आगे होगी। हरिजनों के गांव के गांव जलाये जा रहे हैं, उनकी स्त्रियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं वह चाहे शाहजहांपुर, बांदा या आजमगढ़ कहीं भी हो।क्या इनकी इक्वायरी करके आपने कोई कदम उठाया है ।

लैन्ड सीलिंग की बात आई। इस बारे में कहना चाहता हूं कि आपने बड़े-बड़े काश्तकारों, राजाओं, महाराजाओं, जिन्होंने ए0 बी0 सी0 और कुत्ते-बिल्लियों के नाम जमीन कर दी है, को एक स्वर्ण अवसर दिया है। इसमें इसके लिए 24 फरवरी, 70 जो लिखा हुआ था, जो घोषणा हुई थी, उस तारीख को टालकर 24 जनवरी, 71 एक साल बढ़ा दिया गया है। पहले 3 लाख कहा था, अब एक लाख कहा है, लेकिन मैं समझता हू 40 हजार एकड़ के ज्यादा जमीन इनके कब्जे में नहीं आने वाली है। इस तरह आपने ढाई लाख एकड़ जमीन कोवैलीडेट कर दिया है। इसके लिए मैं किस पर चार्ज लगाऊं। खाद्यान्नों की 4 गुना महंगाई बढ़ गई है और रुपये की कीमत 20 पैसे हो गई है। जब से महंगाई बढ़ गई और बेरोजगारी बढ़ गई। और इस समय करीब अपने देश में 3 सौ लाख बेकार आदमी हैं। वह आपका कौन सा आदर्श देखेगा। गरीबी हटाओ का नारा, कब तक? जो पूंजीपति के समर्थक हैं, टाटा, बिड़ला, डालमिया जिनकी 1966 में 492 करोड़ आमदनी थी 709 और 800 करोड़ हो गयी, दूनी हो गयी। हमारे किसान की आमदनी आधी नहीं रहेगी, गेहूं जौ, चना बोने का समय न जाने, खाद डालने का समय न जाने, आज वह देश के निर्णायक बने हुए हैं। कई बातों को कहना चाहता था, आपने समय काटा लिया। आज इस सरकार को खुले दिल से स्वीकार करना चाहिए

मन्त्रियों के खिलाफ। एक बात कह कर बन्द करना चाहता हूं। जब भीतर से भी आग भड़क रही है, नीव किस पर है? दि पार्टी वाज बार्न आउट आफ इंडिसिप्लिन के यह पार्टी अनुशासनहीनता के आरोप में पैदा हुई है। यह पार्टी विभिन्न दल बदलुओं की पार्टी है।

मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि सदन के निश्चय को लेकर आप हाईकोर्ट जज को नियुक्त करें। इसके बाद मन्त्री उसमें फंसे उनको इस्तीफा देना चाहिए ताकि आने वाले मन्त्रि-मण्डलों के लिए वह सबक बन सके। इन शब्दों के साथ मैं अपने कागजात माननीय मुख्य मन्त्री जी को भेज दूंगा।

श्री अनन्तराम जायसवाल---(माननीय मुख्य मन्त्री के बुलाने पर)---

अध्यक्ष जी, हम को मौका दीजिये।

श्री अध्यक्ष---

बाद में बोलेंगे। माननीय मुख्य मन्त्री जी को बोल लेने दीजिए।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

मैं बहुत सीधा सादा सदस्य हूं। चालाकी नहीं समझ पाता हूं। चालाकी तो नहीं हो रही है?

श्री अध्यक्ष---

आप दस मिनट बोलना चाहते हैं?

श्री अनन्तराम जायसवाल---

दस मिनट में क्या होगा?

श्री अध्यक्ष---

फिर टाइम नहीं है।

*श्री अनतराम जायसवाल---

चलिए, आपका हुक्म मान लिया।

मान्यवर, जिस बहस की चर्चा जबान-जबान पर है, जगह-जगह पर है, आपकी दृढ़ता से उस बहस को इस सदन में भी अवसर मिला, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद।

आज भ्रष्टाचार पर यहां चर्चा हो रही है, वह भी मन्त्रियों के भ्रष्टाचार के बारे में। जो आज हमारे कानून में उनमें खाली यह है व्यवस्था कि जब जुर्म हो जाय, कोई पकड़ में आ जाय उसको सजा मिल जाय लेकिन जुर्म रोका जा सके इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। उसमें भी अगर किसी बड़े आदमी के खिलाफ शिकायत है तो आज की हालत में वह पकड़ में आ ही नहीं सकता। भ्रष्टाचार का मतलब खाली ईमान की कमी नहीं भ्रष्टाचार का मतलब है---पक्षपात, मनमानी, कानून और नियमों की अवहेलना, घूसखोरी। यह सब बातें जब आप शामिल करें तो भ्रष्टाचार का पूरा अर्थ होगा। इस कसौटी पर अगर आप कसेंगे तो मैं निवेदन करूंगा कि सरकार का जन्म भ्रष्टाचार में हुआ, यह सरकार भ्रष्टाचार के सहारे टिकी है, और भी अगर गयी नहीं, तो भ्रष्टाचार के ही सहारे टिकी रहेगी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

जायगी भी तो भ्रष्टाचार से।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

भगवान करे आपके मुंह में घी शक्कर हो। इस सदन में माननीय कमलापति के पीछे सौ सदस्यों की संख्या थी। यह संख्या बढ़कर 275 हो गयी, क्या यह ईमानदारी की बदौलत हो गयी ?

एक सदस्य --

नेगी जी से पूछिये कैसे हो गई ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

अपने साथियों से पूछिये वही बेहतर बतला सकते हैं।

श्री अनन्त राम जायसवाल--

छोटे-मोटे मामलों की जांच करने से काम नहीं चलेगा। इस जांच में यह भी शामिल होना चाहिये कि 100 से 275 की आपकी संख्या कैसे हो गयी? क्या यह सही नहीं है कि शराब, औरत और पैसे के लालच से यह संख्या बढ़ी ? (व्यवधान) आप किसी जांच में ठहर नहीं पाते। चौधरी साहब की चुनौती को ही स्वीकार कर लीजिये ।

मैं यह भी निवेदन कर दूं जिस हालत में यह सरकार बनी उसमें सभी लोग मन्त्री नहीं बनाये जा सकते थे। कोई भी मुख्य मन्त्री चाहे भी तो सबको मन्त्री नहीं बना सकता। फिर आज जब ऊपर से मन्त्री का नाम दिया जाता है तब तो मुख्य भन्त्री की और भी मजबूरी हो जाती है। लेकिन सबको खुश रखना है नहीं तो सरकार चलेगी कैसे? नतीजा यह हुआ कि यहां पर सदन के नाम पर जितनी कमेटीज अथवा कमीशन्स गठित किये गये उतने पहले कभी गठित नहीं किये गये थे और मेरा निश्चित आरोप है कि जिनको मन्त्री नहीं बनाया जा सकता था उनको मन्त्री जैसा दर्जा दे दिया गया कमेटीज तथा कमीशन्स के जरिये। यह भी उस जांच में शामिल होना चाहिए ।

जहां तक मनमानी का सवाल है, कानून की अवहेलना का सवाल है उसकी मिसालें चौधरी साहब ने कई विभागों के सम्बन्ध में निश्चित रूप से आपके सामने रखीं उनको दोहराना नहीं चाहता। लेकिन इस हालत के फलस्वरूप बातें यहां गयी हैं कि जो हमारे विधायक निवास के केयर टेकर हैं उनके यहां अरेबियन नाइट मनाई जाती है। वहां पर मन्त्री तथा उनके साथ उनके मुसाहिब एकत्रित होते हैं और इस माननीय सदन के सदस्य भी इकट्ठा होते हैं। आज कहीं अगर विधायक निवास में चले जाइये तो सचमुच ऐसा लगता है कि भले आदमी के रहने की वह जगह नहीं रह गयी है। यहां विधायक निवास के केयर टेकर के इतने असीम अधिकार हो गये हैं कि उनको कोई हाथ नहीं लगा सकता। उनका मन्त्रि मण्डल के बिगाड़ने तथा बनाने में हाथ है।

मंन्त्रियों पर जो आरोप में उनका नाम लेने पर आपने पाबन्दी लगा दी है। वह प्रतिबन्ध मेरे ऊपर भी है लेकिन मुख्य मन्त्री जी से यह मैं जानना चाहूंगा क्या यह सच नहीं है कि विधायक मण्डल में से 5 दर्जन विधायकों ने मन्त्रियों पर आरोप लगाये हैं और उनको मुख्य मन्त्री तथा प्रधान मन्त्री के सामने रखा है लेकिन उन आरोपों पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। खाली यह पढ़ने तथा सुनने को मिला कि जब उपयुक्त अवसर आयेगा तो सब ठीक हो जायगा। जाने वह उपयुक्त अवसर कब आयेगा? मेरे जैसे

आदमी को यह नतीजा निकालना पड़ता है कि इन आरोपों में सच्चाई जरूर है और अगर किसी को हटाया जायगा तो एक नया कोहराम मच जाने की आशंका है। जो भूख लगी है, जो लालच लगा है पद का वह तो मिट नहीं सकेगा। कुछ को हटा भी दिया गया तो उनकी जगह पर उनसे ज्यादा भूखे और लालची बैठ जायेंगे जो ऐसा कोहराम मचा देंगे जिससे सरकार तितर-बितर हो जायगी और इसी के कारण यह जांच नहीं हो रही है और इस बात को मैं पूरे जोर से कहना चाहता हूं कि दोनों पक्ष दागी हैं।

इल्जाम लगाने वाला और जिसके ऊपर इल्जामात लगाये जाते हैं वे दोनों दागी हो गये हैं। यहां पर सदन में उनको मौका था कि वे अपने इल्जामात को रख दें और स्पष्ट कर दें। यह सदन निर्णय देता और सबकी मंशा पूरी हो जाती अन्यथा वे रिप्यूट करते। इसलिए कहता हूं कि दोनों पक्ष दागी हैं। दोनों पक्ष अपनी-अपनी जगह पर घात लगाये बैठे हैं। उनको लालच हो गया है। वे ऐसा करेंगे नहीं।

माननीय चौधरी साहब ने नियमों की अवहेलना की चर्चा की ओर कहा कि डैम की मछलियों का नीलाम किस तरह से हुआ है। मैं तो कहता हूं कि अब कहीं पर कोई नियम रह ही नहीं गया है चाहे वह स्थानान्तरण का मामला हो, नियुक्ति का मामला हो और चाहे प्रमोशन का मामला हो। किस-किस तरह के लोग हमारे पास आते हैं---चपरासी से लेकर अफसर तक---छोटी-छोटी संकुचित वृत्तियों को लेकर हमारे पास आते हैं। जब हम अब एक-एक व्यक्ति का मामला लेकर यहां पर आयें तो कभी-कभी तबीयत आती है कि बदलाव हो जाय किन्तु वह हो नहीं पाता है। छोटे-छोटे कर्मचारी, कभी नहर विभाग के कर्मचारी, कभी गन्ना विभाग के कर्मचारी और कभी कोई कर्मचारी हमारे पास अपनी बात कहने आता है और वह भी दूसरे दलालों के साथ आता है। जो आरोप लगाये जाते हैं वे बिलकुल सत्य होते हैं। उदाहरण के लिए मैंने अभी मुख्य मन्त्री जी को लिखकर दिया है। उनको यहां पर दोहराने की जरूरत नहीं है और न ही इस समय अवसर इतना है कि उनको दुहरा सकूं किन्तु जो आरोप लगाये गये हैं, स्थानान्तरण प्रमोशन या नियुक्ति के सम्बन्ध में, वे सही हैं और बराबर यहां पर गड़बड़ी चली आ रही है। यह आज की हालत है। चौधरी साहब ने कहा कि शायद प्रधान मन्त्री जी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं उनको कहना चाहता हूं कि आज तो गंगोत्री में भी कीचड़ हो गया है। तो जब पहाड़ में गंगोत्री में कीचड़ हो गया है तो नीचे मैदान के हिस्से को साफ करने का मौका वे निकाल ही नहीं सकते हैं। आज कई तरह के रास्ते बन गये हैं।

सिंहासन और व्यापार का ही रास्ता आप देख लीजिये। जिसको चाहे उसको लाइसेन्स मिल जाता है। तो क्या इस तरह से भ्रष्टाचार मिट सकता है और वह भी जबकि आज दिन-बदिन फैशन बदल रहा है? ऐसी परिस्थितियों में भ्रष्टाचार रोके नहीं रुक सकता। है। अब इसमें अगर खाली मन्त्री ही होते तो माफ किया जा सकता था किन्तु वह तो पूरे समाज के चरित्र का एक भाग बन गया है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप इस ओर भी ध्यान दें। मन्त्रियों के बेटी-बेटे हैं। मैं कहता हूं कि क्या और लोगों के बेटी-बेटे नहीं हैं। क्यों लाइसेन्स आदि उन्हीं को दिये जाते हैं? क्या उन्हीं को फायदा पहुंचाया जा सकता है और लोग भी तो इसी समाज का एक अंग हैं। तो क्या इस हालत में भ्रष्टाचार रुक सकता है, मैं कहता हूं कभी नहीं रुक सकता है। यदि मन्त्रियों के बेटी-बेटे नौकरियों में नहीं आते हैं तो उनका निजी व्यापार उनकी नौकरी हो जाती है। ज्यों-त्यों मन्त्रियों का दर्जा बढ़ता जाता है त्यों-त्यों उनकी नौकरी भी ऊंची होती जाती है। क्या भ्रष्टाचार को दूर करने का यही एक नमूना है। कहां-कहां भ्रष्टाचार है, इसको ढूंढना होगा और उसके लिए उपाय करने होंगे। चौधरी साहब ने जो प्रस्ताव रखा है उसमें तो उन्होंने बहुत छोटी सी मांग रखी है। मैं चाहता हूं कि उसका क्षेत्र और विस्तृत कर दिया जाय कि उत्तर

[श्री अनन्त राम जायसवाल]

प्रदेश में आजादी के बाद से यानी सन् 46 के बाद से सबके लिए एक जांच बैठा दी जाय। तभी तथ्य सामने आयेंगे और तभी जाकर यह मामला ठीक हो सकता है।

(माननीय मुख्य मन्त्री के खड़े होने पर)

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

अध्यक्ष महोदय, 5 मिनट मुझे भी बोलने के लिए दीजिए।

श्री कमलापति त्रिपाठी--

अध्यक्ष महोदय, इस बहस को 5 बजे समाप्त करना है।

श्री अध्यक्ष--

5 बजे नहीं, मैं 15 मिनट समय बढ़ा दूंगा अपनी तरफ से।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

अध्यक्ष महोदय, अब इस पर बहस की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ इतना सवाल है कि क्या इस प्रस्ताव को स्वीकार करके इस पूरे मामले को जांच के लिए जज को दिया जायगा? बाकी बहस की कोई जरूरत नहीं है, मान्यवर।

श्री कमलापति त्रिपाठी--

सारे दिन बहस करने के बाद मान्यवर, श्री अनन्तराम जायसवाल जी की बुद्धि में यह क्रान्तिकारी विप्लव हुआ, और उनकी समझ में यह बात आयी कि अब इस पर बहस की कोई जरूरत नहीं है। हमें कुछ कहना ही नहीं है, यह उन्होंने सोचा।

श्री चरण सिंह--

अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से मैं एक बात कहना चाहता हूं और वह यह है कि जैसा माननीय जायसवाल जी ने कहा है--सेंट्रल प्वायन्ट तो वही है, सिर्फ हम यह जानना चाहते हैं कि माननीय मुख्य मन्त्री जी जो व्याख्यान देंगे, बड़ी अच्छी भाषा में बोलेंगे, बड़ी शिष्टाचार के साथ और लच्छेदार भाषा में बोलेंगे लेकिन यहां प्रश्न तो केवल यही है कि आया वे आरोप जो प्रधान मन्त्री के सामने और उन्हीं की पार्टी के लोगों ने लगाये हैं उनको हाईकोर्ट के जज के सुपुर्द जांच के लिये करने को तैयार हैं या नहीं। क्योंकि इसके बाद ही हम तय करेंगे कि हमारा यहां बैठना यूजफुल है या नहीं।

श्री कमलापति त्रिपाठी--

मान्यवर, वह भी बतला दूंगा।

श्री अध्यक्ष--

अभी बतला दें तो कोई हर्ज नहीं है।

श्री कमलापति त्रिपाठी--

अभी क्यों बतला दें? अभी लच्छेदार सुन लें थोड़ी सी। मैं समझता हूं कि वे संक्षिप्त मेरी थोड़ी सी शिष्टता भी देख लें।

श्री चरण सिंह--

मैं समझता हूं कि अब हमारा यहां बैठना बेकार है।

(विरोधी दलों के सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

श्री कमलापति त्रिपाठी--

यह मेरे साथ बड़ा अन्याय है, मान्यवर।

श्री अध्यक्ष--

आप बोलें ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

अध्यक्ष महोदय, अब तो मुझे बोलने दें। वे लोग तो चले गये। पंडित जी से भी मैं निवेदन करता हूं कि 5 मिनट मुझे बोल लेने दें।

श्री अध्यक्ष--

जी नहीं। मैंने मुख्य मन्त्री जी को बुला लिया है।

श्री छांगुर राम (जिला आजमगढ़)--

अध्यक्ष जी, मुझे 2 मिनट बोल लेने दीजिए ।

श्री अध्यक्ष--

जी नहीं, मैं इजाजत नहीं देता हूं।

श्री कमलापति त्रिपाठी--

अब मैं खड़ा हूं।

श्री छांगुर राम--

मुझे दो मिनट का समय दे दें, मान्यवर।

श्री अध्यक्ष--

जी नहीं। आप कृपा करके बैठ जायं, मैं इजाजत नहीं देता ।

श्री छांगुर राम--

इसके विरोध में मैं सदन का त्याग करता हूं।

(श्री छांगुर राम सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री कमलापति त्रिपाठी--

मान्यवर, जब यह बहस प्रारम्भ हुई और आपकी आज्ञा से प्रारम्भ हुई, कुछ बन्धनों के साथ आरम्भ हुई और अब आपकी आज्ञा से ही बहस समाप्त होगी। तब से मैं बराबर यह सोच रहा था कि आखिर यह बहस पेश क्यों की गयी।

अपने दिमाग पर जोर डाल रहा था कि आखिर क्या मतलब है । अंतिम घड़ी में वह स्पष्ट हो गया कि यह प्रस्ताव क्यों पेश किया गया । उठ कर हमारे साथी सदन से चले गये तो उनका काम पूरा हो गया । काम उनका न जनहित में, न स्वच्छता में, न प्रसन्नता में,

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

लम्बी-लम्बी बातें, लम्बे-लम्बे आदर्श, गांधी जी के कोटेशन और जवाहरलाल जी की बातें और जहां तक मुमकिन हो सके, इस सरकार पर कीचड़ उछालें । यह केवल उनकी नीति इस प्रस्ताव को लाने की रही है और उनका काम पूरा हो गया । प्रेस बैठा हुआ और वह भाषण छाप देगा और प्रदेश भर में वह चला जायेगा और उनका मतलब पूरा हो गया । गांव-गांव में चर्चा हो या न हो लेकिन विधान सभा में चर्चा कराकर गांव-गांव और गली-गली में उसको पहुंचा देना, इनकी नीति रही है जिसके लिये यह प्रस्ताव लाया गया है ।

कोई सरकार रहे या जाये और उसकी जांच हो, मान्यवर । इसकी जांच का एक ही फैसला है और एक ही अदालत है । दूसरा न्यायालय विधान सभा या मंत्रिपषिद् के मामले में फैसला करने के लिये कभी कायम नहीं हुआ । वह न्यायालय जनता का है, वही इसका फैसला करता है । कोई सरकार रहती है, बुरी रहती है या भली रहती है, जो दल रहता है सरकार में वह अच्छा रहता है या बुरा रहता है या भला रहता है, पहले के लोग कैसे रहे हैं, फिर उनको सत्ता सौंपी जा सकती है या नहीं । दोनों की तुलना करने में कौन अच्छा निकलता है । यह सारा फैसला जनता ही करती है और वही सब से बड़ी अदालत है । यहां विधान सभा में वह अदालत हमारा सदन है क्योंकि जनता के प्रतिनिधि यहां बैठ हुये हैं । वह 9 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ।

इतनी खराब सरकार है, इसमें भ्रष्टचार है, इसी ने कीमत बढ़ा दी हैं, इसी ने सूखा डाल दिया है, इसी ने तमाम प्रदेश का नैतिक गिरा दिया है, इसी के फलस्वरूप युवकों में विद्रोह फैल गया है, इतनी खराब यह सरकार है । हमारे माननीय सदस्यों के हृदयों में इस सरकार का इस तरह का चित्र अंकित है कि यहां का मंत्रि-मंडल केअरटेकर बनाता है हमारे यहां मंत्रियों की नियुक्ति मुख्य मंत्री नही करता बल्कि ऊपर से होती है । मालूम नहीं कहां से उनके पास सूचना आई । उनको सीधे सीधे अविश्वास का प्रस्ताव लाकर इस सरकार को अपदस्थ कर देना चाहिये । यह सदन का हमारा नियम है । जैसे प्रतिनिधि जनता के हम हैं, वैसे ही वे भी हैं । अब आप ऐसी सरकार को निकाल दीजिये और अपनी सरकार बना लीजिये जब उन्होंने देखा कि वह हटा नहीं सकते हैं तो यह प्रस्ताव ले आये कि हाई कोर्ट के जज जांच करें किस बात की । हाई कोर्ट जज अपनी जगह पर सर्वोच्च अधिकारी है और विधान सभा अपनी जगह पर सर्वोच्च अधिकारी है, वह अपने लिये स्वयं उत्तरदायी है । एक क्षण मंत्रि-मंडल नहीं रहेगा । यह सीधी लड़ाई लड़िये । इससे ज्यादा पोलिटिकल भ्रष्टाचार दूसरा नहीं हो सकता है । मैं ऐसा समझता हूं कि इस तरह की सीधी लड़ाई वह जब चाहे तब ले आयें और देख लें । अविश्वास के प्रस्ताव जा चुके हैं और सरकारें भी बदली जा चुकी हैं । अगर सरकार भी बदल जाती ।

एक बात मुझे याद आ रही है, अब तो पढ़ने-लिखने का मौका नहीं मिलता, पहले की एक बात पढ़ी हुई है और वह यह है कि लोकतंत्र के लिये सब से बड़ा खतरा यह होता है कि जब विरोधी दलों के पास कुछ कहने को नहीं रह जाता तो वह जो गवर्नमेंट बनती है उसके मंत्रियों को वह मेलाइन करती है और वह उस सरकार में जनता के विश्वास को हिला देना चाहता है जो लोकतंत्र के हिमायती बनते हैं वह इस तरह से लोकतंत्र को कमजोर करते हैं, यह राजनीति शास्त्र के विशारदों का मत है । इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि जर्मनी में नात्सी सरकार रही है । वहां पर उससे पहले जब वेनियर रिपब्लिक कायम हुई तो सरकार की बहुत सी बातें होती हैं, डेमोक्रेसी चलती है, सरकार की प्रेशर और पालिसी होती है और जब उन्होंने देखा कि किसी तरह से डंडे, लाठी सोंटे से सरकार को कमजोर नहीं कर पा रहे हैं तो उस समय नात्सी प्राटी की एक पालिसी हुई कि किसी तरह से गवर्नमेंट को मेलाइन करो और उन्होंने सरकार का मेलाईनिंग शुरू करा और यहां तक किया कि अन्त में उस वेरियर रिपब्लिक की हैसियत मिट गई, उस की जड़ बनियाद कमजोर हो गई और जर्मनी में नात्सी रूल कायम हुआ, तानाशाही

आई । अगर विरोधी दलों के पास कुछ कहने को नहीं है तो एक आवाज से कह दिया गया कि सब भ्रष्ट हैं, सब बेईमान हैं, ऊपर से बेईमानी चलायी जा रही है नागरवाला को 64 लाख रुपया दिया जा रहा है, परमिट दिये जा रहे हैं और यहां से वहा तक जितने है सब भ्रष्ट है । सीधा सादा एक रास्ता उन्होंने समझा कि इनकी इमेज खराब कर दो । यही नीति यहां बरती गई ।

मैं यह कहना चाहता हूं कि बात सही है, हमारे कुछ साथी प्रधान मंत्री जो के पास गये, मैं नहीं जानता कि उन्होंने क्या बात उनसे की, प्राइम मिनिस्टर ने केवल मुझसे इतनी बात कही कि वह लोग आये थे और हमने उन से कह दिया कि आप लोग मुख्य मंत्री जी से मिलें । मुझसे मेरे साथी मिले, वह हमारे साथी है, रोज पचासों आदमी हमसे मिलते हैं, बहुत से लोगों को शिकायत भी होती है, एक साथी अपने दूसरे साथी की जिले के कार्यकर्ताओं की शिकायत भी करते हैं और कभी-कभी प्रशंसा करते हैं लेकिन इतना जरूर सत्य है कि न तो कोई आरोप-पत्र प्राइम मिनिस्टर को दिया गया और न हमें दिया गया । मालूम नहीं कि यह स्पेसिफिक आरोप यहां कैसे लगाये गये । हमारे सामने कोई ऐसी चीज नहीं आई । यह कहना कि क्या आरोप-पत्र में लिखा गया, क्या अभियोग लगाये गये क्या बताया जाय जब कोई ऐसी चीज हुई ही नहीं । कोई अभियोग नहीं लगाये गये हैं, न कोई अभियोग है । हमारी कोशिश है कि हमारे प्रशासन की जनरल रेपुटेशन बढ़े ताकि जनता के सामने प्रदेशीय सरकार की प्रतिभा ठीक हो । इतनी ही बात अखबारों में भी आई, इससे अधिक किसी ने कहीं कहा और कहते भी तो डेमोक्रेसी का तरीका यही है कि चाहें प्राइम मिनिस्टर हों या कोई मुख्य मंत्री हों, अगर किसी के सामने कोई शिकायत आयेगी तो वह उसको जांच करेंगे, आवश्यकता समझेंगे तो जांच करेंगे । लेकिन सदन में तरह-तरह की शिकायत करने और आरोप लगा देना तो उसका तो कोई हिसाब नहीं । आज ही मुगलसराय की बात कही गयी और मुख्य मंत्री ने उनको 2 दिन से अधिक जेल में नहीं रहने दिया । माननीय चरण सिंह जी चले गये वह तो स्वयं मुख्य मंत्री रह चुके हैं, एक बार नहीं दो बार । मैं उनके पास वह पत्रावली भेज दे सकता हूं । और देख लें ।

सचिवालय की पत्रावलियां जाती नहीं है । कानून विभाग की यह राय हुयी कि जिनको कलेक्टर ने पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट में पकड़ा है वह मेनटेनेबिल नहीं है क्योंकि जिन शर्तों पर उनको गिरफ्तार किया जा सकता था, वे पूरी नहीं हुई हैं और उन्होंने यह राय दी कि 12 दिन बीत चुके हैं । 13वें दिन अगर उनको नहीं छोड़ा गया तो इल्लीगल कन्फाइनमेंन्ट होगा और जुर्म आयद न होगा । कैसे हैं, कैसे नहीं हैं, मैं नहीं जानता । जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया कलेक्टर ने सही ही गिरफ्तार किया होगा । जिस धारा में नजरबन्द किया जाता है, जो कानून की शर्तें हैं, वे काफी कड़ी हैं । न जाने कितनों को प्रदेश में पकड़ा गया और हमने छोड़ा । जो कानून है, उसकी शर्तों के पूर्ण करने पर ही उनका कंफाइनमेंट होना चाहिये नहीं तो इल्लीगल हो जायगा । पत्रावली सचिवालय में मौजूद है । बावजूद इसके, हमारी यह राय थी, प्रशासन की जिम्मेदारी रहती है, कि जब एक बार हो गया तो क्या किसी प्रकार से इस आर्डर को चालू नहीं रखा जा सकता है उनके विरुद्ध जो इस प्रकार की तस्करी करते हैं, लेकिन नहीं हो पाया । सरकार का काम तो ला डिपार्टमेंट से चलता है, वह कानूनी प्रश्नों पर राय देता है । उनका कहना था कि अगर उन्हें एक दिन और रोकते हैं तो इल्लीगल कन्फाइनमेंट हो जायगा तो मैं नहीं समझता कि कहां से इनको महक आती है कि एक लाख में से 50 हजार रुपया हमको दे दिया । अगर आपके दिमाग में यह फितूर, यह जहर भरा हुआ है तो उसका कोई इलाज नहीं है ।

एक बात उजियार घाट की इन्होंने कही । उस समय बनारस के कलेक्टर श्री सिरोही साहब थे । बड़े ईमानदार, बड़े अच्छे और पुराने अधिकारी हैं, वे देशभक्त भी हैं । अभी

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

उनके लड़के पाकिस्तान के युद्ध में मारे गये । रामनगर में गंगा पर पीपे का पुल बना जिस पुल को बनवाने के आदेश स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री के थे । हमारे प्रधान मंत्री जब एक बार रामनगर गये, जहां पर उनका घर है और पैदा भी वहीं हुए, तो वहां के निवासियों ने पब्लिक मीटिंग में प्रार्थना की कि रामनगर से बनारस को मिलाने के लिये गंगा पर पुल हो जाय । मैं भी उस मीटिंग में था । उन्होंने कहा कि पुल तो बाद में बनेगा लेकिन यहां पर एक पीपे का पुल बन जाय । पीपे का पुल बन गया और उन्होंने यह भी कहा था कि पुल निःशुल्क होगा आने जाने वालों से कोई पथ-कर नहीं लिया जायगा। उस पुल का ठेका सरकार के सार्वजनिक निर्माण विभाग ने किसी श्री उपाध्याय को दे दिया और यह फैसला हो गया कि पथ कर लिया जाय । इस पर सत्याग्रह हुआ । लाठियां चलीं । एक लड़का पुल से गिर कर मर गया । उनका कहना था कि प्रधान मंत्री ने यह वायदा किया था कि यह पुल निःशुल्क होगा लेकिन इस पर पथकर लगाया जा रहा है । ठेका हो गया था । ठेकेदार ने पैसा जमा कर दिया था । तो यह बात कमिश्नर के सामने आयी निःशुल्क की । उन्होंने कहा कि बात तो सही है । जब हमारे प्रधान मंत्री ने वायदा कर दिया था तो पथकर वसूल नहीं होना चाहिये । तो सोचा कि इस ठेकेदार के साथ क्या होना चाहिये । इसने 1, 1 1/2, 2 या 3 साल का ठेका ले लिया है, इतना पैसा भी जमा कर दिया तो या तो इस पैसे को वापस किया जाय या कोई और जगह इसको फ्री कर दिया जाय। उन्होंने यह प्रस्ताव किया ।

श्री अध्यक्ष—

15 मिनट बढ़ा दें ।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

आपने पंद्रह मिनट बढ़ा ही दिये थे । उन्होंने ही कुछ राय दी सिरोही जी ने कि उंजियार-घाट खाली है क्या वहां लगा दिया जाय और तटकर माफ हो जाय । वह माफ हो गया । ठेका दे दिया गया । इतने दिनों में इतना लगेगा । 8–9 महीने में पुल तैयार हो जायेगा। बिहार की सरकार कह रही है कि ठेका हमारा होना चाहिये । वह अलग झगड़ा है । वह ठेका दे दिया गया । पथकर यहां का माफ है। जो लड़के उस जमाने में गिरफ्तार किये गये थे उनके मुकदमें अभी तक वापिस नहीं हुए । पथकर तो माफ हो गया । मुकदमें वापिस नहीं हुए उसमें इनको सन्देह दिखाई देता है । माधव प्रसाद जी को हिल्डालको से विशेष स्नेह हो गया है । मैं सदन में कहना चाहता हूं कि कौन नहीं जानता कि हिन्डालको अल्मूनियम की फैक्टरी है जो सन् 57–58 में लगी और अल्यूनियम जो एक नैशनल कामोडिटी हो गई जो आज भी इम्पोर्ट होता है और इतनी बड़ी उसकी जरूरत हो गई है कि बिजली का विस्तार करना हो तो उसी अल्मूनियम की केबुल लगाते हैं तांबे की नहीं लगाते हैं गवर्नमेंट आफ इंडिया ने लाइसेंस दिया एक्स्टेंशन के लिये, गवर्नमेंट आफ इंडिया भारत अल्यूनियम लगा रहा है उनका प्रोडक्शन शुरु नहीं हुआ एक्स्पैंशन कर दिया गया है । उन्होंने पंद्रह करोड़ रुपये लगा दिये । हमसे मांगा जाता है कि हिसाब दीजिये । तमाम इस पर बहस हो गई । हमने उनको दिया नहीं । विद्युत मंत्री जी ने बार-बार कहा कि जब अवेलेबुल होगा तो देंगे । नेशनल नेसेसिटी की प्रोडक्शन है । गवर्नमेंट आफ इंडिया चाहती है प्रोडक्शन बढ़े । लाखों करोड़ रुपयों का अल्यूनियम इम्पोर्ट कर रहे है । हम तब तक नहीं देंगे जब तक जनरेशन कास्ट के हिसाब से टैरिफ न हो । हिन्डालको जिसके कि वे दोस्त रहे हैं उसमें से वे हमको शामिल कर रहे हैं । आज हम दोस्त हो गये । ये प्रगतिशील हो गये । मैं क्या कहूं ।

यह इसलिये पेश किया प्रस्ताव कि वे कह सकें कि किसी का ट्रांसफर कर दिया । सीतापुर के कलेक्टर का ट्रांसफर कर दिया और फिर उनके ट्रांसफर के लिये लोगों ने आकर कहा कि उनको कोई शिकायत नहीं है। वे काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। प्लानिंग का काम

अच्छा कर रहे हैं । तमाम लोगों ने कहा । किसी और को आप ले आइये सेक्रेटेरियट इनको रहने दीजिये । उसमें इनको गन्ध मिलती है कि रिश्वत ले ली गई । जो कुछ सुनाया वह सुनता हूं । यह भी कहा गया कि पंडित जी के दरवाजे पर कोई गया था पांच सौ रुपये लेकर घर गया उसका स्कूटर से क्या संबंध है । मैं सुनता हूं । कहा जाता है कि रिश्वत लेकर ट्रांसफर कर दिया उसको भी सुनता हूं । मैं कहता हूं कि आपने कोई जांच भी की है कि कोई पड़ताल भी की है । किसी व्यक्ति के चरित्र के ऊपर इस प्रकार से आक्षेप किया जाता है । इसलिये मैं ज्यादा सुनता हूं । सुनकर तो बहुत बात कह दी जाती है । यह सदन है जो जाहे कह दें । भ्रष्टाचार हो, कहीं हो जो चीज हो । आज तो भष्टाचार की दार्शनिक व्याख्या की गई, सामाजिक व्याख्या भी की गई, राजनैतिक व्याख्या तो होती ही रहती है ।

हमारे बंशीधर जी चले गये । उनको पालिटिकल भ्रष्टाचार दिखाई पड़ा । प्लानिंग कमीशन से प्राजेक्ट मंजूर कराने में, इससे बढ़कर भ्रष्टाचार क्या होता है । प्लानिंग कमीशन से अरबों रुपया मिलता है । प्लान के डेवलपमेंट के लिये उनसे रुपया मिलता है । हमारे रिसोर्सेज जितने होने चाहिये वह नहीं हो पाते । हम उनसे रिसोर्सेज प्राप्त करना चाहते हैं । बड़ा सम्मान करते हैं वह लोग । चेष्टा कर रहे हैं हमारी सहायता करने के लिये । अगर हम वहां जाते हैं तो इनकी इंडिपेंडेंस में क्या फर्क आ रहा है । इसको कहते हैं कि भ्रष्टाचार है । इन्हीं प्रवृत्तियों से पिछले पांच, सात, दस साल में उत्तर प्रदेश आगे नहीं बढ़ सका । नेशनल डेवलपमेंट कौंसिल में मैंने अबकी बार मांग की, भारत सरकार को एक्यूज किया कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, न हमें पब्लिक बारोइंग में वह लिमिट दी गयी जो मिलनी चाहिये न प्लान के लिये वह रुपया दिया गया जो हमारी आबादी और इकनामिक बैकवर्ड के हिसाब से मिलना चाहिये । तो उसके उत्तर में वित्त मंत्री माननीय चह्वाण साहब ने कहा कि दस वर्ष से मैं नेशनल डेवलपमेंट कौंसिल में बैठ रहा हूं, आज पहला मौका है कि उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर अपने प्लान को बढ़ाने के लिये इम्फेसिस दे रहा है, नहीं तो आज तक यही कहते थे कि हमारा प्लान कट कर दीजिये, हम इतना बड़ा प्लान नहीं चलायेंगे । अब इसमें भी उनको पालिटिकल भ्रष्टाचार दिखायी देता है ।

हम जानते हं कि हमें सामाजिक और नैतिक स्तर को ऊंचा उठाने की आवश्यकता है । हम यह भी जानते हैं कि सरकार चलती है, बहुत सी बुराइयां भी हो जाती हैं, बहुत सी कमजोरी भी होती है, गलती भी होती है । और यह भी जानते हैं कि जहां ऐसी गलतियां मिलें वहां सख्ती के साथ पेश आना चाहिये, किसी प्रतिशोध की भावना से नहीं बल्कि नैतिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिये श्रीमन्, हम किसी पर आक्षेप नहीं करते क्योंकि जिस प्रकार की बात इस सरकार के खिलाफ कही जा रही है, जब भी कोई सरकार इधर बैठती है तो जो लोग उधर बैठते हैं वह उनको दोहराते हैं । सन् 46 से प्रोसीडिंग्स को देख लीजिये । जब पंत जी यहां बैठते थे, रफी साहब बैठते थे और सामने त्रिलोकी सिंह आदि बैठते थे, यही बातें तब भी थीं । एक बार सरदार बल्लभ भाई पटेल किन्हीं लोगों की शिकायत पर यहां आये थे । आपको तो स्मरण होगा, मान्यवर । मैं मानता हूं कि गलती होती है लेकिन यह कह देना कि सबके सब भ्रष्ट हैं और इसलिए भ्रष्ट हैं क्योंकि मैं सुन रहा हूं कि भ्रष्ट हैं, यह तो उचित नहीं है । आप भाषण दे दीजिये, अखबारों में छप जाय । फिर चल दीजिये, चाय पीने का वक्त हो गया । आप तो चाय पीजिये और मैं यहां बोलता रहूं ।

यही सारी बातें अभी चार-पांच महीने पहले इस हाउस में हो चुकी हैं । आज एक प्रस्ताव के रूप में आ गयीं । मुझे याद है, शायद बजट के समय की बात थी । आज हाईकोर्ट का कोई जिक्र भाई पुरुषोत्तम दास जी कर रहे थे । मैं नहीं चाहता था कि वह बात हो । हाईकोर्ट

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

में किसी एक व्यक्ति ने मिनिस्टर के खिलाफ शपथ पत्र पेश कर दिया जिसका ट्रांसफर हुआ था और उसमें कह दिया कि हमसे मिनिस्टर साहब ने दस हजार रुपया मांगा और हमने नहीं दिया, इसलिये मैलाफाइडी है, हमारा ट्रांसफर कर दिया।

अब वह अर्जीदावा पढ़कर यहां सुनाया गया। आपने उसकी जांच की है। किसी व्यक्ति को हटाया गया है कोई जांच हो। इससे मालूम क्या होता है। हाई कोर्ट ने उसका फैसला किया। उसको इक्जागरेटेड कर दिया। केवल गवर्नमेंट को बदनाम करने के लिये उसने यह अर्जीदावा कर दिया। आप केवल कह दें और यहां से चले जायं। मैं कहां-कहां इसका जवाब देता फिरूं। यह कहा गया कि इसको यह परमिट दी, मिनी बस की परमिट दी, ट्रक की परमिट दी, टैक्सी की परमिट दी या इसकी या उसकी परमिट दी या फिर किसी का ट्रांसफर हुआ तो न सभी में रिश्वत ली गई है। यह तो कोई चीज नहीं है। इन सभी में भ्रष्टता बरती गई या तिकड़म की गई तो कैसे चल सकता है। मैं गाली का जवाब गाली से तो दे नहीं सकता हूं। केवल कह दिया जाय कि यू० पी० की सरकार चोर है तो चोर है? क्या क्या इन तरीकों का कोई उत्तर दिया जा सका है। हमारे भाई माधव प्रसाद जी तो चले गये हैं। अगर भलमन्सी के साथ जवाब दूं तो मुश्किल और अगर उजड्ई बरतूं तो मुश्किल और दोनों ही तरह से शिकायत मिलती है। कहा जाता है कि मैं तो लच्छेदार तथा मधुर भाषा में बोलकर सारी चीजों पर लीपापोती कर देता हूं। अब जैसा कि हमारे भाई राजित राम जी करते हैं या कहते हैं मैं उसको कैसे कर सकता हूं?

श्री राजित राम जी पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

आपने सत्य को इतना कठोर बनाकर कह दिया।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मान्यवर, मैं इस प्रस्ताव का घोर विरोध करता हूं मैं कभी इसको स्वीकार नहीं कर सकता मैं समझता हूं कि यह एक नियत के साथ पेश किया गया कि इसका प्रचार गांव-गांव में हर स्थान पर हो और हमारे भाइयों की स्पीचें हर जगह चली जायें। गत वर्षों में हमारे प्रदेश की उन्नति हुई है, हम आगे बढ़े हैं प्लान का काम भी बढ़ा है। जब हम जनता की अदालत में जायेंगे और जब हमारा उनका सामना होगा वहीं पर इस बात का फैसला हो जायगा कि हम कैसे रहे हैं और जनता का फैसला ही भगवान का फैसला होता है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह कि उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के कतिपय सदस्यों के विरुद्ध सत्तारूढ़ दल के सदस्यों द्वारा सार्वजनिक रूप से भ्रष्टाचार के आरोप लगाये जा रहे हैं जिनकी सूचना समय-समय पर समाचार-पत्रों में भी प्रकाशित होती रही। यही नहीं, इस सम्बन्ध में सत्तारूढ़ दल के सदस्यों का एक प्रतिनिधि-मंडल प्रधान मंत्री तथा मुख्य मंत्री से मिल चुका है। जनतंत्र में जनता की आस्था बनाये रखने के लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि जनता में मंत्रिमंडल की शाखा व प्रतिष्ठा अथवा मंत्रियों के प्रति जनता की निष्ठा बनी रहे। वर्तमान मंत्रिमंडल के सदस्यों पर खुले रूप से जो गम्भीर आरोप लगाये गये हैं इसके कारण जनता में वर्तमान मंत्रिमंडल के प्रति अत्यन्त असन्तोष है। यह भी स्पष्ट है कि ऐसा मंत्रि-मंडल जिसके सदस्यों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप इस प्रकार सार्वजनिक रूप से लगाये गये हों जनता को उसकी योग्यता, निष्पक्षता तथा ईमानदारी में विश्वास नहीं रह सकता और वह सुचारु-रूप से प्रशासन चला सकता है अथवा न किसी अन्य प्रकार से जन सेवा कर सकता है।

इसलिये मैं प्रस्ताव करता हूं कि उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया जाय जो उन सब आरोपों की जांच करे जो प्रधान मंत्री व मुख्य मंत्री के सम्मुख प्रस्तुत अथवा सदन में लगाये जा चुके हैं।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

51 में जितने प्रश्न थे वे सब खतम हो गये हैं ।

आज सदन में चर्चित प्रस्ताव के सम्बन्ध में श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष—

अब मैं एक चीज और कह दूं । यह जो तरीका बरता गया है इस तरह के प्रस्ताव के आम का वह नहीं होना चाहिये । इस प्रकार के प्रस्तावों से सदन का बहुत सा समय लग जाता है । मैं यह चाहता हूं कि इस प्रकार के प्रस्ताव आगे चल कर नजीर न बनें ।

आइन्दा मैं इसको स्वीकार नहीं करूंगा । वह गलतफहमी से हुआ क्योंकि आपके पास नहीं पंहुच उसका मसविदा पाया और आप विरोध नहीं कर पाए । इसलिये यह हुआ ।

अब हम उठते हैं और कल 11 बजे फिर बैठेंगे ।

[इसके बाद सदन 5 बजकर 15 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।]

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ:
14 दिसम्बर, 1972

नत्थी 'क'

[देखिए अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 3 का उत्तर पीछे पृष्ठ 284 पर।]

श्रीमान् जिलाधीश महोदय,
बांदा,

श्रीमान् जी,

सेवा में निवेदन है कि प्रार्थीगण के गांव के बोड़ा सिंह, भूरा सिंह पुत्रगण मिजाजी इन्द्रपाल सिंह पुत्र अयोध्या सिंह, यशवन्त सिंह पुत्र शोभा सिंह, शिवराज सिंह, पुत्र रणजीर सिंह, कल्लू लोहार पुत्र कसिया लोहार, देवीदीन पुत्र हन्नू बड़े सरकश व गिरोह बन्द आदमी हैं यह लोग गुन्डों बदमाश, जुवारी, शराबी और बदमाश किस्म के लोग हैं । यशवंत सिंह दो नाली 12 बोर बन्दूक का लाइसेंस पाये हैं । यह लोग नाजायज असल ही रखते हैं और बदमाशों को बुलाकर अपने यहां रखते हैं । प्रार्थीगण हरिजन अबलायें हैं । उक्त लोगों के अमानवीय अत्याचारों से ऊब कर श्रीमान् जी को अपनी दुखभरी कहानी सुनाने के लिये आये हैं । उक्त लोग प्रार्थीगण के घर में घुस आये हैं और कुवां पनघट में बुरी-बुरी बातें करते हैं । प्रार्थीगण के एतराज करने पर जान से मारने की धमकी देते हैं । करीब 15 दिन की बात है गांव के परदेसिया चमार की औरत मर गयी थी इसलिये मुहल्ले के सभी मर्द उसका दाह क्रिया करने चले गये थे कि करीब 9 बजे दिन में भूरा सिंह प्रार्थी शिवकलिया के घर में जबरिया घुस आया और उसके साथ बुरा काम करने की नियत से उसको पकड़ा । उसने गोहार मारी तो बदउव पुत्र भिखारी, गंगुवा, श्यामा, रामसजीवन वगैरह दौड़ पड़े तो छोड़कर भाग गया । एक महीना पहले प्रार्थी भूरी स्त्री कल्लू करीब 12 बजे दिन में अपने आदमी को खाना लेकर फार जा रही थी जब वह नरही के पास पंहुची तो भूरा सिंह व शिवराज सिंह आ गये और उसको पकड़ कर बुरा काम करने की नियत से नाले की ओर ले जाने लगे कि उसने गोहार मारी तो बरातीलाल पुत्र रघुवर बिन्दा पुत्र दासी वगैरह आ गये और उन्होंने भूरी की इज्जत बचाया । आज से 5–6 दिन की बात है करीब 7 बजे शाम को फत्ते चमार की लड़की सरवन टट्टी गयी थी तो यशवन्त सिंह ने उसकी कौछियों की बाड़ी में पकड़ा था जिसके कारण उसके भाइयों ने उसको ससुराल भेज दिया है । ऐसी तमाम घटनायें गांव में घटित होती हैं । यशवंत सिंह इन सब लोगों का सरगना है । और इन लोगों ने हम लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है । कुवां, तालाब, में छेड़ना बुरी-बुरी बात करना ऐयाशी के लिये हम लोगों की इज्जत आबरू लेना इन लोगों के लिये साधारण सी बातें हैं । हम लोग व हमारे घर वाले अगर एतराज करते हैं तो जान से मारने की धमकी देते हैं । आम रास्ता कुंआ-तालाब रोकते हैं और गांव से निकालने की धमकी देते हैं इन लोगों की पंहुच बड़े-बड़े आदमियों में हैं । थाने की पुलिस पर भी इन लोगों का प्रभाव रहता है । प्रार्थीगण अपनी इस निन्दनीय जिन्दगी से ऊब गई हैं। गांव में हम लोगों के लिये कोई संरक्षक नहीं है यदि उक्त लोगों को मना किया जाता है तो यशवन्त सिंह बन्दूक लेकर निकल पड़ता है और गोली से मारने की धमकी देता है इसलिये यदि हमारी सुरक्षा का प्रबन्ध न किया गया तो प्रार्थी गण को कहीं अन्य जगह बसाने की व्यवस्था की जानी चाहिये । उक्त लोगों की इन हरकतों से शांति भंग होने और कोई संगीन बारदात होने की भारी संम्भावना है ।

अतः निवेदन है कि उक्त लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जाय । यशवंत सिंह का लाइसेंस जब्त की जाय और हम लोगों की जान व इज्जत की सुरक्षा की जाय ।

प्रार्थीगण, निवासी मोहन पुरवा, थाना मटौथ जिला बांदा ।

1—नि0 आ0 मैंकी जौजे बसन्ता (नि0 आ0)

2—महरी जौजे चिल्हू (नि0 अ0)

3—रज्जी जौज भइयादीन (नि0 अ0)

4—सियादुलारी जौजे श्यामलाल (नि० अ०)
5—मु० सुखरानी जौजे बदला (नि० अ०)
6—मु० राम दुलारी जौजे गंगवा (नि० अ०)
7—मु० बान कुमारी जौजे मीराशाह (नि० अ०)
8—मु० भूरी जौजे कल्लू (नि० अ०)
9—मु० बिन्दी जौजे गंगवा (नि० अ०)
10—मु० शिवकलिया, पुत्री बदला (नि० अ०)

आदमियों के नाम,

1—बिन्दा, पुत्र दासी (नि० अ०)
2—गंगवा, पुत्र भूरा (हस्ताक्षर)
3—भैयादीन, पुत्र कलिया (नि० अ०)
4—गरीबा, पुत्र मुल्ला (नि० अ०)
5—कुल्लू, पुत्र गंगवा (हस्ताक्षर)
6—भैयादीन बदला (नि० अ०)
7—सीताराम, पुत्र परसाद (हस्ताक्षर)
8—भगवान दीन, पुत्र छंगु (नि० अ०)
9—मन्नू, पुत्र भिखारी (नि० अ०)
10—जगन्नाथ, पुत्र दासी (नि० अ०)
11—परदेसी, पुत्र सिधवा (नि० अ०)

नत्थी 'ख'

(देखिये ता0 प्र0 सं0 18 का उत्तर पीछे पृष्ठ 304 पर)

1-1-71 से 5-9-72 के बीच सुल्तानपुर के जगदीशपुर मुसाफिरखाना थाने पर दर्ज, नकबजनी, राहजनी, बलवा, डकैती व हत्यायें

नाम अपराध	जिनकी रिपोर्ट की गई	जिनमें जांच की गयी	जिनमें जांच नहीं की गई	जो चालान किये गये	जो सजायाव किये गये	जो रिहा हुये	जो न्यायालय में विचाराधीन है	जो लापता रहे एक्सपेंड किये गये मामले (अंतिम रिपोर्ट का कारण)	जिनमें जांच जारी है
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
मुसाफिरखाना									
1--नकबजनी	29	23	6	4	..	..	4	18	1
2--राहजनी	1	1	..	..	..	..	..	1	..
3--बलवा	15	8	7	6	..	..	6	..	2
4--डकैती	1	1	..	1	..	..	1	..	..
5--हत्या	1	1	..	1	..	..	1	..	..
कुल योग ..	47	34	13	12	..	..	12	19	3

उत्तर प्रदेश विधान सभा

जगदीशपुर

1—नकबजनी	43	39	4	3	..	..	3	35	1
2—राहजनी	4	4	..	..	..	..	..	4	..
3—बलवा	14	3	11	2	..	..	2	..	1
4—डकैती	2	2	..	..	..	..	..	..	2
5—हत्या	2	2	..	1	..	..	1	1	..
योग ..	65	50	15	6	..	..	6	40	4

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 55 का उत्तर पीछे पृष्ठ 313 पर)

बुलन्दशहर से प्रकाशित समाचार-पत्र जिन्हें जिला स्तर पर कोर्ट-नोटिसेज आदि पाने के लिए स्वीकार किया गया है तथा उनके सम्बन्ध में विवरण

1—साप्ताहिक "चेतावनी" ..	1,100	सशुल्क प्रसार	बराबर प्रकाशित होता है।	2 पृष्ठ
2—साप्ताहिक "महारथी" ..	1,000	,,	,,	2 पृष्ठ
3—साप्ताहिक "समाचार दर्शन" ..	500	,,	,,	2 पृष्ठ (न्यूनतम)
4—साप्ताहिक "सत्य वचन" ..	600	,,	,,	2पृष्ठ (न्यूनतम)
5—साप्ताहिक "सत्य के मार्ग पर चलना' '	500	,,	,,	2 पृष्ठ
6—साप्ताहिक "समाचार प्रकाश"	250	,,	,,	4 पृष्ठ
7—साप्ताहिक "संजय" ..	600	,,	,,	4 पृष्ठ (अधिकतर)
8—साप्ताहिक "वर्ल्ड अब्जरवर"	400	,,	,,	4 पृष्ठ (अधिकतर)
9—साप्ताहिक "बुलन्दशहर समाचार"	300	,,	बराबर प्रकाशित नहीं होता।	2 पृष्ठ

अमर उजाला

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 67 का उत्तर पीछे पृष्ठ 316 पर)

महामंत्री, उत्तर प्रदेश नागरिक परिषद के यात्रा भत्ते से सम्बन्धित 1-5-71 से 10-8-72 तक की सूची

प्रस्थान तिथि	यात्रा समाप्ति तिथि	स्थान जिनकी यात्रा की गई	यात्रा का साधन
1-5-71	1-5-71	लखनऊ, फैजाबाद, लखनऊ	रेल
7-5-71	11-5-71	लखनऊ, हाबडा, लखनऊ	रेल
18-5-71	21-5-71	लखनऊ, वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, वाराणसी, लखनऊ ।	रेल
23-5-71	28-5-71	लखनऊ, फैजाबाद, सुल्तानपुर, कादीपुर, शाहगंज, जलालपुर, टांडा, फैजाबाद, लखनऊ।	राजकीय कार से।
2-6-71	6-6-71	लखनऊ, आगरा, बरेली, लखनऊ	रेल
9-6-71 से	10-6-71	लखनऊ, सीतापुर, शाहजहांपुर, हरदोई, लखनऊ	राजकीय कार से ।
11-6-71 से	13-6-71	लखनऊ, फैजाबाद, लखनऊ	,,
17-6-71	22-6-71	लखनऊ, फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, लखनऊ।	,,
27-6-71	30-6-71	लखनऊ, फैजाबाद, टांडा, जलालपुर, फैजाबाद, लखनऊ ।	,,
4-7-71	10-7-71	लखनऊ, फैजाबाद, आजमगढ़, मऊनाथभंजन, आजमगढ़, जौनपुर, फैजाबाद, लखनऊ।	टैक्सी से
1-8-71	2-8-71	लखनऊ, फैजाबाद, लखनऊ	रेल व जी0 आई0 पी0
3-8-71	7-8-71	लखनऊ, नई दिल्ली, लखनऊ	जीप रेल से
8-8-71	12-8-71	लखनऊ, नई दिल्ली, लखनऊ	रेल
24-8-71	30-8-71	लखनऊ, इलाहाबाद, इरादतगंज इलाहाबाद, करवी, बांदा, हमीरपुर, जालौन, कानपुर, लखनऊ।	निजी कार से।
5-9-71	5-9-71	लखनऊ, फैजाबाद, गोसाईगंज, बीकापुर, लखनऊ	,,
8-9-71	8-9-71	लखनऊ, फैजाबाद, सुचीतागंज, गोसाईगंज, छोरे बाजार, फैजाबाद, लखनऊ ।	,,
10-9-71	14-9-71	लखनऊ, नई दिल्ली, लखनऊ	रेल से
20-9-71	24-9-71	लखनऊ, नई दिल्ली, लखनऊ	,,
24-9-71	26-9-71	लखनऊ, फैजाबाद, टांडा, फैजाबाद, लखनऊ	निजी कार, से।
27-9-71	28-9-71	लखनऊ, कानपुर, लखनऊ	कार से
28-9-71	3-10-71	लखनऊ, फैजाबाद, जलालपुर, फैजाबाद, माया-बाजार, फजाबाद, बावरशाह, फैजाबाद, सुचीतागंज, फैजाबाद, कुमारगंज, खजुराठ होते हुए कटहरी, फैजाबाद, लखनऊ।	निजी कार से

प्रस्थान तिथि	यात्रा समाप्ति तिथि	स्थान जिनकी यात्रा की गई	यात्रा का साधन
13-10-71	16-10-71	लखनऊ, नई दिल्ली, लखनऊ,	रेल से
16-10-71	17-10-71	लखनऊ, कानपुर, लखनऊ	निजी कार से
19-10-71	22-10-71	लखनऊ, फैजाबाद, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, लखनऊ	,,
23-10-71	25-10-71	लखनऊ, कानपुर, लखनऊ	,,
29-10-71	31-10-71	लखनऊ, फैजाबाद, लखनऊ	,,
3-11-71	6-11-71	लखनऊ, काठगोदाम, अल्मोडा, काठगोदाम, लखनऊ।	रेल से
7-11-71	9-11-71	लखनऊ, फैजाबाद, लखनऊ	निजी कार से
12-11-71	16-11-71	लखनऊ, फैजाबाद, जलालपुर, आजमगढ़, कोइलसा, फैजाबाद, लखनऊ।	,,
21-11-71	22-11-71	लखनऊ, इलाहाबाद, लखनऊ	,,
25-11-71	29-11-71	लखनऊ, बरेली, नई दिल्ली, लखनऊ	,,
7-4-72	10-4-72	लखनऊ, फैजाबाद, लखनऊ	,,
12-4-72	15-4-72	लखनऊ, मथुरा, लखनऊ	रेल से
15-4-72	17-4-72	लखनऊ, फैजाबाद, गोन्डा, फैजाबाद, लखनऊ	निजी कार से
4-5-72	7-5-72	लखनऊ, फैजाबाद, जलालपुर, बल्लीपुर, फैजाबाद, लखनऊ।	,,
12-5-72	13-5-72	लखनऊ, सीतापुर, हरगांव, लखनऊ	,,
13-5-72	19-5-72	लखनऊ, काठगोदाम, रानीखेत, जोशीमठ, बद्रीनाथ, जोशीमठ, देव प्रयाग, हरद्वार, लखनऊ।	रेल से एस0एस0बी0 ट्रांसपोर्ट रेल से
19-5-72	24-5-72	लखनऊ, फैजाबाद, टांडा, जौनपुर, आजमगढ़, फैजाबाद, लखनऊ।	निजीकार से
3-6-72	6-6-72	लखनऊ, फैजाबाद, लखनऊ	,,
9-6-72	20-6-72	लखनऊ, काठगोदाम, नैनीताल, बेरीनाग, पिथौरागढ़, अल्मोडा, रानीखेत, काठगोदाम, लखनऊ।	रेल से एस0एस0बी0 ट्रांसपोर्ट रेल से वापस।
29-6-72	2-7-72	लखनऊ, फैजाबाद, लखनऊ	निजी कार से
11-7-72	16-7-72	लखनऊ, फैजाबाद, लखनऊ	,,
23-7-72	27-7-72	,,	,,
5-8-72	9-8-72	,,	,,

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 78 का उत्तर पीछे पृष्ठ 319 पर)

प्रश्नोत्तर में सन्दर्भित सूची

थाना कोतवाली, जिला बिजनौर	1
थाना चांदपुर, जिला बिजनौर	1
थाना हल्दौर, जिला बिजनौर	3
थाना धामपुर, जिला बिजनौर	1
थाना सोहारा, जिला बिजनौर	8
थाना बढ़ापुर, जिला बिजनौर	2
कुल संख्या . .	16

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'च'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 4 का उत्तर पीछे पृष्ठ 320 पर)

प्रथम सत्र 1972 के आठवें गुरुवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 27 से सम्बन्धित जिलेवार सूची

क्रम	नाम जिला	मृत व्यक्तियों की संख्या
1	फैजाबाद	1
2	मुजफ्फर नगर	1
3	आगरा	1
4	बरेली	1
5	जौनपुर	1
6	गाजीपुर	1
7	सीतापुर	2
8	बलिया	1
9	खीरी	1
	कुल योग ..	10

नत्थी 'छ'

(देखिये पीछे पृष्ठ 334 पर)

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण (संशोधन) विधेयक, 1972

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत–सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 का अग्रेतर संशोधन करने के लिये,

विधेयक

भारत गणराज्य के तेईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त न

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण (संशोधन) अधिनियम, 1972 कहलायेगा ।

घोषणा

2—एतद्द्वारा यह घोषणा की जाती है कि यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 39 के खण्ड (ख) और (ग) में निर्दिष्ट सिद्धान्तों को सुनिश्चित करने की दिशा में राज्य नीति को कार्यान्वित करने के लिये है ।

उत्तर
अधिनियम सं
1961 की
3, 4, 5, 6
तथा 8 के
पर नयी धा
का रखा जा

3—उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण अधिनियम, 1960, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 3, 4, 5, 6, 7 तथा 8 के स्थान पर निम्नलिखित धारायें रख दी जायं, अर्थात्—

परिभाषाएं

"3—जब तक कि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में—

(1) 'बैंकिंग कम्पनी' का तात्पर्य वही है जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक धन (देयों की वसूली) अधिनियम, 1972 में है ;

(2) 'अधिकतम क्षेत्र' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन विमुक्त भूमि से भिन्न भूमि के उस क्षेत्र से है जो धारा 5 के उपबन्धों के अनुसार इस रूप में अवधारित किया गया हो ;

(3) 'कम्पनी', 'सरकारी कम्पनी' और 'सार्वजनिक कम्पनी' के वही अर्थ है जो कम्पनीज ऐक्ट, 1956 में कम्पनी, गवर्नमेन्ट कम्पनी तथा पब्लिक कम्पनी के लिये है ;

(4) 'सहकारी समिति' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सहकारी समिति से है ;

(5) 'निगम' का वही अर्थ है जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक-धन (देयों की वसूली) अधिनियम, 1972 में दिया गया है ;

(6) 'डिग्री या स्नातकोत्तर कालेज' का तात्पर्य ऐसे कालेज से है जो किसी विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में सम्बद्ध, सहयुक्त अथवा संघटक कालेज हो ;

(7) किसी खातेदार के सम्बन्ध में 'परिवार' का तात्पर्य स्वयं और (न्यायिक रूप से पृथक पति या पत्नी से भिन्न) उसके पति या उसकी पत्नी, जैसी भी दशा हो, अवसस्क पुत्र और (विवाहित पुत्रियों से भिन्न) अवयस्क पुत्रियों से है ;

(8) 'बाग-भूमि' का तात्पर्य किसी जोत में ऐसी विशिष्ट भूमि से है जिस पर 24 जनवरी, 1971 के पूर्व इतनी संख्या में वृक्ष (जिसके अन्तर्गत पपीता, केला या अंगूर की लतायें नहीं है) लगाये गये हों कि उन से या उनके पूर्णतः विकसित हो जाने पर ऐसी भूमि या उसके किसी यथेष्ट

भाग का मुख्यतया किसी अन्य प्रयोजन के लिये प्रयोग करना असम्भव हो जाय और ऐसी भूमि पर लगे वृक्ष बाग कहलायेंगे ;

(9) 'जोत' का तात्पर्य ऐसी भूमि या भूमियों से है जो किसी व्यक्ति के पास भूमिधर, सीरदार, गांव सभा के असामी या उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 ई0 की धारा 11 में उल्लिखित असामी अथवा यू0 पी0 टेनेन्सी ऐक्ट, 1939 के अधीन शिकमी काश्तकार से भिन्न काश्तकार या सरकारी पट्टेदार, अथवा यदि शिकमी पट्टे की अवधि पट्टे की अवधि तक हो तो सरकारी पट्टेदार के शिकमी पट्टेदार के रूप में हो ;

(10) 'इण्टरमीडिएट कालेज' का तात्पर्य माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश द्वारा इस रूप में मान्यता प्राप्त कालेज से है ;

(11) 'सिंचित भूमि' का तात्पर्य ऐसी भूमि से है जिसे नियत रीति से किसी कृषि वर्ष में कम से कम दो ऐसी फसलें उगायी जा सकने में सक्षम अवधारित किया जाय कि प्रत्येक फसल को किसी राजकीय सिंचन संकर्म या निजी सिंचन संकर्म से दो या उससे अधिक सिंचाइयां आश्वस्त हों ;

(12) 'नियत' का का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा नियत से है ;

(13) 'नियत प्राधिकारी' का तात्पर्य ऐसे अधिकारी से है जो प्रथम श्रेणी के सहायक कलेक्टर के पद से नीचे का न हो और जिसे राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना प्रकाशित करके ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों के लिये जो तदर्थ निर्दिष्ट किये जायें, इस अधिनियम के अधीन नियत प्राधिकारी के कृत्यों का सम्पादान करने के लिये प्राधिकृत किया जाय ;

(14) 'निजी सिंचन संकर्म' का तात्पर्य 15 अगस्त, 1972 के पूर्व निर्मित निजी नलकूप या चिरस्थायी जल स्त्रोत से जल-सम्भरण के लिये डिजल या विद्युत् शक्ति से परिचालित निजी लिफ्ट सिंचन संकर्म से है ;

(15) 'राजकीय सिंचन संकर्म' का तात्पर्य नार्दर्न इंडिया कैनाल ऐण्ड ड्रेनेज ऐक्ट, 1873 में यथापरिभाषित नहर अथवा संयुक्त प्रान्त राजकीय नलकूप अधिनियम, 1936 में यथापरिभाषित राजकीय नलकूप अथवा किसी चिरस्थायी जलस्रोत से जल-सम्भरण के लिये राज्य सरकार द्वारा निर्मित, अनुरक्षित या नियंत्रित और डिजल या विद्युत् शक्ति द्वारा परिचालित लिफ्ट सिंचन संकर्म से है ;

(16) 'अतिरिक्त भूमि' का तात्पर्य किसी खातेदार द्वारा धृत और उस पर प्रयोज्य अधिकतम भूमि से अधिक से अधिक भूमि से है तथा उसके अंतर्गत उस पर विद्यमान किन्हीं इमारतों, कुओं और वृक्षों से भी है ;

(17) 'खातेदार' का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जो किसी जोत का धारक है, किन्तु इसके अन्तर्गत निम्नलिखित नहीं है—

(क) कोई महिला जिसका पति खातेदार हो ;

(ख) अवयस्क बच्चा जिसके पिता या माता खातेदार हो ;

(18) 'असिंचित भूमि' का तात्पर्य सिंचित भूमि या बाग-भूमि से भिन्न किसी भूमि से है ;

(19) 'विश्वविद्यालय' का तात्पर्य विधि द्वारा स्थापित किसी विश्व-विद्यालय से है ;

(20) 'ऊसर भूमि' का तात्पर्य ऐसी भूमि से है जिसे ऐसी रीति से जो नियत की जाय, ऊसर अवधारित किया जाय; और

(21) जो शब्द तथा पद इस अधिनियम में परिभाषित नहीं हैं, किन्तु उत्तर प्रदेश जमींजारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 ई0 में पारिभाषित हैं, उनके वही अर्थ होंगे जो उक्त अधिनियम में उन्हें दिये गये हैं ।

अधिकतम सीमा तथा विमुक्तियों के प्रयोजनार्थ क्षेत्र का अवधारण

4—(1) धारा 5 के अधीकतम क्षेत्र अवधारित करने अथवा धारा 6 के अधीन किसी विमुक्ति के प्रयोजनार्थ—

(1) खण्ड (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, असिंचित भूमि की डेढ़ हेक्टर भूमि या बाग–भूमि की दो हेक्टर भूमि अथवा ऊसर भूमि की ढाई हेक्टर भूमि को सिंचित भूमि के एक हेक्टर के रूप में गिना जायगा ;

(2) निम्नलिखित क्षेत्रों में, अर्थात्—

(क) बुन्देलखण्ड ;

(ख) इलाहाबाद, इटावा, मथुरा तथा आगरा जिलों के यमुनापारी भाग ;

(ग) यमुना की गहरी धारा से 16 किलोमीटर तक इलाहाबाद, फतेहपुर, कानपुर, इटावा, मथुरा और आगरा के यमुना के इस पार के भाग ;

(घ) मिर्जापुर जिले का वह भाग जो कैमूर पर्वत श्रेणी के दक्षिण में है ;

(ङ) मिर्जापुर जिले में तहसील सदर के टप्पा उपरौध और टप्पा चौरासी (बलाये पहाड़);

(च) मिर्जापुर जिलें में राबर्ट्सगंज तहसील का वह भाग जो कैमूर पर्वत श्रेणी के उत्तर में है ;

(छ) मिर्जापुर जिले में परगना सकटेशगढ़ और तहलील चुनार के परगना अहरौरा और भागवात की पहाड़ी पट्टियों के गांव जो उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 ई0 की अनुसूची 6 की सूची 'क' और 'ख' में उल्लिखित हैं ; और

(ज) वाराणसी जिले में तहसील चकिया के भतपूर्व नौगढ़ तालुका का क्षेत्र किसी असिंचित भूमि की ढाई हेक्टर को सिंचित भूमि के एक हेक्टर के रूप में गिना जायगा ।

अधिकतम सीमा का आरोपण

5—(1) उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण (संशोधन) अधिनियम, 1972 के प्रारम्भ होने के दिनांक को और से, कोई खातेदार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में, अपने पर प्रयोज्य कुल अधिकतम क्षेत्र से अधिक कोई भूमि अपने पास रखने का हकदार न होगा ।

(2) उपधारा (1) की कोई बात निम्नलिखित वर्गों के व्यक्तियों द्वारा धृत भूमि पर लागू न होगी, अर्थात्—

(क) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या कोई स्थानीय प्राधिकरण अथवा सरकारी कम्पनी या निगम ;

(ख) विश्वविद्यालय ;

(ग) स्नातकोत्तर कालेज ;

(घ) बैंकिंग कम्पनी या सहकारी बैंक अथवा सहकारी भूमि विकास बैंक ;

(ङ) सहकारी समिति जिसकी अंश पूंजी में राज्य सरकार ने सोध अभिदान किया हो अथवा जिसकी अंश पूंजी के निर्माण या वृद्धि में उसने अप्रत्यक्ष रूप से सहायता की हो जैसा कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 के अध्याय 6 में व्यवस्थित है अथवा उक्त अधिनियम के अर्थान्तर्गत कोई शीर्ष समिति ;

(च) उत्तर प्रदेश भू-दान यज्ञ अधिनियम, 1952 के अधीन संघटित भू-दान यज्ञ समिति ।

(3) उपधारा (4), (5) और (6) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, उपधारा (1) के प्रयोजनार्थ अधिकतम क्षेत्र निम्नलिखित होगा—

(क) परिवार वाले खातेदार की दशा में, सिंचित भूमि के 7.30 हेक्टर (जिसके अन्तर्गत उसके परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा धृत भूमि भी है) और उसके साथ उसके प्रत्येक ऐसे वयस्क पुत्रों के लिये जो स्वयं खातेदार न हों, सिंचित भूमि के 2 अतिरिक्त हेक्टर, किन्तु ऐसी अतिरिक्त भूमि 6 हेक्टर से अधिक न होगी ;

(ख) ऐसे खातेदार की दशा में जो कृषि में शिक्षा देने वाला डिग्री कालेज हो—सिंचित भूमि के 20 हेक्टर ;

(ग) ऐसे खातेदार की दशा में जो कृषि में शिक्षा देने वाला इण्टर-मीडिएट कालेज हो—सिंचित भूमि के 12 हेक्टर ;

(घ) किसी अन्य खातेदार की दशा में— सिंचित भूमि का 7.30 हेक्टर ।

स्पष्टीकरण—उपधारा (6) के अधीन उपेक्षणीय, भूमि के किसी अंतरण या विभाजन की उपेक्षा निम्नलिखित के लिए भी की जायेगी—

(त) इस बात के अवधारण के प्रयोजनार्थ कि किसी खातेदार का कोई वयस्क पुत्र खण्ड (क) के अन्तर्गत स्वयं खातेदार है या नहीं ;

(थ) धारा 9 के अधीन नोटिस तामील करने के प्रयोजनार्थ ।

(4) यदि कोई जोत किसी फर्म या सहकारी समिति या अन्य सोसाइटी या व्यक्तियों के सभुदाय (चाहे वह निगमित हो या नहीं किन्तु इसके अन्तर्गत सार्वजनिक कम्पनी नहीं है) द्वारा धृत हो तो उस जोत को इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ उसके सदस्यों द्वारा (चाहे वे भागीदार, अंशधारी या किसी अन्य नाम से कहे जाते हों, उक्त फर्म सहकारी समिति या अन्य सोसाइटी या व्यक्तियों

के अन्य समुदाय में उनके अपने–अपने अंश के अनुपात में धृत समझा जायगा ।

(5) किसी असार्वजनिक न्यास द्वारा धृत किसी जोत के सम्बन्ध में,––

(क) यदि ऐसे न्यास की आय में उसके लाभर्थियों का अंश ज्ञात अथवा अवधार्य हो, तो इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ उस जोत में लाभार्थियों का अंश उसी अनुपात में समझा जायगा जिस अनुपात में ऐसे न्यास की आय में उनका अलग-अलग अंश हो ;

(ख) किसी अन्य दशा में यह उपधारा (3) के खण्ड (घ) द्वारा नियंत्रित होगा ।

(6) किसी खातेदार के सम्बन्ध में प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र का अवधारण करने में, दिनांक 24 जनवरी, 1971 के पश्चात् ऐसी भूमि के किसी अंतरण की, जो ऐसा अंतरण न होने की दशा में इस अधिनियम के अधीन अतिरिक्त भमि घोषित की गई होती, उपेक्षा की जायगी और उसकी गणना नहीं की जायगी :

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा की कोई बात निम्नलिखित पर लागू न होगी––

(क) उपधारा (2) में अभिदिष्ट किसी व्यक्ति (जिसके अन्तर्गत सरकार भी है) के पक्ष में कोई अंतरण ;

(ख) कोई अंतरण जो नियत प्राधिकारी के संतोषानुसार सद्भावना से और पर्याप्त प्रतिफल के लिये किया गया सिद्ध हो तथा ऐसे अप्रतिसंहरणीय संलेख के अधीन हो, जो बेनामी अंतरण न हो या खातेदार अथवा उसके परिवार के सदस्यों के तात्कालिक या आस्थगित लाभ के लिये न हो ।

स्पष्टीकरण––यह सिद्ध करने का भार कि कोई मामला प्रतिबन्धात्मक खण्ड के खण्ड (ख) के अन्तर्गत आता है, उसके लाभ का दावा करने वाले पक्ष पर होगा ।

(7) किसी खातेदार के सम्बन्ध में प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र का अवधारण करने में दिनांक 24 जनवरी, 1971 के पश्चात् ऐसी भूमि के किसी विभाजन की, जो ऐसा विभाजन न होने की दशा में इस अधिनयम के अधीन अतिरिक्त भूमि घोषित की गयी होती, उपेक्षा की जायगी और उसकी गणना नहीं की जायगी :

प्रतिबन्ध यह है कि इस उप-धारा की कोई बात निम्नलिखित पर लागू न होगी––

(क) उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 के अधीन विभाजन ।

(ख) उक्त दिनांक को विचाराधीन किसी वाद या किन्हीं कार्यवाहियों में किया गया जोत का विभाजन :

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि पूर्ववर्ती प्रतिबन्धात्मक खंड में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि नियत प्राधिकारी की यह राय हो कि खातेदार और विभाजन के किसी दूसरे पक्ष के बीच दूरभिसंधि के कारण ऐसे दूसरे पक्ष को ऐसा अंश दिया गया जिसके लिये वह हकदार नहीं था, अथवा जितने के लिये वह हकदार था उससे अधिक अंश दिया गया है, तो वह ऐसे विभाजन की उपेक्षा कर सकता है ।

स्पष्टीकरण––यह सिद्ध करने का भार कि कोई मामला प्रथम प्रतिबन्धात्मक खंड के अन्तर्गत आता है, उसके लाभ का दावा करने वाले पक्ष पर होगा ।

अधिकतम सीमा के आरोपण से कतिपय भूमि की विमुक्ति

6--इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, निम्नलिखित किसी भी श्रेणी के अन्तर्गत आने वाली भूमि पर, किसी खातेदार के संबंध में प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र का और उसकी अतिरिक्त भूमि का अवधारण करने के प्रयोजनार्थ, विचार नहीं किया जायगा, अर्थात्--

(क) वह भूमि जो औद्योगिक प्रयोजन के लिये (अर्थात् माल के निर्माण, परिरक्षण, भंडार-करण या प्रसंस्करण के प्रयोजनार्थ) प्रयुक्त हो और जिसके संबंध में उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 ई0 की धारा 143 के अधीन घोषणा विद्यमान हो;

(ख) वह भूमि जो आवास-गृह द्वारा अध्यासित हो ;

(ग) वह भूमि जो श्मशान या कब्रिस्तान के रूप में प्रयुक्त हो, किन्तु इसके अन्तर्गत कृषि भूमि नहीं है ;

(घ) वह भूमि जो चाय, काफी या रबर प्लांटेशनों के लिये प्रयुक्त हो, और वह भूमि जो नियत सीमा तक उससे संलग्न प्रयोजनों के लिये तथा ऐसे प्लांटेशनों के विकास के लिये अपेक्षित हो;

(ङ) वह भूमि जो ऐसी भेषजकीय तथा जड़ी-बूटी तथा अन्य प्लांटेशनों के लिये जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करें, प्रयुक्त हो ;

(च) वह भूमि जो पहली मई, 1959 के पहले से किसी ऐसे सार्वजनिक धार्मिक वक्फ, न्यास, विन्यास या संस्था द्वारा या उसके अधीन धृत हो, जिसकी आय का पूर्ण उपयोग धार्मिक या पूर्त प्रयोजनों के लिये किया जाता हो और वह ऐसा वक्फ, न्यास या विन्यास न हो जिसका पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से लाभार्थी उसका संस्थापक या उसके परिवार के सदस्य या उसके वंशज हो;

(छ) वह भूमि जो नियत सीमा तक (उत्तर प्रदेश गोशाला अधिनियम, 1964 के अधीन रजिस्ट्रीकृत) गोशाला द्वारा धृत हो;

(ज) वह भूमि जो इस अभिनियम के प्रवृत्त होने के पश्चात् सरकारी पट्टेदार को भूमि-सुधार तथा खेती के लिये अथवा ऐसी विशिष्ट फसल की खेती के लिये अथवा ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिये जो नियत किये जायं पट्टे पर दी गई हों ।

भूमि के अंतरण के लिये कतिपय संविदाओं के आधार पर वाद सम्बन्धी रोक

7--किसी भूमि के अन्तरण के लिये, यदि ऐसा अंतरण धारा 5 की उपधारा (6) के अधीन उपेक्षणीय हो, किसी संविदा का विनिर्दिष्ट पालन किये जाने के लिये कोई वाद प्रस्तुत नहीं किया जायगा ।

अधिकतम सीमा क्षेत्र में धृत भूमि में खातेदार और उसके परिवार के अन्य सदस्यों के अधिकार

8--यदि खातेदार की पत्नी या अवयस्क पुत्र अथवा पुत्री द्वारा धृत भूमि को धारा 5 की उपधारा (3) के खंड (क) के अधीन खातेदार के परिवार द्वारा धृत भूमि में सम्मिलित कर लिया गया है तो उनके पास बची भूमि को, उनके द्वारा संयुक्त रूप में इस अधिनियम के अधीन अतिरिक्त भूमि घोषित किय जाने के पूर्व उनके द्वारा क्रमशः धृत भूमि के बाजार मूल्य के अनुपात में, धत भूमि समझा जायगा।"

धारा 9 का संशोधन

4––मूल अधिनियम की धारा 9 को पुनः संख्यांकित करके उसकी उपधारा (1) कर दी जाय और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारायें बढ़ा दी जायं, अर्थात्––

"(2) उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) अधियनयम, 1972 के प्रवृत्त होने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, नियत प्राधिकारी, तत्सदृश सामान्य नोटिस द्वारा प्रत्येक ऐसे खातेदार को जिसके पास उक्त अधिमियम के प्रवृत्त होने पर उसके संबंध में प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र से अधिक भूमि हो, ऐसी नोटिस के प्रकाशन के 30 दिन के भीतर, उपधारा (1) में अभिदिष्ट विवरण-पत्र प्रस्तुत करने को कहेगा।

(3) यदि खातेदार की पत्नी के पास कोई ऐसी भूमि हो तो जो अधिकतम क्षेत्र का अवधारण करने के प्रयोजनार्थ खातेदार द्वारा धृत भूमि के साथ सम्मिलित किये जाने के योग्य हो, तो खातेदार उपधारा (1) में अभिदिष्ट अपने विवरण-पत्र के साथ ऐसे प्लाट या प्लाटों को रखने के संबंध में जिन्हें वे अपने संबंध में प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र के भाग के रूप में रखना चाहे, अपनी पत्नी की सम्पत्ति भी प्रस्तुत करेगा और यदि उसकी पत्नी की सम्मति इस प्रकार प्राप्त न हो, तो नियत प्राधिकारी धारा 10 की उपधारा (2) के अधीन उस (पत्नी) पर पृथक रूप से नोटिस तामील करायेगा।"

धारा 10 का संशोधन

5––मूल अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) में, शब्द तथा अंक "धारा 6 या 7 के अधीन" के स्थान पर शब्द तथा अंक "धारा 6 के अधीन" रख दिये जायं।

नयी धारा 12–क का बढ़ाया जाना

6––मूल अधिनियम की धारा 12 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:––

"12–क–धारा 11 या धारा 12 के अधीन अतिरिक्त भूमि का अवधारण करने में नियत प्राधिकारी, यथासंभव, खातेदार द्वारा प्लाट या प्लाटों के संबंध में जिन्हें वह और उसके परिवार के अन्य सदस्य, यदि कोई हो, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन अपने पर या उन पर प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र के भाग के रूप में रखना चाहें, इंगित विकल्प को स्वीकार करेगा, चाहे वह उसके द्वारा धारा 9 के अधीन अपने विवरण-पत्र में या किन्हीं अनुवर्ती कार्यवाहियों में इंगित किया गया हो :

कतिपय मामलों के सिवाय खातेदार का विकल्प माना जाना

प्रतिबन्ध यह है कि––

(क) नियत प्राधिकारी खातेदार के संबंध में प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र में सम्मिलित की जाने वाली भूमि की संपार्श्विकता को ध्यान में रखेगा।

(ख) यदि खातेदार की पत्नी के पास कोई ऐसी भूमि हो जो अधिकतम क्षेत्र का अवधारण करने के प्रयोजनार्थ खातेदार द्वारा धृत भूमि के साथ सम्मिलित की गई हो, और उसकी पत्नी ने उन पर प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र के भाग के रूप में रखे जाने वाले प्लाट या प्लाटों के संबंध में खातेदार द्वारा इंगित विकल्प के बारे में सम्मति न दी हो, तो नियत प्राधिकारी, यथासंभव, ऐसी रीति से अतिरिक्त भूमि घोषित

करेगा कि खातेदार की पत्नी द्वारा धृत भूमि में से लिये जाने वाले क्षेत्र का कुल अतिरिक्त क्षेत्र में वही अनुपात हो जो उसके (पत्नी) द्वारा मूलतः धृत क्षेत्र का परिवार द्वारा धृत कुल भूमि में हों;

(ग) यदि किसी व्यक्ति के पास राज्य सरकार या किसी बैंकिंग कम्पनी या किसी सहकारी भूमि विकास बैंक या अन्य सहकारी समिति या निगम या किसी सरकारी कम्पनी के पास गिरवी रखी गई भूमि को सम्मिलित करके, अधिकतम क्षेत्र से अधिक भूमि हो तो, यथासंभव, इस प्रकार गिरवी रखी गई भूमि से भिन्न भूमि अतिरिक्त भूमि अवधारित की जायगी;

(घ) यदि किसी व्यक्ति के पास, धारा 5 की उपधारा (6) या उपधारा (7) में अभिदिष्ट किसी अंतरण या विभाजन विषयक किसी भूमि, को सम्मिलित करके, अधिकतम क्षेत्र से अधिक भूमि हो तो, यथासंभव ऐसे अन्तरण या विभाजन विषयक भूमि से भिन्न भूमि अतिरिक्त भूमि अवधारित की जायेगी, और यदि अतिरिक्त भूमि के अन्तर्गत कोई ऐसी भूमि सम्मिलित है जो ऐसे अन्तरण या विभाजन का विषय हो तो ऐसा अन्तरण या विभाजन, जहां तक उसका संबंध अतिरिक्त भूमि में सम्मिलित भूमि से है शून्य समझा जायगा और सदैव से शून्य होगा; और—

(1) अन्तरिती अपने द्वारा अंतरक को अग्रिम दिये गये प्रतिफल की आनुपातिक धनराशि को, यदि कोई हो, लौटाने के लिये दावा कर सकता है, और यह धनराशि धारा 17 के अधीन अंतरक को देय प्रतिकर पर और अधिकतम क्षेत्र के भीतर अंतरक द्वारा रखी गई किसी भूमि पर भी भारित होगी और उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिकतम, 1950 ई० की धारा 153 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, ऐसी भूमि को उस प्रभार की तुष्टि के लिये बेचा जा सकेगा ।

(2) विभाजन से संबंधित (ऐसे खातेदार जिसके संबंध में अतिरिक्त भूमि अवधारित की गयी हो, से भिन्न) कोई पक्ष जिसकी भूमि उक्त खातेदार की अतिरिक्त भूमि में सम्मिलित की गयी हो, विभाजन को फिर से कराने का हकदार होगा।"

नयी धारा 13-क का बढ़ाया जाना

7—मूल अधिनियम की धारा 13 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्—

"13-क (1) नियत प्राधिकारी, धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन कतिपय मामलों में अतिरिक्त भूमि का पुनः अवधारण अधिसूचना के दिनांक से दो वर्ष की अवधि के भीतर, किसी समय, अभिलेख को देखने से ही प्रकट भूल की परिशुद्धि कर सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि कोई ऐसी परिशुद्धि जिससे अतिरिक्त भूमि में वृद्धि हो, तब तक न की जायगी जब तक कि नियत प्राधिकारी ने खातेदार को ऐसा करने के अपने अभिप्राय को नोटिस न दे दी हो और उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया हो।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी कार्यवाही के सम्बन्ध में धारा 10, 11, 12, 12-क, 13, 14 और 15 के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों

के साथ लागू होंगे और धारा 10 को लागू करने के प्रयोजनार्थ उपधारा 1 प्रतिबन्धात्मक खंड के अधीन नोटिस धारा 9 के अधीन नोटिस समझी जायगी ।

धारा 14 का संशोधन

8—मूल अधिनियम की धारा 14 की—

(1) उपधारा 2 के अन्त में, उसका निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ा दिया जांय अर्थात्—

"प्रतिबन्ध यह है कि प्रभार यदि कोई हों, अतिरिक्त भूमि के स्थान पर, धारा 17 के अधीन देय प्रतिकर से सम्बद्ध हो जायगा";

(2) उपधारा 3 में शब्द "या खातेदार से प्राप्त भूमि पर काबिज पट्टेदार" के पश्चात शब्द "या उपधारा (2) के प्रतिबन्धात्मक खंड में अभिदिष्ट किसी प्रभार से हितबद्ध व्यक्त" बढ़ा दिये जायं ;

(3) उपधारा (7) में शब्द "या खातेदार के पट्टेदार" के पश्चात शब्द या उपधारा (2) प्रतिबन्धात्मक खंड में अभिदिष्ट किसी प्रभार से हितबद्ध व्यक्ति" बढ़ा दिये जायं ।

धारा 16 का निकाला जाना

9—मूल अधिनियम की धारा 16 निकाल दी जाय ।

नयी धारा 17—क का बढ़ाया जाना

10—मूल अधिनियम की धारा 17 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्—

"17—क (1) यदि इस अधिनियम के अधीन अपील कर दिये गये किसी आदेश अथवा किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण के किसी अन्य आदेश के परिणामस्वरूप धारा 14 की उपधारा (2) के अधीन राज्य सरकार की अंतिरिक्त या उसमें निहित किसी भूमि का कब्जा किसी खातेदार या उसके हित-उत्तराधिकारी को या किसी अन्य व्यक्ति को, उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) अधिनियम, 1972 के प्रवृत होने के पूर्व या पश्चात् लौटाना अपेक्षित हो, तो प्रतिकर अधिकारी यह आदेश देगा कि वह दिये गये प्रतिकर की सम्पूर्ण धनराशि, या जैसी भी दशा हो अनुपातिक धनराशि वापस कर दें

कतिपय मामलों में प्रतिकर लौटाया जाना

(7) ऐसी कोई धनिराशि जो अदत्त रह जाय राज्य सरकार द्वारा भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जा सकेगी ।

धारा 24 का निकाला जाना

11—मूल अधिनियम की धारा 24 निकाल दी जाय ।

धारा 27 का संशोधन

12—मूल अधिनियम की धारा 27 की —

(1) उपधारा (1) में, जहां कहीं भी शब्द "गांव समाज" आये हों, उनके स्थान पर शब्द "गांव सभा" रख दिये जायं ;

(2) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित रख दी जाय ; अर्तात्—

"(2) राज्य सरकार किसी अतिरिक्त भूमि का बन्दोबस्त या तो उपधारा (1) या उपधारा (3) के अनुसार कर सकती है या धारा 25 के अनुसार उसका प्रयोग कर सकती है अथवा उसका प्रयोग किये जाने की अनुज्ञा दे सकती है या उसका प्रबन्ध कर सकती है अथवा उसके सम्बन्ध में एसी रीति से जिसे वह उचित समझ, अन्यथा कार्यवाही कर सकती है";

(3) उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्—

"(4) राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा यह घोषणा कर सकती है कि तदर्थ निर्दिष्ट किये जाने वाले दिनांक से किसी मंडल में स्थित सभी अतिरिक्त भूमि जिसका बन्दोबस्त इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन नहीं किया जा सका, सम्बद्ध गांव सभा में निहित हो जायगी, और इस प्रकार निहित होने के सम्बन्ध मे उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 ई० की धारा 117 के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे।"

धारा 28 का संशोधन

13—मूल अधिनियम की धारा 28 में, उपधारा (2) निकाल दी जाय।

धारा 29 के स्थान पर नयी धारा का रखा जाना

14—मूल अधिनियम की धारा 29 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय; अर्थात्—

"29—यदि उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) अधिनियम, 1972 के प्रवर्तन के दिनांक के पश्चात्—

अग्रेतर भूमि का अतिरिक्त भूमि के रूप में अनुवर्ती घोषणा

(क) किसी न्यायालय की डिक्री या आदेश के अधीन या उत्तराधिकार अथवा अंतरण के परिणामस्वरूप या प्रतिकूल कब्जे के परिणामस्वरूप चिरभोग द्वारा कोई भूमि किसी खातेदार द्वारा धृत हो जाय, और ऐसी भूमि उसके द्वारा पहले से ही धृत भूमि को मिला कर, उसके लिये प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र से अधिक हो जाय ; या

(ख) कोई असिंचित भूमि राजकीय सिंचन संकर्मक द्वारा सिंचन के परिणामस्वरूप सिंचित भूमि हो जाय, या कोई बाग-भूमि बाग के रूप में न रह जाय, या इस अधिनियम के अधीन विमुक्त कोई भूमि विमुक्त श्रेणियों की किसी श्रेणी के अन्तर्गत न रह जाय तो अधिकतम क्षेत्र का पुनः अवधारण किया जायगा और तद्नुसार इस प्रकार पुनः अवधारित अधिकतम क्षेत्र से अधिक भूमि जो उसके द्वारा धृत होगी, अतिरिक्त भूमि के रूप में व्यवहारित की जाने योग्य होगी।"

धारा 30 का संशोधन

15—मूल अधिनियम की धारा 30 में, उपधारा (1) में, शब्द, अक्षर, अंक तथा कोष्ठक "धारा 4 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन या" निकाल दिये जायं।

धारा 34 का निकाला जाना

16—मूल अधिनियम की धारा 34 निकाल दी जाय।

धारा 42 का संशोधन

17—मूल अधिनियम की धारा 42 में,—

(1) पार्श्व शीर्षक में शब्द तथा अंक "इंडियन लिमिटेशन ऐक्ट, 1908" के स्थान पर शब्द तथा अंक "परिसीमा अधिनियम 1963" रख दिये जायं ;

(2) शब्द तथा अंक "इंडियन लिमिटेशन ऐक्ट, 1908 की धारा 5 तथा 12" के स्थान पर शब्द तथा अंक "परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 4, 5, तथा 12" रख दिये जायं।

धारा 43 का संशोधन

18—मूल अधिनियम की धारा 43 में शब्द, कोष्ठक तथा अंक "धारा 16 की उपधारा (3) के अधीन आपत्ति सुनने के अधिकार को छोड़ कर" निकाल दिये जायं।

संक्रमण-कालीन उपबन्ध

19—(1) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के समय किसी न्यायालय या अधिकरण के समक्ष मूल अधिनियम की धारा 9, धारा 10, धारा 11, धारा 12 धारा 13, या धारा 30 के अधीन अतिरिक्त भूमि का अवधारण करने के लिये विचाराधीन समस्त कार्यवाहियों का उपशमन हो जायगा और नियत प्राधिकारी उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (2), जैसी कि इस अधिनियम द्वारा बढ़ाई गयी है, के अधीन नोटिस जारी करके उक्त अधिनियम के अधीन अधिकतम क्षेत्र का अवधारण करने के लिये फिर से कार्यवाहियां शुरू करेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे मामलों में अधिकतम क्षेत्र का अवधारण निम्नलिखित रीति से किया जायगा—

(क) प्रथमतः, अधिकतम क्षेत्र का अवधारण मूल अधिनियम, जैसा कि वह इस अधिनियम द्वारा संशोधित किये जाने के पूर्व था, के अनुसार किया जायगा ;

(ख) तत्पश्चात्, अधिकतम क्षेत्र का पुनः अवधारण, इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार किया जायगा ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, किसी ऐसे खातेदार के सम्बन्ध में , जिससे सम्बन्धित अतिरिक्त भूमि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व अन्तिम रूप से अवधारित कर दी गयी हो, मूल अधिनियम की धारा 14 या अध्याय 3 या अध्याय 4 के अधीन कोई कार्यवाही ऐसी भूमि के सम्बन्ध में मूल अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (2) और 13-क, जैसा कि इस अधिनियम द्वारा बढ़ाई गयी है, के उपबन्धों की प्रयोज्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मूल अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार जारी रखी जा सकती है और समाप्त की जा सकती है ।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 के वर्तमान उपबन्धों के अनुसार खातेदार की जोत की सीमा सामान्यतः 40 एकड़ और 128 एकड़ के बीच है। इसके अतिरिक्त, अधिनियम के उपबन्धों से बड़ी संख्या में विमुक्तियां दी गयी हैं। कतिपय खातेदारों ने कुछ विमुक्तियों का दुरुपयोग किया है। अनुच्छेद 39 के खंड (ख) तथा (ग) दिये गये संविधान के निदेशक सिद्धांतों को अग्रेत्तर कार्यान्वित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार यह आवश्यक समझती है कि अधिकतम जोत सीमा कम कर दी जाय और कुछ विमुक्तियों को या तो वापस ले लिया जाय अथवा उन्हें सीमित किया जाय।

2—इस अवसर का लाभ कुछ सामान्य प्रकार के संशोधन करने के लिये भी उठाया गया है।

3—तदनुसार उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) विधेयक पुरः स्थापित किया जाता है।

उदित नारायण शर्मा,

राजस्व मंत्री।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 241 एल० ए०—1973—835।